Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

गुरुवार, दिनांक १५ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, राजस्व, खाद्य, नियुक्ति, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा—विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री गोयल।

राणा प्रतापसागर डेम के निर्माण कार्य के लिये टेन्डर

९१७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राणा प्रतापसागर डेम का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ ?

(२) उक्त कार्य के लिये टेन्डर कब आमंत्रित किए गए तथा अन्तिम तारीख कौन सी थी ? कृपया टेन्डर की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(३) उक्त कार्य के संबंध में कुल कितने व किस किस के कब कब टेन्डर्स प्राप्त हुए ?

(४) उक्त कार्य के संबंध में अर्नेस्ट मनी की शर्त कितने रुपये की व कब किसके आदेश से रखी गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? क्या अर्नेस्ट मनी लौटा दी है ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

(५) किसका टेन्डर कब व क्यों स्वीकार किया गया ? कृपया तुलनात्मक विवरण की प्रतिलिपि व ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत टेन्डर्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें ?

Page No 2

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) राणा प्रतापसागर डेम का निर्माण कार्य सन् १९५९ में आरम्भ हुआ परन्तु डेम की चिनाई का कार्य ५-१२-६१ को आरम्भ हुआ।

(२) चिनाई के लिये टेंडर दिसम्बर सन् १९६० में आमंत्रित किये गये। टेंडर प्राप्त होने की अंतिम तारीख ११-२-६१ थी जिसको बढ़ा कर ११-३-६१ किया गया। टेंडर नोटिस की प्रति संलग्न है।

(३) दिनांक ११-३-६१ के पूर्व निम्न आठ कम्पनियों से टेन्डर प्राप्त हुए थे:—

१. मेसर्स एन पी.सी.सी., नई दिल्ली।
२. मेसर्स एम. सी. सी., बम्बई
३- सेठ रामरतन, नई दिल्ली
४. मेसर्स कालूराम मदनलाल, नेप्सा
५. मेसर्स मेकन्जीज लिमिटेड, बम्बई
६. मेसर्स छगनलाल दुर्गाप्रसाद, कोटा
७. मेसर्स पूसाराम ठेकेदार, कोटा
८. पंडित हरगोविन्द, धौलपुर।

(४) उक्त कार्य के सम्बन्ध में प्रत्येक खंड के लिये चाही गई अर्नेस्ट मनी निम्न प्रकार से है:—

खंड	टेंडर के साथ दी जाने वाली घनराशी	टेंडर मंजूर होने पर दी जाने वाली धनराशि	योग
१.	३३,०००)	९८,०००)	१,३१,०००)
२.	३२,०००)	९२,०००)	१,२४,०००)
३.	२३,०००)	६८,०००)	९१,०००)
४.	१२,०००)	३३,०००)	४५,०००)
	१,००,०००)	२,९१,०००)	३,९१,०००)

उपरोक्त अर्नेस्ट मनी की धनराशि चम्बल कंट्रोल बोर्ड के आदेशानुसार निर्धारित की गई थी। आदेश की प्रति संलग्न है। मेसर्स पूसाराम तथा छगनलाल ने अर्नेस्ट मनी जमा नहीं कराई थी। शेष ठेकेदारों सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है:—

(१) मेसर्स एन. पी. सी. सी. (२) सेठ रामरतन (३) मेसर्स कालूराम मदनलाल (४) मेसर्स मेकेन्जीज	चूंकि निर्माण कार्य मेसर्स एम. सी. सी. को चम्बल कंट्रोल बोर्ड के निर्णय के अनुसार दिया गया था अतः इन ठेकेदारों की अर्नेस्ट मनी तत्पश्चात् अर्थात् २०-१०-६१ के बाद लौटा दी गई।

(५) पंडित हरगोविन्द की अर्नेस्ट मनी अप्रेल १९६१ में ही वापिस करने के आदेश दे दिये थे क्योंकि उनका टेन्डर सिर्फ एक पार्ट के लिये था और वह भी बहुत ऊंचा था।

(६) मेसर्स मोडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्ट मनी २०-११-६२ को उतने रुपयों की बेंक गारंटी पेश करने पर लौटा दी गई।

(७) मेसर्स एम. सी. सी. का टेंडर २०-१०-६२ को मंजूर हुआ। क्योंकि न्यूनतम टेंडर वाले सेठ रामरतन को इतने बड़े न्यूनतम बांध के निर्माण कार्य का अनुभव नहीं था। तुलनात्मक विवरण की प्रति संलग्न है। टेंडर्स की प्रतियां तैयार कराने में काफी समय तथा श्रम की आवश्यकता होगी, अत. सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने प्रतियां पेश की हैं उनकी सूची नहीं मिली।

श्री दौलतराम सारण : अब ले लीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो टेन्डर्स आमंत्रित किये गये उनमें अर्नेस्ट मनी जमा कराने की कंडीशन नहीं थी ?

श्री दौलतराम सारण : शर्त थी उसी के हिसाब से तो अर्नेस्ट मनी प्राप्त की गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दुबारा फरमाइये। टेन्डर्स आमंत्रित किये गये जिसका पब्लिकेशन गजट में और प्रेस में किया, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि अर्नेस्ट मनी देना आवश्यक है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको चंबल कंट्रोल बोर्ड का जो ऑर्डर है उनकी कॉपी दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चंबल कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर से संबंध नहीं है। प्रश्न यह है कि गजट में और प्रेस में टेन्डर के लिये जो विज्ञापन दिया उसमें अर्नेस्ट मनी देने की कोई हिदायत नहीं थी।

श्री दौलतराम सारण : चंबल कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर में है, आप देख लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऑर्डर से मतलब नहीं है। जो टेन्डर ठेकेदार देंगे वे आपके विज्ञापन के अनुसार देखेंगे और जो आपने पब्लिश कराया है उसमें कोई शर्त नहीं थी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : चंबल कंट्रोल बोर्ड को अधिकार है कि बाद में चाहें तो भी डिपोज़िट ले सकते हैं, स्पेशल रूल्स फ्रेम कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : फिर इस ऑर्डर का क्या अर्थ रह जाता है जब आप नोटिस इश्यू करते हैं, उसमें मेन्शन नहीं करते ? आपके नोटिस में सारी बातें होनी चाहिये, अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ेगी। इसमें इसका रेफरेन्स नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : रेफरेन्स हो या न हो, टेन्डर फॉर्म होता है उसके बावजूद भी कन्ट्रोल बोर्ड को अधिकार है कि वह अर्नेस्ट मनी ले सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चंबल कंट्रोल बोर्ड तो अपने स्थान पर रह जाता है, कॉन्ट्रेक्टर विज्ञापन को फोलो करके टेन्डर देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपको टेन्डर नोटिस की कॉपी दी है, उसके लास्ट पैरा को देखिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पढ़ कर सुनाइये।

श्री दौलतराम सारण : इसमें लिखा है :

"The tenders complied of the required money should be received in the office of the Superintending

Page No 4

(श्री दौलतराम सारण)

Engineer Barrage circle by 12 on 11.2.61. They will be opened by the S. E. on 5.30..."

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस प्रकार के टेन्डर के अन्दर जो कंडीशन अर्नेस्ट मनी के बारे में होती है उसके अनुसार प्रत्येक टेन्डर मंजूर होता है। ऐसे टेन्डर से ए क्लास कांट्रेक्टर को अर्नेस्ट मनी देने की आवश्यकता है, इस प्रकार का मेन्शन आपके इस नोटिस में नहीं था ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि चंबल बोर्ड ने यह आवश्यक समझा कि यह बहुत बड़ा काम है, इसलिये इसमें अर्नेस्ट मनी अलॉड करनी चाहिये। जिस ऑर्डर की कॉपी आपके पास है उसके अनुसार जमा कराई गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दे रहे हैं। मेरा आपसे स्पेसिफिक प्रश्न जो है वह यह है कि जो टेन्डर्स आपने आमंत्रित किये थे, आपके डिपार्टमेंट ने किये थे उसमें स्पेसिफिकली कहीं नहीं था। जो राजस्थान के अन्दर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत ए क्लास के कांट्रेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं उनके लिए आवश्यक है कि टेन्डर देने के पहले अर्नेस्ट मनी दें ?

श्री दौलतराम सारण : टेन्डर नोटिस के अन्दर स्पेसिफिकेशन्स सब नहीं होते हैं, वे अलग होते हैं जो डिपार्टमेंट से दिये जाते हैं और उनको डिटेल्स में देख कर शर्त तय की जाती है लेकिन टेन्डर नोटिस में मोटे मोटे अन्दाज होते हैं और उनके मुताबिक टेन्डर देते हैं इसलिए सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार ने जो टेन्डर की लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड किया है एक महीने के लिए और लास्ट डेट के तीन दिन पहले सब टेन्डरर्स को सूचना दी कि ए क्लास कांट्रेक्टर्स हैं उनके लिए अर्नेस्ट मनी जमा कराना आवश्यक है।

श्री दौलतराम सारण : यह कहा कि अर्नेस्ट मनी जमा कराना आवश्यक है। यह सूचना तीन दिन पहले डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। यह पहले सूचना दी थी उनको अन्य अवसरों पर और सूचना दी गई इसमें दो राय नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि यह देखे, इस प्रकार रिमाइन्डर टेन्डरर्स को क्यों दिया गया कि अर्नेस्ट मनी जमा कराना आवश्यक है ? सरकार को रिमाइन्डर देने की क्यों आवश्यकता पड़ी तीन दिन पहले ?

श्री दौलतराम सारण : अधिक सावधानी के लिए !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ने किस तारीख को निर्णय लिया कि ए क्लास कांट्रेक्टर्स को अर्नेस्ट मनी जमा करानी है ?

श्री दौलतराम सारण : ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत कर दी है।

Page No 5

श्री भैरोंसिंह : कौनसी तारीख है आप बता दें ?

श्री दौलतराम सारण : वह उनके पास है।

श्री भैरोंसिंह : वह उनके पास तो है, मेरे पास नहीं है। आप बता दें।

श्री दौलतराम सारण : दिसम्बर ६० का उनका डिसीज़न है।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिन के बाद में पुनः टेलीग्राम दिये गये ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि टेन्डर खुलने की डेट से तीन दिन पहले।

श्री भैरोंसिंह : मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं कि चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने, जिस समय अर्नेस्ट मनी कांट्रेक्टर्स को जमा करानी चाहिए, यह डिसीज़न लिया तो उस डिसीज़न के बाद कब इश्यू किये हैं टेलीग्राम ?

श्री दौलतराम सारण : अनेस्ट मनी टेन्डर नोटिस के अनुसार जमा करानी थी सुरक्षा की दृष्टि से। अब यादददहानी के लिए टेलीग्राम दिये गये जिससे असुविधा नहीं हो कांट्रेक्टर्स को, इसमें क्या आपत्ति है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर के अन्दर ए क्लास कांट्रेक्टर्स अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करायें, इस प्रकार का प्रावधान है।

श्री दौलतराम सारण : यह ठीक है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि इस काम की अहमियत को, महत्व को, विशालता को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने आवश्यक समझा कि अर्नेस्ट मनी ए क्लास कांट्रेक्टर्स द्वारा जमा कराई जाय, इसलिए किया गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूँ कि चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने डिसीज़न लिया, उसके कितने दिन के बाद सूचना दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : सूचना की तारीख व अन्य सब तारीखें सदन में पेश की जा चुकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : अब बता दें।

उप-मंत्री, वित्त (श्री दौलतराम सारण) : तीन दिन पहले।

श्री दौलतराम सारण : तीन दिन टेन्डर की लास्ट डेट के पहले दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सब टेन्डर्स लास्ट डेट को आये हैं!

श्री दौलतराम सारण : जो तारीख के लिए पूछा, वह एक्चुअल डेट ढूंढने से मिलेगी, अभी मुझे स्मरण नहीं है। ११–३–६१ लास्ट डेट थी, तो ८–३–६१ को वह सूचना जरूर दी गई होगी।

श्री भैरोंसिंह : वह तारीख नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है कि जिस समय टेन्डर इन्वाइट करने का फैसला लिया गया तो उसमें वह व्यवस्था की गई कि ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स से अर्नेस्ट मनी लिया जाय ?

Page No 6

श्री दौलतराम सारण : यह हो सकता है। इसको मैं तहकीकी तौर पर नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : यह हो सकता है तो तीन दिन पहले इत्तला क्यों दी कि अर्नेस्ट मनी जमा कराना पड़ेगा ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें आपत्ति की बात क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : आपत्ति यह है कि कई कॉन्ट्रेक्टर्स, जो ए क्लास कॉन्ट्रेक्टर्स थे उन्होंने अर्नेस्ट मनी जमा कराया नहीं और क्योंकि उन्होंने अर्नेस्ट मनी जमा नहीं कराया इसलिए उनका टेन्डर रिजेक्ट कर दिया। आप कहते हैं कि तीन दिन पहले इत्तला दी है, तो यह जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रेक्टर टेन्डर देता है वह मकान पर ही रहे। वह कहीं बाहर चला गया हो तो उसको सूचना न मिली हो और उसने अर्नेस्ट मनी जमा नहीं कराया हो और उसका टेन्डर रिजेक्ट हो गया हो।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि मुख्य-मुख्य ठेकेदार थे उन ने टेन्डर्स दिये हैं। उन्होंने अपने तरीके से टेन्डर दिये हैं। इसलिए ऐसा सवाल नहीं है कि अर्नेस्ट मनी जमा नहीं कराई हो। केवल एक ठेकेदार के साथ में यह सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन !

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब ! यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। क्या यह सही है कि टेन्डर इन्वाइट करने के बाद चम्बल कंट्रोल बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई ?

श्री दौलतराम सारण : उत्तर के पार्ट (४) में मैंने निवेदन किया है कि अर्नेस्ट मनी मेसर्स पूसाराम छगनलाल ने जमा नहीं कराई है। और ठेकेदारों ने जो अर्नेस्ट मनी जमा कराई थी उसके टेन्डर्स इसलिए कन्सीडर नहीं हुए क्योंकि रेट्स हाई थीं। प्रश्न (४) में, अलग अलग जो अर्नेस्ट मनी मांगी गई थी वह दिया है। लेकिन उसकी रेट्स हाई होने की वजह से उनके टेन्डर्स कन्सीडर नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं था, प्रश्न यह था कि टेन्डर्स इन्वाइट करने के बाद चम्बल कंट्रोल बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई ?

श्री दौलतराम सारण : चम्बल कंट्रोल बोर्ड की बैठक और ऑर्डर का मैंने हवाला दे दिया है !

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि टेन्डर इन्वाइट करने के बाद चम्बल कंट्रोल बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई, क्या यह सही है ?

श्री दौलतराम सारण : चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने एक कमेटी इन्वाइट की थी और उस कमेटी ने सारे टेन्डर्स की स्क्रूटिनी की थी और उसकी रिकमन्डेशन पर चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था।

श्री भैरोंसिंह : एक्सेप्ट करने का सवाल नहीं है, अर्नेस्ट मनी का क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि उसके डिसीजन के कारण से मांगी है, मैं कहता हूं कि टेन्डर्स इन्वाइट करने के बाद चम्बल कंट्रोल बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

श्री दौलतराम सारण : हां, नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : इस कमेटी की, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, बैठक कब हुई जिस कमेटी ने अर्नेस्ट मनी के बारे में डिसीज़न लिया ?

श्री रावतराम (सादूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन में पन्द्रह मिनट लग जायेंगे तो आज चार क्वेश्चन्स ही आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सब आ जायेंगे। आखिरी दिन है। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन का दिन रहेगा।

आप जिस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं इसकी टेन्डर इन्वाइट करने के बाद में मीटिंग हुई ?

श्री दौलतराम सारण : कमेटी की मीटिंग हुई। कमेटी ने बाकायदा मीटिंग करके स्क्रुटिनाइज़ किया है, तब हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी तारीख को हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : यह कमेटी नियुक्त हुई ६-५-६१ को और टेन्डर इन्वाइट करने पर इसकी मीटिंग हुई। कमेटी ने १२-५-६१ को विभिन्न ठेकेदारों में बातचीत करके यह काम आगे किया।

श्री भैरोंसिंह : मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट मनी के बारे में डिसीज़न किसने लिया, उसने लिया तो किस तारीख की बैठक में लिया और चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने लिया तो किस तारीख को लिया ?

श्री दौलतराम सारण : अर्नेस्ट मनी के बारे में डिसीज़न लिया है वह चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने लिया है और इसका जो ऑर्डर है उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को दे दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कॉपी नहीं आई है।

श्री दौलतराम सारण : कॉपी नहीं आई तो आप ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चम्बल कंट्रोल बोर्ड की बैठक टेन्डर इन्वाइट करने के बाद नहीं हुई है इसलिए निर्णय लेने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु) : कॉपी दी नहीं है, सदन को नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप दे देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : टेन्डर एक्सेप्ट करने से पहले निगोशयेशिन कमेटी के सदस्य मोतीलाल चौधरी और एक बहुत बड़े फाइनेन्स एडवाइज़र...

श्री दौलतराम सारण : कौन मोतीराम चौधरी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो निगोशियेशन कमेटी के सदस्य हैं, जो सब कमेटी के सदस्य हैं जो सब कमेटी चम्बल कंट्रोल

Page No 8

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बोर्ड ने बनाई थी, उसके सदस्य मोतीलाल चौधरी और फाइनेन्स एडवाइज़र टू द कमेटी–इन दोनों ने सिफारिश की थी कि इस कार्य का ठेका दिया जाय वह एम. पी. सी. सी. को दिया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको सूचना दे देता हूं, इसकी पांच सात मीटिंग्ज हुई उसमें यह सफाई की है कि इसका ठेका मोडल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को न दिया जाय, एन. पी. सी. सी. को दिया जाय जो गवर्नमेंट कन्सर्न है ?

श्री दौलतराम सारण : जो गवर्नमेंट कन्सर्न है वह इतने बड़े काम को करने के लिए सक्षम नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन दो आदमियों ने उसकी सिफारिश की है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह कम्पनी है, यह बहुत बड़े बड़े काम करती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्थान में यह कम्पनी कोटा डेम पर काम कर रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह सक्षम नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका ब्यूज अमाउन्ट ऑफ शेअर मनी उसमें बाकायदा मौजूद है तो बाकायदा इस सवाल को उठाया जा सकता है कि आप एक प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर को क्यों दें ? जो नेशनल कॉन्ट्रेक्टर्स कोर्पोरेशन है, उसके बारे में इस कमेटी ने रिकमन्ड किया है और आप कहते हैं कि वह सक्षम नहीं है, इसलिए उसको काम देना उचित नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने अब कहा कि काम देना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री कृष्णकुमार गोयल : कॉपी जो है वह दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह ले लीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके पास नहीं आई है।

प्रश्न संख्या ६१८

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री आनन्दसिंह कछावाहा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या

६२०. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में सभी वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या क्या है ? श्रेणीवार (क्लासवाइज़) बताने की कृपा करें।

(२) सरकार के प्रत्येक विभाग में नियुक्त अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अलग अलग कितनी है और कुल कितनी है ?

(३) प्रत्येक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित कोटे की अभिपूर्ति की गई है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) इस बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है । सभी विभागों से सूचना मांगी गई है। अब तक जो सूचना आई है उसके आधार पर विवरण इस प्रकार है :

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जब पूरी सूचना नहीं आई तो प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित करने से क्या फायदा होगा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : बहुत सी सूचना आ जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले सुन लीजिये ।

श्री चन्दनमल वैद : (१) इस बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है । सभी विभागों से सूचना मांगी गई है। अब तक जो सूचना आई है उसके आधार पर विवरण इस प्रकार है :

गजटेड	सबोर्डिनेट	मिनिस्टीरियल	क्लास ४
५,२३१	५७,२८७	२४,६२६	२१,८५८

(२) इन विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :

गजटेड	सबोर्डिनेट	मिनिस्टीरियल	क्लास ४
१३२	४३४४	६२६	२६२६

सुरक्षित कोटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति दोनों के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए अलग नहीं है ।

(३) जी नहीं । प्रत्येक वर्ष जितने रिक्त स्थान भरे जाते हैं उनमें सुरक्षित कोटा के अनुसार इन जातियों के व्यक्तियों को भरने की कोशिश की जाती है। अगर सुरक्षित कोटे की कुछ जगह खाली रह जाती है तो उतनी खाली जगह अन्य जातियों के व्यक्तियों से भर ली जाती है । लेकिन दो साल तक उतने स्थानों को आगे ले जाया (केरी फॉरवर्ड) जाता है और तीसरे साल उसमें से बिना भरे स्थान खत्म (लेप्स) हो जाते हैं।

Page No 10

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जो कोटा आपने बताया है वह पर्सेन्टेज से बहुत कम है।

श्री चन्दनमल वैद : यह तो जब से सर्विसेज शुरू हुई है, जब से रिजर्वेशन हुआ है तब से नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया कोटा पूरा हो गया या नहीं और नहीं हुआ तो किन कारणों से? एप्लीकेशन्स नहीं आई या आई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि इसके बारे में स्थिति इस बात से ज्यादा स्पष्ट हो जावेगी कि पिछले सन् ६२–६३ और ६३–६४ में जो जगह भरी गई उसमें गजेटेड पोस्ट में ८ पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिया है और सबोर्डिनेट सर्विसेज में ३१ पर्सेन्ट और मिनिस्टीरियल सर्विसेज में १४ पर्सेन्ट और फोर्थ क्लास में ४२ पर्सेन्ट ये ६३–६४ के फिगर्स मैंने बता दिये हैं। इसी प्रकार ६२–६३ में गजेटेड पोस्ट्स में ६.१ पर्सेन्ट, सबोर्डिनेट सर्विसेज में १३.३ पर्सेन्ट और मिनिस्टीरियल सर्विसेज में २१ पर्सेन्ट और फोर्थ क्लास में ३४ पर्सेन्ट की पूर्ति की गई, जब कि नियमानुसार जरूरत है फोर्थ क्लास में १५ पर्सेन्ट और अन्य सेवा में १२ पर्सेन्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सन् ६२–६३ और ६३–६४ के आंकड़े बताये, उसमें फोर्थ क्लास को छोड़ कर किसी में भी आपका कोटा पूरा नहीं हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिनिस्टीरियल और दूसरे में ज्यादा वृद्धि हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन फिर भी आंकड़ों में कमी रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें जो कमी रही है उसमें सरकार ने व्यवस्था की है कि किसी जगह पर योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो दो साल तक उतने स्थानों को आगे ले जाया जाए और उसके बाद वे स्थान लेप्स समझे जाए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६२१

श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२२

श्री अब्दुलजब्बार खां।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री स्वरूपसिंह।

ग्राम बधवासियों के लोगों की कठिनाई

६२३. **श्री स्वरूपसिंह (लूनी)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर का मैला ग्राम बधवासिया में गिरता है जो शहर से ३ मील दूर है और इस कारण उक्त ग्राम के ग्रामवासी हरिजनों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है?

(श्री स्वरूपसिंह)

(ख) यदि हां, तो सरकार इसके लिये उन ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या योजना बना रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) बघवासिया ग्राम से करीब १००० फीट दूरी पर नगरपरिषद का कचरा डाला जाता है। जो मैला डाला जाता है उसको मिट्टी से ढकवा दिया जाता है।

(ख) कचरा डालने के लिए कोई दूसरा स्थान प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री स्वरूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कचरा जो डाला जाता है वह उनके निवास स्थान से हजार फीट पर डाला जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वह डाला जाता है यह गलत चीज है। इसके लिये कौल साहब को, लड्ढा साहब को सब को मौका दिखाया गया। इसलिये आप जो कहते हैं वह बिल्कुल गलत बात है।

श्री दौलतराम सारण : सही बात क्या है, आप बता दें ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कलेक्टर ने रिमूव करने का आदेश दिया है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि हटाने की चेष्टा की जा रही है और जमीन प्राप्त करने की कोशिश की है।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर ने कब लिख कर दिया कि इसको हटाया जावे ?

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर ने कब लिखा, इसकी जानकारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मैं डी० ओ० और तारीख बता सकता हूं। जो लिखा गया है वह एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने लिखा है।

श्री दौलतराम सारण : गंदगी को जल्दी दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई जमीन की सिफारिश की जा रही है या कोई सरकार ने दूसरी जगह जमीन का प्रबन्ध कर लिया है ?

श्री दौलतराम सारण : इसके लिये सारी स्थिति को देख कर प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

मेजा बांध की लैफ्ट केनाल को चालू करने के लिए प्रार्थना-पत्र

६२४. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध की लेफ्ट कैनाल, जो मांडल के तालाब से होकर जाती है, गत फसल में नहीं खोली गई ?

(२) इस नहर की कितनी लम्बाई है, कितने गांवों में यह नहर जाती है तथा इससे कितने बीघा जमीन सिंचित होने की योजना बनाई गई थी ?

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(३) अगर यह नहर चालू की जावे तो कितना अनाज पैदा हो सकने का अनुमान है ? इसको चालू न करने का क्या कारण है ?

(४) क्या इस बारे में इन गांवों के किसानों ने ज़िलाधीश को कोई प्रार्थना-पत्र देकर नहर को जल्दी चालू करने का निवेदन किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं, लेफ्ट कैनाल को मांडल के तालाब तक खोला गया था और मांडल तालाब में इस नहर से करीब १०० मिलियन क्यूसेक्स फीट पानी भी डाला गया था।

(२) लम्बाई १८।। मील एवं २४ गांवों में जाती है। वह औसतन करीब ८०० एकड़ भूमि प्रति वर्ष सिंचाई के लिए बनाई गई थी।

(३) इससे करीब ५५०० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है प्राकृतिक प्रकोप के कारण बांध में पानी कम आता है।

(४) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने प्रश्न के भाग (१) का उत्तर दिया और कहा कि वह नहर मांडल के तालाब पर छोड़ी गई; मैं यह पूछना चाहता हूं कि मांडल के तालाब तक छोड़ने से कितना बीघा जमीन को इरिगेट किया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : आगे नहर नहीं जा सकती....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने साफ तौर से प्रश्न पूछा है कि क्या यह मांडल के तालाब से होकर जाती है तथा इससे कितने बीघा जमीन सिंचित होने की योजना बनाई गई ? आपने बताया कि यह २४ गांवों में जाती है। मगर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया जो इस प्रश्न का खास मकसद है और जिसके लिये यह प्रश्न पूछा गया है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने आपको अपने जबाब में बताया है कि इसकी लम्बाई १८।। मील है एवं यह २४ गांवों में जाती है। पानी आगे नहीं जा सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि मांडल के तालाब में जितना पानी भरा रहना चाहिये इस साल इस पानी में सिर्फ १।। फीट की कमी है।

श्री दिनेशराय डांगी : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार करीब २५००० मिलियन क्यूसेक्स पानी बंधे में आया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में और जानकारी देने को तैयार हूं।

मांडल से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां नहीं हैं वर्ना वे भी कुछ कहते। मांडल के खेत हैं उनकी पिलाई की गई

Page No 13

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

और उसके बाद जब आप यह कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है और आप यह कहते हैं कि और पानी होता तो इर्रीगेशन होती, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांडल के तालाब का मोघा है उसमें ३॥ फीट पानी था। इसका खास कारण यह था कि बनेड़ा के शहर में पानी जाता। २४ गांव हैं वे पंचायत समिति बनेड़ा के है....

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण न करें, प्रश्न पूछें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भाषण का प्रश्न नहीं है जो जमीन ली है उसका मुआवजा दिया गया, क्या यह बात सही है और बनेड़ा को पानी नहीं दिया गया जिससे एक बीघा जमीन फसलें खराब हुई।

श्री दिनेशराय डांगी : बनेड़ा को पानी दिया गया या देना चाहिये, यह अलग से प्रश्न है; परन्तु जैसा मैंने निवेदन किया कि उसमें एक हजार एम. सी. एम. पानी कम आया, आना २०० फीट था। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि हम आगे पानी दे सकें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं पूछना चाहता हूं कि ये २४ गांव बनेड़ा तहसील के हैं या बाहर के हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : बनेड़ा की जमीन ऊंची होगी तो मैं नहीं कह सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कहते हैं जमीन ऊंची होगी, वहां तो नहर बना रखी है, ६०–६१ में पानी आया है।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

तहसील पीपल्दा में भूमि पर नाजायज कब्जे

६२६. **श्री जुझारसिंह :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील पीपल्दा में कितनी नाजायज भूमि अतिक्रमणकारियों पर बेदखली व जुर्माने की कार्यवाही की गई है और अब तक इन लोगों से कितना जुर्माना वसूल कर लिया गया है व भूमि वापस ले ली गई ?

(२) क्या यह सही है कि उत्तर अतिक्रमणकारियों में से बहुत सों को जमीन कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट द्वारा काश्त करने को बतलाई गई थी व उनसे चौथान भी वसूल कर ली गई थी ?

(३) ऐसे कितने अतिक्रमणकारियों को जिन्होंने चौथान जमा करा देने के बाद काश्त शुरू की थी और जो पिछले कई सालों से मुतवातिर काश्त करते चले आ रहे हैं सरकार ने बेदखली व जुर्माना की सजाएं दी हैं या देना तजवीज किया है ?

(श्री जुझारसिंह)

(४) क्या यह सही है कि इनमें से बहुत से व्यक्ति को केवल इसलिए अतिक्रमणकारी समझा जा रहा है कि उन्होंने कोलानाइजेशन डिपार्टमेंट द्वारा दिये गये नम्बरों वाली जमीन के बजाय दूसरे नम्बरों की उतनी ही जमीन पर कब्जा किया हुआ है जो इस कारण हुआ है कि उन्हें किसी पटवारी या अन्य राज्य कर्मचारी ने मौके पर जाकर जमीन सुपुर्द नहीं करवाई थी ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

(५) कोटा डिस्ट्रिक्ट की और कौन कौन सी तहसीलों में उपरोक्त प्रकार की अनियमितताओं के कारण बेदखलियां चालू है और इनको वाजिब तरीके से सुलझाने के लिए सरकार ने क्या विचार किया है ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील पीपल्दा में ५२६ अतिक्रमणकारियों पर जुर्माने व बेदखली की कार्यवाही की गई है, जुर्माना अभी वसूल नहीं हुआ है क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों ने अपीलें की हैं। भूमि का कब्जा पटवारियान द्वारा ले लिया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) इस प्रकार के अब तक फैसल हुए मामलों में से केवल २ या ३ प्रतिशत अतिक्रमणकारी थे। अलॉटमेंट नियमानुसार निरस्त हुए थे और सम्बन्धित व्यक्तियों की भूमि से कब्जा हटाने एवं अपनी जमाशुदा रकम वापिस लेने के लिए नोटिस दिये गये थे। नियमानुसार अन्तिम स्वीकृति हो जाने के पश्चात् ही उनके द्वारा भूमि पर कब्जा करना चाहिये था परन्तु उनके द्वारा रकम चौथान जमा करा देने पर ही भूमि पर कब्जा कर लिया गया।

(४) जी नहीं।

(५) कोटा जिले की भिन्न भिन्न तहसीलों में इस प्रकार के मामले पाये गये हैं उनके लिये नियमानुसार समय समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री जुझारसिंह : आपने मंजूर फर्माया है, चौथान जमा करा दिया था उसके बाद कब्जा सरकार को पूछ कर, पटवारियों के बताने पर करना चाहिये था। तो क्या रूट पटवारियों की सरकारी एजेंसी की यह ड्यूटी नहीं थी कि एक समय नियत करके उन लोगों को जमीन बता देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कई तरह के केसेज़ हैं। बहुत से केसेज़ ऐसे हैं चौथान जमा नहीं कराई है, बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनमें चौथान जमा करा दिया है, पर सारी प्रोसीडिंग्ज़ होती हैं वे सब्जेक्ट टू दी सेंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंक्शन नहीं की, क्योंकि बहुत सी जमीनें चरागाह में आती हैं, बहुत सी जमीनें तालाबों के पेटे में आती हैं, नाड़ियों के नीचे आती हैं, इसलिए फाइनल सेंक्शन गवर्नमेंट ने नहीं दी और उन्होंने समझा कि चौथान जमा करा दी है, अब हम इन जमीनों के मालिक हो गये। कई केसेज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि पटवारियों में जमीनें बता दी हों, पर अलॉटमेंट तभी होता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है जब कि फाइनल सेंक्शन स्टेट गवर्नमेंट से हो जाती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि जितने ट्रेसपासर्स किसान हैं, चम्बल मेजा नदी की दरारों को फाड़ा है, कोलोनाइजेशन चौथान वसूल कर रहा है, जब कि बारानी में १५ बीघा अलॉट करते हैं, इस कारण से किसान परेशान हैं, क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल पीपलदा का है। यह प्रश्न अलग से पूछें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह : जब अलॉटमेंट करते हैं तो क्या आपका डिपार्टमेंट इस बात को नहीं देखता कि कौनसी जमीन काबिल अलॉटमेंट है और कौन कौन सी जमीन काबिल अलॉटमेंट नहीं है। इतने बड़े एरिया में इजेक्टमेंट होना क्या आप सीरियस नहीं समझते यह देखना तो गवर्नमेंट का काम है। इसी तरह की बातें दूसरी तहसीलों में रिपीट होंगी। तो क्या मंत्री महोदय आदेश जारी करेंगे कि जमीनों का अलॉटमेंट करने से पहले इस बात की पुख्तगी कर ली जाय कि काबिल अलॉटमेंट जमीनों को ही अलॉटमेंट के लिये रिलीज किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I shall look into the matter.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि पीपलदा, इटावा गांव से एक मील की दूरी पर गुमानपुरा में तीस-चालीस शिड्यूल्ड कास्ट्स के परिवारों को सरकार की ओर से जमीनें अलॉट की हैं, उन्होंने चौथाई रकम जमा करा दी है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्डिविजुअल केसेज का मुझे इस समय पता नहीं है। मैंने संख्या बताई है कि इतने केसेज चल रहे हैं, उनकी अपीलें हुई हैं, सब में स्टे दिया जा चुका है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था तो बताया था कि I would myself look...

श्री जुझारसिंह : जिन केसेज में चौथाई जमा करा दी है और उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की जा रही है क्या सरकार उनके मामले पर पुनः विचार करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I think, it is assured that I shall look into the whole matter.

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिन लोगों को ६१—६२ में अलॉटमेंट हुआ, उन लोगों ने चौथाई जमा करा दी, उनको पजेशन मिल गया, पर डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन लिखते हैं कि यह भूमि गोचर भूमि है और इसलिए उनको बेदखल किया जा रहा है तो क्या सरकार इनके मामले पर भी पुनः विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी !

स्टोर कीपर द्वारा रजिस्टरों में गलत अन्दराज

६८७. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(१) क्या यह सही है कि दौसा के डी. एम. एण्ड. एच. ओ. के स्टोर कीपर द्वारा दवाइयां समय पर वितरित न करके तथा रजिस्टरों में गलत इन्दराज करके भारी मात्रा में दवाइयां स्टॉक में रखने सम्बन्धी कोई शिकायत पेश हुई है ? यदि हां, तो कितनी कीमत की दवाइयां इस प्रकार पकड़ी गई हैं ?

(२) क्या पूरे स्टॉक का चेकिंग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह मामला पुलिस में दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। करीब १७५२० रु० ३७ नये पैसे की दवाइयां अधिक पाई गई।

(२) जी नहीं, स्टॉक का चेकिंग जारी है।

(३) जी नहीं। वैसे उप अधीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग भी अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट अभी तक इस बारे में प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या जिस रोज यह गबन दवाइयों का पाया गया उसी रोज पूरे स्टॉक का चेकिंग शुरू किया गया या बाद में किया गया, बाद में किया गया तो कितने दिन बाद किया गया ?

श्रीमती प्राभ मिश्रा : ३ फरवरी, ६५ से चेकिंग चालू किया गया।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि जिस रोज गबन का मालूम हुआ उसी रोज चेकिंग शुरू किया गया या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : शिकायत २२-१-६५ को प्राप्त हुई और ३ फरवरी, १९६५ को चेकिंग शुरू किया गया।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : २२ से ३ तारीख तक बीच के पीरियड में चैकिंग क्यों नहीं किया गया व इस मामले की तफतीश क्यों नहीं की गई, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया कि कम्प्लेन्ट आने के बाद वहां के मैडिकल ऑफिसर को वेरिफिकेशन के लिए लिख दिया गया है और चैकिंग ३ फरवरी से चालू कर दिया है। जो डिले हुई है उसके लिए जांच करवाई जाकर जो जिम्मेदार होगा उसे सजा दी जायगी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : उस आदमी को इतने दिन सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कब किया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १२-४-६५ से।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : २२-१-६५ का गबन हुआ, ३ फरवरी, ६५ को इसकी कम्प्लेन्ट आई, और १२-४-६५ तक न उसे सस्पेन्ड किया गया और न स्टॉक का चैकिंग ही कराया गया, यह लेटिट्यूड क्यों बरता गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने पहले ही कहा था कि इसकी पूरी जानकारी कर ली जायगी और उचित कार्यवाही की जायगी ।

लेबोरेटरी स्टाफ को प्राइवेट टेस्टों की फीस का हिस्सा

६२८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अस्पतालों में लेबोरेटरी स्टाफ को प्राइवेट टेस्टों की फीस का ६० प्रतिशत हिस्सा सन् १९६२ से पूर्व मिला करता था जो कि सरकारी आज्ञा दिनांक २२-११-६२ से बन्द कर दिया गया ?

(२) लेबोरेटरी स्टाफ की इस आर्थिक सुविधा को बन्द करने का क्या आधार था ? क्या यह सही है कि यह सुविधा केवल अस्थायी रूप से राजस्थान में सब स्थानों पर समानीकरण करने की दृष्टि से बन्द की गई थी ।

(३) क्या सरकार ने इस सुविधा को दुबारा जारी करने के लिए कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां ।

(२) जी हाँ । सब स्थानों पर समानीकरण के लिये यह सुविधा अस्थाई रूप से बन्द कर दी गई है ।

(३). राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ (१) (१४) एफ डी (२०) रूल्स । ६१.११ दिनांक २३-१०-६४ के अन्तर्गत फीस रूल्स बता दिये गये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या उन रूल्स के तहत पहले जो उनको सुविधा मिलती थी वह उनको मिलने लगी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रूल्स जो बनाये गये हैं उनमें कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिये था । डाइरेक्टोरेट में क्लेरिफिकेशन के लिये गया हुआ है । तीन बातें हैं । वेदर इन्कम टैक्स पेयर और जो इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं और नहीं देते हैं, क्या वे महरूम रहेंगे और सुविधायें उन रूल्स में आती हैं या नहीं । ये क्लेरिफिकेशन कराने के लिये भेजा गया है । आते ही लागू कर दिये जावेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतने पीरियड तक जो सस्पेन्डेड रहे रूल्स, इसमें तो यह पीरियड जो भी लागू होगा तो उसमें यह सस्पेन्डेड पीरियड भी शुमार करेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रूल्स में जो प्रावधान होगा वह किया जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी आपने स्थायी तौर पर सस्पेन्डेड रखा है या रोकने का तो नहीं है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां): नये रूल्स जब तक एन्फोर्स नहीं होते हैं तब तक पुराने रूल्स के अनुसार ही मिलता रहेगा। फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स वर्क आउट कर रहे हैं कि नॉन टैक्स पेयर का कितना खर्चा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

मोजा रामनिवासपुरा के जागीरदार की जागीर के पुनर्ग्रहण पर एन्युइटी

६२६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मोजा रामनिवासपुरा तहसील चाकसू के जागीरदार श्री जगदीशचन्द कथाभट्ट को इस जागीर के पुनर्ग्रहण पर एन्यूइटी स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(२) इस जागीर का पुनर्ग्रहण कब २ हुआ ? यदि एक से अधिक बार इसके पुनर्ग्रहण की आज्ञा जारी हुई है तो क्यों ?

(३) यह किस प्रकार की जागीर थी और इसकी एन्यूइटी किस किस आधार पर स्वीकृत हुई ? कृपया पट्टे की नकल जो एन्यूइटी के लिये पेश की गई उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर तो भेज दिया है लेकिन मैं इसको दुबारा स्क्रुटिनाइज करना चाहता हूं इसलिए आज मैं इसको नहीं रख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास आ गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न का उत्तर तो दे दिया। I would further examine all this and, therefore, I don't want to reply.

श्री भैरोंसिंह : पिछली बार जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो इस प्रश्न को रखा था। उसके बाद कई बार अटेम्पट किया कि इसको विधान सभा में पूछ लिया जाय। न तो सरकार की ओर से विधान सभा में भेजा जाता है और न उत्तर दिया जाता है। आज कई दिनों के बाद यह आया है, इसलिये उसका उत्तर आना ही चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उत्तर दिया गया है, लेकिन उसको मैंने बाहर से आने पर स्क्रूटिनाइज किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें बतायी गई हैं उनको फर्दर एग्जामिन करके अमेन्ड करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कल जवाब दे दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें और भी मुद्दे हैं।

श्री भैरोंसिंह : और मुद्दे क्या हैं ? आप इसको टालना चाहते हैं। आप किसी आदमी का पक्ष ले रहे हैं इसलिए जवाब नहीं देना चाह रहे हैं।

Page No 19

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो किसी का पक्ष नहीं लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने नहीं, सरकार ने लिया है । मुफ्त में जमीन दे दी । धर्मादे की जागीर नहीं थी कि उसको जागीर दे दी । पट्टा वगैरह देखा नहीं और इसलिए १ लाख की जागीर दे दी कि लक्ष्मीलालजी जोशी का जवांई है । जो भी जानकारी है वह आज दी जावे या कल दी जावे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाब तो भेज दिया गया है, लेकिन जैसा मैंने इसको देखा तो मुझे मालूम हुआ कि इसमें कहीं कोई गलती रह गयी है । इसलिए मैंने सोचा कि सदन के सामने सही स्थिति ही रखनी चाहिये और जो गलती रह गयी है उसको दुरुस्त करना चाहता था ।

श्री भैरोंसिंह : कल दे दीजिये । उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I don't mind; it replying to-morrow.

श्री उपाध्यक्ष : Postpone it for to-morrow.

(विराम)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

सालेरा तालाब से सिंचाई

१३०. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सालेरा, तहसील गगरार के तालाब का पानी पंचायत सुवानिया, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के गांवों तक पहुंचता है ?

(२) क्या यह सही है कि गांव सोपुरा, मेड़ीखेडा आदि को नहर का श्रमदान करने पर इस तालाब से पानी नहीं दिया जाता ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) सालेरा तालाब से कुल कितने एकड़ सिंचाई हो सकती है और वार्षिक औसतन कितने एकड़ होती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) श्रमदान की जानकारी विभाग को नहीं है । मेड़ीखेड़ा ग्राम को पानी दिया जाता है । सोपुरा गांव की भूमि ऊंची है और कमान्ड से बाहर है ।

(३) ६०० एकड़ वार्षिक सिंचाई हो सकती है और औसतन ३०० एकड़ हो रही है ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : मेड़ीखेडा वालों की ओर से और श्योपुरा वालों की ओर से श्रमदान किया है? नहर निकाली है और वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है । मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां तक पानी पहुंचाया जाय ।

श्री दिनेशराय डांगी : छोटा मोटा कोई धोरा बनाया हो तो उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है । कोई भी ब्योरा इस प्रकार का हमारे पास अवेलेबल नहीं है ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : इस विधान सभा में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसकी जांच करें और श्रमदान किया है बेकार नहर नहीं खोदी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

नगरपालिका लाखेरी से गायब किया गया रेकार्ड

६३१. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष को बोर्ड ने अविश्वास का प्रस्ताव पास करके चेयरमैन के पद से अलग कर दिया था ?

(२) क्या यह सही है कि श्री मदन-लाल, भूतपूर्व अध्यक्ष ने बिना जायदाद कमेटी की राय लिये व बोर्ड की अनुमति के बिना कितने ही अपने व्यक्तियों को प्लाट व अन्य भूमि बेच दी और बोर्ड ने पट्टे बनाने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह कानूनी तरीके से नहीं बेची गई और बोर्ड को हजारों रुपयों का घाटा रहा है, जिसकी सूचना बोर्ड ने अपने प्रस्तावों के द्वारा डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ व कलेक्टर बूंदी को की है ?

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मदनलाल शर्मा ने "मार्शलिंग फंड" के नाम पर सीमेंट कम्पनी जो भूमि एक्वायर करवा रही थी उसकी फाइलें चार्ज में नहीं दीं और बोर्ड के द्वारा मांग करने पर बहानेबाजी की जा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि और भी अन्य रिकार्ड म्युनिसिपल बोर्ड से गायब है एवं बिना चेयरमैन की जानकारी के यहां से ले जाया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि कलेक्टर बून्दी को चेयरमैन द्वारा उक्त रिकार्ड के गबन करने की सूचना देकर रिकॉर्ड को वापिस दिलवाने हेतु कानूनी कार्यवाही करने को लिखा है ?

(६) यदि हां, तो कलेक्टर के द्वारा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वापिस दिलाने हेतु किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) इस विषय पर एस. डी. ओ. द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में जमीन का बेचना ठीक पाया जाता है और शिका-यतों में कोई तथ्य नहीं पाया गया।

(३) श्री मदनलाल शर्मा ने सम्बन्धित पत्रावली श्री भैरोंप्रकाश वकील को मुकदमे के सिलसिले में दी थी।

(४) फाइल वास्ते तामील के सिलसिले में भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मदनलाल शर्मा ने मिलापचन्द वकील को दी थी। वह वापिस आ चुकी है।

(५) जी हां। इसका उत्तर आइटम ३ व ४ में अंकित है।

(श्री दौलतराम सारण)

(६) इसकी सूचना प्रश्न के आइटम (३) व (४) में अंकित है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह फाइल कब आई ? बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में बार २ कहा है और मांग की है। मदनलाल, भूत-पूतपूर्व चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास नहीं है। कलेक्टर को लिखा। अब आप कह रहे हैं कि वापिस आ गयी तो कब किस तारीख को आ गई ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : १।। साल पहले दी थी। १ हजार रुपया वकील को दिया। टी. ए. बिल का काफी पैसा लिया। फाइल आज तक गायब है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : फाइल कहां है और किस जगह पर है ? आपको कहां से मिली ?

श्री दौलतराम सारण : एक फाइल का जिक्र है जो वकीलों के पास थी। वकीलों से फाइल वापिस आ गई। तारीख तो मेरे पास नहीं है। इसके लिए ज्यादी इच्छुक हैं तो मैं इसका पता करके दे दूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वकील ने सूचना दी है कि हमारे पास जो फाइल थी चेयरमैन ले गये और चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : कहा गया कि तारीख दे देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिस फाइल का आप हवाला दे रहे हैं, क्या वह फाइल म्युनिसिपल बोर्ड में मौजूद है ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका से उत्तर प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार यह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

जलगढ़ बांध का सर्वे

६३२. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या जलगढ़ बांध ग्राम मदन-पुर, सब तहसील सरमथुरा, जिला भरतपुर की सर्वे हो चुकी है ?

(२) यह कार्य कब प्रारम्भ हो कर कब पूरा हो जायेगा और इस पर अनु-मानत: कितना व्यय होगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्रीदिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) तखमीना तैयार होने पर यदि तकनीकी दृष्टि से उचित पाया तो कार्य शुरू किया जा सकेगा।

श्री रघुवीरसिंह : सर्वे कब समाप्त हुई ?

श्री दिनेशराय डांगी : अभी हाल ही में समाप्त हुई है और एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं। शीघ्र ही कार्य हाथ में ले लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

राजगढ़ लिफ्ट सिस्टम से पानी की व्यवस्था

६३३. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सिद्धमुख की ऊंचाई समुद्रतल से क्या है और राजगढ़ की ऊंचाई क्या है ?

(२) क्या सरकार राजगढ़ और सिद्ध मुख की ऊंचाई के अन्तर को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ को सिंचाई उद्योग एवं पीने के लिये लिफ्ट सिस्टम से पानी को देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) क्रमश: ६७० व ८३० फुट के करीब हैं।

(२) अभी कोई विचार नहीं है।

श्री मोहरसिंह : ८३० फीट आपने बताया. यह बिल्कुल गलत है। क्या आधार है ? दुबारा इसकी जांच कर लें। ७० फीट ऊंचा बताया है।

श्री दिनेशराय डांगी : सर्वे स्टेटमेंट आता है।

श्री मोहरसिंह : यह गलत बता रहे है। उसमें कैसे कर सकते हैं ?

प्रश्न संख्या ६३४

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३५

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिराम घारू।

नगरपालिकाओं के अधीन सफाई मजदूरों का वेतन

६३६. श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि नगरपालिकाओं के अधीन शहर सफाई मजदूरों का कार्य बहुत अधिक कठिन एवं निम्न स्तर का है ?

(२) क्या यह भी सही है कि ये लोग सामाजिक व्यवस्था के संगठन के एक आवश्यक अंग हैं और ये लोग समाज की बहुत बड़ी सेवा करते हैं।

(३) क्या सरकार इनके वेतन को कम से कम १००)रु० सौ रुपये तक बढ़ाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

Page No 23

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) यह सही है।

(३) सरकार समस्त देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करना चाहती है। पिछड़ा वर्ग हरिजन आदि की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। परन्तु अभी तक उन्हें १००)रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास मिल सके, ऐसी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

राणाप्रताप सागर डेम के निर्माण में सरकार व कम्पनी के मध्य विवाद

६१७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राणा प्रतापसागर डेम के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार व कम्पनी के मध्य किन किन विषयों पर विवाद चला ?

(२) उपरोक्त विवादों में से कौन कौन से विवादों पर सरकार ने स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दी है तथा, कौन से विवाद विचाराधीन है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) व (२) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार और कम्पनी के मध्य झगड़ा चलता है और उनके निपटारे के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि इस समय जो आर्बिट्रेटर सरकार की ओर से नियुक्त है वह बम्बई स्टेट का एक रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर है ?

श्री दौलतराम सारण : व्यक्ति की जानकारी नहीं है इस समय मेरे पास।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की ओर से इन झगड़ों को निपटाने के लिए जो पैनल लिस्ट दी गई थी उसमें पहले राजस्थान के किसी इन्जीनियर का नाम दिया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : किस का नाम दिया, किसका नहीं, इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके और सरकार के कम्पनी और चम्बल कन्ट्रोल ऑथोरिटी के बीच विवाद जो चल रहे हैं वे विवाद कुल कितने लाख के हैं ?

श्री दौलतराम सारण : अलग अलग तरह के हैं वे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : टोटल बता दो।

Page No 24

श्री दौलतराम सारण : ३४ हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितने के हैं, कितना मनी उनमें इन्वोल्व्ड है, यह बताएं ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय कितने हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। पर अलग अलग तरह के ३४ विवाद हैं, यह कह सकता हूं और इनमें से करीब आठ को मान लिया है और तीन को विभाग ने ठीक विचार करने योग्य माना है और कहा है कि इसके पक्ष में पार्टी प्रमाण पेश कर दे। बाकी के डिपार्टमेंट ने ठीक नहीं माने। इसके बाद वे आर्बिट्रेशन में गये।

श्री भैरोंसिंह : जो तय कर दिये या जो चल रहे हैं उनकी वेल्युएशन कितनी है और उनके टोटल क्लेम्स विवाद के मार्फत कितने गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कुल विवाद ७३ लाख के हैं।

श्री भैरोंसिंह : जितने भी विवाद खड़े हैं उनके अन्दर जो आपने तय कर दिये हैं वे विवाद माल की सप्लाई के सम्बन्ध में थे वे चम्बल कन्ट्रोल ऑथोरिटी को नहीं सप्लाई किये गये या उसके द्वारा नहीं सप्लाई किया गया।

श्री दौलतराम सारण : मैं तहकीक तो नहीं कह सकता कि किस विभाग में क्या बात है। जितने विवाद हैं उनकी सूची मैंने दी है आप कहें तो वह पढ़ कर सुना दूं। लम्बा-चौडा चिट्ठा है। सूची मैंने सदन में रक्खी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आपने ७३ लाख की क्लेम की राशि बताई है उसके अगेंस्ट सरकार ने कम्पनी को दस लाख का पेमेन्ट कर दिया है, क्या यह सही है ?

श्री भैरोंसिंह : कितने केल्युएशन के स्वीकृत हुए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि आठ विवाद स्वीकृत किए हैं और तीन स्वीकृति योग्य हमने माने हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने पेमेंट कितनों का मंजूर कर लिया है। आप छिपाते क्यों हैं ?

श्री दौलतराम सारण : छिपाने का सवाल नहीं है, इस समय मेरे पास नहीं है।

(विराम)

अभी सूचना मिली है कि दस लाख का एडहॉक पेमेन्ट किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि दस लाख के पेमेन्ट बिना चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की स्वीकृति के केवल टेलीफोनिक मैसेज पर कम्पनी को कर दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : जो कार्यवाही की जाती है, वह नियमानुसार की जाती है। अब वह टेलीफोन से कर दिया या चिट्ठी से कर दिया तो इसके लिए तो नहीं कह सकता, पर यह कह सकता हूं कि जो किया गया है वह नियमानुसार किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जिनका पेमेन्ट किया है क्या वे मामले आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर के पास विवादग्रस्त होकर गये थे ?

श्री दौलतराम सारण : जो पेमेन्ट किया गया है वह तो एडहॉक बेसिस पर किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : एडहॉक बेसिस पर करने के लिये भी कुछ तो रीजन्स होंगे। जब आर्बिट्रेटर का डिसीजन नहीं था तो वह पेमेन्ट करना चाहिये था या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : उसी के हिसाब से कार्यवाही की जावेगी। अभी तो यह एडहॉक पेमेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : मान लीजिये कि उनका एक भी विवाद सही नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर इस पेमेन्ट के बारे में ?

श्री दौलतराम सारण : डिपार्टमेंट ने तीन आइटम्स उसके कन्सीडरेशन के काबिल माने हैं, इसलिए उनका भी तो कुछ होगा।

श्री भैरोंसिंह : विभाग ने कन्सीडरेशन के लिये माना है। क्या शर्त, जो एग्रीमेन्ट उस कम्पनी से हुआ, के अनुसार सभी विवाद आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिये था, विभाग ने उनको क्यों रोका ?

श्री दौलतराम सारण : चूंकि विभाग उनसे एग्रीड है, मानता है इस बात को कि इन पर विचार किया जा सकता है, इस शर्त पर कि वे अपनी बातों की पुष्टि के लिये प्रमाण पेश करें। इस शर्त के साथ कन्सीडरेशन के काबिल माने हैं। इसलिए इनको नहीं भेजा गया आर्बिट्रेटर के पास। अब यह कम्पनी का काम है कि वह साबित करे, प्रमाण उपस्थित करे उनके आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : जब प्रमाण अभी तक पेश नहीं किये गये तो पेमेन्ट किस आधार पर कर दिये गये ?

श्री दौलतराम सारण : जो विवाद सही मानता है विभाग, वे १५ लाख के बनते हैं इसलिये उसके बेसिस पर दस लाख दे दिये एडहॉक।

श्री भैरोंसिंह : विभाग कैसे मानेगा उनको जबकि प्रमाण ही पेश नहीं किये उसने।

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने अपनी तरफ से तो पेश किये हैं, पर विभाग और सबूत मांगता है, कई तरह की एन्क्वायरी विभाग चाहता है उन सब की पूर्ति होने पर ही तो अन्तिम फैसला होगा। वे विवाद १५ लाख के हैं। इसलिये दस लाख पेमेंट किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने के अनुसार अभी तक विभाग एन्क्वायरी कर रहा है अभी और प्रमाण प्रस्तुत किये जाने को हैं तो फिर किस आधार पर आपने यह एडहॉक पेमेन्ट भी किया है। जब कि प्रमाण आपके विभाग ने मांगे है और उनको नहीं दे सका है अभी तक और उनके अभाव में विभाग अभी किसी नतीजे पर नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

पहुंचे हैं तो फिर इतना भी पेमेन्ट आपने किस आधार पर कर दिया ?

श्री दौलतराम सारण : उनके जो तीन आइटम के क्लेम्स हैं उनसे हम कनविंस्ड हैं कि उनके ये जो क्लेम्स हैं वे कुछ रीजनेबल बेसिस पर हैं। पर उसका रेकॉर्ड तथा एवीडेन्स से सन्तोषप्रद साबित कर देंगे। तो पेमेंट कर देंगे। केवल कुछ ऐसी जानकारी चल रही है। उसका फैसला होने पर टोटल पेमेन्ट कर देंगे। अभी ही पूरा फैसला कर देते तो पेमेन्ट ही पूरा हो जाता। वह नहीं किया,इसीलिये तो एडहॉक पेमेन्ट किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं मंत्री महोदय को, खास करके मुख्य मंत्रीजी को सूचना देना चाहूंगा कि जिस समय आर्बिट्रेशन का प्रश्न आया राजस्थान गवर्नमेंट ने जो पैनल बनाया तो उसमें राजस्थान का इन्जीनियर था और यही लिस्ट प्रस्तुत की थी। पर बाद में कम्पनी ने कोशीश करके बम्बई के रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर को आर्बिट्रेटर बनवाया है और इसके पीछे कारण यह है कि जो इन्जीनियर इस कम्पनी में काम कर रहे हैं उनमें से एक इन्जीनियर जो है वे भी बम्बई के रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर हैं। आप इसको एग्ज़ामिन कर लें। यह बहुत सीरियस मैटर है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट के अनुसार किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा चम्बल कंट्रोल ऑथोरिटी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता था और विवादग्रस्त किसी मामले में पेमेंट नहीं किया जा सकता था ?

श्री दौलतराम सारण : जो फैसला किया जाता है,

श्री भैरोंसिंह : फैसले का सवाल नहीं है। मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : आप जिस तरह से पूछ रहे हैं उस तरह से जवाब दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : कहां दे रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, इसे स्थगित करवा लीजिये आप।

श्री दौलतराम सारण : जो विवाद हल किये जाने को हैं, वे नियमानुसार किये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल दूसरा है। एग्रीमेंट के अनुसार किसी भी प्रकार के विवाद को स्वीकृत करके पेमेन्ट करना किसी भी अधिकारी के हाथ की बात नहीं है। यह केवल चम्बल कन्ट्रोल ऑथोरिटी के हाथ की बात है और वह भी उसी समय डिसीजन ले सकते हैं जिस समय आर्बिट्रेटर के व्यूज़ आ जावें।

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा प्रोवीज़न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे।

श्री भैरोंसिंह : लाखों रुपयों के घोटाले हो रहे हैं और सरकार उनको

Page No 27

(श्री भैरोंसिंह)

स्वीकार नहीं कर रही है। जो कि पेमेंट किया गया है उसमें एक विवाद डिलेड डिटोनेटर्स का है।

श्री दौलतराम सारण: जितने विवाद है उनकी सूची प्रस्तुत कर दी है।

श्री भैरोंसिंह: आप बता दें न। डिलेड डिटोनेटर्स का ?

श्री दौलतराम सारण: होगा, इसमें लम्बा–चौड़ा चिट्ठा है।

श्री भैरोंसिंह: एग्रीमेंट के अनुसार डिलेटेड डेटोनेटर्स की सप्लाई करने की जिम्मेदारी कम्पनी पर थी।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मथुरेशबिहारी।

श्री दौलतराम सारण: मेरी जानकारी के अनुसार डिलेड डेटोनेटर्स इस कम्पनी का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: पर आपने पेमेन्ट किया है डिलेड डेटोनेटर्स के बारे में।

श्री दौलतराम सारण: कब किया ?

श्री भैरोंसिंह: यह दस लाख का दिया है उसमें है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्थगित कर दिया जावे आगे के लिए अगर सही सूचना नहीं है सरकार के पास तो।

श्री दौलतराम सारण: मैंने सब सूचना दी है। पहले भी पढ़ कर सुनाया है।

श्री भैरोंसिंह: आप कभी पांच बताते हैं, कभी तीन बताते हैं।

श्री दौलतराम सारण: जो है वे मैंने पढ़कर सुनाये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आर्बिट्रेशन होने के पहिले ही एडहॉक बेसिस पर पेमेन्ट करने से पहले डिपार्टमेंट की राय ली थी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: वह तो टेलीफोनिक मैसेज पर हुआ है। चीफ इन्जीनियर के रेकॉर्ड में हैं। वे क्या बतावेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: जब आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ है एग्रीमेंट में और विभाग, मान लीजिये आर्बिट्रेशन हमारे खिलाफ जावेगा तो उसमें लॉ डिपार्टमेंट की राय उसको लेना चाहिये थी। तो इसमें क्या आप यह महसूस नहीं करते कि डिपार्टमेन्ट के अफसर मिल जावें तो गलत तरीके का पेमेन्ट दे सकते हैं। लॉ डिपार्टमेंट और आखिर है किसलिये ? केवल विभाग अपनी राय से ही प्रभावित हो और आर्बिट्रेशन के लिये जाने से पहले लॉ डिपार्टमेंट की राय न ले, इसका क्या कारण है ?

(१२ म० प०)

श्री दौलतराम सारण: लॉ डिपार्टमेंट कानूनी उलझनों के सम्बन्ध में कानूनी राय देने के लिये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनका कानूनी पक्ष मजबूत है या कॉंट्रेक्टर का कानूनी पक्ष मजबूत हैं, इस बारे में तो राय ले सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सारे प्रश्न धारणाओं के आधार पर किये जा रहे हैं । सूची प्रस्तुत की जा चुकी है। विवाद आर्बिट्रेशन के विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट पर कम्पनी और चम्बल कन्ट्रोल ऑथोरिटी के दस्तखत नहीं हुए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सारी स्थिति पहले बतायी जा चुकी है ।

श्री भैरोंसिंह : इस पर दस्तखत हुए हैं या नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी सवाल है दस लाख का पेमेन्ट तो कर दिया । कई करोड़ का कट्रेक्ट कर रहे हैं इसलिये यह जानना जरूरी है कि एग्रीमेन्ट पर दस्तखत हुए हैं या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : जो इस सम्बन्ध में स्थिति है नियमानुसार सारी स्थिति का विश्लेषण विभिन्न अवसरों पर किया जा चुका है। अनुदानों पर भी इसका उल्लेख किया गया इसलिये इसमें अनियमिताओं का कोई सवाल नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपयों का काट्रेक्ट दे दिया । मैं यह जानना चाहता हूं एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप हाफ एन ऑवर डिस्कशन उठा सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिये एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए हैं या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : प्रोविजनल एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर हैं फाइनल एग्रीमेंट की कुछ धाराओं पर विवाद है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इस बारे में प्रोवीजनल एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्नों का तो जवाब दिलवा दीजिये । स्थगित प्रश्न तो पूछने की परम्परा है ।

श्री उपाध्यक्ष :स्थगित प्रश्न उसी हालत में पूछ सकते हैं आप उन पर सप्लीमेन्टरी सवाल नहीं पूछ सकेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : सवाल सब ही ले लीजिये । केवल स्थगित प्रश्न पर ही सप्लीमेन्टरी करेंगे, बाकी किसी पर नहीं ।

तहसील बसवा के ग्रामों में चरागाह भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

६३८. श्री मथुरेबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(१) तहसील बस्वा में ग्राम हींगोटा, पातरखेड़ा, बालाड़ा, अलिपुर, बैंजूपाड़ा, नागल लोडवाड़ा, मितरवाड़ी, नया गांव व गादरवाड़ा गूजरान में कितनी कितनी भूमि पर जो रिकार्ड में चरागाह अंकित है, अनाधिकारी कब्जा विभिन्न व्यक्तियों का है और उस भूमि पर से अनाधिकार कब्जा हटाने की बाबत क्या कार्यवाही हुई व कब तक उनका कब्जा पूर्ण रूप से हटा दिया जावेगा।

(२) क्या यह ही सही है कि चरागाह भूमि पर अनाधिकार कब्जा करने वालों से पेनल्टी के रूप में लगान प्रत्येक वर्ष लिया जाता है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों से कब कब से लगान वसूल हो रहा है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : ग्राम हींगोटा, मालीपुर, बालाखेडा, मादरवाड़ा, गूजरान के बारे की सूचना की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और अनाधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध धारा ९१ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ के तहत कार्यवाही जारी है। शेष ग्राम पातरखेड़ा, नागल, लोटवाड़ा, भितरवाड़ी, बैंजूपाड़ा व नया गांव के सम्बन्ध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(२) जी हां। जितने व्यक्तियों से और जब से लगान वसूल किया जा रहा है वह प्रश्न के खण्ड १ में दी गई सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

मेयो कॉलेज के अधीन काश्त की भूमि

९३९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मेयो कॉलेज के अधिकार में कितनी काश्त की भूमि है और किस कार्य के लिये।

(ख) मेयो कॉलेज द्वारा पिछले ५ वर्षों में कब कब और कितनी कितनी भूमि आबादी में परिवर्तित कराई गई व किस किस कार्य के लिये ?

(ग) क्या यह भूमि उसी कार्य में ली गई है जिसके लिये परिवर्तन कराया गया था ? यदि नहीं, तो किस कार्य में ली गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): मेयो कॉलेज, अजमेर के अधिकार में काश्त की कोई भूमि नहीं है। कुछ आबादी भूमि है जो भूतपूर्व अजमेर शासन काल में समय समय पर अवाप्त हुई थी और नियमानुसार मेयो कॉलेज द्वारा उसका मुआवजा चुकाया गया है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ९४०

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्यक्ष।

(अनुपस्थित)

कोटा जिले में आबादी भूमि के हेतु प्रार्थना-पत्र

६४१. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कोटा जिले के एक हजार से अधिक की जनसंख्या वाले कितने गांव व कस्बों ने गत तीन वर्षों में आबादी हेतु भूमि के लिये सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सांगोद तथा छीपा बड़ोद की पंचायतों ने इन कस्बों के बड़े आकार को दृष्टि में रखते हुए सरकार से अपनी अतिरिक्त आबादी को बसाने के लिये आबादी हैतु भूमि आवंटन करने के लिये मांग की है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? यदि हां तो इस तात्कालिक तथा अविलम्बनीय महत्व की समस्या के निर्णय में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक इस समस्या का समाधान संभव है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांव व कस्बों में आबादी हेतु भूमि लेने के लिये गत तीन वर्षों में केवल पंचायत छीपा बड़ोद ने ही साल १९६४ में प्रार्थना पत्र-पेश किया है।

(२) सांगोद पंचायत की ओर से अतिरिक्त आबादी को बसाने के लिये आबादी हेतु भूमि आवंटन के लिये कोई मांग नहीं की है केवल ग्राम पंचायत छीपा बड़ोद ने ऐसी मांग की थी जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(३) कागजात सम्बन्धित तहसील में जांच व मुकम्मिल किये जा रहे हैं शीघ्र ही कार्यवाही पूरी की जावेगी।

श्री जुझारसिंह : छीपा बड़ोद का मसला कब तय हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

डॉक्टर टी० पी० भारद्वाज की नियुक्ति

५३९. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डाक्टर टी० पी० भारद्वाज हैड ऑफ पैथोलोजी विभाग, एस० एम० एस० मैडिकल कॉलेज, जयपुर यहां पर नियुक्त होने से पूर्व बम्बई में एक म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा संचालित मैडिकल कॉलेज में लेक्चरार थे ?

(२) क्या यह सही है कि डाक्टर भारद्वाज एस.एम.एस. कॉलेज में नियुक्त होने से पहले अपनी बम्बई की पूर्व सेवाओं से मुक्त हुए थ ?

(३) क्या यह सही है कि डॉक्टर भारद्वाज बम्बई के म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा बर्खास्त किए गये थे ? और उन्होंने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज तक यह तथ्य सरकार से छिपाया है। कृपया डॉक्टर भारद्वाज द्वारा नियुक्ति के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र और उनकी नियुक्ति की आज्ञा को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) लेक्चरार नहीं थे, असिस्टेन्ट प्रोफेसर पैथोलोजी एवं बेक्ट्रोलोजी थे।

(२) जी, मुक्त नहीं हुए थे।

(३) जी हां। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में नियुक्त होने के ९ महीने पश्चात् बम्बई म्युनिसिपल कोर्पोरेशन ने दिनांक २६-५-६१ से इन्हें बर्खास्त किया। डॉक्टर भारद्वाज का आवेदन-पत्र उपलब्ध नहीं है। नियुक्ति की आज्ञा सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न कितनी ही बार स्थगित हुआ ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के नोलेज में यह बात कब आई कि यह म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त शुदा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ७-७-१९६४ को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६४ से जब यह सरकार के नोटिस में था तो क्या तब तक टी० पी० भारद्वाज ने यह फैक्ट गवर्नमेंट से छिपाये रखा था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को इस बात की जानकारी मिलने के बाद भी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा कि मैंने पहले बतलाया पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उन्होंने इस बात को नहीं छिपाया है। वे कहां पर सर्विस में थे उसका एड्रेस दिया है कि इस पते से मेरे से पत्र-व्यवहार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं, जब उनका डिसमिसल है, यह बात आपके नोटिस में ७-७-६४ को तो इतने दिन उन्होंने सरकार से यह बात छिपायी या नहीं ?

उप मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ तीन प्रश्न पूछने की इजाजत थी, पांच-सात प्रश्न हो गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिसमिस्ड हैंड हैं। ६० में इनका अपोइन्टमेंट होता है एप्लीकेशन डाइरेक्टली वे भेजते हैं, आपको २२-५-६४ को पता चलता है कि ये डिस्मिस्ड हैंन्ड है उन्होंने आज तक आपको यह बताया नहीं, छिपाये रखा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जहां यह सर्विस में थे उसकी टर्म्स के अनुसार यदि वे नौकरी छोड़ना चाहें तो तीन महीने का नोटिस देना जरूरी था और यहां पर जोइन करने से पहले उन्होंने यह नोटिस दिया नहीं है. तीन महीने बाद ही जोइन किया। वहां से जो एप्लीकेशन फॉर्वर्ड करने की थी पी० एस० सी० को, वह वहां के डिपार्टमेंट ने फोवर्ड नहीं की और डाइ-

(श्री मती प्रभा मिश्रा)

रेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर इनका चयन किया गया, थ्रू प्रोपर चैनल नहीं आई है। यहां के दो डॉक्टर्स ने हाई कोर्ट में यह प्रश्न उठाया और जज ने यह फैसला दिया है कि इनका चयन वैध है और इसमें कोई भी गल्ती नहीं की गई है अपोइन्टमेंट करने में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : प्रश्न यह है कि उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को धोखा दिया....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है ? क्या डिस्मिस्ड हैंड को सरकार अभी भी रखना चाहती है ? इतना बड़ा ऑफिसर छिपाये कि डिस्मिस्ड हैंड हूं तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस प्रश्न के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि डिस्मिस कह कर जो असर डालना चाहते हैं उस डिस्मिसल के रीजन्स में जाना आवश्यक होगा और जैसा मुझे अभी बताया गया कि डिस्मिसल इस बात पर किया गया था कि उन्होंने थ्रू प्रोपर चैनल एप्लाई नहीं किया और जो उनका कॉन्ट्रेक्ट सर्विस का था वह पूरा नहीं किया, इस वजह से डिस्मिसल हुआ। उस डिस्मिसल वाली बात से आम तौर से उनके और मोरल टर्पीट्यूड की वजह से डिस्मिसल हो, ऐसी बात नहीं है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस फैक्ट को पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्सील किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : There is nothing like that...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो डॉक्टर्स जो थे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई सिर्फ इस वजह से कि श्री लक्ष्मीलालजी जोशी उसमें इन्टरेस्टेड थे और अभी भी उपाध्यक्ष महोदय, उनकी बर्खास्तगी का मालूम हो गया तो उसको डिस्मिस क्यों नहीं किया गया ? डिस्मिसल हैंड को रख नहीं सकते फिर भी आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर तो आप रोक लगाते हैं सप्लीमेन्टरी करने के लिए तो या तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि आप इस बात को मन्जूर करते हैं कि एक ऑफिसर इस तरीके से अपनी डिस्मिसल की बात को कन्सील करे और जब एक प्रश्न के जरिये वह फैक्ट नोटिस में आता है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि इस सदन में कोई भी प्रश्न आये, जो प्रश्नकर्त्ता हैं वे ३, ४, ५ और ६ सप्लीमेन्टरीज़ करते हैं और उसके बाद में दूसरे माननीय सदस्य करते हैं तो उनका यह कहना कि मेरा प्रश्न है इसलिए मैं ही सप्लीमेन्टरी करूं मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मुझे ही कर लेने दो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको क्यों कर लेने दें ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि समय क्योंकि कम है और प्रश्न विशेषत: इसलिए लिए गए हैं कि ३-३ सप्लीमेन्टरी उसमें कर दिये जायें चाहे तो प्रश्नकर्त्ता करें या दूसरे करें लेकिन यह नियम करना आवश्यक है कि ३-३ सप्लीमेन्टरीज ही हों। इस पर ज्यादा हो गए, फिर भी एक प्रश्न माननीय सुराणाजी पूछ सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनकी नियुक्ति की उसके बाद में उन्होंने म्युनिसिपल कोर्पोरेशन बॉम्बे को ३ महीने का नोटिस दिया और ३ महीने का नोटिस देकर जो उनका टर्म था उस पूरे टर्म तक बॉम्बे म्युनिसिपल कोर्पोरेशन में सर्विस में रहे; क्या यह सही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने राजस्थान में एप्लाई किया और राजस्थान के अन्दर क्या पूरे भारतवर्ष के अन्दर पैथोलोजी, फॉर्मोकोलोजी, एनोटोमी की जगह की कमी है इसलिए जहां भी आदमी होते हैं उसको लेते हैं और उनको एम्प्लॉय करते हैं। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन थ्रू प्रोपर चैनल भेजी थी और एक डाइरेक्ट भेजी थी और डाइरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर उनका केस कन्सीडर हो गया और वहां के कॉलेज ने इस बात पर डिसमिस किया कि राजस्थान में क्यों एप्लाई किया ? इसके अलावा और कोई ग्राउन्ड्स नहीं थे डिसमिसल के और क्योंकि वह टीचर्स की जगह थी इसलिए इनको वहां एम्प्लॉय किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थ्रू प्रोपर चैनल भेजी थी वह एप्लीकेशन कब प्राप्त हुई ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : थ्रू प्रोपर चेनल कभी एप्लाई किया ही नहीं और सीधे एप्लाई किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या वह सदन की मेज पर रख सकते हैं। ऐसी कोई एप्लीकेशन एग्जिस्टेन्स में नहीं है। डाइरेक्ट एप्लीकेशन जो दी गई थी वह एग्जिस्टेन्स के अन्दर है और पब्लिक सर्विस कमीशन को चीट किया गया इसमें। मैं चेलेन्ज करता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को बात बात में चीट किया जाता है। यह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने कन्सील किया गया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो सप्लीमेन्टरी मैंने पूछा है उसका जवाब आना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि जिस समय उन्होंने दरख्वास्त दी थी वह चाहे डाइरेक्ट आई या इनडाइरेक्ट आई, तो उसमें किसी प्रकार का डिसमिसल ऑर्डर सर्व नहीं किया गया था ?

श्री बरकतुल्ला खां : बिल्कुल सही है, नहीं किया गया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६ महीने बाद राज्य सरकार की सेवा में रहने के बाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन ने उसको डिस्मिस किया क्या, यह सही है ?

श्री बरकतुल्ला खां : इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका टर्म जो वहां पर नोटिस का था कि एक पीरियड के बाद नोटिस देकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे सकते थे उस पीरियड के आसपास उन्होंने गवर्नमेंट की सर्विस को जोन नहीं किया। और जैसा कि मेरे माननीय सदस्य जयपुर से आने वलों ने पूछा कि जिस समय एप्लाई किया था उस समय डिस्मिस्ड नहीं थे। डिस्मिसल तो उसका इसलिए हुआ कि राजस्थान में उन्होंने एप्लाई किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बॉम्बे में और एक राजस्थान के अन्दर दो सर्विस डॉक्टर भारद्वाज ने की। वे वहां से छुट्टी लेकर यहां आये और यहां से छुट्टी लेकर वहां गये। एक आदमी दो जगह सर्विस कर सकता है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री-गृह पोइन्ट आफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, सभी प्रश्नों के बारे में आपका आदेश पहले हो चुका है कि सप्लीमेन्टरी न हों। इस प्रश्न के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था तीन प्रश्न पूछे जाने की रही उसके बाद में २० प्रश्न पूछे गये और उसके बाद आपकी व्यवस्था एक और प्रश्न पूछे जाने की रही। उसके बाद में भी कई प्रश्न किये गये। जो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी व्यवस्था के तहत I move a motion for breach of Privilege"

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न मैं इसी प्रश्न में पूछ लेता हूं कि क्या उन्होंने साइमल्टेनियसली दो जगह सर्विस की ?

श्री उपाध्यक्ष : There will be no end to this. I won't allow any question.

श्री भैरोसिंह (किशनपोल जयपुर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,....

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मैंने प्रस्तुत किया था आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में, उसके बाद में दूसरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर कैसे उठ सकता है जब तक पहला डिस्पोज नहीं हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : There might another point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : My point of order shouia ne disposed of first, as I raised it first.

श्री उपाध्यक्ष : That has been disposed off. told the Hon'ble member to be careful...

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है वह एक ऐसे मामले से सम्बन्धित है कि जो मामला कमिश्नर फोर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के पास अण्डर इन्क्वायरी है और इस सदन में इस प्रकार की कई बार व्यवस्था हुई है, इन्क्वायरी के तकाजे के बारे में यहां मूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों पर जो कि इन्क्वायरी में चल रहे हों...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह उससे बिल्कुल डिफरेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो इन्क्वायरी में है और जिस ऑफिसर के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है उस ऑफिसर के विरुद्ध हाउस में इस प्रकार के दोनों तरफ से तथ्य रखे जायें या बातें की जायें तो क्या उससे उस इन्क्वायरी पर इफेक्ट नहीं होता है? अगर होता है तो क्या इन प्रोसीडिंग्ज में जो इन सारी चीजों का उल्लेख आया है यह विशियेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है? मैं समझता हूं कि पर्याप्त है और यह प्रोसीडिंग्ज उसमें किसी प्रकार का इन्टरफियरेन्स न कर सके इसकी आप व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि काफी मुद्दों को पूछ लिया गया है और जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है वह उचित है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस बारे में इन्क्वायरी नहीं चल रही है बल्कि इन्क्वायरी एक डिफरेन्ट आइटम पर चल रही है।

श्रीउपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : तो इसमें जो यह प्रश्न उठाया गया है यदि कोई इन्क्वायरी चल रही है क्वाजी जुडिशियल या जुडिशियल....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी नहीं चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं चल रही है तो प्रश्न पूछ लिये गये हैं। उस पर जितना प्रकाश डालना चाहिये था डाल दिया गया। उसको एन्डलैसली कन्टीन्यू नहीं किया जा सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, sir, आपकी व्यवस्था है इसके लिए एक्सपन्ज के लिए कहा गया, उसके बारे में क्या व्यवस्था है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वही उत्तर उन्होंने पहले दिया था या नहीं या उन्होंने आज ही यह पहली बार दिया है? तो मेरे ख्याल से यह बिल्कुल अनुचित बात है। स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने ग्राउन्ड से शिफ्ट कर रहे हैं। एन्क्वायरी के सम्बन्ध में गलत प्रश्न है उस सम्बन्ध में वाद-विवाद हो तो एन्क्वायरी कैसे प्रेजुडिस हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आता। एक आदमी दो जगह एम्प्लॉय होता है तो बड़ी भद्दी बात है। राजस्थान सरकार उस पर लीपा-पोती करती है और पानी छिड़कना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सदन के सामने आज उत्तर दिया है वह उत्तर पहले भी दिया था या आज ही प्रथम बार उत्तर दे रहे हैं? अगर आज ही प्रथम बार उत्तर दे रहे हैं तो दाल में काला अवश्य है।

(साम्यवादी सदस्यों द्वारा "हियर हियर")

श्री बरकतुल्ला खां : दाल में कतई काला नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस ऑफीसर ने दो जगह नौकरी नहीं की है, हमारे पास जो इन्फर्मेशन है उसके

(श्री बरकतुल्ला खां)

हिसाब से। उसने राजस्थान में एप्लाई किया और पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको सिलेक्ट किया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको सिलेक्ट कर लिया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एपोइन्टमेंट दे दिया। उसके ऊपर वहां कॉर्पोरेशन ने उसको डिस्मिस किया कि राजस्थान में क्यों एप्लाई किया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : दाल में काला क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of order. Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, सब से पहले....

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) There is a point of order Hon'ble members !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : व्यवस्था का सवाल यह है कि जब क्वासी जुडीशियल बॉडी के सामने चल रहा है, उसकी क्या व्यवस्था है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई क्वाज़ी जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तथ्यों पर पोइन्ट ऑफ आॅर्डर रख रहे हैं। कोई जुडीशियल एन्क्वायरी इस मामले के बारे में नहीं है। माननीय सदस्य गलत बात कहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I have raised a point of order and I have a right to raise. I want a ruling from the Chair. व्यवस्था का सवाल है कि जुडीशियल, क्वाज़ी-जुडीशियल जब प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको विशियेट नहीं करें। उसके ऊपर सदन के अन्दर इस बात का असर नहीं पड़े कि उसको जुडिशियल न्याय नहीं मिल सके। ऐसी हालत में कोई डिस्कशन उस पर नहीं किया जाय। ऐसी हालत में आपकी व्यवस्था का सवाल यह है कि आप इधर उधर से जो कही गई बातें हैं उनको एक्सपन्ज कर दें हाउस की प्रोसीडिंग से, यह आपकी व्यवस्था का सवाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी क्यों उत्तर देते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : It cannot be expunged from the proceedings.

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय ज्वालाप्रसादजी ने रखा है कि यह जुडीशियल या क्वासी जुडीशियल एन्क्वायरी है तो अभी अभी यह सूचना मिली है कि इसके विषय में किसी भी सदस्य ने इंगित नहीं किया तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह किस केटेगरी की है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न पर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रश्न पर कोई एन्क्वायरी नहीं चल रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी है जिसे स्ट्रिक्ट सेन्स में जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं कह सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बतायेंगे कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में क्या कोई डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी चल रही है, ऑफिसर के खिलाफ उनके डिस्मिसल के सम्बन्ध में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न एन्क्वायरी के अन्दर है या नहीं, मैं नहीं कह सकता; लेकिन मैं सदन को एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर से पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जो लोग एप्लाई करते हैं और जिनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी समय किसी को मिल गया, जिसके अन्दर वह दूसरी जगह सर्विस कर रहा है तो वहां से वह अपनी लीव लेकर या इस्तीफा पेश करके आता है तो आने के बीच में और पी० एस० सी० से सिलेक्टेड होने के बीच में पीरियड निकल जाता है और जो महत्वपूर्ण और रिलेवेन्ट सवाल है जिसके ऊपर कि एतराज हो सकता है तो वह यह चीज हो सकती है कि एक व्यक्ति तनख्वाह वहां भी ड्रॉ करता रहे और तनख्वाह यहां भी ड्रॉ करता रहे, वह चीज तो एतराज की बात हो सकती है। सिलेक्शन यहां हो जाय और दूसरी जगह सर्विस करता रहे तो सर्विस जोइन करने के बीच का पीरियड होता है तो उस पीरियड के बारे में एतराज नहीं हो सकता है। तो ये फैक्ट्स एसर्टेन करने होंगे कि आया क्या तथ्य हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे इसी बिना पर डिस्मिस हुए हैं तो उनको गवर्नमेंट के नोटिस में यह फैक्ट लाना चाहिये था और गवर्नमेंट को उसे कन्डोन करना चाहिये था, लेकिन वे गवर्नमेंट के नोटिस में यह फैक्ट नहीं लाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह देखना है कि उन्होंने तनख्वाह दो जगह से ड्रॉ कर ली !

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह भी प्रश्न है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह दो जगह तनख्वाह लेता रहा और दो जगह एक आदमी काम नहीं कर सकता। वहां ऑथोरिटीज का एटीट्यूड इस बात से बहुत स्पष्ट है कि इस सवाल पर उनको डिस्मिस कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे ही डिस्मिस हुए तो उनकी जिम्मेदारी थी कि आपको सूचित करते। क्या उनकी जिम्मेदारी आपको सूचित करने की नहीं थी सर्विस रूल्स के अनुसार ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह अधिकारी डिपार्टमेंटल क्लिक का शिकार हो रहा है। इसको एक साथ चार्जशीट नहीं दी जाती है और एक चार्ज के बाद दूसरा चार्ज लगाकर सस्पेन्शन का पीरियड बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक सरकार का ताल्लुक है सरकार का इसमें कोई इन्टरेस्ट नहीं है कि सस्पेन्शन का पीरियड बढ़े। उनके सामने जैसे मुद्दे आते हैं वैसे जाते हैं, लेकिन जहां तक डिस्मिसल का ताल्लुक है मेरे पास इन्फोर्मेशन है कि इन्होंने दो जगह से तनख्वाह ड्रॉ नहीं की, उन्होंने इसको राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस करने की वजह से डिस्मिस कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको सूचित करने की जिम्मेदारी थी उनकी या नहीं रूल्स के अनुसार ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कमिश्नर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी ने इन सब मामलों की जांच करके सरकार के सामने रिपोर्ट पेश कर दी और एग्जोनरेट किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह अभी चल रही है। हाई कोर्ट में जब....

श्री भैरोंसिंह : हाई कोर्ट का नहीं। जिन मामलों में सस्पेंड कर रखा है क्या यह बात सही है कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कमिश्नर ने एन्क्वायरी समाप्त कर दी और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर दी और इसको एग्जोनरेट कर दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कमिश्नर थे उन्होंने एक पर दी है और दूसरों में नहीं दी। बाकी हाई कोर्ट ने जब यह प्रश्न उठाया था तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसका जो रिलेवेन्ट पोर्शन है। इन्होंने जो पिटीशन इनके खिलाफ की थी इनके एपोइन्टमेंट को करते हुए "We therefore dismiss this petition with costs."

तो हाई कोर्ट में जब यह क्वेश्चन उठा था कि एपोइन्टमेंट गलत हुआ और जो लोग रिजेक्ट हुये थे वे लोग हाई कोर्ट में यह क्वेश्चन लेकर गये कि डाइरेक्ट एप्लाई नहीं करना चाहिये था; तो हाई कोर्ट ने पिटीशन को डिस्मिस किया और यह जजमेंट दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि इनके खिलाफ और भी मामले एन्क्वायरी के लिए पेंडिंग हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : किसी व्यवस्था को मानना पड़ेगा अब तो।

(विराम)

श्री उदयलाल वर्दिया ?

(अनवरत शोरगुल)

स्थगित प्रश्न।

(२६-३-६५)

हरचन्द तालाब की नहर के निर्माण में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उठाई गई रकम

५६४. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हरचन्द तालाब तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर की नहर (धोरे) के निर्माण कार्य में आज से दो वर्ष पूर्व श्री रोशनलाल पटवारी, सिंचाई विभाग एवं तोलाराम, सुपरवाइजर, निवासी बड़गांव द्वारा विभागीय कार्य के अन्तर्गत जो कार्य मजदूरों द्वारा कराया गया था उसकी मजदूरी की रकम विभाग से उपस्थित रोल के आधार पर फर्जी निशान बना कर उठा ली गई और मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया ?

(श्री उदयलाल वर्दिया)

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त श्रमिकों ने उदयपुर सिंचाई विभाग को इस रकम के चुकारे हेतु कई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस बारे में आवश्यक जांच कराकर सरकार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने और मजदूरों को तुरन्त चुकारा करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं, हरचन्द तालाब तहसील सराड़ा जिला उदयपुर की नहर का कोई भी विभागीय कार्य श्री रोशनलाल पटवारी तथा तोलाराम सुपरवाइजर के द्वारा...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : बातें जब बन्द होंगी तो सुन लेंगे; I can't help you.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुंह ऊंचा रख कर बोलें तो आवाज आयेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उत्तर धीरे धीरे देंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा ।

श्री दिनेशराय डांगी : (२) जी नहीं, उक्त सम्बन्ध में इस विभाग में किसी भी श्रमिक का कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : या तो हम बहरे हो गये हैं या मंत्रीजी का गला बैठ गया है; हमें इनके धीरे बोलने पर सख्त एतराज है, जोर से बोलें ।

श्री दिनेशराय डांगी : अतः आवश्यक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उदयलाल वर्दिया : प्रार्थना-पत्र दिये हैं, बार बार डेपुटेशन जा चुका है; लेबर बराबर पहुंची है, उनको कुछ नहीं मिला ।

श्री दिनेशराय डांगी : इस प्रश्न में जिनके नाम बताये हैं उनके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि विभागीय कार्य नहीं कराया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! The extended time is finished.

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गोचर भूमि पर पंचायत भवन

६१८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शाहपुर, जयपुर का भवन गोचर भूमि में राज्य सरकार की बिना स्वीकृत के बना लिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इसके पहले पंचायत समिति, शाहपुर का भवन बनाने के लिये शाहपुर में मुन्सिफी के नजदीक खसरा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नम्बर २१६६, २१७८ लगायत २१८२ तक की जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही एस. डी. ओ., कोटपुतली के यहां चालू की गई थी और करीब पूर्ण होने को थी ?

(३) यदि हां, तो किस कारण से उक्त अच्छी जमीन के बजाय गोचर भूमि में २ मील दूर यह मकान बनाया गया ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बर २१८२ बटा १ रकबा १२ बीघा की पंचायत समिति के उप-प्रधान श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री देवी सहाय व्यास व उनके कुछ मित्रों ने तारीख १३-१-६४ को एक हजार रुपए में व्यक्तिगत रुप से रजिस्ट्री करवा ली है ?

(५) क्या उक्त खसरा नम्बर २१८१ बटा १ में किसी प्रकार की कोई तामीर होने के लिये सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

(६) क्या गोचर भूमि में ऐसी तामीर होने की इस कार्यवाही को सरकार उचित मानती है ? यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) पहले पंचायत समिति शाहपुर का भवन हाईवे मोटर स्टेन्ड, शाहपुरा, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं डाक बंगले की बीच की भूमि पर बनाने का निर्णय हुआ था और उस निर्णय के अनुसार मुंसिफी के नज़दीक खसरा नम्बर २१६६, २१७८ लगायत २१८२ की लगभग ६ बीघा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। भूमि अवाप्ति अधिनियम, १९५३ की धारा ६ के तहत नोटिसेज़ जारी होकर मुआवजे के दावे भी पेश हुए। जब मुआवजा निश्चित किया जाने लगा तो उस समय लगभग २००० रु० प्रति बीघा की परता दर से ६ बीघा भूमि के १२००० हजार रु० केवल मुआवजे के ही बने। पंचायत समिति भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार से केवल १८००० रु० की ही धनराशि उपलब्ध थी। अतः पंचायत समिति की साधारण बैठक में इस पर विचार होकर यह निर्णय हुआ कि यह भूमि न ली जाकर कहीं अन्य भूमि ले ली जावे क्योंकि उपलब्ध धनराशि का अधिकतम भाग तो उसे क्रय करने में ही व्यय हो जावेगा। इन परिस्थितियों में भवन निर्माण हेतु नीम का थाना रोड पर गोचर भूमि ही उपयुक्त समझी गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह जमीन चरागाह के उपयोग की भी नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चारा वगैरह उत्पन्न नहीं होता है और इसके अलावा इस कस्बे में आबादी की कोई भूमि भी उपलब्ध नहीं है अतः इसका ही उपयोग भवन निर्माण हेतु किया जावे। इसी कारण पंचायत भवन निर्माण गोचर भूमि में हुआ।

(४) खसरा नं० २१८२/१ तो नहीं परन्तु खसरा नम्बर २१८१/१ रकबा १२

(श्री राजस्व मंत्री)

बिस्वा भूरा पुत्र राम जाट से हनुमान सहाय व्यास आदि द्वारा खरीद की जाकर दिनांक ४-२-६४ रजिस्ट्री तस्दीक हो चुकी है।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं। इस बारे में राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा ९० ए व ९१ के तहत नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

गेहूं का कोटा तथा उसका वितरण

९१९. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-प्रथम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार का इम्पोर्टेड गेहूं का कोटा कम कर दिया है ? यदि हां, तो कितना ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य के बड़े बड़े शहरों में इम्पोर्टेड गेहूं का कोटा राज्य सरकार द्वारा भी कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा व उदयपुर का कितना था और अब कितना है ?

(३) क्या यह सही है कि कोटा व अजमेर को इम्पोर्टेड गेहूं का कोटा जोधपुर से दुगुने से भी अधिक नियत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि कोटा जिला खाद्यान्न उत्पादन केन्द्र है और जोधपुर खाद्यान्न उपभोक्ता केन्द्र है ?

उत्तर

(१) जी हां। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के इम्पोर्टेड गेहूं का कोटा माह नवम्बर, १९६४ से पहले की तुलना में कम कर दिया है। माह जुलाई, ६४ से अक्टूबर ६४ तक लगभग ५०,००० टन एलोट किया जाता रहा। नवम्बर, ६४ से मार्च, ६५ तक क्रमशः ३०,३००, २०,०००, १५,०००, १५,००० एवं १०,००० टन एलॉट किया गया है।

(२) जी हां, वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) जी नहीं। किसी भी जिले के लिए आयातित गेहूं का कोटा नियत नहीं है। एलॉटमेंट किसी जिले की परिस्थितियों तथा स्टॉक पोजीशन का ध्यान रख कर किया जाता है।

(४) जी हां। किन्तु हर प्रकार के खाद्यान्न के लिए नहीं। कोटा जिला गेहूं, चणा का उत्पादन केन्द्र है तो जोधपुर बाजरे का उत्पादन केन्द्र है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

चिड़ावा में चीनी के होलसेल डीलर की नियुक्ति

९२१. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सुमित्रा)

(१) क्या तुलसीदास बैजनाथ चिड़ावा जिला झुंझुनू को ७ मई, १९६३ को चिड़ावा के लिये चीनी का होलसेल डीलर नियुक्त किया गया था ?

(२) क्या चीनी लाने से पहिले ही ११-५-६३ को उनको होलसेल डीलर से हटा दिया गया ?

(३) उनको होलसेल डीलर से हटाने के क्या कारण थे ? क्या यह कारण उन्हें बताते हुए उन्हें कोई नोटिस दिया गया ?

(४) श्री चिरंजीलाल फूलचन्द को किस आधार पर चीनी का होलसेल डीलर चिड़ावा के लिए नियुक्त किया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठाता।

(४) नियमानुसार तारीख २३-४-६३ से होलसेल डीलर चिड़ावा के लिये नियुक्त किया गया।

ग्राम अनंतपुरा तहसील आमेर में सुरक्षा कोष में दी गई भूमि

९२२. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम अनंतपुर, तहसील आमेर, जिला जयपुर के स्वर्गीय चन्दाराम की पत्नी नानी बाई ने चीन के आक्रमण के समय एकत्रित किये जा रहे सुरक्षा कोष में उक्त ग्राम में उस के पति चन्दाराम व सेठ लक्ष्मी नारायण की जमीन खसरा नं० १७२, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१८, ४१९, ४२०, ४५९, ४९७, ५५१, ६४६, ६४८, ६४९, ६५०, तथा मार्फी की जमीन ८) १ बीघा खसरा नं० ८११, ८१५, ८१६ व ८२१ इस आशय से सरकार को भेंट की थी कि इस जमीन को नीलाम की जाकर इससे प्राप्त धनराशि सुरक्षाकोष में जमा कर ली जाय ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त जमीन नीलाम कर उससे प्राप्त धनराशि सुरक्षा कोष में जमा कर ली है ? यदि हां, तो कृपया रकम भी बतलावें ?

(३) यदि, नहीं, तो यह जमीन अभी तक नीलाम क्यों नहीं हुई और क्या इस अर्से में जमीन पर काश्त हुई है ? यदि हां, तो किसने की और काश्त (फसल) का रुपया किसने लिया ?

उत्तर

(१) जी हां। श्रीमती नानीबाई ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र पेश किया था।

(२) जी नहीं।

(३) जांच से इस भूमि पर श्रीमती नानीबाई को अधिकार नहीं पाया गया और इसे सिवाय चक भूमि घोषित कर दिया गया।

तहसील नाथद्वारा में तालाब व एनिकट का सर्वे

६२५. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सिंचाई विभाग के अधीन नाथद्वारा तहसील में लघु व बड़ी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितने तालाब व एनिकट का सर्वे कब कब हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) सर्वे के अनुसार हर तालाब या एनिकट पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

(३) इन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) नाथद्वारा तहसील में विभाग द्वारा अभी तक केवल केदारगढ़ बांध नामक योजना का सर्वे किया गया है ।

(२) उक्त योजना पर २ लाख (दो लाख) रुपये व्यय होने की संभावना है ।

(३) आवश्यक तखमीना तैयार कर लिया गया है तथा आवश्यक जांच जारी है । स्वीकृत होते ही कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

नगरपालिकाओं में गृहकर

६३४. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में किन किन नगरपालिकाओं में गृह कर न लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये हैं ?

(२) राजस्थान में किन किन नगरपालिकाओं में प्रशासकों द्वारा गृह कर लागू किया गया है ?

(३) किन किन स्थानों पर जन आन्दोलन होने पर हाउस टैक्स न लगाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

(४) ऐसी कितनी नगरपालिकायें हैं जहां जनप्रतिनिधियों ने गृह कर लगाना अस्वीकृत किया तथा उसके स्थान पर नियुक्त प्रशासक ने गृह कर लागू करने की कार्यवाही जारी कर रखी है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) भवन व भूमि कर एक अनिवार्य कर है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है ।

(३) प्रश्न के खण्ड (१) में संलग्न सूची में वर्णित नगरपालिकाओं द्वारा ही प्रस्ताव प्राप्त हुये थे ।

(४) इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड (१) व (२) में दे दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

सिद्धमुख कैनाल का सर्वे

६३५. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 44

(श्री रावतराम)

(१) सिद्धमुख कैनाल का सर्वे कब शुरू हुआ और अब किस स्टेज पर है ?

(२) इस कैनाल की चिनाई कब शुरू होगी और कितना क्यूसेक पानी इस नहर को मिलेगा ?

(३) चूरू जिले के कितने गांव तथा उन गांवों की कितनी एकड़ जमीन इसके पानी से सिंचित होगी ?

(४) इसका पानी निश्चित तौर से कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

उत्तर

(१) प्रारम्भिक सर्वे सन् १९६२ में ही कर ली गई थी आगे की कार्यवाही पानी के निश्चित रूप से मिलने पर तय की जायेगी।

(२) व (३) अभी इस बात पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

(४) शायद अगली पंच वर्षीय योजना की अवधि में।

चरणोट की भूमि का कब्जा

९४०. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चितौड़गढ़ एवं गंगरार के गांव की चरणोटों का पत्थर गढ़ी कराकर कितनी पंचायतों में कब्जा सौंपा जा चुका है, और कितनी पंचायतों में कौन कौन से गांव का बाकी है ?

(२) क्या ऐसे भी गांव हैं जहां पर चरणोट नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज रखने का कष्ट करें।

(३) क्या इन चरणोटों का लाभ उन गांवों को पहुंच रहा है जिनको सौंपे गये हैं ?

(४) क्या यह सही है कि इन चरणोटों का उपयोग स्वयं राज्य सरकार या पंचायतों के करीब के म्युनिसिपल बोर्ड कर रहे हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर ?

उत्तर

(१) तहसील चित्तौड़गढ़ में १८४ गांवों की चरणोट भूमि पर कब्जा पंचायतों को सौंपा जा चुका है।

तहसील गंगारार में १५० गांवों में चरणोट की भूमि पर कब्जा पंचायतों को सौंप दिया गया है। जिन गांवों में चरागाह नहीं सौंपा गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(८-४-६५)

चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार तहसील का कमान्डेड एरियां

८०८. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार तहसील के सिंचित क्षेत्र को कमान्डेड क्षेत्र घोषित किया गया है ? अगर हां, तो कब और कहां कहां ?

(२) क्या यह भी सही है कि जो भूमि कमान्डेड क्षेत्र घोषित की जा चुकी है उसमें ऐसी जमीन भी शामिल है जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता और न भविष्य में पहुंच सकेगा ? अगर हां, तो ऐसी भूमि काबिल काश्त कितने एकड़ है ?

(३) जहां नहर का पानी नहीं पहुंच सकता है उस जमीन को अधिक अन्न उत्पादन की दृष्टि से सिंचाई नियमों से मुक्त करने में क्या कठिनाई है और कब तक यह मुक्त की जा सकेगी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त प्रत्येक प्रोजेक्ट की कन्टूर लाइन बन चुकी है ? अगर हां, तो कहां तक उसका पानी पहुंच सकेगा ? जहां नहीं पहुंचेगा उसका क्या कारण है ?

(५) क्या यह सही है कि कन्टूर लाइन के अन्तर्गत भी काफी बिला नाम जमीन जो काबिल काश्त है पड़त है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या अब तक इसका प्रीमियम निर्धारित नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां । सन् ५८-५९ में बांध सोनीयाना के श्रेष्ठ जीतियास, बड़लिया कुबालिया, लालूउदा का खेड़ा, तुमड़िया, सालरीया व सारण गांवों को व बोरदा बांध के सांवता, तालेड़ी, बड़ोदिया, पारोली, चौगावड़ी मालकी, बोरदा, आमोलिया, गांवों को कमान्ड क्षेत्र घोषित किया गया ।

(२) जी हां । ऐसी भूमि सोनीयाना व बोरदा बांध के नीचे क्रमशः ५५०० व ६६३० एकड़ है ।

(३) ऐसी भूमि को सिंचाई नियमों से मुक्त करने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है ।

(४) जी हां, इन सभी गांवों में नाल की कन्टूर लाइन तक पानी पहुंच रहा है । नहर से ऊंचे हिस्सों में पानी नहीं पहुंच सकता ।

(५) जी हां । इस बिला नाम जमीन की शरह अभी तक निर्धारित नहीं हुई है अतः इसको अभी तक एलॉट नहीं किया जा सका है । शरह निर्धारित करने का प्रश्न रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित है ।

(विराम)

(१२. ३१ म. प.)

Page No 46

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम घारू

याचिका का उपस्थापन

श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों में सफाई कार्य करने वाले महतरों को सुविधायें दिलाये जाने सम्बन्धी विषय पर एक याचिका का उपस्थापन याचिका देने वालों के हस्ताक्षर सहित उपस्थित करता हूं।

स्थगन-प्रस्ताव विषयक

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कल एक स्थगन-प्रस्ताव सदन में दिया गया था...

श्री उपाध्यक्ष : पहले उपस्थापन कर लेने दीजिये। श्री जुझारसिंह।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति १९६४-६५ के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री जुझारसिंह (सभापति, आश्वासन समिति) : उपाध्याक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति १९६४-६५ के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

पानरवा जंगल का ठेका देने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले हो जाय। पानरवा जंगल के बारे में there is a statement to be made.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरा ध्यानाकर्षण का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पानरवा जंगल का बाद में होगा क्या ?

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेन्ट तो प्रश्न करने के बाद आयगा। पहले पानरवा चलेगा या जयपुर का ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पानरवा ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ; मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, जानकारी का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि रूल्स के अन्तर्गत आध घण्टे की चर्चा है इस दृष्टि से आध घंटा ही लिया जायगा इसलिए आप भी जरा संक्षेप में कहें। श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के अन्दर राजस्थान की एक ऐतिहासिक घटना, जिसका संबंध १९४९ से लेकर इस अप्रेल महीना सन् ६५ तक से है, बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस सारे मामले में उचित व्यवस्था करेगी और जवाब देगी।

Page No 47

(श्री उमरावसिंह टाबरिया)

राजस्थान के अन्दर एक जंगल उदयपुर जिले के अन्दर है जिसका नाम पानरवा जगल है यह जंगल करीब ४५० वर्ग मील लम्बा-चौड़ा है। यह पानरवा जंगल जागीरदार का था और उनकी तरफ से १९४४ में एक ठेकेदार को ठेके पर दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में सबसे पहली बात जानकारी की है, वह यह है कि सन् १९४९ के अंदर जब उदयपुर में छोटे राजस्थान की स्थापना हुई थी जिस वक्त मुख्य मंत्री. श्री माणिकलालजी वर्मा थे उस वक्त एक ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था और उस ऑर्डिनेन्स के तहत यह सारा का सारा जंगल उस सरकार के अधीन आ गया था। १९४९ के अंदर राजस्थान सरकार ने जागीरदार के अधिकार ले लेने के लिये ऑर्डिनेन्स जारी किया था उसके तहत पानरवा जंगल से जागीरदार को जो आमदनी थी वह सरकार के अधीनस्थ हो गई थी। उस वक्त श्री गोपीनाथ राव पिल्लई, जो उदयपुर में फॉरेस्ट अधिकारी थे, सन् १९४९ में उस सरकार को यह वात कही कि जो पानरवा जंगल जागीरदार द्वारा ठेके पर दिया गया था वह क्योंकि अब सरकार के हाथ में आ गया है इसलिए उस ठेकेदार का ठेका समाप्त करके इसका सर्वे करवाया जाय और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ऑक्शन करवाया जाय तो सरकार को उससे लाखों रुपयों की आमदनी होगी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कि वह ऑर्डिनेन्स मौजूद था और उसके द्वारा दूसरे जागीरदारों की इन्कम सरकार ने ली थी, फिर पता नहीं क्यों उस ऑर्डिनेन्स के होते हुए और टैक्निकल एडवाइस के होते हुए १९४९ में जिस समय इस जंगल का ठेकेदार गुलामअब्बास था उससे ठेका वापिस नहीं लिया गया और जंगल का सर्वे नहीं कराया गया और टुकड़े करके नीलाम नहीं कराया गया। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसका ठेका जब १९४९ के अन्दर खतम होने वाला था उस वक्त इस ठेके की मयाद बढ़ाकर १ अक्टूबर, १९५४ से ३० सितम्बर, ५७ तक १८०००) रु० प्रति वर्ष के हिसाब से गुलामअब्बास को दे दिया। १९५४ से ५७ तक तीन साल के लिये, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये, गुलाम अब्बास को १८,०००) के लिये दे दिया गया। उसके लिए सरकार के पास आज दिन तक कोई लिखा-पढ़ी, कोई एग्रीमेन्ट, कोई ऑर्डर नहीं है जो सरकार और उक्त ठेकेदार के बीच हुआ हो। इस बात का साफ यह एग्रीमेंट है, उसमें लिखा है, हमारे बीच जो ३ साल के लिए सन् १९५४ से ५७ तक ठेका दिया है, उसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार और ठेकेदार के बीच किसी तरह की लिखा-पढ़ी नहीं हुई, कोई मुआयदा नहीं हुआ, फिर कैसे कहा जा सकता है कि तीन साल के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया ?

Page No 48

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

उस ठेकेदार ने हमारी सरकार पर एक दावा किया। वह दावा भी छोटा-मोटा नहीं था, करीब ६ लाख ४० हजार का डेमेज का दावा ठेकेदार ने सरकार पर किया। उसने यह कहा कि ठेका चूंकि सरकार ने मुझे दे दिया है और अब मुझे रोकना चाहती है सरकार। मैं १९५६ की बात आपके सामने कह रहा हूं। जब १९५४ से १९५७ की बात थी तो १९५६ में यह दावा किया है और उसमें यह कहा गया कि ६ लाख ४४ हजार रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है जो ठेकेदार के साथ हुआ हो ? आपने उस ठेके को दिया या नहीं, आपने उस ठेके की मयाद बढ़ाई या नहीं ? इसका कोई एग्रीमेंट आपके और ठेकेदार के बीच में नहीं हुआ। फिर ठेकेदार का यह कहना कि ६ लाख ४४ हजार का मुझे नुकसान है तो सरकार को मुझे देना चाहिए और मेरे ठेके की मयाद पांच साल के लिए बढ़ानी चाहिए। यह दावा किया है सरकार के ऊपर, जो मैं समझता हूं, गलत है। और यह मैं समझता हूं, आपके लॉ डिपार्टमेंट ने भी यह कहा है और आपके सुब्रह्मण्यम साहब ने, जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे, ने यह कहा है कि ठेकेदार दावा भी करता है तो हमें अदालत में उसका मुकाबला करना चाहिए और जो यह कह रहा है कि यह कानूनन नहीं हैं, गलत है–हम इस मामले में समझते हैं कि इसका अदालत में फैसला होना चाहिए और गवर्नमेंट को उस ठेकेदार के साथ में समझौता नहीं करना चाहिए। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि क्योंकि उस वक्त जनरल इलेक्शन होने वाले थे इसलिए १९५७ के अन्दर इस ठेकेदार के साथ समझौता किया गया। और १९५७ के बाद उस ठेकेदार को उस जंगल का अठारह हजार रुपये के अन्दर फिर पांच साल के लिए और ठेका दे दिया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह आपने दिया है, पांच साल और ज्यादा बढ़ाने का उस ठेके को आपने फैसला दिया है, १ अक्टूबर, १९५७ को पांच साल के लिए दिया है जैसा कि एग्रीमेंट है सरकार का उसके साथ। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब पहले तीन साल के लिए १९५४ से १९५७ तक बढ़ाया तो कोई एग्रीमेंट सरकार ने ठेकेदार के साथ नहीं किया और जो मयाद बढ़ाई है १ अक्टूबर, १९५७ को पांच साल के लिए, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो एग्रीमेंट उसके साथ किया है वह २९–९–६१ को। १९५७ में जो ठेका मिला है साहब उसका एग्रीमेंट करते हैं वह आप करते हैं २९-९-६१ को यानी १९५७ से लेकर १९६१ तक और उस एग्रीमेंट को आपने इस ठेके के लिए कन्टीन्यू रखा–इसका क्या कारण है। और इस ठेके के अन्दर आपने जो मयाद दी है, जो शर्तनामा किया है, मैं समझता हूं कि जो इस शर्तनामे के अन्दर लिखा है, इस ठेकेदार ने इन सात सालों में किसी भी शर्त का कतई पालन नहीं किया है। आपने साफ तौर से लिखा है यह ठेका जो उसको दिया गया है उसके अन्दर वह आम, बड़, पीपल, गोंद और बीड़ी के पत्तों आदि के दरख्तों को न तो काट सकेगा और न बीड़ी के पत्तों को बेच सकेगा, न उसका ठेका दे सकेगा। यह आपके एग्रीमेंट के कालम नम्बर तीन में है। इसके बावजूद, यह कालम होते हुए उसने इन

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चीजों को काटा है, जंगल से मूल्यवान लकड़ी को उसने काटा है और बीड़ी के पत्तों का बराबर सात साल तक ठेका दिया है और उससे लाखों रुपये की आमदनी की है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा शोर्ट में रखें ताकि फिर गवर्नमेंट का रिप्लाई हो जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह बहुत जरूरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी बात है लेकिन...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जवाब आयेगा वह आधे घंटे के बाद आयगा।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे में आयेगा।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : जो क्वेश्चन के अन्दर उन्होने कहा है, उसकी क्या परिधि है और उस परिधि के अन्दर बोलने की अगर पब्लिक इम्पोर्टेन्स को मान कर इजाजत मिली है तो उसकी परिधि में बोलनाचाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वही पूछ रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं पूछ रहा हूं वह स्पष्ट प्रश्न है। उसमें मैंने पांच बातें लिखी हैं, उसको आप देख लें...

श्री उपाध्यक्ष : मैं संकेत कर दूं, रूल ४६ के अन्तर्गत साफ हैं, हाफ अवर डिस्कशन के बारे में पांच उप खंड हैं :

"There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly."

तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और क्योंकि यह सारा आधा घंटे में करना है तो अत्यन्त संक्षेप में होना चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हां, बहुत जल्दी !

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : The important point is, how it is enforced, Sir, यह डेढ़ घंटा हो जायेगा !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो एग्रीमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : पन्द्रह मिनट हो चुके हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : दस मिनट हुए हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बहुत जल्दी करूंगा। माफ करेंगे !

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जो एग्रीमेन्ट किया है, इसके पैरा सात में लिखा है, यह मयाद पांच साल बढ़ाने की २६ जनवरी, १९६५ को समाप्त हो जायगी। इसके साथ ही कॉलम नम्बर सात में लिखा है, "२६ जनवरी, १९६५;" जब कि यह मयाद समाप्त हो जाती है, उस दिन कोई लकड़ी जंगल में कटी हुई रहेगी तो सरकार उस पर कब्जा करेगी न कि उसे ठेकेदार ले सकेगा। इसके साथ ही आपने इस एग्रीमेंट की धारायें १०, ११, १२ हैं इनमें साफ लिखा गया है कि वह ठेकेदार उस जंगल के किसी हिस्से को न तो दूसरे ठेकेदार से कटवा सकेगा और न दूसरे ठेकेदार को सब-लीज़ दे सकेगा, इस तरह काम नहीं करा सकेगा। यह सारी की सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी हैं। इसके साथ साथ धारा २२ में लिखा है कि ४० हजार वह सड़क पर खर्च करेगा हर साल। जब यह एग्रीमेंट में लिखा है और सात साल का एग्रीमेंट है तो जो टोटल अमाउन्ट लिखा है सड़क पर खर्च करने का वह सिर्फ दो लाख का रखा है। फिर अगर शर्तनामे को सही मानते हैं तो यह जो शर्तनामा है यह सात साल के लिए है और शर्तनामे के अनुसार ४० हजार प्रति वर्ष के हिसाब से २ लाख ८० हजार रुपये उसे खर्च करने चाहिए। लेकिन इस ठेकेदार ने एक पैसा भी सड़कों पर सात साल में खर्च नहीं किया है। इस शर्तनामे में लिखा है कि ठेकेदार सड़क बनायेगा, रेंजर से सर्टीफिकेट लेगा। आपके पास में कितने सर्टीफिकेट मौजूद हैं कि इतनी सड़क बना कर दी? यही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि समय समय पर इस ठेके के लिए कितनी बोलियां आईं, १९५४ में इसके ऊपर बोली लगाई गई वह ८० हजार और १ लाख ५ हजार प्रति वर्ष की लगाई लेकिन उसके बजाय आपने ठेका दिया १८ हजार के अन्दर। १९५७ में बोली लगाई गई १ लाख ५० हजार रुपये, लेकिन उसके बजाय आपने ठेका दिया सिर्फ १८ हजार रुपये में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सारे पीरियड में १९४९ से १९६५ तक और इसके बाद आपने गैर कानूनी तरीके से २६ जनवरी के बाद अप्रेल तक ठेका बढ़ाया जब कि उसके अन्दर आपके कहने के माफिक ६० हजार क्विन्टल लकड़ी कटी हुई पड़ी थी जिस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए। और उसके बाद दो महीने तक और काटने की इजाजत दी इससे सरकार को १२ लाख का नुकसान हुआ है। १९४९ से लेकर १९६५ जनवरी तक नाजायज़ तौर से ठेका दिया है उससे इस सरकार को ६२ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपके यहां जितने टैक्निकल आदमी हैं, रेंजर से लेकर लॉ डिपार्टमेंट तक जितने हैं और जो आपके उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सुब्रह्मणयम साहब हैं-इन सब लोगों ने कहा है कि इस ठेके की सर्वे करानी चाहिए और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नीलाम करके ठेका देना चाहिए। इसके अलावा आपके सामने बोलियां आई और जो बोली लगाने वाले थे उनमें से एक ने ३७ हजार रुपये का चैक तक एडवान्स में काट कर सरकार को दे दिया, फिर भी इनको ठेका दिया गया सरकार के द्वारा एक गुलाब अब्बास के नाम पर। यह ठेका १९४९ से लेकर १९६५ तक और आज की तारीख तक उसी व्यक्ति को दे रखा है नाजायज़ तौर से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 51

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इसकी जांच कराने की भावना से हम यहां पर सवाल करते हैं और इस सदन के एक-दो माननीय सदस्यों ने

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो–तीन मिनट में खत्म करता हूं । यह साफ तौर से बताया है कि गुलाम अब्बास, जिसके नाम पर ठेका है, यह शख्स क्यों राजस्थान में छाया हुआ है, क्यों उसे १ करोड़ इस जंगल से कमाने दिया है ? इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री के साले साहब हैं, उनके कितने ही बिजनेस इनकी पार्टनरशिप में हैं, एक पेट्रोल पम्प इनके अन्डर में चलता है, एक ट्रान्सपोर्ट सर्विस इनके साथ में चलती है और यह एक जंगल का ठेका दिया गया है । उसमें भी हमारे मुख्य मंत्री की रियायत के कारण से यह सारा का सारा १ करोड़ का नाजायज़ फायदा उस आदमी को उठाने देने के लिए दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट एक्सटेंड किया है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): They are all baseless reflections.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप बैठिये । मुझे बोलने दीजिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुझे बोलने का अधिकार है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Guidance should be given from the Chair.

श्री गिरधारीलाल व्यास : यही बात यहां पर बार बार कही जाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बार बार इस प्रश्न को खड़ा किया जाता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं सब बातों को साबित करने के लिए तैयार हूं, इसमें कहने का ही सवाल नहीं है । आपके चीफ सेक्रेटरी का इतना बड़ा नोट है, जिसका एक एक अक्षर आप पढ़ लीजिये, यह सुब्रह्मण्यम साहब का नोट है...

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड शीघ्र करें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपके लॉ डिपार्टमेंट का ऑब्जर्वेशन है, उसकी मेरे पास नकल है । यह बात नहीं है कि यह जो कुछ कहा है वह गलत है । मैं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : लाखों रुपये खा गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तुम क्यों पापी का साथ देते हो ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : राजस्थान में केवल एक जंगल के ठेके के मामले में रियायत दी हो-ऐसी बात नहीं है । मैंने कहा कि पानरवा जंगल में उस आदमी को ६३ लाख रुपये का फायदा हुआ, इसके अलावा पैसेन्जर टैक्स का ८३ हजार रुपया बाकी है । मोटरों का पर्मिट उनको दे रखा है । अजन्ता होटल के लिये ४ लाख

Page No 52

(श्री जोधसिंह चौहान)

रुपये सरकार ने दिये हैं। मेयो कॉलेज के लिये एग्रीकल्चरल जमीन थी, आखिर बनिये ने दावा किया है उस पर अजन्ता होटल बनाने की इजाजत दी है। सिनेमा हाउस खरीदा और जंगल से राजस्थान से बाहर जलाने की लकड़ी गुजरात आदि भेजते हैं और ३० ट्रक रोज के एवरेज के आज ७ वर्षों से बराबर भेजते रहे हैं।

(अनवरत समय--समाप्ति-सूचक घंटी)

(शोर-गुल-व्यवधान)

एग्रीमेंट के खिलाफ कितने काम किये हैं। इन्कम टैक्स की कितनी चोरी की है। ये सारी रियायतें सरकार ने इस ठेकेदार को दी है इसका क्या कारण है?

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please. That is all. माननीय सदस्य, माननीय सदस्य,....

श्री जोधसिंह चौहान : एक आदमी को सरकार के खजाने का डेढ़ करोड़ का नुकसान देकर उसको करोड़पति बनाया जा जा रहा है–महज भ्रष्टाचार से। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप करने वाले को, जो एक मामूली आदमी है, उसको किस प्रकार से लखपति बना दिया। यह मैंने नहीं कहा है, यह आपकी ऑडिट रिपोर्ट में है। ऑडिट रिपोर्ट में भी यह लिखा है....

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! माननीय सदस्य! Order please !! मंत्री महोदय....

श्री जोधसिंह चौहान : नियम के अनुसार सपोर्ट नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : निमम के अनुसार नहीं हो सकता।

(शोर-गुल)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि....

श्री जोधसिंह चौहान : सरकार इस बात को सुनती नहीं, यह बड़े अफसोस की बात है।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जोधसिंह।

(शोर-गुल)

माननीय सदस्य श्री जोधसिंह। मुझे आपको नामांकित करना होगा।

(शोर-गुल के बीच श्री जोधसिंह बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जोधसिंह। Please hear the Chair !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : Point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

एक माननीय सदस्य : मेरा पोइन्ट ऑफ आॅर्डर क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं ।

(शोर–गुल)

जरा सुन तो लीजिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि हाफ एन अवर डिस्कशन में श्री जोधसिंह का नाम भी दिया हुआ है ।

श्री जोधसिंह : मेरा नाम दिया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन की इजाजत दे सकता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको अधिकार है कि आप इस रूल को रिलेक्स कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कार्यवाही है और नियम इसीलिये लगायें जाते हैं कि कार्य–वाही समाप्त हो सके ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द को सम्बोधित करते हुए) पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह प्रीवियस नोटिस जो दिया गया उसमें माननीय सदस्य श्री जोधसिंह का नाम था । आधे घन्टे की चर्चा का नियम है कि किसी आदमी का नाम उसमें हो तो उसको भी अध्यक्ष महोदय १० मिनट का समय उसमें पार्टीसिपेट करने के लिये देते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि आधे घन्टे के डिस्कशन में इनका नाम है इसलिये इनको भी १० मिनट का समय दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर क्योंकि प्रीवियसली इन्टीमेट किया है इनको अवकाश दिया जावे । यदि यह बात है तो वे बोल सकते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह आधे घन्टे की चर्चा है । १५ मिनट तो श्री ढाबरिया ले चुके हैं । इसलिये आप ५ मिनट ले सकते हैं ।

श्रीजोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है । और वे आये दिन चुनावों में कांग्रेस की मदद करते हैं । चुनावों में बराबर इनकी चार या ६ जीपें काम आती रहती हैं । इससे स्पष्ट है कि बड़े बड़े लोग इनसे मिले हुए हैं और इस प्रकार सदन में कुछ कहें तो हमारे विरुद्ध में बांधने की कार्यवाही की जाती है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह कितनी भूमि है । यह भूमि १ लाख २० हजार एकड़ है । वन लगाने के लिये एक एकड़ पर ४०) रु० १० वर्षों या १२ सालों में, सरकार खर्च करती है २००) ३००) एक एकड़ पर खर्च सरकार करती है । तो मैं नहीं समझता कि जब सरकार इतना रुपया खर्च वन लगाने में करती है तो फिर इतने बड़े एरिया को इतने हजार रुपयों में ही दे रखा है । अगर ३० हजार एकड़ जमीन होती है

(श्री जोधसिंह)

तो चार आना एकड़ होता तो यह बहुत कम है और सरकार ने यह मिल कर ठेका दे रखा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों पर दो लाख रुपया लगाने को था मगर एक पैसा भी नहीं लगाया, न कोई सड़कें है और न कोई दूसरी बातें-जो एग्रीमेंट में है । यह सारा का सारा रुपया हड़प करके बैठे हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सारी की सारी बातें हैं तो सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती ? इससे साफ जाहिर है कि सरकार मिली हुई है । अगर सरकार नहीं मिली होती तो फिर ये जंगल कैसे काट सकते । मैं यह कहूंगा कि २१० मजदूर मर गये उनका क्या हुआ । मजदूर मर गये । सरकार ने उसके लिये कोई सुनवाई नहीं की । उन मरने वालों के घर वालों को कोई सहूलियतें नहीं दी गई । इससे यह साफ जाहिर है कि सरकार ने गुलाम अब्बास को मनमानी करने की छूट दी है और वह मनचाही करता है । मैं समझता हूं कि वे मनचाही कार्यवाही वहां के लोगों से करवाते हैं और रिश्वतें उनको देते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि लकड़ी काटी हुई पड़ी है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आपको केवल एक-दो प्रश्न पूछने की इजाजत दी उसको भाषण के दौरान में नहीं ले जावें । थोड़ा संक्षेप में कहें ।

(१.०० म० प०)

श्री जोधसिंह चौहान : उस ठेकेदार ने सैंकड़ों वर्ष पुराने हरे हरे वृक्ष कटवा डाले हैं । राजस्थान की अमूल्य सम्पदा को बड़ी बेरहमी के साथ बर्बाद किया गया है । आज भी वहां बहुत लकड़ी पड़ी है, उस सारी की सारी लकड़ी को जब्त कर के अपने कब्जे में लेना चाहिये पर सरकार मनमानी कर रही है । आज वहां कोई जा कर देखे तो पता चलेगा कि सारा का सारा जंगल उसने काट रखा है, बिना नियमों के काट रखा है सारा का सारा जंगल, हजारों वृक्ष काट रखे हैं, इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है, नेता लोग इसमें शामिल हैं...

एक माननीय सदस्य : कौन कौन नेता शामिल है ?

श्री जोधसिंह चौहान : सब के सभी उधर के नेता हैं, उदयपुर के एम०एल०ए० हैं, उसमें सम्मिलित हैं । आये दिन उनके चुनावों में उसकी जीपें आती हैं, मोटरें जाती हैं । जब पहले पहल जंगल नीलाम हुआ था तो इसके पास सिक्योरिटी देने के लिये पैसा नहीं था, इतना गरीब था आज उसने सिनेमा खरीद लिया है, बड़े बड़े बंगले बना लिये हैं, उसके पास मोटरें हैं । इसकी जांच कराये तो सब कुछ पता चल जायगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मिनिस्टर । बाद में कुछ पूछना हो तो पूछ लें ।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बनेड़ा से आने वाले माननीय

(श्री भीखाभाई)

सदस्य ने एक नोटिस दिया था और उसमें चार पांच बातें लिखी थीं। मैं निवेदन करना चाहता था कि जहां तक पानरवा के जंगल का सवाल है, यह ऑफ रिपीटेड स्टोरी है....

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : यह क्या बोल गये ?

श्री भीखाभाई : आप नहीं समझ सकेंगे।

इस पर इस आध घंटे की चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस सदन में कई बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, Sir, मन्त्री-महोदय ने जो बात कही है कि अध्यक्ष महोदय ने जो इजाजत दी है गलत इजाजत दी है, यह सीधा चेअर पर रिफ्लेक्शन है, इनसे ये शब्द विथ्ड्रा करवाये जायं वर्ना कोई इजाजत इनको बोलने की नहीं दी जानी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह चेअर पर नहीं, सीधा आप पर रिफ्लेक्शन है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी, आप कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक प्रकार से आपने इस पर चर्चा की इजाजत दी। यह चेअर का अपमान है, वापिस लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, चेअर पर एस्पर्शन का, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। चेअर के लिये नहीं कहते कि चेअर ने क्यों अलाऊ किया, इनका मतलब है कि यह बात कई दफा उठाई गई है, अब नहीं उठाई जानी चाहिये थी।

श्री भीखाभाई : जहां तक मेरी भावना का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने उसे अच्छी तरह समझ कर रूलिंग दी है, वह बहुत ही अच्छी है। मैं तो माननीय सदस्यों की भावना पर जाना चाहता था, वे किसी न किसी तरह मुख्य मन्त्री जी रिश्तेदारों और उनके साथी, जो कांग्रेस में उनके साथ काम करने वाले हैं, का इससे सम्बन्ध जोड़ने का बार बार प्रयास करते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार के फैक्ट्स बताये गये हैं वे सही नहीं हैं। अगर आप कहें कि किस तरह जिनेसस, किस प्रकार कॉन्ट्रेक्ट की उत्पत्ति हुई तो मैं वह बता सकता हूं। जागीरदार पानरवा की क्या स्थिति थी, जिस फर्म को यह ठेका दिया गया, ठेका दिया उसके बाद में लगातार किस प्रकार का नियम वहां है, उसके बारे में निवेदन करूंगा तो आप समझ ही जायेंगे। इस ठेके, जिस ठेके का जिक्र किया जागीरदार ने १९४५ से पहले दे रखा था, की मयाद १९५४ तक बढ़ी। १९५४ के बाद कुछ ऑफर्स, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, यहां कुछ ऑफर्स आई। जब ठेके की मयाद ५ साल की मिली, बाद में ऑफर्स दीं, अदालत में वह ठेकेदार गया, ६ लाख के क्लेम का दावा किया और दावे के दरम्यान में अदालत का हुक्म इम्तनाई हुआ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : १८ हजार का ठेका और ६ लाख का क्लेम, यह कैसे हो सकता है ? बड़े साहूकार बन कर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! बाद में प्रश्न पूछ लें ।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता था कि जिस प्रकार ठेके की रिन्यूअल हुई जिन नई शर्तों के साथ हुई उस एग्रीमेंट की कापी को सदन की मेज पर रख दिया है, उसे पढ़ने से पता चलेगा कि किस प्रकार एग्रीमेंट हुआ। इसकी भूमिका को पढ़ने में माननीय सदस्य ने गलती को अगर वह ध्यान से पढ़ते तो इस प्रकार की चीज उनके दिमाग में नहीं आती। उसका १ से ५ पैरा है, उसको तो देखने से पता चलेगा कि सरकार के लाइसेंस की अवधि १८ हजार रुपया सालाना पर निम्न शरायत पर दी :

(१) सरकार निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर ठेकेदार के पानरवा गंगल सम्बन्धी लाइसेंस की अवधि (१८०००)रु० सालाना पर निम्न शरायत के अनुसार कोयला बनाने, काथा, कबाढ़ा, बांस, तेंदू पत्ता की निकास करने के लिये ५७ से ५। वर्ष तक बढ़ाई है। इस प्रकार लाइसेंस की अवधि बढ़ाना मंजूर करती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप सदन को धोखा मत दो, २९-१-६५ पढ़ो, मेरे पास भी नकल है, इसमें २९ जनवरी, १९६५ लिखा हुआ है। छिपाओ मत....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं दें। स्पष्टीकरण के लिये जो पूछना हो बाद में पूछ लें।

श्री भीखाभाई : मैं इस पूरे एग्रीमेंट को पढ़ना नहीं चाहता था। हमने माननीय सदस्यों को एग्रीमेंट की कॉपी दे दी है, तो छिपाने की बात नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गलत क्यों पढ़ते हो ?

श्री भीखाभाई : मैं सबको पढ़ना नहीं चाहता था।

इस प्रकार लाइसेंस की अवधि को २९-१-१९६५ तक बढ़ाना मंजूर करती है। ठेकेदार दावे वापिस ले लेगा दावे का खर्चा वह स्वयं उठावेगा, इस रकम के अलावा वन विभाग कोई टैक्स नहीं लेगा। आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि स्टेन्ड एट ईज़ के बारे में क्या हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६ हजार रुपया वसूल किया....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : किसने वसूल किया !

श्री भीखाभाई : सरकार ने वसूल किया।

तीसरा पैरा है : ठेकेदार फलदार हरे दरख्त, आम, महुआ व बहेड़ा, आंवला, इमली, कड़ाया, चन्दन, अचार, जामुन, बड़, पीपल, तेन्दू, बीड़ी पत्ते वाला, व नीम काट सकेगा....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कितने पेड़ काटे गये ?

श्री उमरावसिंह ढावरियां : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्री जो एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, जिसकी कॉपी मेरे पास है। वृक्षों के सारे नाम पढ़ने के बाद इन्होंने पढ़ा, इनको काटेगा, जब कि इसमें लिखा है कि नहीं काटेगा।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब मंत्री महोदय हाफ एन अवर डिस्कशन की सूचना दे चुके उसके बाद एक-दो प्रश्न स्पष्टीकरणार्थ पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बीच बीच में तीन तीन सदस्य बोलें तो स्लिप ऑफ टंग नहीं होगा क्या ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : अगर इस प्रकार पूछेंगे तो बाद में अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप पढ़ रहे हैं वह सही है या कॉपी दी है, यह सही है ?

श्री भीखभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने अगर ध्यान से इसे पढ़ा होता तो संभवतः इस प्रकार की स्थिति सामने नहीं आती। इसमें भी ममनुआ दरख्त हैं उनको नहीं काटने के लिये कहा है।

कोई वृक्ष खर का जो एक फुट से कम गोलाई का होगा, नहीं काटा जावेगा, पेड़ की गोलाई सतह जमीन से गिनी जावेगी।

कटाई जंगल एक किनारे से सिलसिलेवार करना होगा।

कटाई जंगल तक हो सकेगी; पेड़ों की मोटाई तथा मौके पर जमीन की बनावट को मद्देनजर रखते हुए सतह जमीन से जितने नजदीक यानी जितनी कम ऊंची हो सके करानी होगी जिसका निर्णय मौके पर डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर कर सकेंगे।

ठूंठ की सफाई व ड्रेसिंग इस प्रकार कराई जावेगी कि बारिश का पानी ठूंठ में नहीं समा सकेगा यानी जमा होकर अन्दर नहीं भरे या ठूंठ से उसकी छाल या कल भी अलग न होने पावे। कटाई बांस मुमस्सिल कराई जावेगी।

बांस तेज व छोटी कुल्हाड़ी से अहतियात के साथ काटे जावेंगे, जिससे बांस के ठूंठे फटें नहीं, न जड़ों को ही नुकसान पहुंचे। कोई भी बांस जमीन से खोद कर नहीं निकाला जावेगा।

इस प्रकार सारी की सारी चीजें इसमें रखी हुई हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस एग्रीमेंट में यह भी है कि ठेकेदार प्रति वर्ष ४०,००० रु० सडक बनाने पर खर्च करेगा। तो यह कहना कि इस ठेके में नुकसान हुआ है, यह उपयुक्त नहीं है। इसलिये सही नहीं है कि जिस जगह जंगल स्थित है, कई माननीय सदस्यों ने कहा

(श्री भीखाभाई)

७०० एकड़ है, मैंने निवेदन किया ३०० एकड़ से ज्यादा नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : साढ़े चार हजार वर्ग मील बोलिये, ३०० एकड़ नहीं ।

श्री भीखाभाई : हां । वर्ग मील गलती से एकड़ कह दिया । वर्ग मील । मैंने कई बार भाषण दिये उनमें वर्ग मील बताया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने ३ महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत रूप से रखा है । जहां लिखा हुआ था नहीं काटेगा, उसको आपने पढ़ा है काटेगा, फिर अवधि जो ठेके की थी, उसके बारे में गलत पढ़ा । फिर तीसरी बार जंगल के रकबे के बारे में गलत पढ़ा । इस तरह गलत फैक्ट्स रख कर अनुचित तौर से बचने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह मोटिव इम्प्यूट करने की बात को मैं हर्गिज पसन्द नहीं करूंगा । मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, सारे फैक्ट्स रखे हैं । टंग ऑफ स्लिप हो जाय उसके लिये इस प्रकार से मोटिव इम्प्यूट करें, यह उचित नहीं । आखिर हमें भी अधिकार है, अगर सुनना चाहें तो सुनें नहीं तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : टंग ऑफ स्लिप नहीं होता, स्लिप ऑफ टंग होता है ।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने कहा कि इस ठेके को पहले ५४ में नहीं दिया गया था । मैं निवेदन करूं कि ५४ में दिया गया था । इसी लिये ठेके के एग्रीमेंट की कॉपी मैंने सदन की मेज पर रखी है:—

इकरारनामा (एग्रीमेंट फार्म) बाबत ठेके आत पैदावार जंगल लकड़ी, कोयला, कबाड़ा, कत्था, बांस, पत्ता तेन्दू जंगल जागीरदार पानरवा । यह इकरारनामा आज दिनांक २९ माह सितम्बर, १९६१ एक पक्ष में राजस्थान के राज्यपाल महोदय जो आगे इसमें सरकार कहे जावेंगे, और श्री गुलाम-अब्बास पिता अकबरअली माकिन पूरा पता बोहरा फालमवाला, उदयपुर, जो आगे इसमें ठेकेदार के नाम से पुकारे जावेंगे ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह ठेका ऐसे ही चलता रहा, ५४ में यह ठेका नहीं हुआ, यह कहना बिल्कुल गलत है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह नहीं कहा मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ यह कहा है ।

श्री भीखभाई : एग्रीमेंट हुआ, यह है, ३१ मार्च, १९५४ का हुआ है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके एग्जीक्यूशन की तारीख बताइये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा मंत्री महोदय ने बताया, चौथा पैराग्राफ पढ़ कर सुनाता हूं । इसमें लिखा है कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जवाब ही देना चाहते हैं तो यह जवाब दे दीजिये कि ५४ से पूर्व भूतपूर्व मेवाड़ गवर्नमेंट ने गुलाम अब्बास को ठेका दिया था, यह तथ्य केवल मेवाड़ गवर्नमेंट के रेकॉर्ड में मिला है ? यहां जयपुर के होटल में बैठ कर इन लोगों ने समझौता किया है और उसी समझौते की बात को भूतपूर्व मेवाड़ गवर्नमेंट का ठेका मान कर यह एग्रीमेंट किया है ?

श्री भीखाभाई : इसकी मुझे जानकारी नहीं । पानरवा के जागीरदार ने ५४ तक का ठेका दिया था ।

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व जागीरदार ने कॉन्ट्रेक्ट किया, उसके कागज कहां हैं ?

श्री भीखाभाई : यह सारी विगत तो मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : ये फैक्ट्स आपके पास नहीं हैं तो फिर किस बात का जवाब दे रहे हैं ? यही तो खास फैक्ट्स हैं । ये फैक्ट्स आपके पास नहीं हैं तो फिर इसे पोस्टपोन करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास जवाब नहीं हैं तो यह जवाब किस आधार पर दे रहे हैं ? जागीरदार का एग्रीमेंट आपके पास नहीं, और कोई खास फैक्ट्स आपके पास नहीं और फिर कहते हैं कि यह तो ऑफ रिपीटेड स्टोरी है । हम इसे बार बार रिपीट करेंगे, जब तक आप पूरे फैक्ट्स दे कर हाउस को कन्विन्स नहीं कर सकेंगे तब तक बार बार इस हाउस में इस प्रश्न को रिपीट करेंगे, ऑफ दी वे रिपीट करते रहेंगे, आप जवाब दीजिये कि पानरवा के भूतपूर्व जागीरदार ने पट्टा रिलीज किया था वह आपके पास है या नहीं, अगर वह आपके पास नहीं है तो फिर आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जागीरें रिज्यूम हुई थीं तो किसी जागीरदार के यहां का रेकॉर्ड गवर्नमेंट को सुपुर्द नहीं किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व जागीरदारों का रेकॉर्ड था वह जागीर कमिश्नर के यहां आ गया है । माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है, यों ही सदन का समय ले रहे हैं ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स के अन्तर्गत हाफ एन अवर डिस्कशन रखा गया था, रूल्स का जहां तक सवाल है, रूल्स स्पष्ट कहते हैं:—

"The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact."

इसके अलावा जिन्होंने सूचना दी है, श्री जोधसिंहजी को बोलने की इजाजत; और भी कोई आवश्यक प्रश्न हुआ तो पूछने की इजाजत दूंगा । हाफ एन अवर डिस्कशन

(श्री उपाध्यक्ष)

मांगा उसकी सूचना यहां दिलाते हैं, हाफ एन अवर डिस्कशन हाफ एन अवर डिस्कशन के तरीके से होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : इन रूल्स में यह भी प्रावधान है कि सरकारी पक्ष गलत तथ्य सदन में नहीं रखेगा......

श्री उपाध्यक्ष : गलत तथ्य तो कोई रख ही नहीं सकता कि गलत तथ्य रखें, माननीय सदस्य का मतभेद हो या गलत तथ्य की तरह दीखे तो उसके लिये रूल्स में कई प्रकार के प्रावधान हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। बाकी रूल्स के अन्तर्गत चलना है तो हाफ एन अवर डिस्कशन के तरीके से चलना चाहिये, अन्यथा कोई रूल्स रहेंगे नहीं, बिना रूल्स के ही चलना होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आधे घंटे के बजाय एक घंटे से ऊपर हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : रूल्स कितने ही हों लेकिन को-ऑपरेशन हो तभी उसका महत्व रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी इम्पोर्टेन्ट बात रह जाय तो हमेशा आजादी है आप पूछ सकते हैं लेकिन किसी भी चीज को रखने के लिये हाफ एन ऑवर डिस्कशन का सहारा लिया जाय, उसको प्रगल्मित करके हाउस की कार्यवाही को अवरुद्ध करना मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आचार्य जी ने जो बहुत अनइम्पोर्टेन्ट बात कही उसकी ओर भी ध्यान दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा था जो रूल्स हैं उनको एन्फोर्स किये जाने में पूरा सहयोग होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कितना ही मक्खन लगाते जाइये आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है।

श्री भीखाभाई : सड़कों के बारे में भी बात कही गई कि उस ठेकेदार ने सड़क नहीं बनायीं मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ने उनको वेरीफाई किया है वेरीफिकेशन के अनुसार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठेके की शर्तों के अनुसार नयी सड़कों का निर्माण करना, पुरानी सड़कों की मरम्मत करना भी ठेके में सम्मिलित है। उसके अनुसार ठेकेदार ने १ लाख ८५ हजार रुपये सड़कों के निर्माण में खर्च किये यह डिपार्टमेंट ने मान लिया है। साथ साथ उन्होंने सड़कों पर ६४-६५ में ३६, २६५ रुपया सड़कों की रिपेयर में दिया है नयी सड़कों का हिसाब उन्होंने नहीं दिया। दो लाख के करीब रुपयों की सड़कों का निर्माण कराया गया उसमें से केवल सरकार का १३ हजार रुपया बकाया रहता है। उसके हिसाब से तीस हजार रुपये का हिसाब बैठता है वह भी शीघ्र आने की संभावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों की डिटेल्स भी साथ में लाया हूं माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसको सुना सकता हूं। इसमें इतनी डिटेल्स

(श्री भीखाभाई)

हैं कि ६१–६२ में किस प्रकार की सड़कें कितने मील की बनी हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो कुल टोटल माइलेज बता दीजिये।

श्री भीखाभाई : सन् १९६२–६३ में १२ मील बनी जिसमें ३२ हजार रुपया लगा रपट दो सीमेंट की ६२–६३ में।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कागज सदन की मेज पर रख दीजिये, हम देख लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या नई सड़कें भी बनी हैं ?

श्री भीखाभाई : नई भी बनी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसको टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दीजिये।

श्री भीखाभाई : आप तसल्ली के साथ सुनिये, मैं सारे तथ्य साथ लाया हूं। बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठे किये हैं। सड़कों की व्यवस्था के बारे में बात कही गई। इसके साथ साथ यह बात भी कही गई कि उसमें एक मजदूर की मृत्यु भी हो गई। मैं श्रम मन्त्री के साथ बन मन्त्री भी हूं इसलिये मेरा कर्त्तव्य हो जाता है, मजदूर के लिये मैं कार्य करूं, आदिवासी हूं आदि-वासी क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार की वारदात हो जाय तो मैं हर वक्त उसकी जांच के लिये तैयार हूं। मैंने इस बारे में माननीय सदस्य को खत भी लिखा। अगर आप बता दें किस जगह पर, किस बीड़ में काम करते हुए मृत्यु हुई तो मैं उसकी अवश्य जांच कराऊंगा। अब भी कराने के लिये तैयार हूं। लेबर ऑफिसर को भेजने के लिये तैयार हूं, मुआवजा भी दिलवाऊंगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहने पर कहने का और कोई कारण नहीं बनाना चाहिये। वैसे तो सारे पहलुओं को माननीय सदस्य जानते हैं, इसलिये इस बारे में अधिक चर्चा करना उचित नहीं होगा। जोधसिंहजी ने जो सवाल पूछा था उसका उतर दे दिया गया है अब अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती, अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्तावक हैं उन्होंने काफी प्रश्न पूछ लिये हैं, अब केवल आप एक प्रश्न और पूछ सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने कहा है और मैंने यह बात कही थी कि १९५४ से ५७ तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ जैसा पेरेग्राफ चार में है :

दिनांक ३१ अक्टूम्बर, १९५६ परन्तु इस सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच कोई लिखित इकरारनामा नहीं लिखा गया। तो इससे यह साफ पता लगता है कि कोई इकरारनामा नहीं हुआ। इसलिये मन्त्री महोदय द्वारा यह कहना कि इकरारनामा हो गया, ठीक नहीं है।

श्री भीखाभाई : मैंने ५४ का कहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें ५४ से ५७ तक का लिखा है।

दूसरी बात यह है कि आप पेज नं० २ कोलम १ में देखिये। १८ हजार रुपये सालाना पर निम्न शरायत के अनुसार १ अक्टूम्बर १९५७ से ५ वर्ष तक बढ़ाना मन्जूर करती है और इस प्रकार लाइसेन्स अवधि को २९-१-१९६५ तक बढ़ाना मजूर करती है। इससे आगे नहीं। इसके साथ यह भी लिखा हुआ है :

ठेके की मयाद १ अक्टूबर, १९५७ से २९ जनवरी, १९६५ तक ऊपर दर्ज किये अनुसार होगी और जो लकड़ी पड़ी रहेगी उस पर सरकार का कब्जा होगा।

आपने जवाब दिया ९० हजार ९०० क्विन्टल लकड़ी पड़ी थी ठेकेदार द्वारा बेच दी गई जिसकी कीमत चार लाख रुपया है।

जो सड़कें बनायी गई उसके लिये एग्रीमेंट में यह है कि वे सड़कें पी० डब्लू० डी० के इन्जीनीयर और फोरेस्ट ऑफिसर के सर्टिफिकेट से मानी जायगी कि ये बनी हैं। आप पी० डब्लू० डी० इन्जीनियर का सर्टिफिकेट सदन की टेबल पर रख दें हम मान लेंगे। लेकिन आपको यह मालूम होना होना चाहियें सन् १९४२ में पानरवा के जागीरदार ने जो सड़कें बनायी हैं उन्हीं सड़कों के बारे में लिखा है। इस तरह से एक आदमी ने नाजायज कब्जा करके सरकार को १ करोड़ रुपये का नुकसान दिया है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में तीन सदस्यों की एक जांच कमेटी नियुक्त की जाय और वे देखें; मैंने जो बात कही है वह सही है या नहीं, अगर सही नहीं है तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं और अगर सही है तो वन मन्त्री इस्तीफा दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिर्फ एक प्रश्न के लिये कहा था, यह तो लम्बा भाषण हो गया।

श्री भीखाभाई : मैं समझता हूं माननीय सदस्य की घबराहट बढ़ रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): मेरे में आपसे ज्यादा हिम्मत है। मैं इस तरह से लड़खड़ाता नहीं हूं। मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं सारी केबीनेट का मुकाबला कर रहा हूं। हंसते क्या हैं ? आपका तो मुंह काला हो गया। मैं जो भी बात कहता हूं ईमानदारी से कहता हूं। बेईमानी मेरे में भरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि मन्त्री महोदय का जवाब सुनना चाहते हैं तो उनको कहूं वे जवाब दें। अन्यथा आगे का कार्य लिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम सुनना चाहते हैं शान्तिपूर्वक कि कुल कितने रुपये कमाये गुलामअब्बास ने और कितने रुपये बांटे ? सारी बातें शान्तिपूर्ण तरीके से सुनना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जो शब्द कहे गये कि काला मुंह, तो ये शब्द भीखाभाई जैसों के लिये है सदन के सदस्यों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के लिये ऐसा नहीं कहना चाहिये। ऐसे शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जाने चाहिये।

श्री भीखाभाई : उन्होंने यह कहा कि ५६ में कोई एग्रीमेन्ट नहीं था। मैं तस्लीम करता हूं कि ५४ के एग्रीमेन्ट की बात कही थी। ५६ के एग्रीमेंट की बात नहीं कही। माननीय सदस्य को गलत भ्रान्ति हुई। एग्रीमेंट में यह नहीं कहा। खर्चा होगा सड़क का सड़क की मरम्मत का। उसके वेरीफिकेशन का अधिकार कन्ज़र्वेटर ऑफ फ़ोरेस्ट को है और उसी के अनुसार वे करेंगे। जो यह किया है उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। इसलिये यह प्रश्न पी० डब्ल्यू० डी० से इन्सपेक्शन कराने का नहीं है।

दूसरा यह कहा कि लकड़ी काफी वहां पड़ी थी। १६–१–६५ के दिन तक जिस प्रकार लकड़ी पड़ी थी उसके बारे में प्रश्न के उत्तर में मैंने कह दिया और आज भी कह दूं कि जिस प्रकार की लकड़ी है वह बहुत ही इन्टीरियर में है। वहां आदिवासी रहते हैं। लकड़ी का वहां से निकाल कर लाना दुश्वार है। वहां लकड़ी की क्या कीमत है उसका भी आप अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। वे ही लगा सकते हैं जो वहां रहते हैं। माननीय सदस्य जिन्होंने पानरवा के दर्शन नहीं किये है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं जाकर आया हूं।

श्री भीखाभाई : आप मेरे साथ चलना एक बार।

६०६३२ क्विन्टल लकड़ी थी। उसका आधार कीमत का था ४ क्विन्टल लकड़ी जिसका एक बैलगाड़ी का वजन होता है तो इस तरह २२,७३३ बैलगाड़ियां बनती है जो हमारी विज्ञप्ति में है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसकी कीमत कितनी होती है ? ६ हजार क्विन्टल की कीमत ?

श्री भीखाभाई : मैं सारी बात बता रहा हूं। आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप तो बिल्कुल बात ही दूसरी कर रहे हैं।

मैंने कहा चार क्विन्टल लकड़ी बराबर एक गाड़ी के हम गिनते हैं और मैंने ६०६३२ क्विन्टल बताई थी उसकी २२७३३ बैलगाड़ियां लकड़ी होती है। हमारे यहां बैलगाड़ी का रिवाज है। गजट में नोटिफाइड है उसके अनुसार एक बैलगाड़ी का छः आना होता है और इसके हिसाब मे २५ हजार की कुल लकड़ी थी। यह कीमत राजस्व खाते में अंकित धारा के अनुसार आई और यहां लकड़ी बहुतायत से मिलती हैं। मैंने यह कहा कि इसके अन्दर कुछ क्लेरिकल एरर्स थीं। उसके अनुसार मयाद जून तक बढ़ा दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि....

श्री भैरोंसिंह : अगर आपकी इजाजत हो तो...

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपको इजाजत दूंगा तो औरों को भी देनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो एक मुद्दे की बात पूछ लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार भी देंगे तो सबको देंगे।

(विराम)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री भैरोंसिंह।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा भी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(१.३४ म. प.)

जयपुर नगर में गत वर्ष बाढ़ से हुई क्षति विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम १२७ के अन्तर्गत मैं सरकार का ध्यान पिछले वर्ष जयपुर में बाढ़ के कारण हुई क्षति की ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष अगस्त के महीने में और उसके बाद भी जयपुर में भंयकर बाढ़ आई। इसके कारण राजस्थान की विधान सभा को भी स्थगित करना पड़ा। जयपुर शहर में हजारों की तादाद में मकान गिर गये। जितने भी नाले, बन्धे बने हुए थे वे सारे टूट गये और लोगों की काफी क्षति हुई। जयपुर शहर की गलियों में, जयपुर शहर की सड़कों पर इतनी अधिक मात्रा में मिट्टी आ गई कि एक महीने बाद तक प्रयास करने भी मिट्टी को रिमूव नहीं किया जा सका।

उन दिनों में सरकार के लोग, जिनके अन्दर मन्त्रीगण भी शामिल थे, अधिकारी भी शामिल थे, विधान सभा के प्रतिनिधि भी शामिल थे और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नगर परिषद् के चेयरमैन भी थे, सब ने मिलकर जयपुर के सारे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में विचार किया था; साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया था कि जिनके मकान टूटे हैं और जिसकी जिस प्रकार की क्षति हुई है वह क्षतिपूर्ति भी कराई जावे। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि काफी मकान टूटने के बाद भी जयपुर जिले से जो उन लोगों को सहायता दी गई वह सहायता, मैं तो मानकर चलता हूं, कि जहां लोगों को सौ का नुकसान हुआ वहां २)-३) रुपये की सहायता देकर सन्तोष करने की चेष्टा की गई।

मेरी राय में वह काफी अपर्याप्त थी। रूल्स भी सरकार ने बना रक्खे हैं। उनके आधार पर भी अगर नुकसान के अनुपात के अनुसार क्षति पूर्ति की जाती तो उचित होता।

इस बरसात में ज्यादा हानि गरीब तबके के लोगों को हुई है जो मजदूरी करते हैं या अल्प वैतनिक कर्मचारी हैं। उनकी हानि हो जावे और इसके सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिए बहुत ही सूक्ष्म धनराशि दी जावे यह पूर्णतया अपर्याप्त है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसी

(श्री भैरोंसिंह)

सूचना मिली है कि सरकार ने जयपुर शहर की ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए और पुराने बन्धों की मरम्मत और नये बनाने के लिए पूरे शहर के लिए ३५ लाख की विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की हैं।

मुझे खुशी है कि जयपुर शहर की ओर ध्यान दिया गया है और ३५ लाख की योजनाएं सरकार ने स्वीकार की है। पर जैसी व्यवस्था है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि अभी तक केवल इस ३५ लाख में से दो आइटमों पर काम शुरू किया है और वह काम भी ४८ हजार का आता है। जहां ३५ लाख की योजना है वहां ४८ हजार का काम अब चले तो इससे ऐसा लगता है कि स्थिति की गम्भीरता को सरकार ने नहीं देखा, न समझा।

(१. ३६. म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

जयपुर में या पूरे देश में वर्षा ऋतु के कारण जितनी हानि होती है उस का इलाज केवल वर्षा के दिनों में नहीं होता। वर्षा से पूर्व व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार की हानि हुई है उसको भविष्य में किस प्रकार से रोका जा सके, यह देखना होगा। जयपुर में इस वर्षा से जो बन्ध टूटे हैं उनकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई। जब बाढ़ आई थी तो २४ इन्च वर्षा हुई थी। इसके बाद भी वर्षा आती रही, बाढ़ आती रही और जयपुर की स्थिति यह है कि २४ इन्च वर्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जयपुर शहर में जो हानि पिछले वक्त २४ इन्च वर्षा आने के कारण हुई थी वह पांच इन्च वर्षा भी इस साल आ गई तो वही हानि होगी जो २४ इन्च वर्षा के कारण और बाढ़ के कारण पिछले साल हुई थी।

मैं, इसलिए, निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिये तो यह था कि बाढ़ के दिनों में सरकार ने जिस तरह की तत्परता बताई उसी के आधार पर जयपुर शहर की इन नले-नालियों को, बांधों को सेवेज सिस्टम को और बान्धों का सारा काम जयपुर की हुकूमत, राजस्थान की हुकूमत उस समय आरम्भ करती और आज पूरा कर लेती। अब बरसात में दो महीने का समय बाकी है।

तो इतने अर्से में तो आप भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही नहीं कर पावेंगे। वही चीज फिर रिपीट होगी और उससे भयंकर नुकसान होगा और इस बार तो २४ इन्च बरसात की भी इस भयंकर नुकसान करने के लिए जरूरत नहीं होगी, इस बार तो पांच इन्च बरसात भी वही नुकसान कर देगी। इसलिए मैंने इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि सरकार ने इन दो महीनों में, जैसा उन दिनों में वार फुटिंग पर उस परिस्थिति का मुकाबला किया था, वैसा इस बार भविष्य में होने वाले नुकसान से बचने के लिए भी वार फुटिंग पर काम करे और यह सारा काम सरकार अपने हाथ में ले; अपने विभागों से ये काम करावे; इरिगेशन विभाग से करावे, पी.

(श्री भैरोंसिंह)

डब्लू. डी. से करावे, किसी भी एजेन्सी से काम करावे; पर यह समझ कर चले सरकार की नगरपालिका या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अलग अलग रूप से काम कर सकेंगे, ये मिल कर इस भविष्य में होने वाले खतरे का समाधान कर लेंगे, यह असम्भव है। न नगर परिषद् यह काम कर सकेगी और न अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के यह बूते की बात है और न इनमें यह क्षमता है। सरकार स्वयं अपनी एजेन्सियों के मार्फत या कोई दूसरी इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी मुकर्रर करके बरसात से पहले पहले इस भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए और भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का समाधान करने के लिए जो धनराशि सरकार ने स्वीकार की है उसे खर्च करे और वार फुटिंग पर उन एजेन्सियों से काम करावे तो परिस्थिति का मुकाबला सरकार कर सकेगी।

गन्दे नाले के कारण आज भी प्रोब्लम है। इसका जिस जगह डिस्चार्ज होता है वहां बस्तियों में, आसपास की बस्तियों में, गन्दगी फैल गई है और फैल रही है। छः सात फीट उसमें छोड़ी गई मिट्टी हटाई नहीं गई। खेत उसमें दब गये। राहत नहीं मिली। जिन किसानों के खेत दब गये उनको कोई राहत नहीं दी गई। न उनको तकावी दी गई। बदकिस्मती तो यह है कि पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले देहात के किसानों को पंचायत तकावी दे देती है, लोन भी उसे मिल जाता है। पर शहर में रहने वाला किसान उससे वंचित रहता है। उसको यदि किसी प्रकार का लोन और तकावी देना है तो वह सुविधा उसको नहीं है जो पंचायत समिति के काश्तकार को है। तो जयपुर का काश्तकार उस सुविधा से भी वंचित रह गया। इस हालत में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गन्दे नाले को ठीक नहीं कराया तो हाइजिनिक पोइन्ट ऑफ व्यू से नुकसान हो रहा है लेकिन यह नाला आगे जाकर बस्तियों को बरबाद करता है और वह बरबाद करता जायेगा जब तक कि इसको कवर-अप कराने का काम सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी। नारी का नाका जिस हालत में टूटा था आज उसी हालत में है। १० फिट गहरा था वह गहराई न रह-कर जो उसका बंधा है उसके बिलकुल लेवल में है। आज उसमें पानी बढ़ने की आवश्यकता है। नाहरगढ़ से जो पानी नीचे आयेगा वह उसी नारी के नाके में आयेगा और वह जयपुर के चांदपोल बाजार और उसके पास के हिस्सों में खास कर के उसी प्रकार से मिट्टी और बाकी का कचरा लेकर शहर में छोड़ने वाला है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने आज तक उसका इन्तजाम किस हद तक किया है? नाहरगढ़ के जो नाले टूटे और जो कैचमेंट एरिया था और जो अलग अलग नाहरगढ़ किले के ऊपर टैंक थे उनकी मरम्मत के लिए कोई काम नहीं किया है, ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने के लिए हमारी सरकार ने वादा किया था मुझे इस लिस्ट को देखने से पता लगता है कि सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए १५-१६ लाख रुपये की राशि निर्धारित की है। लेकिन उसमें से एक पैसा खर्च नहीं हुआ। सरकार जिस समय बाढ़ आए उसी समय उसे रोकने का प्रयत्न करे तो

(श्री भैरोंसिंह)

इससे न तो जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत मिलने वाली है और न जो सरकार की मन्शा है कि समय पर पैसा खर्च करके आने वाले संकट का मुकाबिला करने की स्थिति पैदा की जाये, वह स्थिति भी पैदा नहीं होती। इसलिए मैं सदन का और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ आपने धनराशि निर्धारित की है, ड्रेनेज के सिस्टम में, बाढ़ के कन्ट्रोल करने के लिए और बाढ़ से नुकसान नहीं हो, इसको बचाने के लिए ३५ लाख रुपये की स्कीम वह स्टेजेज़ में करने का विचार कर रहे हैं, वह करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि फर्स्ट स्टेज के अन्दर उस धनराशि में इतना अमाउन्ट निश्चित रूप से खर्च कर देना चाहिए कि दो महीने के बाद जो वर्षा होने वाली है उससे लोगों को वही परेशानी न भोगनी पड़े जो कि एक साल पहले भोगी है। इसी संबंध का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): चेयरमैन महोदय, जयपुर नगर में अगस्त, १९६४ में लगातार १ सप्ताह में लगातार १ सप्ताह तक भीषण वर्षा हुई थी। जिसमें से दो दिन में जयपुर नगर में १४ इंच से अधिक वर्षा हुई। इस वर्षा से जयपुर नगर को भारी क्षति पहुंची। नारी का नाका बांध टूट जाने के कारण कई भागों में सड़कें टूट गई व कच्चे मकान गिर गए। जो कच्ची बस्तियां नीचे इलाकों में स्थित थीं उनमें पानी भर जाने के कारण बहुत से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। बाढ़ से इतनी हानि होने के दो-तीन मुख्य कारण थे। शहर में मकान बहुत ज्यादा बन जाने के कारण अब पानी के जमीन में जज्ब होने की जगह कम हो गई है, जिससे वर्षा का पानी नाला बन कर बहता रहता है। कई नई सड़कें बन जाने के कारण पानी के प्राकृतिक बहाव में रोक आ गई है और नाहरगढ़ किले के तालाब में पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए जो पुरानी नालियां बनी हुई थीं वे बहुत दिनों से उपयोग में न आने के कारण टूट चुकी थीं, जिससे उनका पानी भी पहाड़ में होकर शहर की तरफ आ गया।

सरकार ने बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायतार्थ दो प्रकार के कदम उठाये। पहले तो जिन लोगों के घरबार टूट गए थे उन लोगों को तात्कालिक सहायता पहुंचाना था, इसके लिए शहर में ६-७ शिक्षण संस्थाओं के स्थान काम में लिए गए व वहां बिना मूल्य खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया। इसके अनुसार लगभग १५० मन पूरियां सरकार की तरफ से और कुछ सहायता जनता की ओर से पहुंचाई गई। लगभग २५ हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी इन लोगों को दी गई। विशेष प्रबंध से करीब ७५ टन जी० सी० शीट्स का प्रबंध किया गया और बाढ़ पीड़ित लोगों को बांटा गया।

इसके अलावा भविष्य में इस तरह की बाढ़ से जो लोग खतरे वाले इलाके मे बसे हुए हैं उनको दूसरी जगह बसाने के लिए करीब ५०० प्लॉट्स का बन्दोबस्त अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, अगर आज्ञा हो तो मैं धारूजी को जगा दूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इनमें से ३०० प्लाट्स अर्बन इम्प्रूमेंट ट्रस्ट ने तहसीलदार, जयपुर को बता दिये हैं और बाकी २०० प्लॉट्स को शीघ्र ही बताने वाले हैं। इन प्लॉटों को उन्हीं को दिया जावेगा जिनके मकान पानी के बहाव के आसपास हों और यदि भविष्य में फिर ऐसी बाढ़ आवे तो उनके मकान बह जाने का खतरा हो। सबसे जरूरी चीज यह थी कि भविष्य में यदि ऐसी भयंकर बरसात हो तो बाढ़ का संकट कम कैसे किया जा सके तथा जयपुर शहर की जनता को उससे कैसे बचाया जा सकता है, इसका विचार करना। इसके लिए सरकार ने चीफ इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी० की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। समिति की रिपोर्ट अभी सरकारी तौर से सरकार के पास नहीं आई है, परन्तु चीफ इन्जीनियर ने सरकारी आदेश पर वे बहुत जरूरी काम जो आगे बताये गये हैं शुरू कर दिये हैं। रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस पर पूरी तौर से गौर करेगी।

ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार इस सारे काम को करने में करीब ३५ लाख रुपया खर्च होगा। काम को तीन फेज़ेज में बांटा गया है और उन तीनों फेज़ेज का अनुमान इस प्रकार है :

पहला फेज़	—	११,३०,००० रु०
दूसरा फेज़	—	१२,००,००० रु०
तीसरा फेज़	—	११,७०,००० रु०

रिपोर्ट के पहले फेज़ में जो काम बताये गये हैं उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:—

१. नाहरगढ़ किले की पानी की नालियों का संस्कार	—	५,००० रु०
२. रघुनाथगढ़ व आमागढ़ किलों में पानी की नालियों का संस्कार	—	५,००० रु०
३. चार दरवाजे के बाहर एक पुल व एक जल-प्रपात बनाना	—	२६,००० रु०
४. गंगापोल गेट के बाहर एक जल-प्रपात बनाना	—	२८,००० रु०
५. गंगापोल गेट के बाहर पुल बनाना	—	२४,००० रु०
६. नारी का नाका के पानी को घुमाने के लिए नाले का पुनर्गठन	—	३०,००० रु०
७. नाग तलाई नाले में दूसरा जल प्रपात बनाना	—	२५,००० रु०
८. शहर के वर्तमान नालों को सुधारना	—	५०,००० रु०

इनमें से २,६७,००० रु० के काम शुरू हो गये हैं और उन पर पर्याप्त मात्रा में प्रगति

(१.४५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हो रही है । जो काम सबसे आवश्यक हैं वे अगली बरसात से पहले पूरे कर दिये जायेंगे, जैसे नारी के नाके पर नाले का घुमाव, व चार दरवाजे के बाहर जल प्रपात बनाना, गंगापोल के बाहर जल प्रपात बनाना एवं पुल बनाना आदि । इसके अतिरिक्त ३–४ लाख का काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जावेगा ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने जयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्यों के पास एक सूची भेजी है कि जिसके अन्दर जिस पर डबल टिकमार्क किया गया है वह काम–काज शुरू किये जा चुके हैं और जिन कामों के ऊपर एक टिकमार्क किया हुआ है उन कामों के लिए भी जिन सारे कामों का खर्चा कुल मिलाकर के ६ लाख ७८ हजार ५०० रुपये होंगे उसकी स्वीकृति भी इसी सप्ताह के अन्दर दे दी जायेगी कि जिससे वह कामकाज भी हाथ में ले लिये जायेंगे और जल्दी से जल्दी उन कामों को भी पूरा कर दिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड जयपुर की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई खर्चा किया गया है, इसके भी आंकड़े हों तो बता दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब जो योजना चीफ इन्जीनियर पी० डब्लू० डी० की चेयरमैनशिप में बनी है वह आ जायेगी तब उसमें से म्युनिसिपल बोर्ड कितना काम करने के लिए तैयारी रखती है उसकी चर्चा करूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या अभी इस सम्बन्ध में तैयारी म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से नहीं की गई है और क्या अभी भी धन कोई व्यय नहीं किया गया है; आपके ज्ञान में कुछ ऐसा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको किसी प्रकार की रुकावट नहीं है इस काम को करने के लिए लेकिन उन्होंने कितना खर्च किया धन इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी कॉल अटेन्शन नोटिस था और जिसका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारी स्कीम में आपने जो मोती डूंगरी स्कीम इन्क्लुड की है उसमें जो ड्रेनेज की व्यवस्था की है उसमें जितना पानी आता है वह मेन्टल हॉस्पिटल की साइड से आदर्शनगर आता है और आदर्शनगर होता हुआ जब वह आता है तो उसके ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक मोती डूंगरी की व्यवस्था न तो सक्सेसफुल हो सकती है और न आपकी समस्या हल होने वाली है । पिछली बार भी आपको मालूम होगा कि आदर्शनगर की सड़कों के बारे में जब सवाल खड़ा हुआ तो आपने महसूस किया कि आदर्शनगर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके कारण जो सड़कों के निर्माण पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
खर्चा कर रहे हैं. उसको चाहे अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करे या नगरपालिका करे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदर्शनगर की तरफ से पानी आता है और मेन्टल हॉस्पिटल की तरफ से पानी आता है और गुरुनानकपुरा में हिल साइड से आता है उसकी ड्रेनेज की व्यवस्था ऐसी की जाये और उसको भी स्कीम में इन्क्लूड किया जाये जिससे जो ओरीजिन है वाटर सोर्स का उस वाटर को चेनेलाइज किया जा सके और जो ड्रेनेज की स्कीम है जो आपने अभी ३५ लाख की बनाई है जिसको आप तीन फेजेज़ में पूरा करने वाले हैं. पहले फेज में ६-७ लाख रुपया खर्च करेंगे, उस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि उस सारे पोर्शन को किया जाये और फिर स्कीम की वर्कआउट किया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री डूंगाराम : लाल डूंगरी के लिए..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां के बाहर के सदस्य भी हिस्सा लेने लगें तो पर्याप्त समस्या होगी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक टैक्निकल मैटर है जिसके बारे में मैं तत्काल नहीं कह सकता कि कौनसा नाला किधर से किया जायेगा। इसके बारे में यह मान कर चलना चाहिए कि फ्लड में खास तौर से इस बात पर विचार किया जाता है, सारी ड्रेनेज की स्कीम को इस योजना के अन्दर नहीं सोचा गया है इसलिए आदर्शनगर में कोई फ्लड होता होगा तो चीफ इन्जीनियर साहब ने जो कि यहां बैठे हुए सुन रहे हैं उन्होंने इस का सारा नोटिस लिया होगा।

जोधपुर क्षेत्र में पी० डब्ल्यू डी० के कर्मचारियों के नौकरी से हटाने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर क्षेत्र में पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों को नौकरी से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अनुसार सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर क्षेत्र में सैंकड़ों पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जहां तक मुझे सूचना मिली है कि जिन कार्यों को वे लोग कर रहे थे, सड़कों के ऊपर काम करते थे वह काम समाप्त नहीं हुआ है। वह काम अभी तक जारी है और केवल उन लोगों की सर्विस ब्रेक करने की दृष्टि से ताकि उनको अपनी नौकरी में जो भी एडवान्टेजेज़ मिल सके कॉन्टीनुअस सर्विस के वह एडवान्टेजेज़ उनको नहीं मिलें, इस दृष्टि से उनकी सर्विस को ब्रेक करने की गरज से इसको किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों को जिनको नौकरी से हटाया गया है इनमें से बहुत से कर्मचारियों की सर्विस एक वर्ष से अधिक की है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी चार-चार वर्ष की सर्विस है, दो-दो वर्ष की सर्विस है और इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से हटाने से पहले अगर वे रिट्रेन्चमेंट करते भी हों और वर्क अगर खत्म भी हो गया हो तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी उनको नोटिस देना आवश्यक होता है और रिट्रेन्चमेंट बेनिफिट देना आवश्यक होता है। जोधपुर में जो लोग हटाये गये हैं उनको बावजूद इस बात के कि एक साल या २४० दिन से अधिक सर्विस होने के बावजूद उन लोगों को न कोई नोटिस दिया गया है और न किसी को भी, उन लोगों को, कम्पेन्सेशन देने की बात की गई है।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, यदि पोस्ट एबोलिश हो गई हो, काम खत्म हो गया हो और रिट्रेन्चमेट करना आवश्यक हो तो भी रिट्रेन्चमेंट आर्बीट्रेरी तरीके से नहीं किया जा सकता है। सीनियर्स के मुकाबले में जो लेटैस्ट सर्विस में आये हैं, जो सबसे पीछे सर्विस में आये हैं, जो मोस्ट जूनियर हैं उन लोगों को पहले हटाया जाना चाहिये और जो सीनियर हैं उन को रखा जाना चाहिये। मेरी सूचना के अनुसार, मेरे पास फेक्ट्स भी हैं कि जो लोग हटाये गये हैं उनकी सर्विस काफी लम्बी है और जिन लोगों की थोड़े दिनों की सर्विस है, बहुत जुनियर हैं उनको सर्विस में अभी तक बाकायदा रखा गया है। उपाध्यक्षजी, इतना ही नहीं सर्विस में ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ मोरल टर्पीट्यूड के चार्जेज़ हैं, एक व्यक्ति जो पुलिस से निकाल दिया गया मोरल टर्पीट्यूड की बिना पर उसका नाम मि० घीरमल है उसको यहां सर्विस के अन्दर बाकायदा रखा गया है। वे लोग जो रिटायर हो चुके हैं और काम करने के काबिल नहीं हैं उन लोगों को नौकरी में रखा गया है। एक मि० देवीलाल हैं, एक मि० मोतीलाल हैं, एक मि० लालभोर है, ये लोग काफी बूढ़े हैं, काम जिनसे होता नहीं है, जो शख्स रिटायर हैं ऐसे लोगों को बाकायदा रखा गया है और बाकी लोगों को निकाला गया है, तो मुझे उपाध्यक्षजी, आपके जरिये यह निवेदन करना है कि अव्वल तो जिन स्थितियों में रिट्रेन्चमेंट करने का डिपार्टमेंट को अधिकार है या काम बिल्कुल केजुअल नेचर का है और काम खत्म हो गया है तभी हटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में नहीं हो कि काम कन्टीन्यू हो तो ऐसी स्थिति में किसी रिट्रेन्चमेंट करने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिये।

नं० २, यदि रिट्रेन्चमेंट करना हो तो जुनियर का पहले होना चाहिये, सीनियर का नहीं होना चाहिए।

नं० ३, ऐसे लोग भी हैं जिनकी सर्विस एक साल से अधिक की है। ऐसे लोगों को बाकायदा नोटिस मिलना चाहिये।

इसलिये उपाध्यक्षजी, जो भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में जोधपुर में हुई है यह सब की सब गैर-कानूनी और इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के खिलाफ है। इसलिए जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है इनको वापिस रिइन्स्टेट उसी डेट से कॉन्टीनुअस सर्विस मान कर किया जाना चाहिये। चूंकि यह सब स्थितियां तथ्यों के प्रतिकूल, कानून के खिलाफ हैं, यह सब कार्यवाही की है इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इसमें हस्तक्षेप करके इस तरह की गैर-कानूनी स्थिति को देखें और उनको वापिस काम पर लगाने की घोषणा करें।

श्री हरिश्चन्द (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्षजी, इस विभाग के जोधपुर क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक सेवा वाले किसी वर्क चार्ज श्रमिक की छटनी नहीं का गई है। कुछ दिनों पूर्व उपरोक्त वर्क के जोधपुर खण्ड में कुछ वर्कचार्ज श्रमिकों की छंटनी अवश्य की गई थी, लेकिन वे सभी श्रमिक एक वर्ष से कम सेवा के थे। उन्हें केजुअल श्रमिक के रूप में कार्य विशेष के लिए रखा गया था। वह कार्य समाप्त होने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जानी आवश्यक थीं। आम तौर से विभाग में आपात्‌कालीन सड़क मरम्मत कार्यों के लिए विशेषतः वर्षा ऋतु के बाद श्रमिकों की केजुअल आधार पर भरती की जाती है। वह इन कार्यों के समाप्त होते ही जिसको करीबन ४-५माह लग जाते हैं ऐसे श्रमिकों की सेवाएं समाप्त करदी जाती है। गत दिनों जोधपुर वृत के नागौर, डीडवाना तथा शहर खण्ड प्रथम व द्वितीय में क्रमशः ३०, १०, व २० केजुअल श्रमिकों की सेवाएं समाप्त की गई थीं। इस प्रकार जोधपुर खण्ड में कई श्रमिकों की दिनांक २४-४-६४ में गोदाम में अकाल कार्य के लिए आवश्यक गेंती, फावड़े आदि की व्यवस्था रखी गई थी ये सेवाएं राहत के लिए शुरू की गई थीं, निर्माण कार्य पूरा हो जाने के कारण समाप्त की गई हैं। चूंकि उपरोक्त श्रमिकों की सेवा-अवधि एक वर्ष से कम थी अतः नियमानुसार उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस अथवा मुआवजा देना विभाग के लिए अनिवार्य नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने इसको तो स्वीकार किया है कि एक साल से अधिक वालों को हटाने का वगैर नोटिस के अधिकार नहीं था और उनका यह भी कहना है कि एक साल से अधिक की नौकरी वालों को किसी ने नहीं हटाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह तथ्य है जैसे गोदाम का ही कहते हैं जोधपुर में इसमें भी मुलाजिम जो २४-२-६४ में जिनकी मुलाजमत शुरू हुई हैं वह ८-६ नाम मेरे पास हैं उनको हटाया है; मि० द्वारकानन्द जोश, भंवरलाल, मांगीलाल लुहार....

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना यह है कि अग र२४०दिन तक

(२.०० म. प.)

वेकन्टीन्युअस काम करते हैं तो उनको कम्पेन्सेशन और नोटिस देना जरूरी होता है और अगर कोई ऐसी वर्कर्स की सूची आपके पास हो कि जिन्होंने २४० दिन से ज्यादा काम किया है और उनको कम्पेन्सेशन और नोटिस नहीं दिया गया है तो आप बता दें. सरकार उसके लिये उचित कार्यवाही करेगी। लेकिन अगर इससे कम है, जैसी मेरे पास सूचना है, मैंने तहकीकात करके, तहकीक, दो-तीन दफे जानकारी करके यह आपको कह रहा हूं। जो २४० दिनों से कम के श्रमिक हैं उनको नोटिस और कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात तो ठीक है कि २४० दिन से अधिक के नौकर को हटाया होगा तो उसकी पूर्ति के लिये आप तैयार हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि २४० दिन से कम वालों को भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हटाने का कानूनी अधिकार नहीं है। आप उनको तभी हटा सकते हैं जब वर्क कन्टीन्यू नहीं हो। आप उन लोगों को हटा कर दूसरे लोगों को उनके एवज में नहीं रख सकते। आप मरम्मत के लिये गेंग को रखते हैं। आज एक गेंग एक सड़क पर काम करता है, उस सड़क का काम समाप्त हो गया तो उस गेंग को आप दूसरी सड़क की मरम्मत के लिये भेजते हैं, इस तरह से आप गेंग रखते हैं। यह नहीं कह सकते कि मील नं० १ पर काम खत्म हो गया और मील नं० ३ पर सड़क का काम चालू है तो आप यह नहीं कह सकते कि यह नया काम है, इसलिये इनको नहीं रखा जा सकता।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह का काम कन्टीन्यू हो रहा है। इस प्रकार के लोगों को भी जिनकी नौकरी २४० दिनों से कम है और अगर उनको हटाया गया है तो वह भी गैर-कानूनी है। क्योंकि वह केजुअल नेचर का वर्क है। होता यह है कि उनको या तो वहां से हटा दिया जाता है या उनकी सर्विस ब्रेक करके रखा जाता है। आपके यहां पर इन्डस्ट्रीयल लेबर कन्सर्न की कमी है। आप यह एश्योरेन्स दे दें कि इस तरह से लोगों को नहीं निकाला जावेगा और उनकी सर्विस को ब्रेक नहीं किया जावेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि ये लोग पहले इसलिये भर्ती किये गये कि वर्षा के बाद सड़क खराब हो जाती है। हमारे नोरमल गेंग काम करते हैं और चूंकि आदमियों की कमी पड़ जाती है तो हम टेम्परेरी लेबर को रखते हैं। जैसे फेमिन रिलीफ वर्क खत्म हुआ तो हमने हमारे यहां पर वर्क कन्टेन्टमेंट को देख कर रख दिया, चूंकि वह अब काम खत्म हो गया इसलिये इन लोगों को हटाया गया है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं इसकी जानकारी करने की कोशिश करूंगा कि उनको टेम्पोरेरी ब्रेक करके रख लेते हैं, ब्रेक से उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलता अगर ऐसा है तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : या उनको हटा कर दूसरों को रख लेते हैं। वर्क कन्टीन्यू रहता है फिर भी उनको हटा दिया जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो मैंने कहा कि हम वर्षा के समय सड़कों की रिपेअर करने के लिये लोगों को रख लेते हैं। आपने बताया है तो मैं जानकारी करूंगा और अगर आपके पास नाम हों तो मैं स्पेसिफिकली पूछ सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक साल वाले हैं उनके लिये तो सेटिसफेक्ट्री रिप्लाई आपने दे दिया। जैसे वर्षा में काम नहीं हो रहा है। उनको फरवरी में हटाया है। होता यह है कि आपके डिपार्टमेंट में काफी लोगों को रखा जाता है और वे काफी अर्से तक चलते रहते हैं। वे नाम के केजुअल हैं। वे कहते हैं कि हम सेमी-पर्मानेन्ट हैं। हमको सेमी-पर्मानेन्ट का स्टेटस दिया जावे। इसके लिये उनको हटाया जा रहा है या उनकी सर्विस ब्रेक करके वापिस उनको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रख लिया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको कन्टीन्युअस रखा जावे। वे यह समझते हैं कि अगर कन्टीन्युअस रखा जावेगा तो उनका क्लेम हो जावेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो हर चीज को एग्जामिन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अगर किसी आदमी ने २४० दिनों से ज्यादा काम नहीं किया तो प्रावधान के अनुसार उसको नोटिस देना जरूरी नहीं है। अगर वह २४० दिनों से ज्यादा काम करता है और रहता है तो उसको कम्पेन्सेशन और नोटिस देना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

२.०८ म० प०

पाली जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, पाली जिले में वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यवाहियों से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के क्षेत्र के आसपास बसने वाले आदिवासी हैं और पशुपालक लोग हैं जिसमें राइके लोग हैं जिनके साथ में ज्यादतियें हुई हैं और मन माने तरीके से वन विभाग ने उनसे पैसे वसूल किये हैं और ज्यादतियां की हैं जिनकी दर्दनाक कहानी है। मैं उन सारी बातों में नहीं जाऊंगा। कुछ गिनी हुई बातें ही आपके सामने रखूंगा और आप उस पर ध्यान देकर उन लोगों को जो अधिकतर काश्तकार लोग हैं, उनको राहत दिलाने की कार्यवाही करेंगे। ये जो पशुपालक लोग हैं वे वन विभाग के फैले हुए क्षेत्र के आसपास रहते हैं और वन विभाग के कर्मचारी यह उन पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग जंगल को बरबाद करना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी भारी सोचने की बात है। उनका ऐसा कहना मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी भारी भूल है। मैं यह कहूंगा कि वे लोग वास्तव में जंगल के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और किस तरह से जंगल को पनपाया जाए, इस बात को वे समझते हैं। जब कभी जंगल में आग लग जाती है और किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वे लोग अपने जीवन को जोखम में डाल कर जंगलों को बचाने के लिये प्रयत्न करते हैं। इसलिये यह कहना कि वे लोग जंगलों को बरबाद करने में लगे हुए हैं, यह उचित नहीं प्रतीत होता है। कानून के अन्तर्गत उनको भी कुछ हक दिये गये हैं इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह कहना वे लोग जंगलों को बरबाद करने पर तुले हुए हैं तो यह बड़ी भारी भूल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर सरकार उनकी समस्या पर ध्यान दे तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने चराई के लिये रूल्स बनाये हैं और चराई की रेट्स तय की हुई हैं। मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो रेट मुकर्रर हैं उनसे वे लोग दो-तीन रुपये ज्यादा ले लेते हैं। मैं आपको जोनावर और नाना बेड़ा की बात कहता हूं। इधर जो १७ हजार की वसूली की है उससे कहीं अधिक वसूली कर्मचारियों ने उन गरीब लोगों से की है। मैं यह कहूंगा कि आप इसकी जांच करावें तो आपको मालूम होगा

(श्री मोहनराज)

भील लोगों ने इसकी शिकायत की है और उनसे वन विभाग के कर्मचारी नाराज हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी पूरी तरह से जांच कराई जावे। हुआ यह है कि जिन लोगों से पैसा वसूल किया गया है ज्यादा उनको उल्टा उनकी हरकतें नाजायज बना कर, उनको मुलजिम बना कर उनकी जांच की गई है। यह बिल्कुल उल्टा ही रिवाज है। वास्तव में यह बड़ी अजीब बात है कि उनसे ज्यादा पैसा वसूल किया जाए और उनको ही मुलजिम बनाएं।

दूसरी बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि वन विभाग की सीमा पर बहुत सारे उन आदिवासियों के खेत आये हुए हैं। वहां पर जंगल में काश्तकारों के मवेशी चरने जाते हैं। उनके खेतों में मवेशियों के, पशुओं के बैठने से काश्तकारों को खेत में खाद उपलब्ध होती है, लेकिन आपके वन विभाग के अधिकारी इस तरह रोक लगा दें कि काश्तकार जिन खेतों के लिए बीघोड़ी भरते हैं उन खेतों के अन्दर वन विभाग के अधिकारी मवेशी और पशु नहीं बैठने देते हैं। यह मनमाना अधिकार है और यह नियमों के प्रतिकूल है इसलिए आप शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी करके जो मनमानी और ज्यादती की जाती है उसको रोकने की कोशिश करें। आप पूछेंगे कि वन विभाग के अधिकारी इस तरह की कार्यवाही क्यों करते हैं ? मैं कहता हूं कि इस तरह के आदेश निकालते हैं और रोक लगाते हैं कि इससे काश्तकारों से उन्हें नाजायज आमद इस तरह ज्यादती करने से प्राप्त हो सकती है। यही इसका एक-मात्र कारण है, इसका दूसरा कोई कारण नहीं है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जंगल अमूमन बीस जून को बन्द हो जाते हैं और एक जुलाई से वापिस मवेशियों को जंगल के अन्दर चरने की इजाजत दे देते हैं। यह हर वर्ष का रिवाज है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करके मवेशियों को चराने की कई दिनों तक इजाजत नहीं देते हैं। और जब किसी न किसी प्रकार गलत तरीके से उनकी भेंट पूजा की जाती है तब वह इजाजत दे देते हैं। इस तरह से उन लोगों का बहुत बड़ा शोषण होता है। इसलिए इस चीज को मिटाना चाहिए और नियमों के अन्तर्गत तत्काल इजाजत दे दी जाय इस तरह की व्यावस्था करनी चाहिए ताकि पशुपालकों का हित हो सके।

तीसरी चीज यह है कि वन विभाग के जितने अधिकारी हैं वह मनमाने ढंग से किसी जंगल को कभी खोल देते हैं और कभी बन्द कर देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में अपने विचार रखिये।

श्री मोहनराज : इस सम्बन्ध में मेरी बात वन मंत्री से हुई है और अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है। नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि दस वर्ष के बाद जंगल चराई के लिए खुला कर दिया जाय। लेकिन अब तक उनको खुला नहीं किया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि....

श्री उगमचन्द : I hope, the Hon'ble Minister is listening.

श्री मोहनराज : जो सारे वन क्षेत्र हमारे सब-डिवीजन में आते हैं वहां पन्द्रह-पन्द्रह और सतरह-सतरह वर्ष जंगल को कटे हुए हो गये लेकिन वह अब भी बन्द हैं और अब भी वन विभाग के अधिकरियों ने रोक लगा रखी है जो कि नियमों के प्रतिकुल है। और इसलिए ऐसा किया गया है कि कहीं से कोई बात हो जाय तो वह यह छूट दे दें। मैं यहां तक कहूंगा कि उन जंगलों की कटाई बन्द की गई दस साल के बाद, उसके बाद दो दो वर्ष तक उनमें मवेशी चरे हैं लेकिन जब उनकी शिकायत की गई कि जंगल बन्द करने और खोलने में मनमानी करते हैं तो खुले हुए जंगलों को बन्द कर दिया और वहां पर यह कह दिया कि राज्य सरकार से बीस वर्ष का हुक्म आ गया है इसलिए बीस वर्ष के बाद ही खोला करेंगे। इस प्रकार जंगलों को खुला करने के बाद में बन्द कर दिया। इस प्रकार वहां पर ज्यादती हुई है। मैं इन बातों को इसलिए ध्यान में ला रहा हूं कि यह मनमानी बन्द हो और लोगों को सहूलियत हो।

इसके अलावा दूध पीते मवेशियों और पशुओं की चराई–वसूली को बन्द करने का सवाल है। जोधपुर में पहले यह नियम था कि बड़े मवेशियों के साथ में दूध-पीते जानवर, गाय–भैंसों के साथ में जो बच्चे चराई के लिए जाते थे उनके ऊपर चराई–वसूली नहीं की जाती थी। अब उन्होंने फिर लोगों को तंग करने के लिए इस प्रकार चराई–वसूली करना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे और आवश्यकता हो तो नियमों में परिवर्तन भी कर देंगे कि दूध-पीते मवेशियों पर चराई वसूली न की जाय। इस तरह का प्रावधान कानून में किया जाय।

इसके साथ ही जो बहुत सारी गोचर की जमीन थी वह वन विभाग वालों ने घेरे में ले ली है और घेरे में लेकर दीवार खड़ी कर दी है. उनको घेरे में लेकर बाड़ा बना लिया है। इससे पशुओं की चराई में दिक्कत होती है। जो बाड़ के अन्दर जमीन है, वह गोचर की जमीन है, उस गोचर की जमीन के बारे में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और गांव के मवेशियों को वहां चराने का अधिकार दिया गया है। गांव के मवेशियों के लिए वापिस इजाजत दी गई है कि वह गोचर की जमीन में मवेशियों को चरा सकते हैं। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने दीवार खड़ी करके उनको रोक दिया है। गांव वालों ने कोशिश की है और जिन्होंने गोचर की जमीन में मवेशियों को चराया है उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं, और आज भी चल रहे हैं। इस तरह से उन लोगों के साथ हैरानगति हो रही है और कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाय क्योंकि इसके अन्दर कानून की खिलाफवर्जी ही नहीं करते हैं बल्कि लोगों को हैरानियत भी हो रही है।

इसके साथ ही कई जगहों पर गोचर की जमीन को प्लान्टेशन के लिए लिया गया था। कोटा में, भीलवाड़ा में और सादड़ी में इस तरह की गोचर भूमि ली उसमें प्लान्टे-

(श्री मोहनराज)

शन हुए छः साल, आठ साल हो गये हैं, जब कि आपने वह गोचर भूमि पर चार-पांच वर्ष के लिए ली थी, अब वह जमीन, जिसे कि आपने प्लान्टेशन के लिए लिया था और प्लान्टेशन हो चुका है वापिस ग्राम पंचायत को लौटानी चाहिए। आपने इस सम्बन्ध में इकरारनामा किया था और उसको आप मानेंगे भी। लेकिन आज उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है इससे गांव वालों में रोष है। इसलिए इसकी व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाय....

श्री भीखाभाई : काहे का इकरार-नामा ?

श्री मोहनराज : इकरारनामा यह कि प्लान्टेशन लगाने के लिए ग्राम पंचायत की गोचर की जमीन को, पड़त जमीन को, अपने कब्जे में लिया था वहां दरख्त लगाने के लिए और यह उसमें था कि जब तीन–चार वर्ष के अन्दर प्लान्टेशन हो जायगा तो वापिस वह भूमि मवेशियों की चराई के लिए सौंप देंगे। यह इकरारनामा है। इसके माफिक वह जमीन वापिस सौंप देनी चाहिए लेकिन दस-दस वर्ष हो गये हैं लेकिन उस जमीन को वापिस नहीं सौंपा है। इससे गांववालों को परेशानी है।

इसके अलावा जो गोचर की जमीन है वह भी....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय ले लिया है।

श्री मोहनराज : खातेदार बन कर अपने कब्जे में ले ली है और उस पर दीवार खड़ी कर दी है। इस तरह के कई उदाहरण हैं, जब पाली के कैलेक्टर, डी० एफ० ओ० जोधपुर और दूसरे लोग आये थे तो उनको यह बताई गई थीं और इस तरह के मौके बता दिये थे और यह बात बता दी गई थी कि किस प्रकार ज्यादती हो रही है। इसको शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाय जिससे वहां पर पशुधन के लिए सुविधा हो और लोगों के सामने से कठिनाई भी दूर हो सकें। लेकिन इस सम्बन्ध में कार्यवाही न होने की वजह से जो बहुत बड़ा पशुधन राजस्थान के अन्दर है और जो पशुओं का वर्ग है वह मुसीबत के अन्दर है और उसकी जान खतरे में है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जहां भी आपके नियमों के प्रतिकूल कोई बात हो रही है वहां व्यवस्था करके तत्काल राहत दें। और नियमों में आवश्यक संशोधन करके भी जो मुसीबत आदिवासियों को, पशु-पालकों के सामने है उसको शीघ्रातिशीघ्र खत्म करके उनको राहत पहुंचायें। यह मुझे निवेदन करना था।

श्री दलपतसिंह (आबू) : एक मिनट के लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : इससे आपका सम्बन्ध नहीं है।

श्री भीखाभाई : आपका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के अनुसार अन्त में आप प्रश्न पूछ लें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : इम्पोर्टेन्ट मसला है, एक साथ सब प्रश्न रख

(श्री चन्द्रसिंह वर्मा)

दिये जायं तो मंत्रीजी को जवाब देने में आसानी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के अनुसार बाद में प्रश्न पूछने चाहिए। बाद में आप जानकारी ले सकते हैं।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : एक बार ही तकलीफ करनी पड़े इसलिए सब रख दें।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो बाली मे आते हैं, उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि उनके यहां पर मवेशियों की चराई के लिए कुछ दिक्कतें हैं। वैसे उनकी ओर से एक पत्र मुझे पहले भी मिला था। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में एक बात कही और उस बात पर जोर भी दिया और वह बात यह है कि नियमों के अनुसार अगर चराई करने के लिए इजाजत है तो वह इजाजत उनको मिलनी ही चाहिए, और किसी प्रकार की दिक्कत करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं और उस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये भी गये हैं। माननीय सदस्य ने कुछ पत्र या उनके कुछ साथियों ने कुछ पत्र हमारे पास भेजे है उस सम्बन्ध में मैंने कुछ इन्क्वायरी भी कराई, कुछ इन्क्वायरी इस प्रकार की भी है कि उनके खिलाफ एन्टी-करप्शन के अन्दर इन्क्वायरी दी गई है। जहां तक हमारे विभाग का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स, जिनका जुरिस्डिक्शन उसमें है, वहां भेजा था। उन्होंने वहां स्थानीय एम० एल० एज० और डी० एफ० ओ० को साथ लेकर दौरा किया था। कुछ दिक्कतें वहां हैं, जहां तक उस जगह का प्रश्न है कि किस प्रकार वहां डिमार्केशन हो, तो डिमार्केशन करने के बाद में फेंसिंग का सवाल, तारबन्दी और पत्थरगढ़ी हुई है, उसमें भी लोगों को कुछ दिक्कतें पैदा हुई हैं। मैं यह मानता हूं कि उस प्रकार की दिक्कतें वन अधिकारियों के द्वारा, जो अभी नाजायज ढंग से की गई हैं, नहीं की जानी चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही कानूनी रूप से हो सकती है वह की जायगी। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि...

श्री मोहनराज : कार्यवाही क्या की जायगी ? री-सैटलमेंट होगा फोरेस्ट का।

श्री भीखाभाई : आप सुनिये। उसकी जरूरत नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर जो एरिया बताया गया है कि चराई के लिए बहुत कम एरिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाना और बेड़ा के ब्लॉक्स के बारे में निवेदन करूं कि नाना के अन्दर ६३३८ एकड़ जमीन है और लगभग १ हजार एकड़ के अन्दर फेंसिंग हुआ है और लगभग ८ हजार एकड़ खुला हुआ है। और साथ साथ में बेड़ा के अन्दर ११६२२ बीघा जमीन है। उसमें से ६६० एकड़ पर हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ११६२२ एकड़ है और इसमें ६७० एकड़ पर क्लोजिंग हो गई। इसके साथ में नाना, बेड़ा की गोचर भूमि है उसके बारे मे मैं बताना चाहता हूं कि वह ६७४८ बीघा और वेस्ट लैंड ४५३

(श्री भीखाभाई)

बीघा और पड़त बिना कब्जा २०७० बीघा, कुल मिला कर चरागाह के काबिल जमीन ६६५८ बीघा है। इसी तरह बेड़ा में मैं निवेदन करूंगा कि उसमें गोचरभूमि बेड़ा कोटार, कुमटिया, सेदला में इस प्रकार है :

बेडा में गोचर भूमि		३६० बीघा
कोटार में	,,	७६८० बीघा
कुमटिया में	,,	४७ ,,
सेदला में	,,	१७१८ ,,

यह तो हुई गोचर भूमि। अब दूसरी वेस्ट लेंड:

बेडा में	२०६६ बीघा
कोटार	४२७ बीघा
कुमटिया	२२२ ,
सेदला	६०५ बीघा

यह हुआ वेस्ट लेंड का। अब पड़त बिला कब्जा :

बेडा में	१११	बीघा
कोटार	२१६	बीघा
कुमटिया	१६०	बीघा
सेदला	२१	बीघा

इसी प्रकार बेडा के अन्दर गोचर भूमि जिसमें मवेशी चर सकते हैं वह २५७० बीघा है; कोटार में ८३२६ बीघा, कुमटिया में ४२६ बीघा और सेदला में २३४४ बीघा है। यह टोटल है जो नाना वेडा में है।

अब वहां मवेशियों की संख्या नाना में ७०५३ है व बन्दर बिरमपुरा में ६८३८, बेड़ा में ८७३४, कोटार में ६३२६, कुमटिया के १३३७ और सेदला में ४१८७ है।

मेरा यह निवेदन है कि इन तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि यहां जो स्टेटमेंट दिया है वह ठीक नहीं है और मवेशियों के लिये काफी चारा चरने को है।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्री कह रहे हैं यह ठीक है, मगर जो खबर आई हैं उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं वहीं का रहने वाला हूं। जो पड़त भूमि माननीय मंत्री ने बताई है वह तो ठीक है लेकिन जो डिमार्केशन हुआ है वहां हमारे आदिवासियों के कई खेत आये हुए हैं जिसके लिये कन्जर्वेटर ओफ फॉरेस्ट्स को भी मौका दिखा दिया कि ये हमारे खेत हैं और यह डिमार्केशन लाइन आपकी है...

श्री भीखाभाई : मैं माननीय सदस्य की भावना को समझ गया हूं और माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं। मैं यह निवेदन कर दूं कि जो कुछ कदम इस संबन्ध में लिये जाने चाहिये लिये जावेंगे और कलेक्टर से बातचीत की है और यह जो हदबन्दी की गई है इसमें जो भी सहूलियतें देने की जरूरत समझी जावेगी दी जावेंगी। यह मैं आश्वासन माननीय सदस्य को देना चाहता हूं और सरकार ने इसके लिये एक सब-कमेटी युनिफिकेशन बनाई है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर राज्य में जिस प्रकार के नियम थे उसमें भेड़, बकरी और ऊंटों को चराने की

(श्री भीखाभाई)

जगह नहीं थी और कहीं पर चराई का १०) रु० ऊंट लिया जाता था। मुझे याद है कि बाद में १०)रु० में ५)रु० कर दिये गये थे। इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि जो दूध पीते बच्चे बड़े बड़े पशुओं के साथ जाते हैं उनकी चराई नहीं ली जावे। इसके लिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारी जो कमेटी बनी है उसकी राय को लागू करने से मैं समझता हूं कि काफी राहत मिल सकेगी।

पंचायत समितियों की भूमियों के सम्बन्ध में एग्रीमेंट की बात कही गई, उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि वह इसलिये ली गई कि वन उद्योग पनपे और वृक्ष चराई के नुकसान से बड़े हो जाए। इस संबन्ध में कोई इकरारनामा नहीं हुआ था जैसा माननीय सदस्य में बताया कि १० वर्ष या १५ वर्ष के बाद हम उनको वापिस दे देंगे। हालांकि हमने जोजावर में वापिस की है। इसलिये यह प्रश्न भी हल हो जाता है।

इसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य में रिजर्व फोरेस्ट में मवेशियों में पड़ाव की मुमानियत थी परन्तु खास सूरतों में अधिकारी उचित फीस लेकर उन्हें इसके लिये इजाजत दे सकते थे। हमने इसको ध्यान में रखा है और नियम बनाये हैं। माननीय सदस्य गंगारामजी वहीं से आते हैं। उन्होंने हद–बन्दी के बारे में कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष इस प्रकार की दिक्कत पेश हुई थी और वह थी दीवार बन्दी की और मैंने उनके लिये आदेश दे दिये थे। वह काम इतना जल्दी से पूरा किया गया कि उससे उनको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। मगर इसके बारे में जो भी सुविधा हो सकती है कर दी जावेगी। मैंने इस सम्बन्ध में बातचीत भी कर ली है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सुविधा के लिये माननीय सदस्य इशारा करना चाहते हैं उसके लिये मैंने उनको आश्वासन दिया है और मैं उस आश्वासन को पूरा करूंगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : मैं दो बातें कहना चाहता हूं ; एक तो यह है कि हमारे यहां पर चिट्ठी कटती है...

श्री भीखाभाई : वह बात नहीं है।

श्री दलपतसिंह : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चिट्ठी कटती है और उस चिट्ठी पर सरपंच व पटवारी के दोनों के दस्तखत होते हैं तब उसको जायज मानते हैं। अगर सरपंच के दस्तखत हो जावें और दूसरे के नहीं हों तो वह चिट्ठी बेकार हो जाती है और इससे जो न्यू डिमार्केशन हुआ है उससे आदिवासियों को बहुत तकलीफ हमारी तरफ हुई है। डिमार्केशन लाइन आदिवासियों के घरों के नजदीक आ गई है। इसलिए आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरफ आप ध्यान दें। आपने ३० मई की लिमिट रखी है इससे भी उनको दिक्कत होती है। अक्टूबर में फोरेस्ट क्लोज हो जाते हैं और उन लोगों को तकलीफ हो जाती है और आपसे निवेदन है कि उन

Page No 81

(श्री दलपतसिंह)

लोगों की आवश्यकता और मुसीबत पर जरूर विचार करें। अक्टूबर १५ से ३० तक वह कर लीजिए, इसके बारे में आप ध्यान रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है और वह यह है कि जो पशु जंगल में प्रवेश कर जाते हैं उनको फाटक में दे दिया जाता है। इसलिए जानवरों के मालिकों को जंगलात के दफ्तर में और उनके बाद पंचायतों को भी जुर्माना देना पड़ता है। राजस्थान में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई है कि डबल जुर्माना उन लोगों को देना पड़ा है। इसलिए इनसे भी उनको बचाया जाय।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करूंगा कि चराई की दिक्कत है, मैं एक बात आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्य इस समिति के सदस्य हैं और इन सारी बातों पर उस कमेटी में विचार होगा। इस कमेटी के सदस्यों के नाम प्रकाशित हो गये होंगे, अगर नहीं हुए तो हो जावेंगे।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने डबल जुर्माना उन लोगों से कैसे वसूल कर लिया।

(२.३० म० प०)

चीनयों की सहायतार्थ एक राजस्थानी महिला के पास धन-राशि होने विषयक मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने कुछ अखबारों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर कि राजस्थान की कोई महिला के पास प्रो-चाइनीज कम्युनिस्टों के लाखों रुपये रहते हैं यह स्थगन प्रस्ताव रखा है। इस मामले में जांच से ऐसा नहीं पाया जाता है कि किसी भी महिला के पास प्रो-चाइनीज कम्युनिस्टों के लाखों रुपये रखे हों।

यह बात सही है कि राजस्थान में इन्डो-चाइना फ्रेन्डशिप एसोसियेशन, जयपुर में सन् ५८ में स्थापित हुआ, परन्तु जब से भारत व चीन के सम्बन्ध बिगड़े, इस संघ की गतिविधियां भी समाप्त हो गयीं। इन्डो-सोवियत कल्चरल सोसाइटी भी सन् ५८ में स्थापित हुई है और क्योंकि रूस के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं, इस संस्था से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यगण के पास रूसी साहित्य का आना या इनके रूस जाने में कोई एतराज की बात सरकार नहीं देखती। इसी तरह एफ्रो-एशियन फ्रेन्डशिप एसोसियेशन भी बना हुआ है और सम्बन्धित मुल्कों के साथ हमारे मित्रता के सम्बन्ध होने के नाते उनका साहित्य किसी व्यक्ति के पास आना या उन मुल्कों की यात्रा करना आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता। उक्त संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी व्यक्ति की राष्ट्र विरोधी कार्यवाही सरकार की निगाह में नहीं आई है। ऐसी हालत में यह कहना कि सरकार राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों के प्रति जागरूक नहीं है, सही नही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो स्टेटमेंट दिया है वह महिला कौन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई है ही नहीं, इस प्रकार कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : भैरोंसिंहजी ने प्रस्ताव दिया था तो किसी महिला का नाम उल्लेखित करके दिया था या जनरेलाइज किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जनरलाइज किया है, व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन में इस प्रकार के जनरलाइज प्रश्न उपस्थित नहीं किये जायं जो महिलाओं के सम्मान पर आक्षेप करें, इस प्रकार के वेग प्रश्न खड़े कर दिये जायं कि लाखों रुपये चीन से किसी महिला को मिले हैं, यह उचित नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडजोर्नमेंट मोशन में किसी सदस्या का नाम नहीं है। राजस्थान की किसी महिला के ऊपर एडजोर्नमेंट मोशन आया हुआ है और उस पर भी कोई बात रहे, यह मैं नहीं चाहता था, इसलिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल में जो उनका इन्टेलीजेंस ब्यूरो है, उस इन्टेलीजेन्स ब्रान्च से भी हमने जानकारी इस सम्बन्ध में की थी कि राजस्थान की कोई महिला कलकत्ते में रहने वाली है जिसके बारे में इस प्रकार का शक-शुबहा है या इस न्यूज के बारे में उनका क्या खयाल है, उनका भी जो लिखा हुआ आया है वह भी मैं जानकारी में ले आना चाहता हूं :

"The news is really a brain-wave of the Reporter and the name of the Intelligence Branch has been, it appears, purposely inserted to prove its authenticity and correctness. This office is not aware that a lady of Rajasthan is custodian of several lacs of rupees belonging to the Left C. P. I."

इसलिये मैंने कहा कि वहां की भी इन्क्वायरी और हमारी भी इन्क्वायरी दोनों चीजें इस बात को जाहिर करती हैं कि राजस्थान की किसी भी महिला का लेफ्ट कॉम्युनिस्ट से सम्बन्ध होना नहीं पाया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो सदन में चर्चा इस सदन की महिला सदस्या के बारे में हुई है उसके बारे में भी जानकारी करके खण्डन नहीं किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी आवश्यकता पैदा नहीं होती। सदस्या का ही सवाल नहीं है, राजस्थान की कोई महिला ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उद्योग मन्त्री।

उद्योग विभाग के संचालक द्वारा कोयले का परमिट देने विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ६ अप्रेल, १९६५

(श्री हरिश्चन्द्र)

को हस्तकला की बहस के दौरान बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ फोटो-एस्ट कॉपी सदन की मेज पर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे पहले कि निर्माण मन्त्री कुछ कहें मैं एक जानकारी का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कुछ कह जाऊं उसके बाद ही आप कहें।

पेश की थी और यह वातावरण बनाने का प्रयास किया था उस समय कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज को पार्सल जो ज्वालाप्रसाद मूलचंद ने गौरीशंकर गुप्ता द्वारा भेजी वहडाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज को पहुंचा दिया होगा। डाइरेक्टर से जानकारी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज्वालाप्रसाद मूलचन्द को कोयले का परमिट नहीं दिया गया है जिसका कि जिक्र पेश किये गये फोटोएस्ट कॉपी में पाया जाता है। न किसी भी तरह से ज्वाला प्रसाद मूलचन्द फर्म को गैर-कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज ने व्यापारी से मिल कर उसको फायदा पहुंचाया है वह बिल्कुल असत्य है और सदन को गलत-फहमी में डालना है। श्री गोधनसिंहजी का पर्सनल रिकॉर्ड बड़ा ब्रिलियेन्ट रहा है और इस तरह से गलत बातों को लाकर मेलिशियस और अनहैल्दी आक्षेप उनके बारे में लगाना माननीय सदस्य को कोई शोभा नहीं देता है। उनकी इन्टीग्रिटी एवं इम्पार्शियलिटी के बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं निस्सदेह यह कह सकता हूं कि उनको किसी प्रकार का कोई फायदा डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य ने अच्छे भले और ईमानदार ऑफिसर को सदन में मेलाइन करने की कोशिश की इसका मुझे अत्यन्त खेद है। मैं आशा करता हूं कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य आयन्दा उत्तेजित न होकर सारे तथ्यों को जानने के बाद ही इस सदन में कोई आक्षेप पेश करेंगे। बीकानेर से आये माननीय सदस्य ने एक पार्सल की खाली की एक फोटोएस्ट कॉपी पेश की जिस पर एड्रेस था, श्री गौरीशंकर गुप्ता मार्फत श्री शीशरामजी ओला, एम० एल० ए० लिखा है और यह साबित करने की कोशिश की कि शीशरामजी के द्वारा एक प्रजेन्ट डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज के लिये दी गई थी।

श्री शीशरामजी ओला, एम० एल० ए० से जानकारी करने के पश्चात् मुझे यह मालूम हुआ है कि इन्होंने न तो ऐसा कोई पार्सल प्राप्त किया था और न ही ऐसी प्रेजेन्ट डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज को दी थी। ऐसी हालत में जिस तरह से माननीय सदस्य ने श्री शीशरामजी ओला पर आक्षेप लगाया है वह भी सर्वथा असत्य है और इसका मुझे व्यक्तिगत बड़ा दुख है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सदन की मर्यादा और परम्परा को ध्यान में रखेंगे और भविष्य में इस बात का पूरा खयाल रखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य में

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस बात का भी उल्लेख किया है कि मैंने इस प्रकार की बात कही है. लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि लिया है या नहीं, यह तो वे जानें। मेरे पास जो पत्र है, वहां से आया है, फोटो है। गवर्नमेंट होस्टल नम्बर दस कमरा, केअर ऑफ शीशराम जी, नाम से आया गौरीशंकर जी। यह पार्सल उनको दे दें इस प्रकार का हवाला है। यह भी मैं नहीं कहता कि उन्होंने पार्सल ली या दी। इसका कोई हवाला नहीं दिया। मैं यह भी नहीं चाहता कि किसी माननीय सदस्य या किसी अफसर के खिलाफ कोई आक्षेप हों। मैं तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और माननीय मन्त्रीजी से इतना ही चाहता हूं कि जब यह पत्र सदन की मेज पर रखा गया है और फोटो कापी रखी गई है यदि यह गलत है तो एन्टीकरप्शन विभाग से इसकी जांच करवा ली जाय और यह साबित हो जाय कि गलत चीज रखी गई है सदन में तो मुझे कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय और दूसरी बात यह कहता हूं कि यह पत्र ज्वालाप्रसाद मूलचन्द कलकत्ता से आया है। अगर वहां इस नाम की कोई फर्म ही न हो तो ठीक है यह जाली पत्र है, मैं कहां से ले आया इसके लिए भी मुझे दण्डित किया जाय। यह भी नहीं, वह भी नहीं और पार्सल किसने लिया और किसको दिया, यदि यह है तो एन्टीकरप्शन से जांच करवा लीजिये। आपने यह कहा है कि "यह आपको शोभा नहीं देता" मैं लिख कर दे देता हूं कि यदि मैंने इस प्रकार का गलत पत्र, गलत फोटो जानबूझ कर किसी अफसर या सदस्य को अपमानित करने के लिये दिया हो तो जांच करके मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाय जो आप उचित समझें और सदन उचित समझे। मैं जानता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है और मैं लिख कर यह देने के लिये भी तैयार हूं। यह पत्र जिनके नाम से आया है, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह जो फर्म है जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है आनन्द इलेक्ट्रिक वर्क्स, झोटवाडा। मूलचन्द अग्रवाल ने पत्र लिखा है। फोन नम्बर ४६५४ है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने....

श्री मुरलीधर व्यास : आप पहले मेरी बात को सुन लीजिये। गलत परम्परा मैं डाल रहा हूं तो दण्ड तो मुझे दीजिये। यह अधिकार कैसे छीनते हैं ? यह झोटवाड़ा के अन्दर एम० सी० अग्रवाल, फोन ४६५४। आनन्द इलेक्ट्रिक वर्क्स है, इन्डस्ट्रियल एरिया में फैक्टरी है और गौरीशंकर गुप्ता उसका मालिक है जिसके नाम से पार्सल आया है। पार्टनर है या नहीं, यह देख लीजिये। फोन नम्बर भी है, रेजिडेन्स नबंर भी है। यह सब यहां के रहने वाले हैं। यह पत्र गलत है, जाली है तो मुझे सजा दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतना सा आप से जान लेना चाहता हूं कि जब ये यहीं के रहने वाले हैं तो केयर ऑफ शीशरामजी ओला के पार्सल भेजने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा उस पत्र में लिखा कि लाइसेन्स दिया होगा, फैक्टरी

(श्री मुरलीधर व्यास)

लग गयी होगी। पत्र के बाद फैक्टरी लगी है। उसका उससे सम्बन्ध है या नहीं, यह आप एन्टीकरप्शन से जांच करवा लीजिये। यदि मैं कसूरवार हूं तो आप मुझे दण्डित करें। दूसरों को करें या नहीं। यदि सदन में किसी माननीय सदस्य या अफसर के लिए उसको बुरा करने की दृष्टि से, इस इन्टेन्शन से किया हो तो आप जांच करवा कर मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिये। चाहे जैसा मुझ से लिखवा लीजिये, और मुझे दण्डित करिये।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ९ तारीख को बहस के दौरान में जो कुछ भी कहा है वह इस रेकॉर्ड में मौजूद है। मैं समझता हूं उन्होंने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न कि सिर्फ डाइरेक्टर या माननीय सदस्य को ही इन्वोल्व किया हो, उन्होंने सारी कांग्रेस पार्टी को इन्वोल्व करने की कोशिश की थी। उस समय मैंने उचित नहीं समझा कि मैं बिना जांच के या बिना पूछताछ के कुछ चीज इस सदन में रखूं। बहस हो जाने के बाद मैंने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा अनुचित फायदा किसी को दिया गया हो तो वह मेरे सामने आना चाहिये। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि कोई नाजायज फायदा किसी फैक्टरी को नहीं दिया गया।

अब एक प्रेजेन्ट या पार्सल की खोली को लेकर यह वातावरण बनाया जाय, चूंकि उसमें शीशरामजी का नाम है। न तो शीशरामजी के पास पार्सल गयी, न रसीद है। हमारे पास न माननीय सदस्य ने रसीद पेश की जिससे साबित हो सके कि शीशरामजी ने पार्सल छुड़ायी। ताहम भी मैंने जानकारी शीशरामजी से की और शीशरामजी ने मुझे कहा कि कोई पार्सल नहीं आयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गौरीशंकरजी को शीशरामजी जानते हैं या नहीं और उनके यहां ठहरते हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य इस तरह से बहाना करेंगे। कोई अफसर जिस जगह बैठा है he has to take a decision. हर एक्शन को क्वेश्चन करेंगे कि यह नाजायज है तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अगर आपके पास कोई सुबूत हैं और वे ऐसे हों कि किसी अफसर की इन्टीग्रिटी पर डाउट होता है तो आप अवश्य आइये यहां पर, हम हमेशा जांच करने के लिये कटिबद्ध हैं। चूंकि अफसर ने डिसिज़न ले लिया इसलिए लिया कि उसके पास कोई स्वेच्छायें हैं या मोटिवेटिव चीज उसके पास होती हैं, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य एग्री करेंगे कि इससे कोई सरकार नहीं चल सकती। मैंने छानबीन करने के बाद ही इस स्टेटमेंट को माननीय सदस्यों के सामने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है न शीशरामजी ओला और न ही गोर्धनसिंहजी की पर्सनल इन्टीग्रिटी के बारे में कोई डाउट है।

श्री शीशाराम ओला (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से यह अधिक व्यक्तिगत है इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं इसकी सफाई दूं। मैं जानता हूं माननीय सदस्य

(श्री शीशराम ओला)

बहुत जल्दी जल्दी बोला करते हैं। मैं बहुत कम बोलता हूं। एक पत्र का जिक्र है और एक पार्सल का जिक्र है। पत्र लिखा गवर्नमेंट होस्टल कमरा नं० १० के मार्फत शीशराम के गौरीशंकरजी को मिले। इस प्रकार बताया गया है।

मैं हाउस को आपके द्वारा यह सफाई देना चाहूंगा कि मैं सन् १९५७ की मार्च से इस हाउस का इलेक्टेड सदस्य हूं। मैंने आज तक इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिससे हाउस की मर्यादा का, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचे अथवा करप्शन की मर्यादा में आ सके।

मैं बताऊं कि इस पार्सल की, इस पत्र की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा मेरी निगाह में, मेरी जानकारी में यह इतना ही गलत है जितना की दिन है और उसको रात बतायी जाय। यह शतप्रतिशत गलत है।

दूसरा दस नम्बर का कमरा बताया गया। जहां से यह लेटर उड़ाया है, किसी ने जंजाल रचने की कोशिश की। मेरे पास एम. एल. एज. बंगलों के बंगला न० ३ है न कि गवर्नमेंट होस्टल का कमरा नं० १०।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): ६१ की बात है उस समय था या नहीं ?

श्री शीशाराम ओला : मेरे नाम पर वह अलॉट नहीं है।

दूसरा मैं यह चाहूंगा कि इसकी जांच एक बार नहीं नौ बार हो और सजा कड़ी से कड़ी क्या होनी है, यह हाउस है डेमोक्रेसी में मर्यादा है, इसमें एक अक्षर भी सत्य निकले तो मुझे इस हाउस के सामने गोली से मरवा दिया जाय और यदि यह गलत निकले तो मेरे दाहिने हाथ का ट्राइगर उस माननीय सदस्य की छाती पर चले। यह लिख कर मुझसे ले लिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : महात्मा गांधी के चेले गोली दागेंगे !

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): मिलीटरी के आदमी हैं।

श्री शीशराम ओला : दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो माननीय सदस्य हैं, जिनकी इस प्रकार की आदत पड़ गयी है, मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा। मुझे नेता का आदेश है।

एक बात बताऊं कि चीन का एग्रेशन हुआ तो उस समय एक राजस्थान में भी डिफेन्स कौंसिल बनी थी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में। उस कमेटी में माननीय सदस्य मुरलीधरजी भी सदस्य थे, मैं भी था और दूसरे माननीय सदस्य भी थे। जब चीन का एग्रेशन हिन्दुस्तान पर हुआ, हिन्दुस्तान में भी एक कमेटी बैठी थी, यहां पर भी बैठी थी, उस समय औरतों का सुहाग लुटा था तो हिन्दुस्तान की और राजस्थान की बहादुर औरतों ने देश के लिए दान दिया अपने जेवर दे दिये। उस समय माननीय सदस्य ने थर्ड क्लास में ट्रैवल किया और फर्स्ट क्लास का टी. ए. १२१) रु०

(श्री शीशराम ओला)

चार्ज किया, इससे अधिक शर्म की क्या बात हो सकती है ? मैं किसी कलेक्टर से मिल कर अपने साले के लिए उनकी तरह गेहूं का डिपो नहीं लेता हूं मैं तो खेती करता हूं। मेरे ८० वर्ष के बूढ़े पिता भी खेती करते हैं। मेरी पत्नी खेती करती है। मैं एम. एल. ए. जनता के वोटों से चुन कर आया हूं; वे करप्ट नहीं मानेंगे तब तक उनके करप्ट बताने से ही मैं करप्ट नहीं हो जाऊंगा।

जिस दिन मुझे अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लोग करप्ट मान लेंगे उस दिन मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरे काम ही मुझे मार देंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में इस प्रकार की परम्परा डाली जाय सही आदमी को सही और गलत आदमी को गलत बताया जाय। इसीलिये मैंने शर्त रखी हैं मेरे बीवी-बच्चों से मैं लिखाकर दे सकता हूं मैं यदि दोषी साबित हो जाऊं तो मुझे यहां लॉन पर गोली मार दी जाय अगर उन सदस्यों ने गुमराह किया है तो उनको मारी जाय। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको और मुख्य मन्त्रीजी को प्रार्थना करूंगा इस किस्से की जांच हो और यह परम्परा डाली जाय कि इस प्रकार की गलत बातें हाउस में न कही जायं, सच्चे आदमी को झूठा बनाने की कोशिश न की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी एवं माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया, जिनके नाम पत्र हैं ये कौन महाशय हैं, कोई फिक्टीशियस पर्सन है या वास्तव में कभी किसी के यहां आता जाता रहा है, यह आपको जानकारी में है या नहीं ? इन सब बातों के बारे में मंत्री महोदय ने जानकारी की है या केवल माननीय सदस्य के लिये ही।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : इन बातों का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह रिलेवेन्ट है और जरूरी है। कहा जाता है कि उसमें ओर्नामिन्ट्स भेजे गये और इस तरह से वह आया। उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने कह दिया उससे मैं समझता हूं बहस करने की जरूरत नहीं रह जाती है। अगर मेरे से कोई गलती हुई पायी जाती है तो इससे भी बड़ी सजा लेने के लिये तैयार हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : दोषी आप नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पत्र जिसने भेजा है, किस को किसके लिये भेजा है, वाकई जिसने भेजा है वह व्यक्ति है या नहीं, यह तो मूल फेक्टर है, मूलचन्द ने वाकई पत्र भेजा है तो सरकार चाहे तो उसको चालान कर सकती है माननीय सदस्य को धोखे में रखने के लिये कार्यवाही की हो पत्र झूठा है या सही, यह तो बताना चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने यह सवाल नहीं किया, माननीय सदस्य की वर्बेटिम रिपोर्ट मेरे पास है आपने यह नहीं कहा यह कागज ठीक है नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल तो यह इस बात का है कि पत्र है और यह भी हो सकता है झूठा खत भी डाल दे, यह आपको मालूम पड़ गया तो पत्र वाले के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते । पत्र के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करते तो क्या पता चल सकता है । मुख्य मन्त्री कह दें कि मैं इस पत्र की जांच कराऊंगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्षजी, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पिछले कुछ अर्से से इस सदन में समय समय पर कुछ बातें ऐसी रखी गई हैं जैसे फोटोएस्ट कॉपी, फोर्ज्ड लेटर्स तो उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की चीजें किसी सदस्य द्वारा रखी जाती हैं तो उसकी सूचना आसन को पहले देनी चाहिये । इसके अलवा जिन सदस्य के पास इस प्रकार के कागजात हों वे हम लोगों के पास आकर कह सकते हैं और उस आधार पर हम भी जानकारी कर सकते हैं । उसके साथ आप ओरीजनल लेटर भी दे सकते हैं तो उस मैटर में आगे प्रोसीड किया जा सकता है । उसके बिना हाउस की प्रोटेक्शन लेकर किसी को इम्प्लीकेट किया जाय, यह उचित नहीं है । इसके साथ ही वे माननीय सदस्य जो इस प्रकार के कागजात रखते हैं उनको भी यह देखना चाहिये हमें जहां हाउस में प्रोटेक्शन मिला हुआ है कहीं, हम उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें प्रोटेक्शन का सवाल नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक डोक्यूमेंट पेश किया जाता है उस डोक्यूमेंट के बारे में जिस मेम्बर के खिलाफ वह है वह यहां कहे हुए के आधार पर लीगल कार्यवाही नहीं कर सकता । जो डोक्यूमेंट यहां पेश कर दिया जाता है और उसके बाद पर्सनल कम्प्लेन्ट करें कि इस मामले में करप्शन हुआ है तो आगे कुछ विचार कर सकते हैं । माननीय सदस्य यहां मौजूद रहते हैं, अफसरों द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब कि उनको साफ मालूम पड़ता है कि अगर प्राइमाफेसी देखें तो लेटर जिसको यूज करना चाहते हैं, लेटर की कॉपी आपके पास आ गई और जाहिरा तौर पर कुछ ओफेन्स बनता है, तो उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य यह सोच सकते हैं कि इसमें करप्शन की सभावना हो सकती है तो उसकी जांच करके समुचित कार्यवाही अधिकारी के खिलाफ की जा सकती है ।

(श्री मुरलीधर व्यास के सदन से बाहर जाने पर)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सदन से माननीय सदस्य भाग रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वोट देने जा रहे हैं प्राक्कलन समिति के लिये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था होनी

Page No 89

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

चाहिये, जो भी पत्र रखे जायं केवल पब्लिसिटी के लिये रख देते हैं, उसमें तथ्य होता नहीं, केवल पासिंग रिमार्क्स के लिये जो पत्र, फोटोएस्ट कॉपी आदि रखते हैं उसके लिये कुछ व्यवस्था होनी चाहिये । कुछ सदस्यों की आदत हो गई है इस प्रकार के फोर्ज्ड पत्र पेश करने की, इसलिये इस बारे में कुछ व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पत्र माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये हैं उन्होंने पढ़ा उसमें नाम गोर्धन पढ़ा और उसके बाद उसी पत्र को श्री मानसिंह जी महार ने पढ़ा उसमें गोवर्धनदास पढ़ा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पत्र रखा गया है उसमें क्या लिखा गया ? यदि गोर्धनदासजी लिखा हुआ होता है तो माननीय सदस्य का इन्टेन्शन साफ मालूम हो जाता है । इसलिये मन्त्री महोदय यह तो जानकारी दें असल में क्या लिखा हुआ है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एक प्रश्न उपस्थित किया था । माननीय मन्त्री महोदय ने इस पत्र के सम्बन्ध में कुछ जानकारी सदन की सूचना के लिये दी है कि जिस अधिकारी का नाम उसमें था उस अधिकारी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं । लेकिन यह मामला अपने आप में इस हद तक जरूर रिलेवेन्ट है । वह एक पत्र है, पत्र की कॉपी आपको दी गई है । आखिर उस पत्र का हैन्ड राइटिंग किसी न किसी से मिलता है । आखिर किसी न किसी ने लिखा जरूर है । आपने उसकी क्वेरी की थी? वह आदमी जिसके नाम से पत्र आया है और जिस आदमी ने पत्र लिखा है लिविंग परसन है या फिक्टिशियस है । अगर है तो उनका क्या सम्बन्ध इस डिपार्टमेंट से किसी प्रकार का रहा है, किसी तरह के कॉन्ट्रेक्ट्स उनको दिये गये हैं । इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय को साफ बताना चाहिये कि इनका कोई किसी किस्म का इकोनोमिक एडवान्टेज है या नहीं । यह भी बताना चाहिये कि वह एडवान्टेज गैर-कानूनी तो नहीं था, यह जानकारी दी जाय ; ताकि सदन अपनी ओपीनियम बना सके । बार बार पूछने के बाद भी जिसके नाम लेटर एड्रेस्ड है वह कौन है उससे कोई जानकारी माननीय मंत्री महोदय ने ली या नहीं, जिन लोगों की तरफ से पत्र लिखा गया उस आदमी का क्या ताल्लुक है? यह इन्क्वायरी इम्पोर्टेन्ट थी । अभी यदि यह जानकारी मंत्री महोदय नहीं दे सकें तो आयन्दा इस सम्बन्ध में जानकारी दें ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में एक स्टेटमेंट माननीय मन्त्री जी ने रखा था उस संबंध में निवेदन है कि जहां एक माननीय सदस्य ने एक आक्षेप लगाया वहां दूसरे माननीय सदस्य ने दूसरी बात की ।

(३.०० म० प०)

जहां तक इस सदन का प्रश्न है, यदि कोई आक्षेप किधर से लगाया गया है तो वह प्रिविलेज मोशन बन सकता है, चाहे इधर से चाहे उधर से । इससे अधिक यह सदन कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है और यह जरूर आशा की जाती है कि जो

(श्री उपाध्यक्ष)

कुछ भी तथ्यातथ्य इस सदन में लाये जावें वे जिम्मेदारी से लाये जावें और उस दृष्टि से उनको तोला जावेगा ।

तो मैं समझता हूं कि इस विषय में और इस सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती सिवाय इसके कि रख दें अपनी राय। जिस प्रकार की जांच करनी है, करानी है; वह बात सदन के अधिकार की नहीं है। वह अलग तौर पर सोचने की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे प्रश्न का स्पष्टीकरण तो करवा दीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक प्रक्रिया का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अभी सीकर से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने यह कहा कि यदि...

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि इस विषय में मैं जब निर्णय दे चुका हूं तो उस पर कोई ओब्जर्वेशन नहीं होंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही है। डॉक्यु-मेन्ट जो यहां रखे गये हैं उनका यह कहना है कि ओरीजिनल दिये जावें । मैं यह निवे-दन करना चाहता हूं कि ओरीजिनल डॉक्यु-मेन्ट जो दिये गये या जो फोटोएस्ट कॉपी सदन में पेश हुई और सरकार ने मन्जूर कर लिया कि डॉक्युमेन्ट असल है, हस्ताक्षर असल है, जिनुआइन हैं जैसे डाइरेक्टर, माइन्स और जियोलोजी, श्री सेठी के बारे में, जिसमें सरकार ने जवाब दिया। उसकी फोटोएस्ट कॉपी पेश हुई उसके लिये कहा गया कि उसके हस्ताक्षर जिनुआइन हैं। ऐसे केसों में भी जब सरकार ने इस एडमिशन को किये छः महीने हो गये तब भी श्री सेठी, डाइरे-क्टर माइन्स और जियोलोजी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो सरकार किस तरह से यह उम्मीद करती है कि सदन को यह भरोसा हो जावेगा कि एक मामले में तो अभी एक्शन ही नहीं लेना चाह रही है और दूसरे मामले के ओरीजिनल डॉक्युमेन्ट्स उसके सुपुर्द कर दें तो आप साफ करना चाहते हैं मुद्दा तो आप पहले यह बताइये कि इस सेठी वाले केस में आपने क्या एक्शन लिया ? मैं फिर कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जो चार्जेज़ करप्शन के लगाये गये हैं वे काफी ठोस हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : सदन में उसके सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के एस० पी० के जरिये भी इस सम्बन्ध में जांच कराने के बारे में सरकार ने यहां पर कहा था और जांच की गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसको छः महीने हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

माननीय सदस्यों के लिये कोड ऑफ कन्डक्ट विषयक वाद-विवाद

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं उपा-ध्यक्ष महोदय, जो करप्शन के चार्ज एक दूसरे पर लगाये हैं तो क्या हमारी सरकार

Page No 91

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कोई अपनी पार्टी की तरफ से डिक्लेरेशन दे सकती है, सारे एम० एल० ए० दें और उस बारे में कोई प्रक्रिया यहां कायम की जाय, उसमें सरकार को क्या आपत्ति हैं ? कोड ऑफ कन्डक्ट की आप बात करते हैं, फिर वह किसलिये बनाया गया है ? उसको भी यह सरकार मानना नहीं चाहती तो फिर यहां के एम० एल० ए० और इनके पार्टी वालों के लिये ऐसे करप्शन के चार्जेज के मामले में ये क्या प्रक्रिया तय कर सकते हैं ? भारत सरकार से खबर आती है कोड ऑफ कन्डक्ट के बारे में यहां के चीफ मिनिस्टर के पास, तो उसके बारे में राजस्थान स्टेट ऐसी है जिसने उसके बारे में स्वीकृति नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक मैं समझ पाया हूं, प्रश्न यहां पर केवल दो है, उपालम्भ लगाने का। तो उपालम्भ के लिये प्रावधान है रूल्स में यहां अब रहा सवाल इन्क्वायरी इत्यादि का तो वह प्रश्न अलग है। उसके बारे में उचित कदम जो ऑथोरिटी कन्सर्न्ड है वह उठा सकती है; इसमें किसी को आपत्ति नहीं।

अब विधायी कार्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। कोड ऑफ कन्डक्ट के बारे में जिन्होंने अभी सवाल उठाया है अकेले राजस्थान में उसे नहीं माना गया है, ऐसा नहीं है। कुछ और स्टेटों में भी अभा माना नहीं गया है और हमने जो होम मिनिस्टरी है उससे इस संबंध में कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के बारे में लिखा है और यह मन्त्रि-मण्डल के विचाराधीन है। इसके बारे में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान ने नहीं माना, बाकी और जगह सब जगह मान लिया गया है, ऐसा प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या राजस्थान सरकार उनको सदन में लाने को तैयार है कि किन कारणों से कोड ऑफ कन्डक्ट मान नहीं सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक हाई कमाण्ड का सवाल है हम उनको आज भी अपने असेट्स की सूचना भेजते है। नहीं भेजते हों ऐसी बात नहीं है। अब होम मिनिस्ट्री को भेजा जावे यह और क्या क्या सवाल हैं उसके बारे में अभी विषय हमारे विचाराधीन है। बाकी असेट्स भेजने की बात जो है उस बारे में हम हाई कमाण्ड को आज भी भेजते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर भी रखने को तैयार हैं जो आप हाई कमाण्ड को भेजते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह जानकारी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहिए।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी का प्रश्न पहले भी उठाया था।

मुख्यमन्त्री द्वारा आज दिये गये वक्तव्य विषयक आपत्ति

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक स्टेटमेन्ट दिया था चाइनीज एम्बेसी के सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष : That business is finished.

श्री भैरोंसिंह : मेरे को सुनने के बाद आप खड़े होकर निर्णय दें तो अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने जो यह स्टेटमेन्ट दिया वह कोई एजेन्डे में नहीं है और न इस प्रकार की सूचना हमारे पास आई आपकी तरफ से कि मुख्यमन्त्री जी ऐसा स्टेटमेंट आज देने वाले हैं। मैंने कॉल अटेन्शन का नोटिस दिया। तब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे, इसकी जानकारी नहीं मिली जो हाउस के एजेन्डे में भी नहीं है। प्रश्न को उठाने वाले को जानकारी नहीं है तो इस प्रकार से स्टेटमेन्ट देने की अनुमति देने की अनुमति देना किस कानून, किस नियम और व्यवस्था के आधार पर है?

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट साधारणतया यहां दिये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कॉल अटेन्शन का नोटिस दिया है। एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में दिया, उसे भी स्वीकार नहीं किया और किसी को जानकारी नहीं थी और मुख्य मन्त्रीजी ने स्टेटमेन्ट देकर स्पष्टीकरण कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर दें।

श्री भैरोंसिंह : मैंने वह स्टेटमेंट सुना ही नहीं, स्पष्टीकरण कहां से कर दूं? किस बात का कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी पूरी जानकारी कर लें।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिये चेयर से जानकारी करना चाहता हूं कि यह हाउस में कैसे दे दिया गया बिना पूर्व सूचना के?

श्री उपाध्यक्ष : चेयर, एजेन्डे में नहीं होते हुए भी, इजाजत दे सकती है।

श्री भैरोंसिंह : पर चेयर ने ऐसी घोषणा न प्रारम्भ में की, न उसका सप्लीमेन्टरी एजेन्डा निकाला। फिर किस तरह से उम्मीद करके चला जा सकता है कि हाउस में इस तरह का स्टेटमेन्ट दिया जावेगा?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं थी। विषय उठाया गया था। इस प्रकार से कहा था इसलिये इजाजत दे दी।

श्री भैरोंसिंह : कोई इश्यू उठाया गया था तो उसे एजेन्डे में लेना था।

श्री उपाध्यक्ष : केवल स्टेटमेंट दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट कैसे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : चेयर की इजाजत से दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : चेयर की इजाजत कन्वे होनी चाहिये मेम्बरों को।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस हाउस में जो बात उठाई गई है उसकी पूर्व सूचना सदन को दी जाती रही है। अब यह चाइनीज एम्बेसी वाला प्रश्न सदन में पहले उठाया गया था इसलिये उस पर स्टेटमेंट देने की बात भी एजेण्डे में आनी जरूरी थी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने यह बात उठाई उनको इसकी सूचना कम से कम अवश्य होनी चाहिये थी कि यह स्टेटमेंट आज दिया जाने वाला है ताकि वे फेक्ट रख सकते और इस तरह से सारे सदन को भी दोनों तरफ के तथ्यों की जानकारी हो सकती थी, इसके अभाव में सदन को दोनों तरफ के तथ्य नहीं मालूम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : That is different.

हकीकत फिल्म पर से मनोरंजन कर हटाने विषयक आपत्ति

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आप व्यवस्था दे चुके हैं, मेरा दूसरा प्रश्न है।

आपने जैसा मुख्य मन्त्रीजी को इजाजत दी है मैं भी उसी तरह से आपसे इजाजत क्लेम करता हूं हकीकत पिक्चर के बारे में जो सारी फौजों को, राजस्थान की फौजों के जवानों को डिमोरेलाइज कर रही है, जिस राजस्थान से फौजों में सबसे ज्यादा भर्ती के लिये आदमी आते हैं, उस में इस तरह से डिमोरेलाइज जवानों को किया जाना और लोगों को डिमोरेलाइज किया जाना खतरनाक बात है और उस पर से आपने इसे एन्टर्टेनमेंट टैक्स माफ किया है। जो यह राजस्थान में दिखाई जा रही है, उसे मुख्य मंत्रीजी और मन्त्रि मण्डल के सदस्य जाकर देखें तो सही कि यह किस प्रकार की पिक्चर है। इसको अगर दिखाया जाता है तो इसके कारण हमारे पर कितना डिमोरेलाइजेशन का इफेक्ट आने वाला है। इसमें हमारी फौजों का करेक्टर दिखाया गया है इस तरह से जैसे उन पर चाइनीज ओवर पॉवरफुल हैं और उनकी पॉवर का हम मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा चित्रित किया गया है इस पिक्चर में। इसका क्या असर पड़ सकता है, यह आप, हम सब आसानी से समझ सकते हैं। इसमें और भी बताया गया है कि हमारी फौजों का आचरण अच्छा नहीं है, वे चरित्र-भ्रष्ट हैं, ऐसी स्थिति दिखाई गई है। यह बहुत इम्पोटेन्ट मैटर है राजस्थान के लिये जिसके लिये तीन दिन से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इस पर सदन में चर्चा की जानी चाहिये। मैं इसके लिये आपसे इजाजत चाहता हूं। मैंने इसके लिये कॉल अटेन्शन नोटिस समय पर दे रखा है इसके लिये मुझे भी दस मिनिट का समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दे तो दिया है वक्तव्य अपना।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी तो इजाजत मांगने के लिये कहा है।

Page No 94

श्री उपाध्यक्ष : आपको इजाजत हो ही गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय, केवल मौखिक भाषण नहीं दूंगा, मैंने जो लिखकर दिया है वही पढ़कर सुनाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जो कुछ कहना था वह तो कह दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : कहा नहीं। अभी तो आपको लिख कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह कॉल अटेन्शन मोशन है वह गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है और वह जो कुछ भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे वह आपके सामने प्रस्तुत होगा।

श्री भैरोंसिंह : वे तो स्टेटमेंट देंगे। जैसे आपने मुख्य मंत्री जी को परमिशन दी है तो मैं समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको इन्कार नहीं किया है जिस समय आपने सारे तथ्य यहां पर रखे थे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तथ्य नहीं रखे। आपकी इजाजत लेने के लिए मैंने भूमिका रखी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने तो बिना इजाजत के ही रख दिया। अब क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सारे तथ्य सामने रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा जो नोटिस है उसको आप देखें।

श्री उपाध्यक्ष : यदि कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं और ये जो आपके तथ्य आयेंगे तब उसके विषय को खोल देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं मुख्य रूप से नहीं कह कर नोटिस में जो लिखा हुआ है वह सदन में पढ़कर सुनाता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, कल इसको लें तो एन्टर्टेनमेंट टैक्स वगैरह का जो रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : यदि आपकी इजाजत हो तो कल ले लें।

श्री भैरोंसिंह : कल ले लें। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि समय निकाल कर उस फिल्म को देखें। मैंने १० वर्ष से कभी सिनेमा कहीं देखा था। लेकिन कल इस पिक्चर को देखने गया हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं भी प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस पिक्चर को जरूर देखें, क्योंकि मैं भी कल इस पिक्चर के डिफेन्स में बोलने जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं समझता हूं कि अगर 'हकीकत' पिक्चर में वाद-विवाद होगा तो उसके सुनने में भी मेरी भी दिलचस्पी होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हकीकत का ही वाद-विवाद होगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे एक सूचना...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सूचना इनके बाद में प्रस्तुत कर दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ६ बार अर्ज कर चुका हूं कि एक सूचना चाहता हूं लेकिन आपकी ओर से आज्ञा नहीं मिल रही है । यह सातवीं बार आज्ञा चाह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद आपको आज्ञा मिलेगी ।

राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५, को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

(खड़े नहीं हुए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी आज्ञा के बिना मेरी सूचना रह गई ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवश्य आज्ञा दूंगा ।

प्रश्न यह है कि जो विधेयक, राजस्थान मुद्रांक विधेयक, को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव किया गया है उसको स्वीकर किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया । जिसके सदस्यों के नाम बाद में घोषित कर दिये जायेंगे ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा से) अब आपकी सूचना ।

स्थगन-प्रस्तावों की प्रस्तुति विषयक

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में कल और परसों दो स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे । एक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध एक वृद्ध स्त्री और एक विधवा स्त्री से है....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । उसका समय निकल गया । आप यह तथा नियम कल पुट कर दें और इसकी चेम्बर में बात करके कल फिर जिस प्रकार उठाना चाहिए उठा सकते हैं । इस वक्त तो विधेयक कार्य लिया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज के लिए कहा गया था कि उत्तर दिया जायेगा । तीन बजे का समय हो गया है और कोई उत्तर नहीं दिया गया है । आज तीसरा दिन है भूख-हड़ताल का । कल चौथा दिन होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : चौथा दिन हुआ तो क्या हुआ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर सदन समाप्त हो जायेगा और हम 'हकीकत' पर बहस करते हुए भी हम 'हकीकत' को नहीं देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हकीकत की बात बाद में करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हकीकत यह है कि सदन के बाहर दो स्त्रियां दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उसके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। आखिर कल सदन समाप्त हो जायेगा। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जायेंगे, फिर क्या निर्णय होगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात रह जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि जिस समय स्थगन-प्रस्ताव दिया था तो उस सम्बन्ध में जानकारी मिली उन्हें उसके बारे में।

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उत्तर नहीं आया मंत्रि-मंडल की ओर से।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी बाद में सूचना सदन में दे देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई उत्तर मंत्रि-मंडल की ओर से नहीं आया कि उस सम्बन्ध में उत्तर दिया जायेगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कल आपका अगर होगा तो मिल जायेगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो उत्तर दे दूंगा।

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १६६५

(प्रवर समिति के सदस्यों की नामों की घोषणा)

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६६५ की नामावली- -

(१) श्री हरिभाऊ उपाध्याय
(२) श्री रामप्रसाद लड्ढा
(३) श्री विजयसिंह झाला
(४) श्री गोविन्दसहाय
(५) श्री मांगीलाल
(६) श्री उमरावसिंह ढाबरिया
(७) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
(८) श्री भैंरवलाल कालाबादल
(९) श्री चौसरसिंह बाब्रेल
(१०) श्री प्रभुलाल सेन्टर
(११) श्री सांवलियाराम
(१२) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(१३) श्री मुरलीधर व्यास
(१४) श्री केदारनाथ
(१५) श्री ललितमोहन
(१६) श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
(१७) श्री केसरीसिंह जोजावर
(१८) श्री मथुरेशबिहारी
(१९) श्रीमती गौरी पूनिया
(२०) श्री भैरोंसिंह शेखावत
(२१) श्री रघुनाथ बिश्नोई
(२२) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

Page No 97

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह समझ रहा था कि यह किसकी लिस्ट है ? संभव है कि संस्कृत युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की लिस्ट हो।

(३. १८ म. प.)

राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड २। श्री मोहनराज।

[खण्ड २ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री मोहनराज (बाली) : In sub-clause (O) insert the words, "first day of July to the Thirtieth day of June or" between the words, "means" and the words "such period."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : In part (i) delete the words "a nominal and."]

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोऑपरेटिव बिल के क्लॉज २ में सब-सैक्शन (अ) में 'वर्ष' की परिभाषा दी गई है। 'वर्ष' की परिभाषा में मेरा एक छोटा सा संशोधन है और वह संशोधन यह है कि 'वर्ष' के मायने कोई भी १२ महीने जो प्रेस्काइब्ड किये जायं वह दिया है। उसके साथ में मैं यह चाहता हूं कि 'जुलाई के प्रथम दिवस से लेकर ३० जून तक' यह वर्ड्स जोड़े जाएं। यह जोड़ा जाना इसलिए आवश्यक है कि जो कृषि वर्ष अपने राजस्थान में है वह प्रथम जुलाई से ३० जून तक का है और अगर सहकारी समितियों के लिए अगर कृषिवर्ष जो है, वही लागू रखा जाय तो उससे किसानों की सहकारी समितियों के सदस्यों को बहुत अधिक सुभीता होगा। इसके साथ ही अगर सहकारी समितियों के लिए कृषि-वर्ष को अगर मन्जूर कर लिया जाय तो जो वसूलियां वगैरह हैं वे भी बहुत शीघ्र ही वर्ष के अनुपात में हो सकेंगी और जो कुछ भी हिसाब, लेखा-जोखा रखने की कार्यवाही है वह कृषि वर्ष के आधार पर हो जायगी। इसलिए यह किसानों का लेखा जोखा रखने की जो बात है उसके लिहाज से और वसूली के लिहाज से भी यह बहुत ही जरूरी है कि यह सहकारी समितियों के लिए भी प्रथम जुलाई से ३० जून तक का वर्ष माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें काफी खण्ड हैं और समय कम है और काफी संशोधन भी हैं। इसलिए १० मिनिट से अधिक समय नहीं लिया जाय।

श्री मोहनराज : मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने समाप्त कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनट हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन अधिक से अधिक १० मिनट हों। क्लॉजेज के संशोधनों पर खास भाषण की आवश्यकता नहीं है, जहां कि परिवर्तन करने का है, जहां सिद्धान्त की बात हो वहां भाषण आता है। श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मथुरादासमाथुर (सहकारी मंत्री) : He cannot move any amendment, since he was a member of the Select committee and he did not give any dissenting note.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मैं अपनी बात हाउस में कह सकता हूं...

श्री मथुरादास माथुर : इससे तो रोंग प्रिसीडेन्ट कायम हो जायगा। सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर डिसेंटिंग नोट नहीं दें तब तक नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Quite correct.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मथुरादास माथुर : रामानन्दजी भी नहीं बोल सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने डिसेंटिंग नोट दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : रामानन्दजी का डिसेंटिंग नोट इससे कवर नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : होता है, मैंने कोम्प्रहैन्सिव नोट दिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कवर नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिल्कुल होता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बताओ कहां होता है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : डेफिनिशन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है।

श्री मोतीलाल चौधरी : On a point of order, Sir, माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक मेरे संशोधन के संबंध में जो मंत्रीजी ने निवेदन किया और चेयर ने आदेश दिया कि जो सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर है, या था, वह संशोधन नहीं पेश कर सकता। मेरे लिये यदि यह लागू होता है तो रामानन्दजी भी संशोधन नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : I have understood your point. इस विषय में व्यवस्था इस प्रकार है। जिन्होंने डिसेंन्टिंग नोट दे दिया है उनको फिर भी अधिकार है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है, वे बिल्कुल सहमत हैं, इसलिये उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जिन्होंने डिसेंन्टिंग नोट दे दिया है वे अमेन्डमेन्ट दे सकते हैं. मैं चाहूंगा तो यह कि इस पर अगर उन्होंने नोट में नहीं कहा है तो नहीं पेश करें, तो अच्छा है लेकिन इतनी बारीकी में कौन घुसे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बारीकी में घुसना पड़ेगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : नोट ऑफ डिसेंट है उनका, लेकिन उसके दायरे के अन्दर ही रह सकते हैं बाहर नहीं जा सकते।

Page No 99

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके रूलिंग का आदर करता हुआ मैं उसके अन्तर्गत ही बोलूंगा। उपाध्यक्षजी, क्लॉज २ में मैंने २ संशोधन रखे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : दायरे में कहते हैं या नहीं, इसका मंत्रीजी ध्यान रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्ट (१) में जो मेम्बर की डेफिनिशन दी है उसमें उन्होंने नोमिनल मेम्बर और रखे हैं। आगे जाकर नोमिनल मेम्बर की क्या हैसियत है और जो एसोसियेट मेम्बर्स हैं उनकी क्या हैसियत है और दोनों मे क्या फर्क है, यह मंत्रीजी बतायेंगे। जहां तक मैंने देखा है उनमें फर्क नहीं है, इसलिये इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : इस खण्ड २ में दो तरमीमें पेश हुई है। जहां तक वाली के सदस्य ने संशोधन रखा उसके लिये मुझे इतना निवेदन करना है कि रूल्स में इसको प्रेस्क्राइब कर रहे है। वैसे भी कोऑपरेटिव का साल वही है जो आपने सुझाव दिया है। रूल्स में भी आ जायगा इसलिये इसको यहां डालने की जरूरत नहीं है।

जहां तक 'एसोसियेट' मेम्बर बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस होता है और 'नोमिनल मेम्बर' हर संस्था में नहीं होगा, मार्केटिंग सोसाइटीज म होगा क्योंकि मर्चेन्ट्स और ट्रेडर्स जो मार्केटिंग सोसाइटीज म डील करते हैं, उनमें और मार्केटिंग सोसाइटीज में आपस में यदि कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाय तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन यदि वे बिजनेसमेन और ट्रेडर्स नोमिनल मेम्बर्स होते हैं तो रजिस्ट्रार के पास जाकर आर्बिट्रेशन के जरिये डिस्प्यूट्स को तय करायेंगे। इसलिये सिविल कोर्ट्स से बचने के लिये इनको रखा गया है। भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, उस समिति ने स्पष्ट किया था :

"Some co-operative societies particularly marketing societies have to admit as their members, merchants, traders who have business relations with them so that any"...

तो वह उसको मान सकते हैं। हमने उनको यहां पर रखा लेकिन न तो उनको शेयर मिलता है और न मैनेजमेंट में हिस्सा मिलता है। केवल नोमिनल हैं। उसमें और मार्केटिंग सोसाइटीज में डिस्प्यूट खड़ा हो जाय तो सिविल कोर्ट्स में जाने का सवाल नहीं रहेगा। इसलिये माननीय सदस्य को मानना पड़ेगा कि "Associate member by virtue of office" के कारण आते है, और नोमिनल मेम्बर नोमिनेटेड होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने कहा था इसलिये यहां रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन दोनों को एक्सप्रेसली डिफाइन क्यों नहीं करते ?

श्री मथुरादास माथुर : कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to withdraw it ?

श्री मोहनराज जैन : मैं विदड्रॉ करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : All the amendments are withdrawn.

प्रश्न यह है कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ३ में कोई सशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ४

[खण्ड ४ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री मोहनराज जैन (बाली) : In sub-clause (3) insert the words "on an application duly supported by a resolution of the general body of the Society" between the word and a comma "may", and the words "for reasons" in line one.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (a) In sub-clause (1) after the word "Registered" insert the words "within one month of the giving of an application".

(b) In sub-clause (4) replace the words "from time to time" by the words "once in three months".

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (i) In sub-clause (2) add the following proviso :-

"Provided that more than one society of the same class may be organised in the same area of operations".

(ii) In sub-clause (3) add the words "if the Co-operative Society so desires" after the words "Registrar may" in the first line and delete the words beginning from "and may" and ending with "another class".]

श्री मोहनराज जैन (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ के सब-सैक्शन (३) में मेरा एक अमेंडमेंट है जो ओरीजिनल प्रोविजन है वह इस प्रकार है :—

'The Registrar may, for reasons to be recorded in writing, alter the classification of a society from one class of society to another or from one sub-class thereof to another...."

(श्री मोहनराज जैन)

और मैं इसके साथ यह जोड़ना चाहता हूं :

"The Registrar may on an application duly supported by a resolution of the general body of the society, for reasons to be recorded in writing..."

यह इसलिये आवश्यक है कि जब एक सोसाइटी का एक दर्जा या एक वर्ग बदल कर दूसरे दर्जे या वर्ग में परिवर्तित किया जाता है तो सोसाइटी की राय जरूर जाननी चाहिये। उसकी राय ही नहीं जाननी चाहिये बल्कि उनके प्रार्थना-पत्र पर रजिस्ट्रार को कार्यवाही शुरू करनी चाहिये। यह इसलिये जरूरी है कि एक सोसाइटी किसी पर्पज के लिये बनाई जाती है और उसके सदस्य उस पर्पज को जानकर उसके सदस्य होते हैं। उनकी बिना जानकारी के रजिस्ट्रार स्वयं यदि अपने आप, बिना उस सोसाइटी का प्रार्थना पत्र प्राप्त किये, बिना सदस्यों की राय जाने यदि क्लासिफिकेशन बदल देते हैं, तो सारी सोसाइटी और मैनेजमेंट के सदस्य अचम्भे में पड़ सकते हैं, इसलिये मेरा अमेंडमेंट देने से पर्पज में फर्क नहीं पड़ता है और विरोधाभास नहीं पैदा होता है और जो अधिकार दिये जाते हैं उनको अधिक बल मिलता है कि

(२. २८. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

सोसाइटी की ओर से प्रार्थना–पत्र आया और जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन था इसलिये बदलने की कार्यवाही की गई। यदि रजिस्ट्रार जरूरी मानता है कि सोसाइटी का दर्जा बदला जाय और सदस्य खुद महसूस करते हैं कि सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिये रद्दोबदल करना चाहते हैं तो सोसाइटी के सदस्य और मैनेजिंग कमेटी खुद सोचेगी कि उनकी सोसाइटी मजबूत हो, अच्छा काम करे, जनता जानने की अवस्था में नहीं है तो आगे इसलिये यदि सोसाइटी के तौर पर मूव कराया जाय, उनका प्रार्थनापत्र और रिजोल्यूशन लिया जाय तो मेरा ख्याल है कि गड़बड़ी नहीं होगी, शंका नहीं होगी और रजिस्ट्रार को जो अधिकार मिला है उसमें बल मिलेगा इसलिये इसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि इतना संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सहकारी समितियों को रजिस्टर करने के लिये क्लॉज नं० ४ (१) की आखिरी लाइन में लिखा है, "उनको रजिस्टर किया जा सकता है"। मैंने अपने संशोधन में कहा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ख्वास्त देने के बाद एक महीने में रजिस्टर्ड की जा सकेगी।

मेरा कहने का यह मतलब है कि बहुत सी दफा जब समितियां लोग बनाते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं एप्लीकेशन को लेकर तो बहुत दफा देखा है कि रजिस्ट्रेशन कराने में काफी अर्सा लग जाता है। किसी किसी सोसाइटी को रजिस्टर दो चार दिन में ही करके भेज दिया जाता है और कुछ ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन दो-दो महीने, चार-चार महीने, छः

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

छः महीने और साल भर तक नहीं हुं ता है। उनमें पता नहीं. किस तरह रोकथाम होने लग जाती है। इसलिए मैंने इसके अन्दर साफ तौर से लिखा है कि कोई भी सहकारी समिति अपने को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार महोदय के सामने एप्लीकेशन लेकर जाये तो रजिस्ट्रार महोदय एक महीने के अन्दर अन्दर उसको रजिस्टर कर दें। इस तरह का प्रोविज़न रखा जाना चाहिए ताकि जो रजिस्ट्रेशन में ढिले होने का सवाल है वह नहीं हो।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, मेरे क्लॉज ४ में दो संशोधन हैं।

पहला संशोधन सब क्लॉज़ (२) में है; वह यह है कि इसके अन्त में एक परन्तुक जोड़ दिया जाय, एक प्रोवीज़ो जोड़ दिया जाय :

"The Registrar shall classify societies of the nature specified in sub-section(1)with reference to their objects, area of operations, membership or any other prescribed matter, into such classes or sub-classes as may be prescribed; provided that more than one society of the same class may be organised in the same area of operations."

सभापति महोदया, इस अमेंडमेंट से मेरा यह मकसद है कि अभी इस प्रकार का प्रतिबन्ध रजिस्ट्रार लगाता है कि एक क्लास की सोसाइटी एक पर्टीक्यूलर एरिया में रजिस्टर हो गई तो उस क्लास की सोसाइटी उस एरिया में रजिस्टर नहीं हो सकती। इस तरह का प्रतिबन्ध लगाने से, अभी हमारे प्रान्त में जिस लेवल पर यह सहकारी आन्दोलन है, मैं समझता हूं कि उस सहकारी आन्दोलन के फैलाव में बाधा पहुंचती है और वही सहकारी सोसाइटियां ज्यादा सफल होती हैं जिन सहकारी समितियों में एक जैसे विचार के लोग हों, जो लोग मिल-जुल कर आसानी से चला सकते हों और जिनमें एक दूसरे में ज्यादा विश्वास हो। इस प्रकार के लोग इकट्ठे होकर जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं तो वह सोसाइटी ज्यादा दिलचस्पी से चलती है और वह कोऑपरेटिव सोसाइटी कामयाबी से चलती है। मान लीजिये कि हमारे यहां एक उपभोक्ता भंडार है। अब एक पर्टीक्यूलर वार्ड में एक उपभोक्ता भंडार किसी ने पहले कदम उठा कर बना लिया है तो उस वार्ड में उसी नेचर का दूसरा उपभोक्ता भंडार नहीं बन सकेगा। इसका मतलब यह है कि वहां कुछ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं या मजदूर रहते हैं वे एक उपभोक्ता भण्डार अपने लोगों के लिए बनाना चाहें, तो चूंकि एक कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी उस एरिया में बन गई है इसलिये दूसरी नहीं बन सकती। अलवर के सिटीज़न्स, जिनके अलावा कुछ लोगों ने सोसाइटी बना ली है. उसके अलावा सोसाइटी बनाना चाहें तो उन पर रजिस्ट्रार प्रतिबन्ध लगा सकते हैं; गो मैं जानता हूं, अभी भी बहुत सारे मामलों में इस बात को लागू कर दिया जाता है. कई जगह के मामलों में उल्लंघन कर दिया जाता है। मैं समझता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूं कि स्पेसिफिकली यह कन्डीशन उस देश में लागू हो सकती है जहां सेट पर्सेन्ट लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती हों या होने की सम्भावना हो, बहुत सुन्दर काम हो रहा हो और सब उसके अन्दर मिल-जुल कर काम कर रहे हों। लेकिन जहां हमारे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट अभी इन्फेंसी की स्टेज पर है यहां इस प्रकार का प्रतिबन्ध कोऑपरेटिव आन्दोलन को आगे बढ़ाने के हक में नहीं होगी। इसलिए हम इस प्रकार वालन्टरी नेचर का प्रावधान रखें कि उस एरिया में दूसरी सोसाइटी उसी क्लास की, उसी नेचर की बनाई जा सकती है। तो मैं, समझता हूं कि इससे आन्दोलन बढ़ेगा और एक विचार के लोग मिल-जुल कर काम कर सकते हैं। आखिर उसमें भी बिजनेस होता है, पैसा लगता है और उसके अन्दर ईमानदारी और बेईमानी का सवाल भी पैदा होता है। तो जिन लोगों का आपस में विश्वास हो वे लोग ज्यादा अधिक अच्छी तरह उस सोसाइटी को चला सकेंगे, वर्ना इसका नतीजा, सभापति महोदया, यह होता है कि आपस में झगड़े चलते ही रहते हैं।

एक एरिया में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर कुछ लोग बैठ गये। उन्होंने जागीर सम्भाल ली और फिर अड़गेबाजी से जिन दूसरे आदमियों को वे उस सोसाइटी में नहीं आने देना चाहते हैं उन्हें उसमें नहीं आने दिया जायगा, अगर कोई दर्ख्वास्त देंगे। उसको एक-दो महीने रखे रहेंगे, उसके बाद में एक्जीक्यूटिव बॉडी में रखेंगे। उस पर विचार करेंगे और उसके बाद में कैंसिल कर देंगे। उसके बाद वे भले ही रजिस्ट्रार के पास में अपील करते फिरें। तो आप अभी जो प्रोवीजन कर रहे हैं उसका नतीजा यही होगा और जिन लोगों में इच्छा होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आकर काम करने की उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। जिस वक्त वह सोसाइटी बनी उस वक्त उनको मालूम नहीं हुआ कि मैम्बरशिप उसमें बना रहे थे। बाद में मेम्बर बनने का प्रोवीजन होते हुए भी उन लोगों को सोसाइटी में आने का मौका नहीं मिलता है और इसके अलावा दूसरे बन भी नहीं सकते हैं। इस तरह वे इस मूवमेंट में आने से वंचित रह जाते हैं। मुझे इसका खुद का तजुर्बा है। अलवर में कोऑपरेटिव उपभोक्ता भंडार कायम हुए। उस वक्त हम लोग दूसरे कामों में लगे हुये थे। तो उस वक्त में उपभोक्ता भंडार हर वार्ड में बन गये और लोग सोसाइटी में पदाधिकारी बन गये। वे दूसरे लोगों को सोसाइटी में आने नहीं देते अगर वे मेम्बर बनने के लिए दर्ख्वास्त देते हैं। तो उन दर्ख्वास्तों को इधर-उधर टाल देते हैं और इन्फेन्टल वे में वे रीअल एड नहीं दे सकते हैं। मैं समझता हूं यह अनहैल्दी प्रैक्टिस है। इसलिए आप इस तरह का प्रावधान कानून में कर दें कि उस एरिया में उसी नेचर की, उसी क्लास की सोसाइटी दूसरी भी बन सकती है, तो मैं समझता हूं कि उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी बनाई गई है उसके काम में बाधा पड़ जायगी, अलबत्ता ऑडिट का काम ज्यादा हो जायगा। यह बात हो सकती है, डिपार्टमेंट के सुपरवाइज करने का काम बढ़ जायगा, यह बात हो सकती है। लेकिन पब्लिक पोइन्ट ऑफ व्यू

Page No 104

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से और सहकारी आन्दोलन को ज्यादा आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रावधान को मंत्री महोदय मान लें तो मैं समझता हूं कि सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने में मददगार होगा।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट इस क्लॉज में यह है :

"In sub clause (3) add the words 'if the Cooperative Society so desires' after the words 'Registrar may' in the first line and delete the words beginning from 'and may' and ending with "another class.'

यानी इस अमेंडमेंट के पहले हिस्से का तो वही मकसद है जैसा बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि एक क्लास से दूसरी क्लास में यदि किसी सोसाइटी का क्लासिफिकेशन करना है तो यह उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनीशियेटिव पर होना चाहिये, उसकी मांग पर होना चाहिये ; यह नहीं कि रजिस्ट्रार महोदय, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, के दिमाग में यह बात आये कि इसका क्लासिफिकेशन दूसरे किस्म का होना चाहिये तो वह अपने आप से कर दें। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि उससे पूछ कर और वह नहीं चाहे तो उसकी इच्छा के खिलाफ भी रजिस्ट्रार महोदय उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लासिफिकेशन बदल सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अविश्वास है और अपने डिपार्टमेंट को आवश्यकता से अधिक शक्ति देकर कोऑपरेटिव मूवमेंट को अपंग बनाने की बात है, कोऑपरेटिव मूवमेंट के अन्दर आप इससे ताकत नहीं भरेंगे। इसलिए यह जो शक्ति रजिस्ट्रार को दी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लासिफिकेशन यदि चाहे तो बदल सकता है, उसकी जगह यह प्रावधान होना चाहिये। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है और बाद का हिस्सा, जिसमें कि उनको अनफेटर्ड पॉवर दे दी गई हैं, यदि वह चाहे तो क्लासिफिकेशन बदल दे, यह कोऑपरेटिव मूवमेंट की स्प्रिट के विरोध में होगा। इसमें डिपार्टमेंट का जिस हद तक सुपरवीज़न होना चाहिये वह सुपरवीज़न रहेगा ही। यह तो ऐसी बात हुई जैसे बच्चे के बारे में मां से ज्यादा चिन्ता मौसी को हो जायगी। यह ऐसी बात है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी जो एक्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, उसके लोगों को अपने हकों की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि उसके बारे में रजिस्ट्रार महोदय को चिन्ता होगी। मैं समझता हूं कि लोग जो हैं, उनकी अक्ल के बारे में इतना अविश्वास करके नहीं चलना चाहिये। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इन दोनों अमेंडमेंट्स को स्वीकार करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सभापति महोदया, इस क्लॉज ४ के....

श्रीमती सभानेत्री : आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं इसके सपोर्ट में बोलना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : सपोर्ट में बोल के क्यों माथो फोड़े रे भाई ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जरूरत है इसलिए अर्ज कर दूं ।

इस क्लॉज ४ के सब क्लॉज (१) में जो माननीय सदस्य, श्री ढाबरिया, ने संशोधन रखा है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अपोज़ कर सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने उसमें यह कहा कि सहकारी समिति होगी उसके रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही एक महीने के अन्दर अन्दर हो जानी चाहिये । कल या परसों इस विधान सभा के अन्दर इस प्रकार का एक प्रश्न माननीय सदस्य रघुनाथ जी ने सहकारी समिति के सम्बन्ध में रखा था और बताया था कि पांच-छः वर्ष से लगातार रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चालू है....

श्री मथुरादास माथुर : कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं रखा था रे भाई !

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो ?

श्री मथुरादास माथुर : वह रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट है न उसमें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ।

श्री मथुरादास माथुर : जैसे बोर्डिंग हाउस होता है, जिसके लिए एड लेने के लिए उसे रजिस्टर कराना पड़ता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लिए कहूं कि एक कोआॅपरेटिव सोसाइटी फोर्म की, उसके रजिस्ट्रेशन के अन्दर छः महीने लग गये । उसके पीछे इधर उधर घूमते रहे, तो उसके पीछे घूमने में भी खर्च लगता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को इससे कितनी हानि होती है यह देखने की बात है । इसलिये जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है कि एक महीने के अन्दर अन्दर कार्यवाही हो जानी चाहिये-यह उचित है और इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाय । इससे जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही के लिए आती हैं उनको भी सुविधा मिलेगी और रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही जल्दी होगी ।

इसका दूसरा जो सब क्लॉज़ है उसके ऊपर जो माननीय सदस्य रामानन्दजी ने संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं कि आपने कहा कि एक क्षेत्र के अन्दर एक कन्ज़्यूमर सोसाइटी बन जाय तो उसके बाद में दूसरी कन्ज़्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाने दी जाय तो जो हम चाहते है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहन मिले वह ज्यादा मिल सकता है और ज्यादा लोगों का उसको संरक्षण होगा । जब कि आपकी मान्यता है कि प्रोत्साहन दिया जाय कोआॅपरेटिव सोसाइटी को तो; मान लीजिये कि एक कोऑपरेटिवसोसाइटी बनी हुई है, उसके मुकाबले में कुछ लोग दूसरी कोआॅपरेटिव सोसाइटी खड़ी कर देते हैं । तो ऐसी हालत में जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सपोर्ट में लोग हैं, उसके विरूद्ध जो दूसरी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, उसमें यह भावना हो सकती है कि पहले बनी हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी तरह खत्म किया जाय और किसी प्रकार की भावना....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सोसाइटी को खत्म करने की भावना नहीं है।

श्री गिरीधारलाल व्यास : यह ओटोमेटिकली भावना आ जाती है। इसलिए एक क्षेत्र में जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो अमेंडमेंट दिया है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि एक क्षेत्र में एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिये ताकि वह ठीक प्रकार से काम कर सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीसरा !

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं इन तीनों तरमीमों को, जो पेश की गई हैं, मानने में असमर्थ हूँ। इसकी वजह यह है कि जो एक महीने का प्रावधान रखने का संशोधन श्री ढाबरियाजी ने प्रस्तुत किया है, उसकी जगह आगे इसी क़ानून में जाकर तीन महीने का प्रावधान आ जायगा और गवर्नमेंट के डाइरेक्शन का भी आ जायगा जिससे आपकी भावना फुलफिल हो जायगी...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : तीन महीने तो बहुत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : तीन महीने तो बहुत नहीं है। मेरी बात सुनिये। एक महीना तो अगर कागजात में कोई डिफेक्ट रह जाय तो उनको वापिस भेजा जाय, उनके भेजने और वापिस आने में लग जायगा। जब कानून बना रहे हैं तो आप लोगों को इतना लेटीट्यूड दीजिये। वर्ना इसके आगे गवर्नमेंट का डाइरेक्शन हो जायगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें जो तीन महीने का आगे प्रावधान रखा है वह ठीक है, बाकी कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए मैं तीन महीने का समय मुनासिब समझता हूं।

रामानन्दजी की जो तरमीम है वह क्लॉज़ २ के अन्दर है। उन्होंने यह फर्माया है....इसको रिजिडली फोलो करेंगे और डेट ऑफ ओपरेशन के बारे में अमेंडमेंट रखा है। मैं समझता हूं कि हमारा जो यह क्लॉज़ है वह इस कन्डीशन को फुलफिल करता है। क्योंकि अगर कोई दो सोसाइटीज़ खोलना चाहते हैं तो उसके लिये हमने इसमें यह कहीं नहीं कहा है कि दो सोसाइटीज नहीं खोली जायें, और न हमने इसमें यह कहीं कहा है कि वह खोल दी जावेगी। आपने कहा कि अगर एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से लड़ने-मरने को तैयार हो और आपस में कम्पीटीशन करे तो उस समय इस चीज को एग्जामिन करना होगा और इसके लिये सोचना होगा। इसलिये मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

दूसरी बात यह कही गई और इसके लिये श्री मोहनराजजी का और आपका भी संशोधन था, आपकी तरमीम यह थी कि कैरेक्टर बदल जावेगा। सोसाइटीज़ तो

(श्री मथुरादास माथुर)

दरख्वास्त देती हैं और उसमें हमें आगे जा कर यह देखना पड़ता है कि कोऑपरेटिव प्रिन्सीपल्स और सोशियल जस्टिस और कोऑपरेशन और पब्लिक मोरेलिटी के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। इसके लिये कोई देखने वाला तो होना ही चाहिये।

"Registrar may record reasons thereof."

इसकी तो अपील हो सकती है। इसलिये आपको जो खतरा है वह भी नहीं रहता। आपने कहा अहमद, तो हमने कहा महमद। बस इतना ही अन्तर है। अगर हम आपको कहें कि महमद लिख दो तो आप कब लिखने वाले थे। इसलिये आपने कहा अहमद, तो हमने कहा महम्मद। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका और हमारा मकसद एक है और इस आपका और हमारी, दोनों का, मक्सद पूरा हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदया, कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लेंगे।

श्री मोहनराज (बाली) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनः सोचें क्योंकि आप इनको स्वतन्त्र इकाई बनाने जा रहे हैं। और यह क्लॉज, मैं समझता हूं कि सहकारी समितियों के लिये बहुत घातक होगा। हमारे यहां की सहकारी समितियां इतना भला नहीं सोचती, जितना कि रजिस्ट्रार सोचते हैं। मैं यह कहूंगा कि सहकारी समितियों का खुद का भला सोचने के लिये जो मैंने अमेन्डमेंट रखा है उसको रखना उचित होगा। आपके यहां पर सोसाइटी के इन्सपैक्टर और दूसरे लोग हैं जो सोसाइटी को गाइड कर सकते हैं, उनको गाइडेन्स दे सकते हैं, उसमें रेगुलेशन पास करवा सकते हैं। अगर वे इन्सपैक्टर उनको गाइडेन्स देकर रिजोल्यूशन पास करावेंगे तो इससे उन लोगों में जागरूकता आवेगी और वे अपना भला और बुरा सोच सकेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर पुनः विचार करें और सहकारी समितियों की खुद की तरक्की के लिये उनको आगे आने का मौका दें और इससे उन लोगों को खतरा इसलिये नहीं होगा कि आपके अधिकारी सारी बातों से जानकार हैं, और वे उनको प्रोपर गाइडेन्स देंगे और रिजोल्यूशन पास करवाएंगे। यह कहना कि इससे उनकी तरक्की में बाधा पहुंचेगी, इस बात को मैं नहीं मानता। आपने यह जो किया है यह उनका दुर्भाग्य है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जैसा माननीय मन्त्री ने कहा है कि आपने प्रोविजन किया है कि तीन महीनों में रजिस्ट्रार गवर्नमेंट को रेफर कर दे; रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कर सके इसके बाद में आपने यह कहीं नहीं लिखा है...

श्री मथुरादास माथुर : आप क्लॉज ८ देख लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदया, अभी तो कोरम नहीं है, कार्यवाही कैसे चलेगी? कोग्रपोरेशन के बनाने वाले माननीय सदस्य भी नहीं हैं, उनको तो कम से कम बुला लिया जावे; उनके बगैर यह कार्यवाही कैसे चलेगी?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : या तो आप क्लॉज़ ८ में यह कह दें, कि गवर्नमेंट इतने दिनों में रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ को कर देगी। रजिस्ट्रार को दो महीने का या तीन महीने का या एक महीने का समय दे दें, अन्यथा मेरा अमेन्डमेंट मान लिया जावे। मैंने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें सारी बातें आ जाती हैं। मेरा अमेन्डमेंट है कि "after the word 'registered' insert the words 'within one month of the giving of an appiication."

समय समय पर सूची प्रकाशित की जावे उन संस्थाओं की जिनको रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा। मैंने समय समय पर यही कहा है कि तीन महीनों में एक दफा सूची प्रकाशित करें कि कितनी समितियों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है। बजाय इसके कि वे अलग अलग एक दो, तीन, चार सूचियां निकालें, तीन महीनों में एक ही सूची पूरी की पूरी निकाल दें। मेरा ख्याल है कि माननीय मन्त्रीजी को इसको मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार की सूची राजस्थान राजपत्र में निकलती है ?

श्री मथुरादास माथुर : समय समय पर निकलती रही है।

श्रीमती सभानेत्री : क्या माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसे वे वापिस लेंगे?

एक माननीय सदस्य : वे तो लेंगे ही।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री मोहनराज ने जो संशोधन रखा है ...

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्यों को एक बात समझा दूं कि हर सोसाइटी को बाई लॉज़ बनाने का अधिकार है। अगर ऐसे बाई लॉज़ बनाए जावें जो उचित नहीं हों तो रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह उनको अस्वीकृत करे। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार के सामने जब तक बाईलॉज़ नहीं आवेंगे तब तक उसको कैसे मालूम होगा ? जब एप्लीकेशन और बाईलॉज़ रजिस्ट्रार के सामने ही नहीं आवेंगे, तो रजिस्ट्रार उसको कैसे तय करेगा? इसको भी हमने अपीलेबल ऑर्डर कर दिया है। इससे ज्यादा आप इसमें हमसे क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ऐसी सोसाइटीज़ का जिक्र कर रहे हैं जिनका एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जावे और सारी बातें क्लेरीफाई हो जावें और फिर आपका रजिस्ट्रार क्लेरिफिकेशन को बदलना चाहे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : रजिस्ट्रार महोदय के पास स्वतः तो कोई ऐसी सूचना होती नहीं कि फलां चीज को बदलना है। जब आप एप्लीकेशन देंगे और आप कहेंगे कि इसको बदलना है तभी तो वह कुछ बदलेगा। राजी–खुशी बदलते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है; अन्यथा रजिस्ट्रार कहता है कि यह नहीं होना चाहिये और वे कहते हैं कि यह होना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री मोहनराज से) आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की यह मंशा है कि श्री मोहनराज को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में जो संशोधन श्री रामानन्द ने रखा है उसे स्वीकार किये जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६, श्री मोहनराज।

[इस खण्ड में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी) मंत्री) : (I) In sub-clause (2) (b), in the proviso, delete the word "village',.

(ii) for the Explanation, substitute the following Explanation, namely:-

"Explanation.-for the purposes of clause (b) of sub-section (2), the expression:

(श्री मथुरादास माथुर)

(i) "family" means a family consisting of a husband and a wife, their children and grandchildren being dependant on them and the widowed mother of the husband so dependant;

(ii) "weaker section" shall mean such economically and socially backward or neglected scetion of the Community, as may be prescribed."

(२) श्री मोहनराज (बाली): In part (d) of sub-clause (2) delete the words "or belong to the same class" from the last line.

(३) श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): In sub-clause (1) replace the words "in such form as........ about the society as he may require" by the words "in the prescribed manner."

(ii) In sub-clause (2) :-

(i) after part (b) add the following as part (bb)-

"(bb) where all the applicants are co-operative Societies the numbers of applicants shall not be less than five, and in other cases not less than ten"

(2) In part (d) delete the words, "save where the Registrar, by general or special order otherwise directs "and also the words "or own immoveable property."

(iii) For part (ii) of the Explanation substitute the following :—

"(ii) "Weaker section shall mean persons belonging to scheduled castes or backward classes."]

श्री मोहनराज : सभापति महोदया, इस क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (२) में 'In part (d)(d) of sub-clause (2) delete words 'or belong to the same class' from the last line.' इसमें "belong to the same class" को हटा लेने से इसका जो मैन पर्पज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और "belong to same class", यह जब कि सब ओक्युपेशन से क्लॉज गवर्न होता है। यह एक महत्वपूर्ण क्लॉज़ है। ओक्युपेशन को क्लेरीफाई करना है तो "belong to the same class तथ्यपूर्ण है। ये शब्द है" इनको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये फालतू शब्द हैं, इसलिये इनको हटाने के लिये मैंने अपना कट मोशन मूव किया है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज (१) में मेरा पहला संशोधन है उसमें यह कहा गया है कि:—"An aPplication for the registration of a cooperative society shall be made to the Registrar in such form as the Registrar may, from time to time, specify; and the applicant shall fur-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

nish to him all such information about the society as he may require...",

तो इसमें रजिस्ट्रार को हर एप्लीकेशन के बारे में, चाहे जैसा फोर्म प्रेस्क्राइब करें, तो उसके लिये रजिस्ट्रार के हाथ में डिस्क्रीशन दिया गया है। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह पहले ही कानून की पूरी जानकारी करके कानून के अनुसार ही अपनी एप्लीकेशन पूरी करके रजिस्ट्रार के पास ले जाए, उसके बजाय रजिस्ट्रार पर निर्भर रहना पड़ता है कि वह पर्टीक्यूलर काम के लिये सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसका क्या फॉर्म होगा। इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं कि कानून में हर आदमी को जानकारी होनी चाहिये कि किस फॉर्म में एप्लीकेशन होना चाहिये और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिये, ये सब चीजें आपके कानून में दर्ज होनी चाहिये और इसके लिये लोगों को इस बात की जरूरत नहीं होनी चाहिये कि वे हर बात के लिये रजिस्ट्रार से डाइरेक्शन लें। हम अगर इसको रूल्स में प्रोवाइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैंने यह चीज़ रजिस्ट्रार के हाथ में आपने जो रखी है उसमें यह रखा है कि:—

"In the prescribed manner."

ताकि आप रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दें कि एप्लीकेशन इस फोर्म में होनी चाहिये, हम उसका प्रोफोर्मा दे दें और उनके मुताबिक एप्लीकेशन पेश हो जावे। यह तो मेरा सब क्लॉज़ (१) में अमेन्डमेंट है।

दूसरा संशोधन मेरा सब क्लाज (२) में है, उसमें पार्ट (बी) के बाद दूसरा बी०बी० पार्ट जोड़ने का सजेशन दिया है :

"Where all the applicants are cooperative societies the number, of applicants shall not be less than 5 and in other cases not less than 10."

मैं समझता हूं कि जिस तरीके का यह मौजूदा ड्राफ्ट है इसमें कुछ कमियां हैं; मैं यह मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी इस ओर जरूर ध्यान से देखें। इसमें एक तो सोसाइटीज़ के क्लासीफिकेशन के बारे में जिक्र किया है कि सर्विस कोऑपरेटिव के कितने सदस्य होंगे। यह बात तो आपने दे दी कि इतने सदस्य होंगे और शेअर केपिटल मिनिमम ७५० रुपये होने चाहिये। दूसरों में कितने सदस्य होने चाहिये, इसके बारे में लेकुना है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसमें दुरुस्ती की जरूरत है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि दूसरी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जैसे कि सैन्ट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिनके बारे में आपने जिक्र किया कि सदस्य ५ होने चाहिये। दूसरी जो मिक्स्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जहां सारे एप्लीकेन्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, उसमें मैंने १० की मेम्बरशिप रखी है।

(४.०० म. प.)

इस तरीके से सब किस्म की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूरी हो जायंगी। इस फिगर के बारे में मंत्री महोदय को एतराज हो तो मैं इसके बारे में इतना एडेमेंट नहीं

Page No 112

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूं, इस लेकुना को दूर करना आवश्यक है, जिन सर्विस कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा दूसरी कोआॅपरेटिव सोसाईटीज़ के और बारे में स्टेच्यूट में कोई बात नहीं रखी तो रूल्स में पाबन्दी नहीं लगा सकेंगे वह गड़बड़ होगी ; इसलिये इसको स्टेच्यूट में प्रोवाइड करने की जरूरत है ।

७५० रुपया मिनिमम कैपीटल रखी है, इसे कम किया जाना चाहिये, इसकी आवश्यकता नहीं है । साधारण पैसे से भी चल सकता है, १० रुपये रख सकते हैं, एक खंदी का रख दें । आखिर सब्सिडी लोन दूसरी जगह से मिलेंगे, इसलिये मैं समझता हूं यह कैपिटल का रखा है इसकी आवश्यकता नहीं है :

In part (d) delete the words 'save where the Registrar, by general or special order 'otherwise directs' and also the words 'or own immoveable property.'

सभापति महोदया, पार्ट (डी). है वह यह है :

"Where the objects of the Cooperative society include the creation of funds to be lent to its members and where all the applicants are individuals, save there the......"

श्रीमती सभानेत्री : I request you to be brief please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Save where the Registrar, by general or special order otherwise directs, the applicant shall reside or own immovable property in the same village or town......"

मकसद इस क्लॉज़ का यह है कि जहां क्रैडिट देने का सवाल है वहां पैसा इकट्ठा किया जाय, उसी गांव का रहने वाला होना चाहिये । तो इसमें जो डिस्क्रीशन रजिस्ट्रार महोदय को दिया है वह अनावश्यक है, यह बिना मतलब के झगड़े का कारण बनेगा, रजिस्ट्रार पर जबर्दस्ती पक्ष-पात के आरोप लगेंगे । कर्जा लेने के लिए वहां के लोग होने चाहिये, फिर रजिस्ट्रार को जबर्दस्ती एग्ज़ेम्प्शन क्रियेट करने के अधिकार दें, यह खीर में मूसल घूंसने की बात है ।

दूसरे इसमें प्रोविज़न रखा है, इम्मूवेबल प्रोपर्टी वाला होना चाहिये तो यह आपका वही पूंजीवादी तरीका है । जिनकी मूवेबल प्रोपर्टी है उनके अलावा भी लोगों को रखना चाहिये । इसलिये यह इसमें से निकाल दिया जाना चाहिये :

"he shall reside or own property in the same village;

यह मेरा संशोधन है ।

तीसरा है :

"for Part (ii) Explanation, substitute the following 'Weaker Section shall mean persons belonging to scheduled castes or backward classes.

जो मौजूदा क्लॉज़ में वीकर सैक्शन की डैफिनिशन रखी है वह बहुत ही वेग है । मंत्री

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय ने भी अमेंडमेंट दिया है वह काफी नहीं है :

'Weaker section' shall mean such section of the village community, which is economically and socially backward or neglected;"

होता क्या है कि गांवों में हरिजन है, बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं जिनको हम कमीण कहते है, ऐसे लोगों को लोग मौका कम देते हैं...

श्रीमती सभानेत्री : Kindly be brief. There are 147 amendments.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर अमेंडमेंट रखने का तो मौका मिलेगा ही ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सहकारिता का बिल बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है, इस पर पूरा डिबेट का मौका होना चाहिये । राजस्थान में सहकारी अधिनियम लागू भी है, इस सैक्शन में यह बिल पास न भी हो तो जल्दी नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि कोओपरेटिव सोसाइटीज़ कायम नहीं हो सकेंगी । पूरी डिबेट तो कराइये ।

श्री हरिराम चांदू (सिवाना–सु०) : अभी माननीय सदस्य रामानन्दजी अग्रवाल ने जो शब्द कहे उन पर आपत्ति उठाता हूं, इन्होंने कहा कि हरिजनों को कमीण कहते हैं, वे शब्द हटा दिये जायें । "कमीण" तो वे होते हैं; मैं बताऊं अलवर में कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनाई थी मजदूरों की । मुनाफा मिलता था । जब तक अग्रवालजी को नफा मिलता रहा तब तक चलाई, जब वे मजदूर जागृत हो गये तो वह कोआॅपरेटिव सोसायटी खत्म कर दी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी ? मैं माननीय सदस्य को खुली छूट देता हूं कि बिना मुझे नोटिस दिये, बिना मुझसे पूछे, मेरी राजनैतिक जिंदगी के पीरियड का जब तक आपको पता चले, किसी भी समय का मेरे खिलाफ कोई भी आरोप हो आप किसी भी कांग्रेस वाले से जांच करवा लें और जो वे फैसला देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, आपको जांच की खुली छूट है । अभी पूरी जानकारी धारूजी आप नहीं लाये, आप पूरी जानकारी करके हाउस में रख दें, उसे मै स्वीकार करूंगा ।

तो सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि वीकर सेक्शन का यह डेफिनिशन रखा है कि इकोनोमिक हालत अच्छी नहीं हो तो कुछ जातियां, जिनका पूरा सोशियल स्टेटस नहीं है, उनको शामिल नहीं करते; हरिजन, नाई, कुम्हार है इनको शामिल नहीं करते तो । मंत्री महोदय ने जो रखा है कि परसेंटेज उनका रहना चाहिये वह सही डाइरेक्शन है, पर ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, किसान भी, बनिये भी गरीब होते हैं, और एक्चुअल लाइफ में देखते हैं कि बेकवर्ड जिनको कहते हैं उनको शामिल नहीं करते है । इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट्स और बेकवर्ड क्लासेज को वीकर सेक्शन में रखिये, भीलों के इलाकों में उन्हें भी प्रोवाइड कर दें । यह मेरा अमेंडमेंट था ।

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : माननीय समापत्ति महोदया, क्लॉज ६ में मेरी तरमीम है उसे पेश करता हूं :

(i) In sub-clause (2) (b), in the proviso, delete the word 'village."

विलेज की जगह सोसाइटी टाउन में भी हो सकती है।

जो एक्स्प्लेनेशन है, उसका दूसरा ड्राफ्ट पेश किया है :

"for the Explanation, substitute the following :—

Explanation namely :—Explanation.-For the purposes of clause (b) of sub-section (b), the expression—"

फैमिली की परिभाषा की है :

"family" means a family consisting of a husband and a wife, their children and grandchildren being dependant on them and the widowed mother of the husband so dependant;"

इसको हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में है वही रखा है, वर्ना फैमिली की परिभाषा बड़ी हो जाती तो एक ही कुनबे के लोग मिलकर सोसाइटी बना लेते, इसलिये यह रखा है।

वीकर सेक्शन के लिये मेरी तरमीम यह है :

"Weaker section" shall mean such economically and socially backward or neglected section of the community, as may be prescribed."

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बैकवर्ड, शिड्यूल्ड कास्ट्स को रखने का है, वह तो है ही, सादिकअली कमेटी ने जो परिभाषा दी थी वह रख रहे हैं पर वह लम्बी हो जायगी, गांवों में और भी लोग हैं जो बहुत गरीब है, उनको अवसर होना चाहिये। कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर वीकर सेक्शन मान लेना आज के जमाने में ठीक नहीं रहेगा।

अगर आदिवासी आदि आ गये इस क्लॉज के बाहर नहीं जा सकते :

"'weaker section' shall mean economically and socially backward or neglected."

इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज वाले आ जाते हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आप अंग्रेजी में पढ़कर क्या सुनाते हैं, हिन्दी में बोलिये।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दी में बता देता हूं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा समाज का जो कमजोर तबका है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये रामानन्दजी ने जो कहा वह सवाल पैदा नहीं होता।

कानून जो बनाया जाता है वह केवल आज और कल के लिये नहीं बनाया जाता, वह तो

(श्री मथुरादास माथुर)

आने वाले भविष्य के समाज के लिये भी फायदेमन्द हो, इस दृष्टि से बनाया जाता है। इसलिये आप मेरी तरमीम को मंजूर करेंगे और जो मोहनराजजी ने तरमीम रखी है उसको वे वापिस लेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): बहुत सी जगहों पर इस प्रकार के भी आदमी होते हैं। भूमिहीन काश्तकार, उनके नाम पर खेती नहीं होती है, वैसे लोगों को सदस्य बनाने का कैसे प्रावधान करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : वह भी सदस्य बन सकता है। खेती नहीं होगी तो भी इसमें 'रेज़ीडेन्स' वर्ड काम में लिया गया है; मकान हो या इम्मूवेबल प्रोपर्टी हो या रहने वाला हो, दोनों में से एक हो; इस तरह से लैन्डलेस लेबर भी इन्क्लूड हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें नम्बर सात रखा गया है ?

श्री हीराभाई : पचास मेम्बर हैं, दस-दस रुपये के शेयर लेते हैं तो ५००) रु० होते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एक मेम्बर दो शेयर भी लेने वाला है, पांच भी ले सकता है; ७५० होना चाहिये।

श्री हीराभाई : हिस्सा पूंजी में ज्यादा हिस्सेदार हो जायेंगे तो कार्यकारिणी का सवाल खड़ा हो जायेगा।

श्री मथुरादास माथुर : वोट एक ही होता है, चाहे कितने ही शेयर क्यों न हों।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मिनिमम ७५० लिखा है वहां ५०० होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : वीकर सेक्शन में एक भी शेयर लेता है लेकिन दूसरे जो महाजन मेम्बर हैं वह एक शेयर ज्यादा लेता है तो इससे हमारी शेयर केपीटल बढ़ती है। हमारा यह अनुभव है कि मेम्बर पचास पर पांच सौ ही रुपया इकट्ठा होता है, पांच सौ एक भी मुश्किल से कर पाते है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप वीकर सेक्शन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं या मालदार को दो-दो शेयर्स देना चाहते हैं। उस हिसाब से वोट राइट उनको ज्यादा होगी।

श्री मथुरादास माथुर : को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत एक ही वोट होता है, कर्जा नहीं दिया जायगा, यह भी रख दिया है। ७५० रुपया रखा गया है।

श्रीमती सभानेत्री : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेम्बर्स के बारे में क्लाज १५ सदस्य की इन्डीविजुअल को-ऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल है तो उसके बारे में कोई नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : वह मैं मानता हूं; पन्द्रह मेम्बर्स होंगे, पांच सोसाइटीज़

(श्री मथुरादास माथुर)

होंगी। एग्रीकल्चरिस्ट क्लास है, ऑक्यूपेशन के अन्दर अलग अलग है, दोनों के रखने से माफ हो जाता है; 'class' does not mean caste.

श्रीमती सभानेत्री : (श्री मोहनराज से) क्या आप अपना अमेंडमेंट वापिस लेते हैं ?

श्री मोहनराज : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की अनुमति है कि श्री मोहनराज को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे संशोधन प्रस्ताव के एक भाग को तो स्वीकार कर लिया गया है, बाकी इन्डीविजुअल मेम्बर्स होंगे उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री मथुरादास माथुर : इन्डिविजुअल मेम्बर नहीं अलाउ करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा दूसरा अमेंडमेंट है। आप रजिस्ट्रार को पॉवर्स क्यों रखना चाहते हैं ? आप इसमें रजिस्ट्रार को पॉवर रख रहे हैं मेम्बर्स की डेफीनिशन में। 'डी' में है कि उस एरिया का रहने वाला होना चाहिये। इसमें एक्सेप्शनल पॉवर्स दे रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो रही है जिसके बारे में पॉवर देना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह इसलिये देना चाहते हैं कि लुमेटिक लोग हैं जो अपने स्थान से दूर नहीं जा सकते, उनके पास इम्मूवेबल प्रोपर्टी नहीं है; वैसी हालत में रजिस्ट्रार को पॉवर है वह अलाऊ कर सकता है। इस तरह के पॉवर देकर हमने प्रगतिशील कदम उठाया है। स्टुडेन्टस हैं जो रहने वाले तो यहां के हैं लेकिन बाहर पढ़ते हैं वे सभी सोसाइटी बना सकें इसलिये रजिस्ट्रार को पॉवर्स दिये गये हैं। यह प्रगतिशील कदम है। जिसकी सराहना की जानी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : स्टुडेन्ट्स के लिये १८ वर्ष की लिमिट रखी है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टुडेन्ट्स तो ऐसे भी होते है जिनके पोते-पोती हो जाते हैं, फिर भी स्टुडेन्ट हैं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में श्री रामानन्दजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्डिविजुअल अमेंडमेंट पर वोटिंग होना चाहिये।

Page No 117

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपका अमेंडमेंट (बी) (बी) है, उसको लिया है।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने खण्ड ६ में जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ७, श्री मोहनराज।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री मोहनराज (बाली) : (1) Delete the words "class or" from the fifth line of this clause.

(2) Insert the words "or whether any person belongs to the Weaker Section of the village community" between the word and a comma "occupation," and the words "the question shall be".

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : After the words "by the Registrar" add the words "and an appeal against the decision of the Registrar which shall be subject to an appeal to the Tribunal."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : In the explanation between the word "by" and the word "agriculture" insert the words "engaging himself personally in the major operations of".

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी मंत्री) : (i) After the word "occupation", insert the words "or a weaker section of the community."

(ii) after the expression "whose decision shall" insert the expression, "subject to the provisions contained in section 127."]

श्री मोहनराज (बाली) : पहला जो मेरा संशोधन है क्लॉज ७ को डिलीट करने का वह मैं वापिस लेता हूं।

दूसरा यह है।

Insert the words 'or whether any person belongs to the Weaker Section of the village community

यह रजिस्ट्रार महोदय को जो अधिकार दिया है कि अगर किसी प्रकार का कोई

(श्री मोहनराज)

विवाद खड़ा हो तो उस पर उनका निर्णय फाइनल होगा और मान्य होगा। उसमें दूसरी बातें दी हुई है :

"whether a person is an agriculturist or not or whether any person is a resident in a town or village or group of villages or whether two or more villages shall be considered to form a group or whether any person belonging to a particular class or occupation."

लेकिन

"whether any person belongs to the Weaker Section of the village community;"

यह इस धारा में नहीं लिया गया है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर महोदय को अख्तियारात हों कि वे यह तय कर सकें, "whether a person belongs to weaker section or not;"

इससे इसकी मंशा जो है वह पूरी होगी और यह सेक्शन अपने आप में सेल्फ कन्टेन्ड हो जावेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह जो सात क्लॉज हैं, जब कोई यह प्रश्न उपस्थित हो कि :

"आया इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति कृषक है या नहीं अथवा आया एक व्यक्ति कस्बा या ग्राम या ग्राम समूह का निवासी है, अथवा आया यह माना जायगा कि दो या अधिक ग्राम एक समूह में सम्मिलित हैं, अथवा आया कोई व्यक्ति किसी वर्ग या धन्धा विशेष वाला है, तो उसका निर्णय रजिस्ट्रार द्वारा किया जायगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।"

इसके अन्दर मैंने एक संशोधन यह दिया है कि जो निर्णय रजिस्ट्रार इस सम्बन्ध में करेगा, अगर कोई भी आदमी रजिस्ट्रार के निर्णय से असहमत हुआ तो वह उसकी अपील ट्रिब्यूनल के सामने कर सकेगा और जो ट्रिब्यूनल निर्णय देगा वह फाइनल समझा जावेगा। इसलिये रखा है कि कोई न कोई आदमी एक ही जगह जाकर निर्णय दे वह उससे असन्तुष्ट हो और उसकी अपील करना चाहे तो वह ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल, का निर्णय फाइनल होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, इस क्लॉज़ में मेरा संशोधन यह है कि एक्स्प्लेनेशन में जो एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा दी हुई है वह परिभाषा ऐसी है कि जिसके अन्दर पूरा शोषक वर्ग एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से सहकारी आन्दोलन के अन्दर घुस सकता है। एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा इसमें यह दी है कि :

"the word 'agriculturist' shall mean a person who earns his livelihood wholly or substantially, by agriculture or raising livestock or cattle-breeding.,,

Page No 119

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसका मतलब यह हुआ कि जो खेती पर बिल्कुल काम न करे अपनी सारी जमीन बंटायी पर दे दे और बांटा पुराने तरीके से ले, ३/४ ले, बंटायी से आमदनी होगी, एग्रीकल्चर पर लिवलीहूड होगा तो ऐसे लोगों को, ऐसे सामन्ती तत्वों को शोषक तत्वों को पूरी तरह से छूट हो जावेगी इसके अन्दर। मैंने शुरू में ही सभापति महोदया, यह कहा था कि इस एक्ट की दिशा पूंजीवादी है। शोषक वर्ग को दूसरे शब्दों में उस पर पर्दा डाल कर उसको छिपाने की कोशिश की है। इसमें भी वही चीज सामने आ रही हैं। इसलिए मैंने संशोधन रखा है।

"In the explanation between the word 'by' and the word 'agriculture,' insert the words 'engaging himself personally in the major operations of'."

और इस तरह से यह डिफिनिशन यह हो जावेगी कि :

" 'agriculturist' shall mean a person who earns his livelihood wholly or substantially by engaging himself personally in the major operations of agriculture or raising livestock or cattle-breeding."

इसका मतलब यह हुआ कि सीधे तौर से हल जोतने वाला, फसल को काटने वाला, मेहनत करने वाला, जो लेबर करता है वही लोग एग्रीकल्चरिस्ट कहला सकेंगे और वह होता है और उन एग्रीकल्चरिस्ट की सोसाइटी बनी तो वह तो लाभ उठा सकेगी। अगर सरकार ने अमेरिकन टाइप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनायी तो कुछ भी रख लें, वर्ना यदि आप एग्रीकल्चरिस्ट को शोषक वर्ग से बचाना चाहते हैं तो इस डेफिनिशन को हटा कर इस अमेण्डमेन्ट को मंजूर कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : उत्तर देने से पहले एक तरमीम पेश करता हूं दफा ७ में। वह यह है .

"(i) After the word 'occupation' insert the words 'or a weaker section of the community."

"वीकर सेक्शन ऑफ दी कॉम्युनिटी" को डिफाइन ऊपर कर दिया है, इस लिये यहां जोड़ना आवश्यक हो गया है।

दूसरा :

"after the expression 'whose decision shall', insert the expression, 'subject to the provisions contained in section 127.' "

वह आपकी बात पूरी हो जाती है। दफा १२७ में ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है। वही मकसद आपका पूरा हो जाता है।

अब रामानन्दजी का और हमारा पूंजीवाद का प्रश्न चलता है। मुझे यह निवेदन करना है कि मतलब निकालें वैसे निकलता है। मेरी भावना यह थी कि—

"for the purpose of this section, the word 'agriculture' shall mean a

(श्री मथुरादास माथुर)

person who earns his livelihood wholly or suqstantially by agriculture."

जो रोटी कमाता है, wholly or subs. tantially by agrinulture'......

श्रीमती सभानेत्री : बंटायी वाली बात आयेगी।

श्री मथुरादास माथुर : कैसे आवेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कैसे नहीं आवेगी ? He is earning his livelihood by agriculture.

श्री मथुरादास माथुर : जितने कानून बनाये हैं उसमें यही परिभाषा डाली है। मान लीजिये कि रामानन्दजी अगर किसी जगह खेती करें तो सहकारी आन्दोलन वाले को रोकने का प्रश्न क्यों होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कृषि मंत्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी अगर नयी खेती करने वाले हैं तो उनको उसमें शामिल करने वाले हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं एग्रीकल्चर में पैट्रोल का पम्प तो नहीं डाल सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप डाल रहे हो।

श्री मथुरादास माथुर : प्लानिंग कमीशन ने और हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट ने एग्रीकल्चरिस्ट की जो लेटेस्ट डेफिनिशन ली है वही यहां ली है। खेती से पेट भरता है और चाहे जमीन न हो तो सब उसमें आ जाते हैं। कैटल ब्रीडिंग का भी काम करता हो। लाइव स्टॉक हो ; पार्शियल और होल्ली उस पर जिन्दा रहता हो। इसलिये मैं आपकी तरमीम को मानने से मजबूर हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उनको एन्वीसेज करते हैं जो होल्ली और पार्शियली बांटे पर एग्रीकल्चरिस्ट को देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अब कहां है बांटा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह है ना।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हजारों बीघा वालों को भी आपने वैसा ही मान लिया है। ऐसे लोगों को कृषक मानेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जिन लोगों ने सीलिंग से बचने के लिए पचासों धन्धे कर रखे हैं, खातेदारी राइट्स ले रखे हैं, बंटायी पर काश्त करते हैं और खेती नहीं करते हैं उन सब को खुली इजाजत दे दी है। अगर आपकी यह कठिनाई रही तो राजस्थान केनाल में लाखों भूमिहीन किसान हैं, आप उन भूमिहीनों को नहीं बसाते हैं तो कहां का समाजवाद है? राजस्थान केनाल में ही यह स्थिति पैदा करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर्सनल कल्टीवेशन क्या होना चाहिये, उसमें प्लानिंग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कमीशन में बहस चल रही है। एग्रीकल्चरिस्ट उसमें रखना चाहते हैं तो पर्सनल कल्टीवेशन में पर्सनल लेबर को आप इन्ट्रोड्यूस करिये, वर्ना तो फ्युडल एलीमेंट को पूरी तरह से घुसने की इजाजत मिल जावेगी। जागीरदारों का नाम बदल कर खातेदार रख दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जब हम यह तय कराना चाहते हैं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जो डेफिनिशन दी है उसको स्पष्ट कर लेना चाहिये क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है और कौन नहीं है, यह तो हम राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में विस्तार से कह चुके हैं और दे चुके है। एक ही व्यवस्था कानून मे करने की जरूरत है। टीनेन्सी एक्ट में जो डेफिनिशन मानी है इसमें भी यही मानी जाय। टीनेन्सी एक्ट में स्कोप बढ़ा दिया है एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें यह लिखना चाहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट को सर्टिफिकेट कलेक्टर से लेना चाहिये। आपका रजिस्ट्रार यह पूर्ण रूप से तय नहीं कर सकता कि राजस्थान में कौन कौन काश्तकार हैं? वास्तव में काश्तकार है या नहीं? कलेक्टर सर्टिफिकेट दे दे कि यह एग्रीकल्चरिस्ट है और उनकी तहसील में रहता है, उनके सर्किल में एग्रीकल्चर करता है। यह डेफिनिशन माननी चाहिये ताकि सारे कानून में एक ही रफ्तार होनी चाहिये। मैं समझता हूं सहकारी मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे और उनको कोई एतराज नहीं होगा और इस विधान सभा के द्वारा बनाये हुए कानून हैं उनकी व्याख्यायें हैं इसलिए उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : "कृषक" शब्द की जो परिभाषा रखी गई है और उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपका कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Amendment can be supported.

श्री गिरधारीलाल व्यास : अमेन्डमेन्ट नहीं है तो क्या हुआ? बोल तो सकता हूं। आप इजाजत नहीं देंगी तो ठीक है।

एक माननीय सदस्य : रख सकते हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिनाड़ा) : शोर्ट में कहूंगा। कृषक की डेफिनिशन यही रहनी चाहिये। खुद खेती करे और खातेदारी राइट्स का उपयोग करता है वह उसमें आता है। खातेदारी राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेफिनिशन आयी है। खातेदारी के राइट्स दिये हैं। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यहां जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वह यथार्थ है और ऐसे ही रहना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : संक्षेप में अर्ज करता हूं कि जिस प्रकार से एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा दी हुई है यह बहुत वाइड है। अगर इसको ठीक ढंग से नहीं किया गया तो मनी लेंडर में प्रावधान किया है, मनी लेंडर शामिल नहीं किये जावेंगे, कई दूसरे भी इस डेफिनिशन में आ जावेंगे, पशु धन को पालते हों, जमीन में खेती

Page No 122

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करते हों और जीविका खेती से हो इसका बहाना लेकर कोई भी मनीलेंडर इसमें समावेश कर सकेंगे। वाइड डेफिनिशन दी है वह गलत है। ऐसा दायरा करना चाहिये कि जिससे सही रूप में कृषक की डेफिनिशन आ जाय। कृषक वही है जो अपने हाथ से खेती करे। ऐसे जागीरदार जिनके पास हजार बीघा जमीन है और सीलिंग से बचने के लिए किसी ने फार्म्स बना लिए और बड़े बड़े फार्म बना लिए हैं और साधन बना लिये हैं उन्हें सही रूप में एग्रीकल्चरिस्ट कैसे कहा जा सकता है? इसलिए यहां पर एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा दी हुई है वह बहुत बड़ी है और इसको सीमित रूप में रखना चाहिये ताकि सही आदमियों की एग्रीकल्चरिस्ट की कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सके।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टीनेन्सी एक्ट में भी यह है डेफिनिशन :

" 'Agriculturist' shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle-breeding;"

मैंने तो इसको और भी सुधारा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नये टीनेन्सी एक्ट की बात क्यों नहीं करते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने उसको देखा ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको देख लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : पर्सनल कल्टीवेशन की बात दूसरी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसको आप ठीक कर लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो एस्केपिज्म है क्लीयरली।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस वक्त पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन होगी, मोतीलालजी चौधरी काश्तकार नहीं रह सकेंगे, विधायक ही रह जावेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं सही माने में काश्तकार हूं और हमेशा रहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तब अंगूरों की खेती में न नाथूरामजी सम्मिलित हो सकेंगे न सुखाड़ियाजी सम्मिलित हो सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कुलक्ष के हाथ में देना चाहते हैं या किसान के हाथ में?

श्री मोतीलाल चौधरी : किसान के हाथ में।

कैटल ब्रीडिंग राजस्थान में है, वह इम्पोर्टेन्ट है। भेड़ पालन करना चाहते हैं जो रुपये में १४ आना काम करते हैं खेतों में उसे क्यों छिपाते हो?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही अमेन्डमेन्ट चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, इस एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन को लेकर कुछ वाद-विवाद पैदा हुआ। मेरा निवेदन यह है कि आखिर इसमें एग्रीकल्चर वर्ड कहां आया । कोई लोन के बारे में एग्रीकल्चर वर्ड का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि दफा ८२ के अन्दर लैंड डेवलपमेंट बैंक में एप्लीकेशन देने के सम्बन्ध में यह उस पर एप्लाई होगी डेफिनिशन लोन लेने के लिये ।

"This chapter shall apply to the purchase or acquisition of title to agricultural lands by tenants under the Rajasthan Tenancy Act or the liquidation of debts..."

तो यहां जाकर एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन आई है और वर्ड एग्रीकल्चरिस्ट लाये है। बाकी कहीं नाम ही नहीं लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लासिफिकेशन के जितने पॉवर्स दिये हैं (४) में उसके तहत सोसाइटी बना सकेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए वहां लफ्ज सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट काम में लिया है, टीनेन्सी एक्ट का हवाला देते हुए काम में लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन के सदस्य केवल ऐसी सोसाइटी अगर बनावें तो कृषक बन सकेंगे और कृषक की डेफीनिशन वहां लागू हो जावेगी।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बना सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : लैंड डेवलपमेन्ट बैंक के साथ एसोसिएट है। लैंड डेवलपमेन्ट के लिए इसको लेते हैं तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये और टीनेन्सी एक्ट में मौजूदा तारीख में जो डेफीनिशन है उसको माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा म्युचुअल बेनीफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो उसमें यह दस परसेन्ट वाला लागू नहीं होगा। वहां एग्रीकल्चरिस्ट का होगा। तो ऐसे म्युचुअल बेनीफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेफीनिशन रहेगी वह कृषक हो सकेगा। तो सवाल यह है कि किस किस्म के कृषक को आप उसमें रक्खेंगे तो ऐसी सोसाइटी बन सकती है जो सिर्फ लैंड मोर्टगेज लैंड से ही सम्बन्धित नहीं है जिनके जरिये पॉवर रजिस्ट्रार महोदय को देते हैं। इसलिये म्युचुअल बेनीफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अल्टीमेटली क्या फार्मिंग करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : वह बने और उसके बनाने के अन्दर मेरे पास जो जमीन है जो मैं खुदकाश्त की हैसियत से उसे नहीं जोतता तो उसे कोऑपरेटिव फार्मिंग में पूल कर देता है तो उन लोगों के हाथ से निकल कर अगर वह पूल में आ जाये और उस लैंड का इस तरह से टिलेज हो तो इसमें क्या आपत्ति है ? यह तो अच्छा है।

तो मैंने एग्रीकल्चरल टीनेन्सी एक्ट को देखा है उसी की कॉपी की थी। इसके

Page No 124

(श्री मथुरादास माथुर)

बावजूद भी अगर आपको डर है एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से बड़ी बड़ी जमींदारियां बन जावेंगी तो यह कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया जावेगा। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि वे अपनी तरमीम को वापिस ले लेंगे और मेरी तरमीम को पास करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड ७ में प्रभारी मन्त्री ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि....

श्री मोहनराज (बाली) : मेरा संशोधन था वह प्रभारी मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है।

श्री मथुरादास माथुर : इससे कवर हो गया है।

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि उनको अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड ७ जो में संशोधन श्री ढाबरिया ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): वह तो मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको अनुमति दी जाती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : संशोधन वापिस लिया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने हमसे तो पूछा ही नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड सात, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ८

[खण्ड ८ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : in sub-clause (2) the word "Government" wherever occurring be replaced by the word "Tribunal."

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत): in sub-clause (2):—

(a) Substitute the expression "of making the application for registrtaion as specified in section 6" for the expression "on which requirements specified by subsection (1) are complied with.";

(b) add at the end the words " The Government shall issue necessary directions within a period of 2 months from the date of reference having been made to it."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :
(i) in sub-clause (1), part (c) insert the word "socialism" before the words "social Justice;"

(ii) in sub-clause (1), last line, substitute the word 'shall' for the word "may";

(iii) For sub-clause (2), substitute the following new sub-clause:—

" (2) if the Registrar is unable to Register a society within a period of one month from the date of application made under sub-clause (1) the application shall be deemed to have been rejected and the applicant shall have a right of appeal to the Tribunal."

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी-मंत्री) :

(1) In sub-clause (2), after the word "therefore", insert the words "and for seeking extension"

(2) In clause 8, in sub-clause (1) (c) insert the words "but facilitate the establishment of a socialistic pattern of society" after the words "public morality",

(3) In clause 8, in sub-clause (2) for the words "on which requiremet specified in sub-section (1) are complied with", substitute the words "of making the application for registration under section 6";

(4) In clause 8, in sub-clause (2) insert the words "within two months" after the words "by the Government" at the end.]

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): सभापति महोदय, यह क्लॉज ८ के अन्दर जिसके सब-क्लॉज (२) के अन्दर यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार महोदय तीन महीने के अन्दर जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिये आवेगी उसके ऊपर जो भी अपना निर्णय होगा उस निर्णय के बाद उस एप्लीकेशन को सरकार के पास भेजेगा और सरकार जो कुछ भी आदेश देगी उसके आधार पर पालन किया जावेगा।

यह जो क्लॉज ८ की सब-क्लॉज (२) है उसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि बजाय इसके कि वह गवर्नमेंट के पास जावे उसके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बजाय 'ट्रिब्यूनल' शब्द का उपयोग किया जाना चाहिये और इसका कारण यह है कि सरकार और रजिस्ट्रार में, मैं समझता हूं, फर्क नहीं है। जो काम रजिस्ट्रार साहब करेंगे और उसकी अपील अगर सरकार के पास होती है तो वह कोई वेल्यू नहीं रखती और अगर ट्रिब्यूनल के पास अपील होती है तो मैं समझता हूं कि इस आदमी को सन्तोष हो सकता है जो उस ट्रिब्यूनल में अपील लेकर जावेगा।

इसके साथ साथ जैसा कि....

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : ट्रिब्यूनल कौन अपोइन्ट करेगा ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ट्रिब्युनल गवर्नमेंट अपोइन्ट करेगी, लेकिन कौन आदमी हो सकेंगे ? हाई कोर्ट के जज होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट के जजेज के सामने यह जानी चाहिए अपील, तो जजमेंट ठीक रहेगा। और इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने क्लाज़ ४ के अमेंडमेंट के बारे में जो बात कही थी तो उस वक्त कहा गया था कि जब क्लॉज़ ८ वीं आयेगी तो यह जो आपने रखा कि है रजिस्ट्रार साहब को आपने जो पॉवर्स दिये है कि ५ महीने के अन्दर रिपोर्ट दे तो यह १ महीना होना चाहिये और जो अपील करके ट्रिब्यूनल के पास रखेंगे तो वहां दो महीने लिये जायं कि ट्रिब्यूनल उस अपील का फैसला दो महीने में कर दे। इस तरह से ज्यादा डिले करेंगे तो जो सोसाइटियां बनने वाली हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए यह मेरा संशोधन मन्जूर किया जाना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्रीजी, जो संशोधन माननीय श्री ढाबरियाजी ने पेश किया है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने दो संशोधन और प्रस्तुत करता हूं

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : किसने किये हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ढाबरिया जी ने।

श्री मोतीलाल चौधरी : किसमें किये हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सैक्शन में।

आप समझते हैं कि आप जिस तरह से एबसेन्ट माइन्डेड हैं दूसरे भी एबसेन्ट माइन्डेड होंगे !

जो क्लॉज ८ में संशोधन पेश किया है मैंने; मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सख्त अफसोस है, सभानेत्रीजी, कि क्लॉज ८ जो है जिसमें रजिस्ट्रार महोदय को यह अधिकार दिया है कि सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन करने में जो जो शर्त उसमें लिखी है उन शर्तों को देखकर करें। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि पिछले कानून में राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन में जितनी मुश्किलें थी उनसे १० गुना ज्यादा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मुश्किल काम अब हो गया है, सहकारी समितियों को रजिस्टर करने का यह कानून बन जायगा । उसका कारण यह है, सभानेत्रीजी, कि अब रजिस्ट्रार महोदय को यह छूट दी गई है कि वे देखें कि ये ५ शर्तें किसी भी सहकारी संस्था के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त में पूरी हुई हैं।

समिति साउन्ड बिज़नेस के सिद्धान्त को, साउन्ड बिज़नेस के रिक्वायरमेंट को कम्प्लाई करती है या नहीं करती है ? अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साउन्ड बिज़नेस क्या है और क्या साउन्ड बिज़नेस नहीं है। रजिस्ट्रार महोदय जो, कि हाई कोर्ट के जज होंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट के जज हो सकते हैं, जो कि आपके भूतपूर्व रिटायर्ड रजिस्ट्रार हो सकते हैं या ट्रिब्यूनल के मेम्बर मुकर्रर होते हैं, हो सकते हैं। उनको ज्ञान इस बारे में करना है, उनको यह तसल्ली करना है कि जो काम नई सहकारी समिति करना चाहती है यह साउन्ड बिज़नेस के पर्व्यू में आता है कि नहीं आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्राइटेरिया जो आपने रखा है यह मुश्किल क्राइटेरिया आपने रखा है, इसमें आपका फैसला किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं होगा। आपका फैसला मनमाने ढंग से हो सकता है, आपका फैसला राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर हो सकता है और उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो आपने इस सेक्शन में डाली है जिनका कोई प्रिंसिपल नहीं हो सकता, जिनको रूल्स में आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साउन्ड बिज़नेस क्या है कि एक बिज़नेस आज १००) रुपये का घाटे का हो सकता है लेकिन कल वह हजार रुपये के मुनाफे का हो सकता है। खास तौर से जो इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो नई इन्डस्ट्रीज़ लगाती हैं तो इन्डस्ट्री साल भर तक घाटे में चल सकती है और उसके बाद वही इन्डस्ट्री मुनाफे में परिवर्तित हो सकती है। आज कम एक्सपीरियेन्स हो सकता है या इन्डस्ट्री के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं उनको ज्ञान पूरा नहीं हो, टैक्निकल साधन नहीं हो सकते हैं, कोई इन्जीनियर एपोइंट करते हैं वह नौसिखिया हो उसको ज्ञान नहीं हो, उसकी गलती के कारण बिज़नेस में लोस हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति के आधार पर किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर करें। वह इन्कार कर दे रजिस्टर करने को तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो क्राइटेरिया आपने रखा है यह उचित नहीं रखा है। और एक पर्टीक्यूलर क्लॉज़ (ई) जो आपने रखी है क्लॉज़ ८ में यह बिल्कुल मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिलीट की जानी चाहिए।

इसके साथ ही, सभानेत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार के दफतर में जिस दिन की यह धारा ८ की उपधारा (१) में देंगे और सब शर्तें पूरी हो जायेंगी उस दिन से तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रार महोदय उसके बारे में फैसला करेंगे; अब आपने ५ शर्तें रख दीं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और उन ५ शर्तों में रख दिया कि नियम और कानून के अनुकूल हो और यह भी रख दिया है कि मोरल्स हैं उनके अनुकूल हों, प्रिन्सीपल्स ऑफ सोशियल जस्टिस के अनुकूल हो, कोऑपरेटिव सिद्धान्त के अनुकूल हो, पब्लिक मोरेलिटी के अनुकूल हो। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जायेंगी और रजिस्ट्रार यह समझेगा कि पूरी हो गई। उस दिन से आपने कमिश्नर को छूट दी है कि तीन महीने तक, रजिस्टर्ड करे या न करे और यदि नहीं करता है तो आपके पास मे करेगा। मौजूदा गवर्नमेंट के पास मैं निवेदन करना चाहता हूं, माथुर साहब, कि आपके पास कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने कानून में नहीं रखा है। धारा ८ की उपधारा (१) में जब फॉर्मेलिटी पूरी हो जायेगी तो इसको कोई समय नहीं रखा है और रजिस्ट्रार की कोई जिम्मेदारी नहीं रखी है कि एक महीने के अन्दर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराये उसके लिए आदेश दे दें और उन आदेशों को पूरा कर दें और चूंकि आपने कोई स्पेसिफिक बात इस सेक्शन में नहीं रखी है तो रजिस्ट्रार कह सकते हैं कि दरख्वास्त पेंडिंग है। धारा ८ की उपधारा (१) में फॉर्मेलिटीज कायदे-कानून के मुताबिक पूरी नहीं है इसलिए सरकार को कैसे भेजें और इस तरह की दरख्वास्तें हुईं, आपके रजिस्ट्रार के दफ्तर में पड़ी रहती है। माननीय मन्त्रीजी आपको तो खुशी होगी इस प्रोवीज़न से कि सरकार के पास रिपोर्ट आयेगी और सरकार डाइरेक्शन देगी। न सरकार के पास रिपोर्ट आयेगी रजिस्ट्रार की ओर न सरकार कोई डाइरेक्शन दे सकेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा सेक्शन कॉन्स्टीट्यूट किया है और मुझे अफसोस है कि सिलेक्ट कमेटी में जिस तरीके से होकर आये हैं यह राजस्थान की सहकारी समितियों के गठन में बहुत बड़ी बाधा है और उनके मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। इस सेक्शन में मूलभूत रूप से संशोधन किया जाना चाहिए।

सभानेत्रीजी, आपके यहां जयपुर के अन्दर जब सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन का सवाल आया और कन्ज्यूमर्स सहकारी समितियां बनीं उस वक्त में, ताज्जुब होगा आपको सुनकर, इस सदन को ताज्जुब होगा सुनकर कि इन सहकारी समितियों की कोई मीटिंग नहीं हुई मेम्बरों की, बल्कि कुछ लोगों ने यह एफिडेविट दे दिया, यह बयान दे दिया शपथपूर्वक कि फलां आदमियों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में फलां आदमी को अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया था। और उस आधार पर जो कि जयपुर का शहर है इसके अन्दर उन एफिडेविट्स के बेसिस पर १२ कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खड़ी कर दी गईं। रजिस्ट्रार महोदय से पूछना चाहता हूं, इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की एफिडेविट का सरकार ने क्या किया? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भयंकर गलती हुई है।

श्री मोतीलाल चौधरी : जल्दी हुआ या लेट हुआ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके लिए जल्दी हो जायगा और दूसरों के लिए लेट हो जायेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं सभानेत्रीजी, आप जो जल्दी करना चाहते हैं मैं तो जल्दी करना चाहता हूं; नियमित रूप से, तरीके से मीटिंग हो और उसके बाद में प्रोसीडिंग लिखी जाय, इन्सपेक्टर आये और वेरीफाई करे कि मीटिंग हुई और आपकी जल्दी का एक कन्सर्ट यह है कि कोई आदमी फर्जी रूप से एफिडेविट दे दे कि मीटिंग हुई और ये लोग चुने गये और उसके आधार पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन की छूट दे दी और देना चाहते है। कानून के अन्दर तो इस तरह की जल्दी को मैं पसन्द नहीं करता हूं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी नियमों के अनुसार हो और ईमानदारी से कोऑपरेटिव एक्ट की स्प्रिट में हो, उसके अनुकूल जल्दी भी हो तो हम चाहते है कि उसके जरिये जल्दी निश्चित रूप से होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एफिडेविट स्टोर्स जो राजस्थान में बनाये गये है ये ऐफिडेविट स्टोर्स, राजस्थान के सहकारी आन्दोलन के लिए कलंक हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के ये ऐफिडेविट स्टोर्स जयपुर शहर में फन्क्शन करते है उन एफिडेविट स्टोर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह अफसोस की बात है। जिन दिनों ये स्टोर्स रजिस्टर्ड हुए....

श्री मथुरादास माथुर (सहकारी-मंत्री) : सभानेत्रीजी मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : साढ़े पांच बजे तो दूसरा सदन मिल रहा है। चाय पीने का टाइम भी नहीं मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक मीटिंग में जाना है चाय पान के लिए। मंत्रीजी भी शायद जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्रीजी के जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कानून को पास कराऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें जाना है। अभी तो कल का समय है। कल ले लिया जाय और समय नहीं बढ़ाया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : सभानेत्रीजी, मेरी एक सूचना है....

(५ म. प.)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : साढ़े पांच बजे से फर्दर चलने दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो आपने साढ़े पांच बजे का समय रखा है, टैक्सेशन के लिए आधा घंटा और बढ़ाया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी मिटिंग है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अपन इस पर कल रात में बैठ लें। साढ़े पांच बजे के बाद आज और फिर कल में आपका बिल पास करना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : साढ़े पांच बजे से टॅक्सेशन लाॅज़ का चलेगा वह १२ बजे रात तक चले और फिर १ बजे से आपका चले, एक घंटा ब्रेक करके।

श्री मथुरादास माथुर : यदि लीडर ऑफ दी अपोजीशन को एतराज नहीं हो तो मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑल्टरनेट सजेशन यह है कि १७ तारीख को और चलाया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की राय है कि आध घंटे के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

आधा घंटे के लिए समय बढ़ाया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : साढ़े पांच बजे तक रखा है तो आध घंटे की रिसेस भी हो जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन यह है कि आधा घंटा चाहते हैं तो दफा ८ वीं पास करके जायं।

श्रीमती सभानेत्री : तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जयपुर में एफि-डेविट स्टोर्स सहकारी आधार पर बहुत बड़ा कलंक है। यदि ये राजस्थान के दूसरे हिस्से में बनते तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन ये जयपुर में राजस्थान सरकार की नाक के नीचे बने हैं, रजिस्ट्रार की नाक के नीचे इनका गठन किया गया है।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बिल है काफी बड़ा और संजीदगी से इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : संजीदगी से ही हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि ८ क्लॉज ही आज पूरे हुए तो कब पूरा होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : क्लॉज ८ के बाद तो थोड़े रह जायेगे, कुल ३२ अमेन्डमेन्ट्स आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमेन्डमेन्ट्स नहीं दे पाये हैं, कल और देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : ३२ में से ८ वां चल रहा है २४ और बाकी हैं। कुल ३९ खंडों पर अमेन्डमेंट्स हैं; राज्य सरकार के तो २२ खंडों पर अमेन्डमेंट्स हैं और १७ पर प्राइवेट हैं। ८ पास कर चुके हैं। मेरा ख्याल है आसानी से कल पास होगा। आपको संतोष होगा और जब आप कहेंगे कि अब पास करो तब करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कहा १७ अमेन्डमेन्ट आये है। हिन्दी में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आज सर्क्यूलेट किया है इसलिए यह व्यवस्था करें कि आज ४-५ बजे तक पेश किये हैं उनको सर्क्यूलेट कर दिया जाय। ३ बजे की टैक्निकल पाबन्दी है उसमें रिलेक्सेशन करें।

श्री मथुरादास माथुर : संशोधन कल दे दिये गये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज दिये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपके तो संशोधन आये हैं। १२०,१२२ क्लॉज तक ढाबरियाजी पहुंचे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जयपुर के एफेडेविट स्टोर्स के बारे में राज्य सरकार और रजिस्ट्रार ने जो रवैया अपनाया है वह रवैया उपयुक्त नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी दर्ख्वास्तें एक एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास सैंकड़ों मिलेंगी, दो दो साल हो गये सोसाइटीज रजिस्टर नहीं हुई हैं। आप कहते है कि तीन महीनों में रजिस्टर कर देंगे। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितनी पुरानी पेन्डिंग हैं उनकी पूरी सूची मिलनी चाहिये और पुरानी एप्लीकेशन्स पर इन प्रोविजन्स को कड़ाई के साथ लागू करना चाहिये। आज सूरतगढ़ का मजदूर कन्ज्यूमर्स कोऑप-रैटिव सोसाइटी एक साल से कोशिश कर रही है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आज केसरीसिंहपुर के भूमिहीन अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं लेकिन डेढ़ साल हो गया रजिस्टर नहीं हो रही है। जयपुर में चांदी, सोना, चमड़ा और मीनाकारी का काम करने वाले और हैन्डी क्राफ्ट का काम करने वाले लोग अपनी सहकारी समितियों को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं और उनको कोशिश करते हुए एक साल, डेढ़ साल हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नये प्रावधान लाये हैं रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाने के लिए उनको केवल लाना ही काफी नहीं है रजिस्ट्रार को उस पर पाबन्दी करनी चाहिये। जो भी आवें एप्लीकेशन लेकर उनसे फोर्मेलिटी पूरी करवा लें और करवाने के बाद आगामी एक महीने में सारी सहकारी समितियां रजिस्टर हो जानी चाहिये और राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आवे कि इस कारण से रजिस्टर नहीं की हैं तो वह दर्ख्वास्त सरकार के पास नहीं आनी चाहिये, ट्रिब्युनल के पास जानी चाहिये और एक महीने में चली जानी चाहिये और उस पर फैसला एक महीने में होना चाहिये। कुल मिलाकर सारी प्रक्रिया असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से लेकर सरकार और ट्रिब्युनल से गुजर ने के बाद ३ महीनों में किसी न किसी प्रकार से रजिस्टर्ड हो जाय, यदि रिफ्यूजल करना है तो वह भी कर दिया जाय इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी आने वाली एप्लीकेशन के लिए लागू करें उसके साथ साथ पुरानों पर भी लागू कर दिया जाय और जिनके बारे में आपके पास शिकायत है फर्जी हैं या एफीडे-विट हैं उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभानेत्रीजी, इस क्लॉज़ ८ में मैंने तीन संशोधन दिये हैं। यह क्लॉज़ ८ बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज़ है। रजिस्ट्रार किस प्रकार की सोसाइटीज़ को रजिस्टर करेगा, किन आधारों पर करेगा यह इसके अन्दर दिया हुआ है। सभानेत्रीजी एक तो इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि इस सारे एक्ट में और फिर जहां जहां पॉवर्स दी गई है रजिस्ट्रार को रजिस्टर करने की, न करने की, वहां ऐसी टर्म्स यूज़ की गई हैं जो वाइड हैं और जिसका अर्थ कहीं कुछ लगा दे जैसे सोशियल जस्टिस, मोरेलिटी और प्रिन्सिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। सोशियल जस्टिस के बारे में विचार लोगों के अपने अपने अलग अलग हैं। मोरेलिटी के बारे में विचार लोगों के अलग अलग हैं। अब यहां पर बहस होती है, हम रोज देखते हैं ऐसे आरोप लगाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये था, फलां आदमी को अपने रिश्तेदारों को जमीन एलॉट नहीं करनी चाहिये थी, यहां जवाब मिलता है क्या बात है मेरे रिश्तेदार भूखे मर जायेंगे क्या, हमारे देश में यह आदर्श है कि मां अपने बच्चों को पहले रोटी देती है, आप पीछे खाती है....

एक तो यह मोरेलिटी का स्टेन्डर्ड है और एक और दूसरा स्टेन्डर्ड यह है कि पहले अपनी थाली भर लें और जब खूब धाप जावें और जब देखते है कि अपना पेट पूरी तरह से भर गया तो किसी को पीछे टुकड़ा दे दें। सभापति महोदया, हमारे देश में और हमारी सरकार की तरफ जब हम मुख्तलिफ प्रश्नों को देखते हैं तो मुख्तलिफ नजारे पेश किये जाते है। इसलिए यह कहना कि पब्लिक मोरेलिटी के आधार पर वह है या नहीं, कहां तक ठीक है ? इसी तरह से सोशियल जस्टिस का प्रश्न है। मैं यह कहूंगा कि अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग इसका मायना निकालते हैं। अलग अलग वर्ग अपने वर्ग-हितों से अपना मायना निकालते हैं। पूंजीपति लोग अपना मतलब अलग लेते हैं और श्रम वर्ग के लिए इसका मतलब अलग समझते हैं। पूंजीपति लोग यह समझते हैं कि जितना मुनाफा वे कमाते हैं वह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप श्रमिकों से पूछें तो वे यह कहेंगे महनत से ही सब कुछ पैदा करते हैं और वह हम ही पैदा करते है पूंजीपति कुछ नहीं है। आज हम देखते है कि देश में श्रम और पूंजी में बड़ी टक्कर है। बहुत से पूंजीपति लोग इस बात को समझते हैं कि पूंजी ही सब कुछ पैदा करती है और श्रमिक कहते हैं कि श्रम ही पूंजी को पैदा करता है व गैर श्रम के पूंजी ज़ीरो है। दर असल में पूंजी श्रमिकों के श्रम की चोरी है और यह उनकी चुराई हुई मेहनत है और पूंजी का कोई वजन नहीं है। इसलिए सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि सोशियल जस्टिस जैसी बात को रखने से और रजिस्ट्रार महोदय जिसका पुराने तिजोरी से भरा मेन्टल मेड-अप है, इसलिए यह रखना उचित नहीं है। हमने देखा खेरथल में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी. वहां के कितने अनेक मार्केटियर्स थे जिन्होंने यह कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। पहले उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि श्रमिकों के नाम से उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, वह रजिस्टर नहीं की गई तब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन्होंने इन्डस्ट्रीज के नाम से रजिस्टर करवाया। उन्होंने कहा कि हम होम इन्डस्ट्री बनावेंगे और इस तरह से उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और वह सोसाइटी रजिस्टर हो गई। मैं समझता हूं कि पहले उन्होंने जो सोसाइटी बनाई थी वह रजिस्टर नहीं की गई लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी कोऑपरेटिव इस तरह से बना कर लोगों का शोषण किया। इस प्रकार का लोगों का यह धन्धा हो न जावे, इसलिये यह जरूरी है कि इसके लिए कोई रोकथाम हो।

इसी तरह से कोऑपरेटिव प्रिन्सिपल्स के बारे में मैंने जनरल डिबेट्स के समय कहा था कि इनके दो मुख्य उद्देश्य हैं; एक तो अमेरिकन पेटर्न, जिनका मतलब किसी का शोषण करने का नहीं, बल्कि जिनका मेन ऑब्जेक्ट कोमर्शियल एटीट्यूड ज्यादा है। दूसरा प्रिन्सीपल कोऑपरेशन में से यह है कि गरीब लोगों का जो शोषण होता है उसको समाप्त किया जा सके। जिन लोगों के पास ज्यादा अधिक साधन नहीं हैं उन लोगों को भी सहूलियतें दी जाएं। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना देने से उन लोगों को काफी सहूलियतें मिल सकती हैं। सो ऐसी हालत में इसे कोन्क्रीट में डिफाइन नहीं करेंगे। माननीय मंत्री ने कहा कि आप अटेम्प्ट करें। इस बिल में अटेम्प्ट करें....

श्री मथुरादास माथुर : यह बिल ८ महीनों से आपके पास पड़ा है। इन आठ महीनों में आपकी नींद नहीं खुली, अब एक-दो दिन में क्या करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि कोन्क्रीट में प्रयत्न करके रखा जा सकता है। आपने यह बहुत वेग रखा है। ए से जेड तक इसका मतलब कुछ भी लगाया जा सकता है। जिसको इकारना होगा, इकार देंगे। मुझे इस बात का पर्सनल एक्सपीरियेन्स है। मैं आपको अलवर की बात बताना चाहता हूं। अलवर में श्रमिकों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मोटर ड्राइवरों द्वारा बनाई, मगर उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारियों के पीछे ६ महीने तक फिरते रहे मगर एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर नहीं किया। और आखिर में उनको रजिस्ट्रार के पास अपील में आना पड़ा। रजिस्ट्रार के पास अपील की गई और रजिस्ट्रार ने उनकी अपील को एक्सेप्ट किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि होना तो यह चाहिये था कि प्रायोरिटी श्रमिकों को पहले दी जानी चाहिये जो मेहनत करते हैं और उनको परमिट मिल गया। कुछ लोगों को दिलचस्पी थी इसलिए रामगढ़ तहसील के कुछ लोग थे उन्होंने इकट्ठे हो कर अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की इजाजत चाही। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर दिया कि ये सोसाइटी यह धन्धा नहीं करती है। ये इस धन्धे में काम करने वाली नहीं है। उन्होंने इसके बाद में इसका नाम किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से रामगढ़ तहसील में रजिस्ट्रेशन कराया और वह रजिस्ट्रेशन हो गया। उस वक्त तत्कालीन मिनिस्टर महोदय के प्रेशर से वह रजिस्टर हुई। आज उस सोसाइटी की यह हालत है कि बस वगैरह बेच कर सब लोग तितर बितर हो गये हैं। वहां मुकदमाबाजी

Page No 134

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चल रही है और झगड़े चल रहे हैं। इस तरह की वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हालत है। इसी तरह से हमारा अनुभव ये है कि जो आपके पार्टी के लोग हैं या आपके नजदीकी हैं आप उनको प्राथमिकता दे देते हैं। और उसके लिए दूसरी कोऑपरेटिव की डेफिनिशन देकर उसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा देते हैं चाहे वे रजिस्टर होने के काबिल हों या नहीं। और जो वास्तव में नियमों के अनुसार रजिस्टर होने को होती हैं मगर फिर भी उनको रजिस्टर नहीं करते हैं और उनको मारे मारे फिराते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि आप इस एक्ट में इस प्रकार का प्रोविज़न डालें जिसमे पक्षपात न हो सके और आपके ऊपर भी काला धब्बा नहीं लगे। इस रूप में मेरा सजेशन है कि....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अमेंडमेंट में क्या है, वह बात आप कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक आपको इसकी आवश्यकता नहीं समझाऊंगा आपके दिमाग में आवेगा कैसे ?

(शोरगुल)

श्री मोतीलाल चौधरी : आपको इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिये।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने यह बात बताई कहां थी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तो मेरा यह अमेंडमेंट है और दूसरा अमेंडमेंट है कि सारी बातों को पूरा करने के बाद भी आपने रजिस्ट्रार के डिस्क्रीशन पर छोड़ा है। He may register. He shall Register होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : वैसा ही होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये सारी बातें होने के बाद there should be no 'if' and 'but' ये नहीं होने चाहिये। तो इसमें 'may' की जगह 'shall' यूज़ किया जाना चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : कोई भी एप्लीकेशन आवेगी, कई गलत एप्लीकेशन्स आवेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He would register if that application completes all the provisions. जो पहले ही आपकी सारी कन्डीशन्स को पूरा करे, तब उसमें डिस्क्रीशन नहीं होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : चार एप्लीकेशन्स रजिस्ट्रेशन के लिये हों तो क्या उन चारों को रजिस्टर कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, इसमें फिर डिस्क्रीशन क्यों ?

श्री मोतीलाल चौधरी : आखिर दिमाग में भ्रम पैदा करेगा तो स्पष्ट तो करेगा ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर कानून में हम लिख दें। नियम में एक से ज्यादा सोसाइटी बना सकते हैं तो करेंगे। कानून में जो रिक्वायरमेंट्स हों उनको सारी को पूरा करके भेजें, फिर भी आप रजिस्ट्रार के डिस्क्रीशन पर छोड़ें, यह मैं उचित नहीं समझता।

आपने यह रखा है कि तीन महीनों के अन्दर गवर्नमेंट को भेजें तो मेरा यह अमेंडमेंट है कि तीन महीनों में तमाम कम्प्लाएन्स कर दें। मगर इसमें मैं यह कहूंगा कि बहुत समय लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां एक सोसाइटी थी उसने कोई पूर्ति नहीं की। गोविन्दगढ़ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसका पांच साल बाद ओब्जेक्शन यह आया कि (अश्रव्य) से की है, इसलिये इसको वापिस भेजा जाता है। इसलिये यदि आप कम्प्लायेन्स होने के बाद रखेंगे तो यह सालों का काम हो जावेगा। यह पेंन्सिल वाली बात ५ साल बाद आई। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय एप्लीकेशन पेश करें उस दिन से समय रखा जावे न कि कम्प्लाएन्स से। इससे मैंने सजेस्ट किया है कि एक महीने का समय रखिये। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जिन्दा रखना चाहते हैं। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार एक एक जिले में दो दो है और भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे ज्यादा लम्बा समय नहीं है।

दूसरा आपने यह लिखा है कि इसको गवर्नमेंट के पास भेजना चाहिये, यह उचित नहीं है। आज गवर्नमेंट पर पक्षपात करने के आरोप लगे हुए हैं, उसको दुरुस्त करना है तो गवर्नमेंट को चाहिये कि इसको न रखें। गवर्नमेंट को अपने कपड़े साफ रखने चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि जैसा गवर्नमेंट डाइरेक्शन देगी वैसा होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर यही होगा जैसा कि ड्राइवरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हुआ और दूसरी सोसाइटीज का हुआ। पहले जिसको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने रजिस्टर नहीं किया उसको रजिस्टर करने के लिए जिस समय मिनिस्टर ने कहा तो वह रजिस्टर हो गई। इसलिये मैं आपसे यह सजेशन करता हूं और अगर तीन वर्षों में आपका रेकॉर्ड अच्छा रहे तो फिर आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। अभी आपका रेकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिये गवर्नमेंटको पॉवर्स नहीं देना चाहिये। ट्रिब्यूनल को पॉवर देते हैं। ट्रिब्यूनल में चला जावे वहां पर जैसा फैसला करे वैसा हो जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदया, पहले मैं एक अमेंडमेंट मूव करता हूं वह छोटा सा है : "In sub-clause (2) after the word 'therfor' insert the words 'and foı seeking extension".

यह क्लॉज ८ में मेरा अमेंडमेंट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सब सेक्शन (२) में है...

श्री मथुरादास माथुर : मैं, सबसे पहले श्री सुराणा और श्री रामानन्द ने कहा है इसका सब-सेक्शन (२) में "If the Registrar is unable to dispose of an application for registration

(श्री मथुरादास माथुर)

within the period of three months from the date of application" यह हो जावेगा "on which requirements specified in sub-sec (1) are complied with" यह मैं मंजूर करता हूं । और यह डिलीट होकर, till the word 'on which to complied with' ये डिलीट हो जावेंगे और यह एड हो जावेगा "from the date of application" अर्जी दे उसके तीन महीने में रेफरेन्स कर दे : "He shall forward the papers to the Government with his report stating the reasons therefor" इसके बाद में एड किया है, "and for seeking extension" आखिर थोड़ी देर के लिये मान लिया जावे कि तीन महीने खत्म हो जावे तो मय रीजन्स के भेज सकेंगे । इसलिए १५ दिन का एक्सटेन्शन और दे दिया जावे । गवर्नमेंट के पास भेज देना कोई कागज का रिफ्यूजल नहीं होता । वह गवर्नमेंट से समय मांग सकता है और उसके बाद में रजिस्ट्रार फैसला करेगा और रजिस्ट्रार की अपील हमने रखी है "and expeditious disposal of the registration of society" यह तो हो जावेगा । अब रहा....

श्री मानिकचंद सुराणा : सब-सेक्शन (३) की अपील का क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसकी भी अपील गवर्नमेंट के पास होगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पॉवर्स थे ।

श्री मथुरादास माथुर : वे पॉवर्स तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बोर्ड को डेलीगेट किये थे । वास्तव में वह पॉवर तो गवर्नमेंट के पास थे । झगड़े में ८ महीने और फिर ३ महीने मैंने यह माना है ।

दूसरा श्री रामानन्द ने प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशियल जस्टिस पर बहुत जोर दिया है । आपने कहा, इसको इस तरह से करना होगा ।

"If the Registrar is satisfied that the aims of the proposed society are not inconsistent with the principles of social justice"

अब क्या है ?

"not inconsistent but facilitates the establishment of socialist kind of society"

यह अब ऐसा है ।

"but facilitates the establishment of the socialist pattern of society..."

इसमें जो आप सोशियल जस्टिस का इशारा करना चाहते थे उसका पर्पज सर्व हो जावेगा । इससे आपका भी काम हो जावेगा और सोशियलिज्म की बात भी आ जावेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें प्रश्न यह है कि इसमें जो वर्ड्स हैं ...

"Morality and socialist society.."

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ये दोनों डाल दें तो इसकी डेफिनिशन क्यों न हो ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई झगड़ा होगा तो गवर्नमेंट करेगी। पब्लिक मोरेलिटी के हिसाब से किशनगढ़ के पास सोसाइटीज़ तोड़ी हैं। इसमें सोशियल जस्टिस आदि डाला है और फर आपका पोइन्ट आया सोशियल जस्टिस का दूसरा नजरिया हो सकता है। तो इससे आपका भी जो सोशियल पैटर्न ऑफ सोसाइटी में जो नजरिया रखा है वह रखा है।

"but facilitates the establishment of sociaist soctliety..."

ये शब्द इसमें डालने से आपका काम हो जावेगा और जो नजरिया उधर डालना चाहते हैं वह उधर चला जावेगा और बाकी जो अमेंडमेंट है इसका...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो वर्ड्स सब सेक्शन (२) में "and for seeking the extension..."

यह हाउस सरकार को भी डाइरेक्शन दे कि दो महीनों में...

श्री मथुरादास माथुर : आप सारों के माई-बाप हैं। मैं तो खुद इसको बहुत चाहता हूं कि जल्दी होना चाहिये। मगर थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है वह लगना चाहिये, यह बात मान ली। इसके बाद....

श्री मानिकचन्द सुराणा : Extension not extending two months.

श्री मोतीलाल चौधरी : चार महीने।

एक माननीय सदस्य : दो महीनों से ज्यादा एक्सटेन्शन सरकार भी नहीं दे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): सरकार के पास एक्सटेन्शन के लिये रजिस्ट्रार करेगा तो फिर सरकार क्या करेगी।

श्री माथुरदास माथुर : दो महीने।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पांच महीने तो इस तरह से हो गये। फिर एक्सटेन्शन देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आप लोग यह समझते थे कि कोई नार्मल चीज हो रही है। हमने रेमिडी रख दी है।

सब सेक्शन (३) में सरकार ने पॉवर रखी है, रजिस्ट्रेशन की अपील है यह सरकार के पास नहीं रख कर वह ट्रिब्यूनल को डेलिगेट कर देनी चाहिये। इस बिल में यह हाउस इन्कॉर्पोरेट करें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वैसे ही आपको बहुत भरोसा है, मुख्य मंत्रीजी ने अपने रिश्तेदारों को जमीन देने के मामले की जांच इसके एक सदस्य से करवा....

श्री मथुरादास माथुर : बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसी कोई चीज इसमें नहीं है; गवर्नमेंट है और ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल में इस प्रकार के केस जाते नहीं हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : रेवेन्यू बोर्ड में देगी नहीं होगी क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : बोर्ड में ढिले होगी, पर वहां न्याय की उम्मीद है। वैसे ही आप कहते हैं कि रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन का फैसला हम नहीं करेंगे तो फिर सरकार ऐसे पॉवर रखती क्यों है ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अन्तिम स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के मामलों में नॉन-ऑफिशियलाइज़ेशन करना चाहिये। तो फिर लोग क्यों माथुर साहब के पास आकर चक्कर काटें, क्यों भीमसिंह जी के पास आयें।

श्री मथुरादास माथुर : भीमसिंह जी या किसी और के पास आने का प्रश्न नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसी चीज इसमें नहीं है; गवर्नमेंट है और ट्रिब्यूनल है। मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस पॉवर को गवर्नमेंट एक्सर्साइज़ नहीं करेगी ? यह आश्वासन दे दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : जुडिशियल नेचर के हैं वे ट्रिब्यूनल में जायेंगे। बाकी एग्ज़ीक्यूटिव मामले हैं वे गवर्नमेंट तय करेगी। 'गवर्नमेंट' लफ्ज़ गवर्नमेंट ही है।

श्रीमती सभानेत्री : आपने संशोधन रखे हैं, पढ़ कर सुना दिये जायं।

श्री मथुरादास माथुर : एक तो यह अमेंडमेंट मंजूर किया है :—

"In sub clause (1) (c) insert the word 'but facilitates the establishment of socialistic pattern of society."

यह मेरा हो गया।

दूसरा अमेंडमेंट यह है :

'from the date of application, add the after date," word "of application" and delete "on which to complied with."

यह डिलीट किया जाय, यह मंजूर किया है।

दूसरा मंजूर यह किया है :—

"and for seeking extension not more than two months..."

रजिस्ट्रार से एक्स्टेन्शन सीक कर, रजिस्ट्रार से एक्स्टेन्शन सीक न हो और गवर्नमेंट के पास कागज आ जाय तो गवर्नमेंट within two months डाइरेक्शन दे देगी : "with such direction as may be issued by the Government within two months."

एक तो यह हो जायगा two months का व दूसरा रजिस्ट्रेशन का यह मूव किया था :

'and for seeking extension not more than two months.'

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरा पीरियड ७ महीने का हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : ७ महीने का नहीं होगा। रजिस्ट्रार एक्स्टेन्शन चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा दो महीने का ले सकता है।

'and for seeking an extension not more than two months.'

और फिर गवर्नमेंट एक्स्टेन्शन नहीं करे तो भी दो महीने में गवर्नमेंट तय कर दे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ में प्रभारी मंत्रीजी ने जो दो संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये।

माननीय मानिकचन्दजी, आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा संशोधन पार्टली स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री सुराणा को अपने संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw my amendment.

श्रीमती सभानेत्री : रामानन्दजी आप अपना अमेंडमेंट विदड्रा करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ट्रिव्यूशन को भेजने का जो है उसको मैं प्रेस करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ में श्री रामानन्दजी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

यह सभा आज शाम के ६ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ५ बज कर ३८ मिनिट पर आज म. प. ६ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(विधान सभा की बैठक पुनः म. प. ६. ५ पर प्रारम्भ हुई)

(राव श्री नारायणसिंह, श्री उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६५

(अगेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान करारोपण विधेयक।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ६ पास हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष : होने के बाद....

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : ८ चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड ८ यथा-संशोधित...

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : इसका जवाब नहीं हुआ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें और संशोधन हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पारित हो सकता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : खंड ८ चल रहा था, उस समय सदन का टाइम खत्म हो गया था, फिर आपने एडजोर्न कर दिया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह आपके फेवर में कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप अभी जाना चाहें तो चले जायं, हाउस एडजोर्न कर देते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ ८ में अपीलेबल ऑर्डर है उसके बारे में निवेदन कर रहा था कि सेक्शन....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में रखें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जो रजिस्ट्रेशन की लाएबिलिटी सेक्शन ६ के तहत फिक्स करने का ऑर्डर है, वह ऑर्डर अपीलेबल होना चाहिए। दूसरा जो अटेचमेंट के बारे में ऑर्डर है यानी "and sale of property under section 11 (4)" वह भी ऑर्डर अपीलेबल होना चाहिए। तीसरा, यदि रिफन्ड वाउचर इश्यू करने से मना करे तो सेक्शन २३ के अन्डर में वह भी अपीलेबल होना चाहिए। और चौथा जो एन्युअल रिटर्न सबमिट करने का सवाल है, यानी जिसकी कुल बिक्री ३० हजार है, जो ३० हजार से कम बिक्री वाला असेसी है, उसको असेसमेंट के लिए यह छूट दी गई है कि साल में एक बार वह रिटर्न फाइल कर सकता है और चूंकि उसके लिए स्पेशल कन्सेशन दिया गया है कि साल में एक बार रिटर्न दिया जाय, उसके लिए पर्मीशन लेनी होती है। वह पर्मीशन सैल्स टैक्स अधिकारी से नहीं मिलती हो तो वह कन्सेशन नहीं रहता है। उसके बाद में उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीज़न में जाना हो तो वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा सकता है लेकिन वह मंहगा पड़ता है। क्योंकि वह ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, यह प्रोवाइड नहीं है इसलिए उसके लिए रिवीज़न के लिए रेवेन्यू बोर्ड में जाना होता है और वह मंहगा पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जो ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, उसमें इस ऑर्डर को भी, जैसा लास्ट ईयर कहा था, जो सैल्स टैक्स ऑर्डर है इसको भी अपीलेबल कर दीजिये ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जो ऑर्डर अपीलेबल है वह रहे और जो ऑर्डर रिवीज़नेबल है उस ऑर्डर को रिवीज़नेबल के बजाय अपीलेबल बनाने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो ऑर्डर सैल्स टैक्स का रिवीज़न में जा सकता है उसको अपीलेबल बनाने में क्या आपत्ति हो सकती है। इससे उनको फायदा होने वाला है; जो छोटे असेसी हैं, गरीब असेसी हैं और जो कम स्थिति में हैं उनको डिप्टी कमिश्नर के पास ही रिलीफ मिल जायेगा। मेरा निवेदन है

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कि जो मेरा अमेंडमेंट है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तो कौल साहब को पायलट करने दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ८ पर कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य के चार अमेंडमेंट्स हैं और मावली से आने वाले माननीय सदस्य का एक अमेंडमेंट है, इसलिए मैं पहले मावली से आने वाले...

(सदन में किसी के हंसने पर।)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन हंस रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य का जो १४ नम्बर पर अमेंडमेंट है और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का अमेंडमेंट नम्बर ७ है, ये दोनों एक प्रकार के हैं। इन अमेंडमेंट्स के जरिये माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि असेसिंग ऑथोरिटी के कुछ ऑर्डर्स को अपीलेबल बनाना चाहिए। हालांकि इस ओरिजिनल बिल के अन्दर जो प्रावधान रखा गया है उसमें राज्य सरकार ने तीन ऑर्डर्स को अपीलेबल बनाया है, एक ऑर्डर जो सेक्शन ६ के सब-सेक्शन (४) के नीचे होगा वह, दूसरा सेक्शन १७ के नीचे होगा वह और तीसरा ऑर्डर धारा २२ के सब-क्लॉज़ ६ में होगा वह-ये तीनों ऑर्डर्स अपीलेबल बनाये हैं। लेकिन माननीय सदस्यों को इससे संतोष नहीं हैं। आज वे चाहते हैं कि चार और ऑर्डर्स को अपीलेबल बनाया जाना चाहिए; पहला है क्लॉज़ ६ के अन्दर "fixing the liability under section 6;" इसको अपीलेबल बनाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्दर इस बात का प्रावधान है कि जहां असेसिंग ऑथोरिटी रिफ्यूज़ करे तो उसकी अपील हो सकती है। यह ऑलरेडी प्रावधान है। उसके साथ साथ इसी बिल में इस बात का प्रावधान रखा है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर, जिसमें सर्टीफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अमेंड या कैंसिल किया जाय, को अपीलेबल रखा है, तो रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जहां दो ऑर्डर्स अपीलेबल हैं वहां तीसरा ऑर्डर भी आप अपीलेबल बनाना चाहते हैं और वह है, "fixing the liability of registration." उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह दलील मेरी समझ में नहीं आई कि जहां इस प्रकार कोई ऑर्डर असेसिंग ऑथोरिटी पास करे हालांकि असेसिंग ऑथोरिटी पास नहीं करती है, लेकिन यह एज़्यूम कर लिया जाय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, जो डीलर है, जो सेक्शन ३ के अन्दर है, उस डीलर की रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो इजाजत दे दी गई है जो पहले रजिस्ट्रेशन कराने की लाएबिलिटी होगी, किन्तु उसके साथ आप कहते हैं कि उसको अपीलेबल बनाये यदि उस पर कोई liability

(श्री परसराम मदेरणा)

fix की जाय, तो ये दोनों बातें कान्ट्राडिक्टरी इन टर्म्स हैं। आप यह चाहते इसलिए हैं कि आप और हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति रजिस्टर हो जाता है तो रजिस्टर होने के साथ ही उसके कुछ प्रिविलेज होते हैं, जैसे उसको 'सी' फॉर्म लेने का अधिकार हो जायगा और उसके जरिये वह माल मंगा सकता है, उसके ऊपर दो पर्सेन्ट टैक्स लगेगा। एक प्रिविलेज यह है। दूसरा प्रिविलेज यह है कि अगर वह लोकल पर्चेजिंग करता है रॉ-मैटिरियल का, तो एक पर्सेन्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर वह रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन होने के साथ कुछ एडवान्टेज ज हो जाते हैं और कुछ प्रिविलेजेज। जैसा मैंने कल निवेदन किया, रिटर्न पेश करने की लाएबिलिट भी है। इसलिए माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगर कोई रजिस्टर नहीं करवाये तो उस पर लाएबिलिटी फिक्स नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि उसके साथ प्रिविलेजेज़ है तो इसमें माननीय सदस्य को एतराज नहीं होना चाहिए और उस ऑर्डर में लाएबिलिटी तब फिक्स होती है जब असेसिंग ऑथोरिटी किसी व्यक्ति को कहती है कि आपका टर्न ओवर टैक्सेबल है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप रजिस्ट्रेशन करायें। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो पैनल्टी इम्पोज की जायगी, और यह पैनल्टी ऑर्डर अपीलेबल कर दिया है और उसके बाद में असेसमेंट होगा। अब असेसमेंट ऑर्डस की भी अपील होती है और दोनों ऑर्डर्स रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में असेसिंग ऑथोरिटी पास करता है तो मैं समझ नहीं सका कि यह किस प्रकार का ऑर्डर होगा जिसको आप अपीलेबल बनाना चाहते हैं। अगर दोनों प्रकार के ऑर्डर्स हैं जिनमें इन्टेन्शन जाहिर होती हैं असेसिंग ऑथोरिटी के, ऐसे दोनों ऑर्डर्स अपीलेबल हैं तो यह कौनसा तीसरा ऑर्डर अपीलेबल बनाना चाहते हैं? तीसरा ऑर्डर, जिसमें, रजिस्टर होना जरूरी है—यह ऑर्डर देता है तो मैं समझता हूं कि यह कोई मायने नहीं रखता है और ...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह एक्सप्लेनेशन इस बात की व्याख्या के लिए दिया कि यह संशोधन पेश किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, जिसका अभी जिक्र किया, ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। अगर दे भी दिया जाय तो कानून में उसकी वकत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने लिए संशोधन है, आप खुद स्वीकार करेंगे, जो संशोधन हम लोगों ने रखा है, जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें यह चाहते हैं कि डीलर को रजिस्ट्रेशन कराने की वॉलिन्टरी छूट हो, आपने इसमें केजुअल डीलर को अभी भी वॉलिन्टियरी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दफा ६ के नीचे केजुअल ट्रेडर को वालिन्टियरी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं दी है। उसके लिए कह दिया कि सेल्स टैक्स के कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर को कि तुम्हारी लाएबिलिटी रजिस्ट्रेशन कराने की है। अब वह अपील नहीं करे तो करेगा क्या? इसलिए उसको अपील करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, जिसमें लाए–

श्री मानिकचन्द सुराणा)

बिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर रजिस्टर कराने के लिए कह दे तब उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस स्थिति में वह अपील कर सकता हैं और दिखा सकता है कि केजुवल ट्रेडर है और इसलिए रजिस्ट्रेशनं कराने की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। यह बात वह सिद्ध कर सके इसलिए जो अपील का प्राव–धान रखता है आपके सेक्शन ३ की उप–धारा (१) में, उसके तहत रजिस्ट्रेशन की लाएबिलिटी नहीं हो सकती। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह प्रावधान रखा है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो वात...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप पहले बोल चुके हैं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जो आप अभी कह रहे थे कि मेरी बात समझ में नहीं आई उसके लिए में कहना चाहता हूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर के रिफ्यूजल की अपील है। मान लो, कोई आदमी रजि–ट्रेशन की एप्लीकेशन दे और वह रिफ्यूज हो जाय तो उसकी अपील हो सकती है। वह अमेंडमेंट के लिए दरख्वास्त दे और उसका अमेंडमेंट नहीं करे तो उसकी अपील हो सकती है। लेकिन अगर उसे जबंदस्ती लाइ-सेन्स दे दे और वह नहीं लेना चाहे तो उसके लिए अपील का प्रावधान नहीं है। इसलिए जबर्दस्ती मे रजिस्ट्रेशन...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ; जबर्दस्ती बनाये।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जबर्दस्ती बनाये तो उसके लिए अपील का प्रावधान रहना चाहिए। केजुअल ट्रेडर के लिए सुराणा जी ने बताया कि होटल वाला मेन्यु-फेक्चरर है और उसकी भी लाएबिलिटी आती है। अब वह छोटा आदमी है, पन्द्रह हजार के टर्न ओवर से उसका टर्न ओवर कम है, उस होटल वाले को आप एक्जेम्प्ट करते हैं। अब क्या है कि एक होटल वाला चाय बनाता है वह एक मेन्युफेक्चरर बन जाता है और इसलिए उसकी लाएबिलिटी हो जाती है कि उसको एक्जेम्प्शन दिया है पन्द्रह हजार तक और पन्द्रह हजार के ऊपर अगर उसका टर्न ओवर है तो उसे दो सो रुपये देने होंगे। पन्द्रह हजार के नीचे कोई निर्णय नहीं है कि क्या होगा। इसलिए असेसिंग ऑथोरिटी है वह पन्द्रह हजार के नीचे पांच हजार तक के जितने टर्न ओवर वाले हैं उनको लाइसेन्स के लिए प्रेस कर रहे हैं कि उनको लाइसेन्स लेना चाहिए और इस प्रकार के उदाहरण कई दिये जा सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के कारण कहीं रहे और ऐसी पोजीशन आयेगी तो किसी ऑर्डर की अपील के लिए प्रावधान कर देते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है–यह मेरी समझ में नहीं आता; you are giving some relief to the aggrieved. जो एग्रीव्ड होगा वही जायेगा अपीलेट ऑथोरिटी के पास। अगर आपने स्पेशल प्रोवीजन बना कर अपील का अधिकार दे दिया है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है-यह मेरी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

समझ में नहीं आता। जब कि आपने अपील का अधिकार रेवेन्यू बोर्ड में दिया है और रेवेन्यू बोर्ड के पास जाने में उसका अधिक खर्च होगा, लेकिन इस प्रावधान को करने से वह उस खर्च से बच जायेगा और यह खर्च उस पर नहीं पड़ने वाला है Every order is appeelable. यह मांग कर रहे हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के बदले यह कर दें। रेवेन्यू बोर्ड को आपने रिवीज़नल पॉवर्स दी है उसमें जाने के बजाय फर्स्ट स्टेज में वह डिप्टी कमिश्नर के पास चला जाय और रिलीफ सीक कर ले तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो लाएबिलिटी फिक्स की जाती है, कोई ट्रेडर अपने आपको रजिस्टर नहीं कराये तो उस पर फिर लाएबिलिटी फिक्स होती है। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि जो पैनल्टी ऑर्डर है, धारा. ११६ के अन्डर में जो टैक्स लाएबिलिटी है-ये दोनों आर्डर, आप जानते हैं, अपीलेबल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी डीलर के रजिस्ट्रेशन का मामला है, इन दोनों ऑर्डर्स के अन्डर अपील होती है। वे दोनों अपीलेबल हैं। आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो पैनल्टी नहीं होगी। और अगर करवाता नहीं हैं तो वह रजिस्ट्रेशन कराने का आर्डर देता है। इस प्रकार की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि यह तो केवल एक वेस्ट पेपर है और इसको इग्नोर करना चाहिए और डीलर **को लाचार** एन्गेज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे आथेंटिसिटी ऑफ लॉ नहीं है....

श्री सम्पतिलाल बोहरा: कुर्की आ जायगी, अटेचमेंट हो जायगा!

श्री परसराम मदेरणा: किसके ऊपर आयेगा अटेचमेंट? दोनों आर्डर पर अपील का प्रावधान है और लाएबिलिटी फिक्स करने के लिए कानून में प्रावधान नहीं है। इस तरह का ऑर्डर पास करता है, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, इस तरह का असेसिंग ऑथोरिटी ऑर्डर पास करती है, तो मैं कहता हूं कि जो एक्जीक्यूटिव है, जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के नीचे है वह इस तरह का ऑर्डर नहीं देगा, जिस आर्डर के पीछे कानून का फोर्स नहीं होगा, वैसा आर्डर वह इश्यू नहीं करेगा। इसलिए माननीय सदस्य जिसे अपीलेबल बनाना चाहते हैं, ऐसा आर्डर असेसिंग ऑथोरिटी कभी पास कर ही नहीं सकती तब फिर आप इन्सिस्ट नहीं करेंगे।

इससे माननीय सदस्य चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर की तरह ऑर्डर फोर अटेचमेंट भी अपीलेबल बनाया जाय। डिमाण्ड ऑफ रिकवरी की परस्युएन्स के अन्दर ऑर्डर ऑफ अटेचमेंट होगा और वह ऑर्डर यह होगा कि अटेचमेंट किया जाय तो उसका एक्शन तो कम्प्लीट नहीं हुआ...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उसी रोज कम्प्लीट हो जायगा जिस दिन कि ऑर्डर दे देंगे कि अटेचमेंट किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा: ऑर्डर ऑफ अटेचमेंट तो डिमाण्ड ऑफ रिकवरी की

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्सुएन्स के अन्दर है। असेसमेंट के बाद में डिमाण्ड फिक्स होती है, वह अपीलेबल है। आॅर्डर ऑफ अटेचमेंट तो सिविल कोर्ट्स के अन्दर भी अपीलेबल नहीं है, इसलिये यहां पर भी इसको अपीलेबल नहीं बनाया जा सकता।

माननीय सदस्य ने दूसरा अमेंडमेंट रखा है :-

"After the expression 'or an order under subsection (6) of section 22, sought to be inserted in sub-sec. 1 of Sec. 13 insert the following expression: "or an order fixing the liability of registration under sec. 6 or an order for attachment and sale of property by assessing authority under section 11 (4) or an order of refusal to issue refund voucher under sec. 23."

बाउचर के सम्बन्ध में दो प्रकार की पोजिशन खड़ी हो सकती है। एक तो वह असेसी जो पैसे मांगता है, बेशक वह पैसे मांगता है, लेकिन कानून में यह प्रावधान है कि उसमें दूसरे पीरियड की डिमाण्ड बाकी है, एरियर्स हैं टैक्सेज़ के तो उसके अगेन्स्ट में एड्जस्टमेंट किया जायगा। अगर एड्जस्टमेंट नहीं कराना चाहते, दूसरे एरियर्स नहीं हैं तो रिफण्ड मिलेगा। और अगर उसको रिफण्ड नहीं देंगे तो उस पीरियड का इन्ट्रेस्ट देना पड़ेगा। यह प्रावधान रखा है। तो जो पैसा लेने का अधिकारी है, उसके बाद भी उसका पैसा नहीं देते हैं, ऐसी कोई असेसिंग ऑथोरिटी है तो मैं समझता हूं वह लेजिस्लेचर की इन्टेन्शन के माफिक काम नहीं करती। तो रिफण्ड ऑफ एरियर्स के सम्बन्ध में यह प्रावधान रखा गया है, इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने जो कल आपको रूलिंग दी है उसे देख लें।

श्री परसराम मदेरणा : उसको मैंने देख लिया है। रिफण्ड का क्लॉज है उसको अमेंड करते हुए तो अमेंडमेंट लाया नहीं हूं।

यह चौथा संशोधन मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है :

"or an order to refuse to accord permission to submit the return annually."

इसका प्रावधान रूल्स के अन्दर है। रूल्स में टोटल टर्न ऑवर १-१० या इससे कम हो तो एन्युअल रिटर्न वह व्यक्ति पेश कर सकते हैं, मन्थली रिटर्न नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे जिनके टर्न ओवर हैं वे अपने आप पेश करेंगे, उसको अपीलेबल बनाने का प्रश्न नहीं है।

पीनल कॉन्सीक्वेन्सेज़, टैक्स लाएबिलिटी का जो है तो इसमें न पेनल कॉन्सीक्वेन्सेज़ हैं न टैक्स की लाएबिलिटी है। then the doors are open and you can go in revision and get stay orders.

तो मैं समझ नहीं पाया जिस रिटर्न का प्रावधान रूल २५० में है वह किस तरह यहां अपीलेबल बनाया जा सकता है?

(श्री परसराम मदेरणा)

क्योंकि न तो पैनल कॉन्सीक्वेन्सेज़ हैं और न टेक्स लाएबिलिटी होती है। जिनका टोटल टर्न ओवर १/१० से ज्यादा है उनको एन्युअल रिटर्न पेश करने चाहिये। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें कहीं, उन्होंने यह कहा कि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेन्टेटिव को एपीयर होने का एक्सप्रेसली प्राविजन रखा है वह नहीं रखा जाना चाहिये। यह नहीं रखते हैं तो डिपार्टमेंटल रिप्रेज़ेन्टेटिव, स्टेट की रेवेन्यू का जो इन्ट्रेस्ट है, उसको प्लीड करने के लिये, वाच करने के लिये, एपीयर नहीं हो सकता; मैं समझता हूं यह ज्यादती होगी। जहां डीलर्स को, असेसी को, अपोर्चूनिटी देते हैं कि वे केस कन्टेस्ट कर सकते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्कम् टैक्स के लॉ में ऐसा है क्या? इन्कम् टैक्स के केसेज़ की अपील में डिपार्टमेंटल आदमी जाता है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : एक्सप्रेसली प्रोविजन है, इन्कम् टैक्स में तो ऐसा प्रोविजन है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसी ऑथोरिटी ने आपके डिपार्टमेंट के आदमी को प्लीड करने से रोका है। आप एक भी एग्जेम्पल बता दीजिये कि एस. टी. ओ. ने, रेवेन्यू बोर्ड ने डिपार्टमेंट के आदमी को यह कहा हो कि हम सरकार को नहीं सुनना चाहते?

श्री परसराम मदेरणा : टेक्निकल ऑब्जेक्शन्स खड़े होते हैं और असेसी की तरफ से लॉयर होते हैं, उन्होंने इस प्रकार के ऑब्जेक्शन्स किये हैं कि डिपार्टमेंटल प्रतिनिधि पैरवी नहीं कर सकता, इसलिये हमने सोचा कि इस प्रकार का प्रावधान रखना चहिये ताकि वह एपियर हो सके और डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट के अन्दर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अन्दर इस प्रकार के ओब्जेक्शन्स नहीं उठाये जा सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चिट वहां से आई है, हमें पता चल गया।

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो सब पता चल जाता है। मैं क्या बोलने वाला हूं यह भी आपको पहले से ही पता चल जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज़ ४ के सम्बन्ध में बता दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौल साहब आप तो आनन्द कीजिये, डिप्टी बढ़िया लाये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मुझे तो मजा ही मजा है जब तक आप हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपका फोर्थ अमेंडमेंट यह है कि असेसिंग ऑथोरिटी को केस रिमाण्ड कर दिया है तो एक महीने के भीतर भीतर डिस्पोज़ ऑफ कर देना चाहिये, लेकिन यह इसमें कैसे होगा क्योंकि इस क्लॉज़ को देखेंगे, क्लॉज़ ३ का यह पार्ट है, जिसके सी में चाहते हैं:—

(श्री परसराम मदेरणा)

"(c) for sub-section (3), the following Sub-section shall be substituted,...

इसके नीचे (ए) (बी), और (डी) हैं; (डी) में आप चाहते हैं, ऊपर यह जो ऑर्डर है यह है अपीलेट ऑथोरिटी का :—

"The appellate authority may in the case of any other order confirm, cancel or vary such order..."

तो फिर असेसिंग ऑथोरिटी का प्रश्न नहीं होता है। असेसिंग ऑथोरिटी को कोई पॉवर्स हैं ही नहीं। उसके लिये यह प्रावधान उचित नहीं रहेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अपीलैट ऑथोरिटी जब रिमान्ड कर दे केस को। आपने दो परिस्थितियां दी हैं। एक तो वह कन्फर्म करेगा और रेट्स रिड्यूस करेगा जो इन्वेलिड होंगी उनको।

दूसरा सेट असाइड करेगा "and direct the Assessing Authority to pass fresh order for such further enquiry as may be directed;"

जब अपीलैट ऑथोरिटी केस को रिमान्ड करे उन परिस्थितियों में केसेज़ को प्राथमिकता दी जाय। एक महीने में तय कर दिया जाय, दो-तीन महीने रिमान्डेड केसेज़ में टाइम लिमिट दी जाय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा अपने सब-क्लॉज़ (३) के पार्ट (ए) (२) की ओर :- "set aside the assessment or penalty."

ये जो वर्ड्ज़ यूज़ किये हैं, पेनेल्टी अपीलेट कोर्ट माफ कर दे। सैल्स टैक्स ऑफिसर फिर पेनेल्टी न अगर रिमान्ड कर देता है पेनेल्टी, दुबारा इम्पोज़ करे। पेनेल्टी न दुबारा इम्पोज़ की जा सकती है और न रिमान्ड किया जा सकता है। इसलिये दुबारा पैनेल्टी के लिये सैल्स टैक्स अधिकारी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। अगर उसको पैनेल्टी का अधिकार देंगे तो जहां १०० रुपये पैनेल्टी लगाई होगी तो उसकी जगह २०० की लगा देगा। पैनेल्टी लगाने का अधिकार जो केस रिमान्ड होकर आये उसका अधिकार असेसिंग ऑथोरिटी को नहीं होना चाहिये।

पैनेल्टी सम्बन्धी वर्ड्स डिलीट होने चाहिये और इसके साथ साथ टाइम लिमिट डालनी चाहिये; असेसमेंट इस टाइम में कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : पार्ट (४) के अन्दर अमेन्डमेन्ट इस तरह से है :— "In part (d) add the following expression after the words 'shall be inserted' and the expression. and if a fresh order under sub-clause (ii) of clause (a) is not made by the Assessing authority within one month, the whole of the disputed amount/or penalty/if realised, shall be refunded, shall be inserted at the end" सब-क्लॉज़ (२) (ए) में असेसिंग ऑथोरिटी का प्रश्न कहां से आता है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब-सेक्शन (५) में अमेंडमेंट मूव किया है वह यह है:—

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

"if the amount of assessment or penalty is reduced by the Appellate authority under clause (a) of sub-section (3), he shall order the excess amount of tax or penalty to be refunded."

जिस केस में अपीलेट आॅथोरिटी ने सेट असाइड कर दिया तब तो रिफन्ड का प्रश्न अराइज़ होगा । सब-सेक्शन (५) बहुत क्लीअर है; एक हजार से अधिक रिफन्ड कर दिया जायगा । अपीलेट कोर्ट कहता है कि असेसिंग आॅथोरिटी दुबारा करे इस के को तीन हजार के रिफण्ड करने का सवाल नहीं । आपकी असेसिंग आॅथोरिटी डिसाइड न करे तो तीन हजार ले सकता है । दुबारा असेसमेंट करने के लिये टाइम लिमिट नहीं । पर्टीकूलर टाइम लिमिट में असेसमेंट कर देगा तो एक्सेस मनी है वह रिफण्ड कर दिया जायगा ।

श्री परसराम मदेरणा : (५) में अमेंडमेंट जोड़ना चाहते हैं, वह यह चाहते हैं:—

"if a fresh rorder under sub-clause (ii) of clause (a) is not made by the Assessing Authority within one month, "The order under sub-clause (ii) of clause (a) shall always be made by the appellate authority and not the Assessing Authority,

फिर इसमें टाइम लिमिट कहां फिक्स होगी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मूल एक्ट के सेक्शन १३, सब-सेक्शन (३) में जो अमेंडमेंट किया है उसके द्वारा धारा ३ को और सब्स्टीट्यूट कर दिया है ।

"For sub-section (3), the following sub-section shall be substituted:"

आपका यह अमेंडमेंट उपधारा (३) में है । आपने लिखा है वह इस तरीके की हो गई । नये क्लॉज़ ३ में यह है :—

"in case an order of assessment or penalty is confirmed, or penalty is reduced or enhanced or set aside, he may direct the assessing authority to pass a fresh order after such further enquiry as may be directed:" मेरा अमेन्डमेंट इसी जगह से शुरू हो जाता है: after 'as may be directed' 'and if a fresh under order sub-clause (ii) of clause (a) in not made by the Assessing Authority within one month, the whole of the disputed amount or penalty, if realised, shall be refunded" shall be inserted at the end.

इसी जगह पर आपकी क्लॉज़ के एण्ड में यह अमेंडमेंट जो मैंने मूव किया है वह इन्सर्ट हो जाना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज़ के वर्डिंग्ज़ को देखा है । मैं उस पर न जाकर इसकी मेरिट पर आ जाता हूं । अगर मान लें पेनेल्टी इन्क्रीज कर दी जाय अपील्स में

Page No 149

(श्री परसराम मदेरणा)

"he may direct to make a further enquiry and intimate result of the same to the appellate authority;"

अगर फर्दर पेनेल्टी को इन्क्रीज कर दिया है, उस पर्टीकुलर ऑथोरिटी के दिमाग में क्लीअर नहीं तो फर्दर इन्क्वायरी करना जरूरी है तो वह करायेगा, उसके बाद यदि पेनेल्टी ज्यादा इम्पोज कर दी तो वह पार्टी अपीलेट ऑथोरिटी के पास जायगी, वहां वह मेरिट के हिसाब से डिसाइड करेगी।

टाइम लिमिट इसलिये फिक्स नहीं की जा सकती कि मान लें टाइम लिमिट फिक्स कर दे और उस टाइम लिमिट में असेसिंग ऑथोरिटी को और कोई काम हो जाय जिसकी वजह से अपील को मेरिट पर डिसाइड करने में ओब्स्ट्रक्शन या कमी महसूस होती है तो ऐसी सूरत के अन्दर एक महीने के अन्दर नहीं कर पाये तो इस प्रकार टाइम लिमिट रखने से असेसिंग ऑथोरिटी पर जजमेंट देने में उसके हैन्ड्स बाउन्ड हो जाते हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे टाइम लिमिट फिक्स करने के लिये इन्सिस्ट नहीं करेंगे। जब कभी कोई प्रश्न रिमान्ड होकर जायगा तो जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी करके वापिस भेजा जायगा।

असेसिंग ऑथोरिटी किसी मामले में इन्क्वायरी करने के लिये भेजता है या पैनेल्टी के मामले में भेजेगा कि यह मुद्दा जो है वह मेरी समझ में स्पष्ट नहीं होता है इसी तरह से पर्टीकुलर पोइन्ट पर फर्दर क्लेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है तो अपील के अन्दर मदद मिलती है। असेसिंग ऑथोरिटी ने पैनेल्टी इम्पोज की है, हो सकता है वह पैनेल्टी लगाई है उसको रिमूव कर दे या हटा दे, उसको राइट ऑफ भी कर सकता है। हर बात में यह प्रीज्यूम करके चलना कि दुबारा जब उसके पास मामला जायगा तो प्रेज्युडिशियल रुख रखेगा, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं इन संशोधनों को मानने में असमर्थ हूँ। इसलिये मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड ८ में माननीय उपमंत्री ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I want permision to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इनको वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ८, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड ८, यथसंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६।

माननीय उपमंत्री ! It is considered as moved.

(विराम)

Shri Manik Chand Surana.

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री **परसराम मदेरणा** (उप-मंत्री, वित्त) : (1) In sub-clause (a), for the expression "the proviso to section 15A" substitute the expression "the provisos to sub-section (3) of section 11 .

(2) In sub-clause (c) for the expression "the proviso to section 15A" substitute the expression "the provisos to sub-section (3) of section 11"

(3) For clause (d), substitute the following clause, namely :-

"(d) After sub-section (2), the ollowing new sub-section shall be ded, namely :—

"(3) Where an application for revision has deen made under sub-section (1) or sub-section (2), it shall be heard and disposed of by a bench of not less than two members of the Board of Revenue.

(4) Where such members are equally divided in opinion as to the order to be made in such a case, the case shall be referred to another member and decided in accordance with the opinion of the majority of the members including such other member who heard it.

(5) Notwithstanding that an application for revision of an order has been preferred to the Board of Revenue, the tax shall be paid in accordance with the order against which revision has been preferred;

Provided that the Board of Revenue may, on an application in writing from the assessee stay the recovery of the disputed amount of tax or any part thereof pending disposal of the revision if the assessee furnishes sufficient security to the satisfaction of the assessing authority in such form and in such manner as may be prescribed :

Provided further that where recovery of tax has been stayed under the preceding proviso, the amount of tax shall be recoverable with interest at the prescribed rate on the amount ultimately found due, and such interest shail be payable on

(श्री परसराम मदेरणा)

such amount from the date the tax first became due.

(6) No order under this section shall be passed without giving the dealer as also the authority whose order is sought to be revised or their representatives, a reasonable opportunity of being heard.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :
(2) Delete parts (a), (b) and (c).

(3) Part (d); (i) In new sub-section (3) sought to be added replace the words 'alone' by the words 'in a Double Bench.'

(ii) Delete the proposed sub-section (4).

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :
(4) Part (c) of the clause be omitted.

Part (d) : for sub-section 3 proposed to be added, the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(3) A Bench consisting of two members of the Board of Revenue shall hear and dispose of all revision applications under this section; the persons composing such Bench shall be the same for hearing all applicatinons for revision and such composition shall not be varied during the continuance of such persons as members of Board of Revenue."

(5) In the preposed amendment by the Minister-in-charge in the clause—

(i) New parts (1) and (2) secking amendment in sub-clauses (a) and (c) be omitted,

(ii) in the Ist proviso to proposed sub-section (5) substitute the words "on such terms or conditions as it may deem fit" for the words "if the assessee furnishes sufficient security ....as may be prescribed.":

(iii) omit the second proviso.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साचोर) :
(6) Part (d) : In section 14 for sub-section (3) proposed to be added, substitute the following sub-sections, namely :—

"(3) Where an application for revision has been made under sub-section (1) or sub-section (2), it shall be heard and disposed by a bench of not less than two members of the Board of Revenue.

(3A) Where such members are equally divided in opinion as to the order to be made in such case, the case shall be referred to another member and decided in accordance with the opinion of the majority of the members including such other member who hoard it".]

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में धारा १४ को संशोधित किया गया है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

धारा १४ जो है उपाध्यक्ष महोदय, यह निगरानी से ताल्लुक रखती है कि किन किन ऑर्डरों की निगरानी होगी और किन किन की नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किये हैं उन पर साफ तौर से कल भी बहस हो चुकी है कि कमिश्नर के ऑर्डर को, जो वे स्टे ऑर्डर को रिफ्यूज़ करने के लिये देंगे उसमें कोई निगरानी राज्य सरकार रखना नहीं चाहती। मैं सारी बहस में दुबारा नहीं जाना चाहता। मैं तो यह प्रिज़्यूम करता हूं कि राज्य सरकार की मजबूरियां हैं और खुद की नहीं हैं बल्कि ये ब्यूरोक्रेसी के द्वारा पैदा की गई हैं और इसलिये की गई हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के हाथ और ज्यादा मजबूत हो जावें। इसलिये ये सारी मजबूरियां पैदा की गई हैं।

माननीय मंत्रीजी ने धारा १४ के अन्दर जो भी संशोधन रखे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके प्रत्येक संशोधन में शुरू से लेकर आखिर तक जो संशोधन धारा १४ में रखे हैं उसमें यह तो रखा ही है कि कमिश्नर के ऑर्डर की जो स्टे एप्लीकेशन रिव्यू होगी उसकी निगरानी नहीं होगी। उसके लिए डबल बेंच बनेगी और उसके सामने सुनवाई होगी। इसके बाद में अगर दो मेम्बर एकमत नहीं हैं तो वह तीसरे मेम्बर के पास जावेगी। दो का फैसला तीसरे के पास जावेगा। सरकार ने कहा कि हम एक मेम्बर बेंच से सन्तुष्ट नहीं हैं। उसके फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील भी नहीं होगी, यह भी सरकार ने कहा। इस पर हम डरे। तो हमने संशोधन दिया कि एक नहीं दो होने चाहिये। उस वक्त हमारा दिमाग साफ था कि दो मेम्बर का फैसला फाइनल होगा। पर अब यह है कि उन दो की अपील या रिवीजन तीसरे एक के पास जावेगा अगर वे सहमत नहीं हो सकें तो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसका नतीजा क्या हुआ? जहां आपने शुरू किया वहीं पहुंच गये। जहां पहले सिंगल बेंच के खिलाफ अपील डबल में होती थी उसको कर्टेल किया और सिंगल का फैसला फाइनल होगा, यह किया। पहले सिंगल बेंच की अपील डबल बेंच के पास जाती थी, अब डबल की सिंगल के पास जावेगी और वह फाइनल होगा।

मैं निवेदन करूं कि आप रेवेन्यू बोर्ड की कॉज़ लिस्ट को तो एग्ज़ामिन करें कि रेवेन्यू बोर्ड सेल्सटैक्स के केस कितने दिन सुनता है। एक हफ्ते में दो दिन सुनता है और इन दो दिनों में फैसले कितने होते हैं? जो सूचना मुझे दी गई है, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड में मुझे तो तीन साल से जाने का काम नहीं पड़ा, तो मुझे सूचना दी गई है कि उसमें दो फैसले, तीन फैसले मुश्किल से एक दिन में होते हैं; तो दो बेंचे जहां लगती हैं वहां पांच, छः फैसले ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में होते हैं तो एक महीने में हम मान लें तो २४ होते हैं। तो जहां सिंगल बेंच होने की दशा में यह स्थिति है कि २४ फैसले एक महीने में होते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड जिस तरह से अभी कॉन्स्टीट्यूटेड है उसकी डबल बेंच का मिलना बड़ा मुश्किल होगा। सिंगल बेंच ही पूरी नहीं होती तो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डबल बेंच का बराबर मिलना तो असम्भव है। परिणाम इसका यह होगा कि मुकदमों में बराबर तारीखें पड़ा करेंगी और जहां आज महीने में २४-२५ फैसले हो जाते हैं उसकी जगह तब वे भी नहीं हो पावेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिद्धान्त रूप से सिंगल बेंच और डबल बेंच दो चीजों पर तो आ ही गये हैं तो इसकी अपेक्षा तो उत्तम यह होगा कि पहले का ही सिंगल बेंच का प्रावधान आप रहने दें और जहां डिस्प्यूट हो डबल बेंच में स्पेशल अपील के तौर पर वह चला जावे। आज भी सिंगल बेंच का रिकॉर्ड है कि उसके बहुत से फैसलों की अपील नहीं हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले का प्रावधान ही ठीक है और उससे काफी स्पीडी जजमेन्ट मिल सकता है। इसलिए अब मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने इन अमेन्डमेंट्स को विड्रॉ कर लीजिये और ओरीजिनल एक्ट में जो है उसी को रहने दें। हमने तो उसका इसलिए विरोध किया था कि सिंगल बैंच के फैसले की अपील नहीं होगी तो डबल बेंच तो रक्खो। तो इसको तो आप विड्रॉ करने की स्थिति में हो सकते हैं क्योंकि पॉलिसी मैटर तो यह है नहीं। यह सिद्धान्त तो आप मान रहे हैं, इसलिए जो स्थिति पहले एक्ट में है वही कायम रखी जावे।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि असेसीज़ का बहुत बड़ा नुकसान कमिश्नर महोदय के ऑर्डर को रिवीज़नेबल नहीं रख कर किया गया है, उसमें स्टे ऑर्डर न दे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिवाइज़ नहीं कर सकता तो मैं दो-तीन केस जो आपके कमिश्नर महोदय ने पास किये हैं, नमूने के तौर पर रखना चाहता हूं।

एक केस तो ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसके अन्दर बूंदी इलेक्ट्रिकल सप्लाई का केस था, वे ११(३) में अपील में कमिश्नर के पास गये। असैसी गया। उसको कई तारीखें दी गई। एक तारीख दी गई कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाई जाने के लिये। उसकी रिपोर्ट ली गई। सी. टी. ओ. के पास गये कहा कि कमिश्नर महोदय ने आपसे रिपोर्ट मांगी है। आप रिपोर्ट भेजिये ताकि हमारी दरख्वास्त जो ११ (३) में हमने दी है उसका फैसला हो। कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट नहीं दी और जब कि रजिस्टर्ड चिट्ठियों से कमिश्नर को कहा कि हमको सुनवाई की तारीख दी जावे। तब भी नहीं दी गई तारीख। बावजूद दो दो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन्स के सुनवाई की तारीख नहीं दी गई और कमिश्नर महोदय ने एक फाइन मोर्निंग को चिट्ठी भेज दी कि आपकी अपील को कन्सीडर करके रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके सामने इस तरह से प्रिन्सिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई महत्व नहीं है। बालाए-ताक रख सकता है वह इसको और ऐसा कमिश्नर जिसके दिमाग में एग्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटी घुसा है, जो अपने पद को क्वासी ज्युडिसियल नहीं मानती जो मनमाने तरीके से फैसला करना चाहते हैं उसके ऑर्डर को आप रिवीजन नहीं रखना चाहते ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कमिश्नर के ऑर्डर को अपीलेबल रखना चाहिये, रिवीज़नेबल ही नहीं। यह इसकी एक ग्लैयरिंग इन्स्टेन्स है। धींगाधांगी करते हैं। आप इस केस का रिकॉर्ड मंगाकर देख लें। वे अगर इस केस के रिकॉर्ड को देखेंगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस तरीके से प्रिन्सिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायोलेट नहीं किया जा सकता। और चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कमिश्नर आई० ए० एस० ऑफिसर हो यदि उसके तरीके प्रिन्सिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायोलेट करते हैं तो लेजिस्लेशन का फन्क्शन है उसके खिलाफ काम है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कमिश्नर महोदय के आपके इस तरीके के कारनामे हैं, उस कमिश्नर को फाइनल हुक्म देने का अधिकार न दें, नहीं तो आपकी सरकार निकट भविष्य में बहुत बड़ी तकलीफ के अन्दर आ सकती है। आपके जो एडीशनल कमिश्नर हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और नाम जान-बूझ कर नहीं ले रहा हूं, उन्होंने जब रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो गया, मेरे पास उस फैसले की कॉपी है, १७ पेज का फैसला है जिसको कि रेवेन्यू बोर्ड ने होल्ड किया है कि आपका डिप्टी कमिश्नर पहले के कानून के, अनुसार जिस कानून को अब आप संशोधित करना चाहते हैं, अपील सुन सकता था, स्टे दे सकता था। उस डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के खिलाफ आपके एडिशनल कमश्निर क्या करते हैं कि सैल्स टैक्स के अधिकारी को सूचना देते हैं, सक्यूंलर जारी करते हैं और यह कहते हैं कि यदि स्टे भी दे दिया हो ऊपर की ऑथोरिटीज़ ने और कोई आदेश दे दिया हो और बिना टैक्स का रुपया जमा कराये ही अपील एन्टर-टैन कर ली हो तो भी आप सैल्स टैक्स-ऑफिसर को कहते हैं कि तुम क्लेरिफिकेशन पूछ लो, डिप्टी कमिश्नर कहे कि आप क्ले-रिफिकेशन पूछ लो कि आपके ऑर्डर का लीगल इम्प्लीकेशन क्या है। मतलब यह कहने का है कि डिप्टी कमिश्नर ने जो हुक्म दे दिया कि बिना टैक्स की रकम जमा कराये अपील सुनूंगा। अब आप चाहते हैं कि सैल्स टैक्स अधिकारी, जिसके खिलाफ यह हुक्म हो गया है, वह फिर डिप्टी कमि-श्नर के पॉवर्स में इन्टरफियर करे और एड-मिनिस्ट्रेशन की तरह का एक वातावरण बनाये आपके एडीशनल कमिश्नर के हुक्म से, उसके रेफरेन्स को फिर डिप्टी कमिश्नर को पर्सनली लिखे कि वास्तव में आपको स्टे नहीं देना चाहिए था। बिना टैक्स की रकम जमा कराये अपील नहीं लेनी थी। यह सक्यूंलर आपके एडिशनल कमिश्नर ने जारी किया है। मैं चाहता हूं कि राज्य सर-कार इन सक्यूंलर्स को एग्ज़ामिन करे और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला हो गया है कि डिप्टी कमिश्नर को अपील करने के स्टे के पॉवर्स थे तो जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, इन पॉवर्स में इन्टरफियर करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कोई कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आपकी सरकार करे यह मैं चाहता हूं, लेकिन भरोसा नहीं है कि जो सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पोइन्ट रखती है और जिसका ज्युडिशियल व्यू पोइन्ट नहीं है।

श्री बृजसुन्दरजी ने कहा था आप शाइ-लॉक की तरह से टैक्स वसूल करना चाहते

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स आप वसूल कर रहे हैं लेकिन जो टैक्स पेयर को सरकार क्रिमिनल समझती है वह सरकार अपनी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकती है। इसलिए टैक्स–पेयर के प्रति राज्य सरकार को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। टैक्स रियेलाइज करने के लिए प्रिन्सीपल्स ऑफ लॉ पर टैक्स वसूल करें। उसमें अपील का प्रावधान था, उसमें निगरानी का प्रावधान दिया था। यदि कोई डीलर कहता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, एसेस नहीं किया जा सकता, तो सारी बातों की अपील रखिये खुले दिमाग से। कानून में कुछ लूप होल्स हों तो सारे लूप होल्स को ब्लॉक कर लें। सदन का यह सेन्स है कि इन लूप होल्स में कोई संशोधन आवश्यक हो तो करवा सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और इसके साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैंने पहले एमेंडमेंट को मूव किया था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एमेंडमेंट मूव किया है उस पर मैंने ३ एमेंडमेंट्स मूव किये है :

"for the Proviso to section 15A substitute the provisos to sub-section (3) of section 11"

मेरा यह कहना है कि इसको डिलीट किया जाय।

इसी प्रकार "the other clause may also be deleted."

और दूसरे में जो लास्ट वर्ड हैं फर्स्ट प्रोवीज़ो में :

"In the first proviso to sub-section (5) "if the assessee furnishes sufficient security to the satisfaction of the assessing authority in such form and manner as may be prescribed".

इसके बजाय यह लिखा जाय "On such terms and conditions as it may deem fit" और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोवीज़ो है उसको डिलीट किया जाय :

"provided that further recovery of tax......and such interest shall be payable;"

इसको डिलीट करने की मैंने मांग की है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज (ए) और (बी) को डिलीट करने की मांग की है वह महत्वपूर्ण है। कल इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि कमिश्नर को दूसरे पॉवर्स दिये जायं या नहीं और इस बारे में हाउस एक मत था कि इस प्रकार के पॉवर्स नहीं दिये जायं, लेकिन सरकार ने अपनी मेजोरिटी होने के नाते वह क्लॉज़ पास कर लिया। कल जो क्लॉज पास कर लिया है वह इतनी तकलीफदायक है, जो सबसे बड़ा मसला है

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कि कश्मिनर के पास जो एप्लीकेशन जायेगी उस एप्लीकेशन पर हियरिंग तक नहीं देगा या कमिश्नर के पास हियरिंग भी हो; इस प्रकार की सभी सुविधाएं उसमें नहीं हों, कि कमिश्नर के पास कब तक अपीलें पेंडिंग रहेंगी। जब तक कि कमिश्नर के यहां से उसका डिस्पोज़ल न हो तब तक टैक्स स्टे समझा जाय, इस प्रकार का प्रावधान कमिश्नर के स्टे में नहीं है। आज सबसे अधिक सवाल यह उठेगा कि किसी आदमी ने एप्लीकेशन दी कमिश्नर के पास और उसको उसने (कमिश्नर ने) नहीं सुना, दो महीने तक पेंडिग रह गई, कमिश्नर ने डिस्पोज नहीं किया तो उसका टैक्स स्टे नहीं समझा जायेगा और न एसेसिंग ऑथोरिटी टैक्स को स्टे समझेगी और जब तक कमिश्नर उसका डिस्पोज़ल नहीं करता है तब तक टैक्स रिकवर कर लिया जायेगा और उसकी अपील नहीं हो सकती है। वह फैसला नहीं दे तो उसकी अपील नहीं, वह फैसला दे दे तो कोई अपील नहीं। जब तक एप्लीकेशन उसके पास पेंडिंग है तब तक भी स्टे रहे टेक्स का, इस बात का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं उपमन्त्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि वे इस सेक्शन में कम से कम इस प्रकार का प्रावधान अवश्य रखें कि इस एप्लीकेशन के सुनने के पहले, कम से कम डिसीज़न देने से पहले, जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी है उसको राइट ऑफ हियरिंग अवश्य दें, और जब तक कोई फैसला नहीं दे दे, उस फैसले के देने तक एसेसिंग ऑथोरिटी को डाइरेक्शन दे कि टैक्स स्टे रखा जाय। और इसी दृष्टि से यह चाहते थे कि कल जो क्लॉज़ पास हुआ है, वह जिस ढंग से और जिस परिभाषा में हुआ है, उससे बहुत तकलीफ होने वाली है और इसलिए उस ऑर्डर को रिवीज़नेबल रखा जाय तो ठीक रहेगा, या उस ऑर्डर की रिवीज़न अपील हो, इस तरह का प्रावधान रखा जाय और वह प्रावधान जो आज क्लॉज़ पास कर रहे हैं अगर उसमें नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि आप रूल्स बनाये तो रूल्स बनाकर इस प्रकार का प्रावधान कर सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा उसका रीज़न अवश्य लिखा जायेगा।

मैं आपको सजेस्ट यह कर रहा था कि कमिश्नर के ऑर्डर को जो कि एक्ट में प्रोविज़न नहीं है तो रूल्स में यह प्रोविज़न कर सकते हैं कि जब तक कि कमिश्नर के पास एप्लीकेशन पेंडिंग हो तब तक टैक्स स्टे समझा जाय; एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाय तब तक एसेसिंग ऑथोरिटी टैक्स को स्टे समझे और दूसरा यदि कमिश्नर उस ऑर्डर को रिजेक्ट करे तो कम से कम उसमें रीज़न मेन्शन हो और तीसरे जब तक कि एप्लीकेशन उसके पास है और उसको हियरिंग भी नहीं दी तब और जब तक उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करे एसेसिंग ऑथोरिटी ने जो टैक्स एसेस किया है उसको वसूल न करे। इन तीन-चार बातों का रूल्स में प्रावधान कर लेंगे तो काफी समस्याएं हल हो जायेंगी। और आज जो समस्या कल के सेक्शन के पास करने से पैदा हो गई है उस दृष्टि से कमिश्नर पर चैक रखना है। तो मैं कहूंगा कि जो सेक्शन में प्रोहिबिट कर रहे हैं कि रिवीज़न नहीं हो सकता है, उस रिवीज़न को करने के लिए यह जो एमेंडमेंट

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

मूव किया है उसको विदड्रॉं कर लें तो सारी समस्याएं हल हो जायेंगी ।

(७.०० म० प०)

अभी एक क्लॉज़ पेश हुआ है उसके बाद जहां रेवेन्यू बोर्ड का सवाल आया–पहले एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन था कि एक मेम्बर के पास जाते थे और उससे किसी को गुरेज होता तो अपील में डबल मेम्बर के पास जा सकते थे–लेकिन आज जैसा कि सुराणाजी ने बताया डबल मेम्बर के बाद सिंगल मेम्बर के पास जाते हैं, प्रेक्टिकल डिफिकल्टी आयेगी । वर्डिंग्ज में लिखा है :

"The case shall be referred to another member;"

इसको प्रेसिडेन्ट रेफर करेगा. या दोनों मेम्बर करेंगे, किसी मेम्बर को करेंगे या प्रेसिडेन्ट करेगा या एसेसी करेगा, who will refer ?

"The matter will be referred to another member," यह बिल्कुल यूज़लेस सा प्रोविज़न है । किसको किया जायगा, कौन करेगा, किस तरह करेगा ? होना यह चाहिये था यहां पर :

"The matter shall be referred to the President;"

मेम्बर की जगह प्रेसिडेन्ट रखते तो समझ में बात आती । मेम्बर के बाद प्रेसिडेन्ट डिसीज़न देता, लेकिन थर्ड मेम्बर को रखने से समस्या हल नहीं होगी । कौन करेगा, कैसे करेगा, यह समस्या होगी और उसके साथ जो लास्ट में है; बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अधिकार दे रहे हैं टैक्स को स्टे कर सकता है, हटा सकता है, ऑर्डर माफ कर सकता है लेकिन उसके नीचे क्वालिफिकेशन लगा दी एसेसिंग ऑथोरिटी के सेटिस्फेक्शन पर सिक्योरिटी देगा तो माना जायगा । ऐसी समस्या पैदा नहीं होती यदि घासीराम मांगीलाल का केस नहीं होता । उसने ६ तारीख को सिक्योरिटी दी, नहीं मानी, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ । हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सिक्योरिटी दे दो, ११ तारीख को फिर दी उसको नहीं मानी, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ । ऐसे हजारों रीजन्स निकाल सकते हैं इसलिये मैं चाहता था कि जिस ऑथोरिटी को पॉवर्स दे रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड को स्टे का अधिकार है तो उसको अधिकार दे दीजिये, जैसा चाहे वैसा स्टे कर दे । रेवेन्यू बोर्ड चाहे तो सिक्योरिटी ले ले, चाहे तो यह भी कह दे कि एसेसिंग ऑथोरिटी के सेटिस्फेक्शन के अनुसार सिक्योरिटी दे दो । किस बात को किस कंडीशन पर स्टे करे और इन्ट्रेस्ट का प्रोविज़न है उसको भी हटा दिया जाय ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मेरा संशोधन क्लॉज़ ६ में इस प्रकार है :

'Part (d) : In section 14 for sub-section (3) proposed to be added, substitute the following sub-sections, namely:—

"(3) Where an application for revision has been made under sub-

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

section (1) or sub-section (2), it shall be heard and disposed by a bench of not less than two members of the Board of Revenue.

(3A) Where such members are equally divided in opinion as to the order to be made in such case, the case shall be referred to another member and decided in accordance with the opinion of the majority of the members including such other member who heard it."

माननीय उपाध्यक्षजी, जनरल बहस में उधर के सदस्यों ने इच्छा जाहिर की थी कि एक ही मेम्बर रिवीज़न को सुने और ऐसा कोई कॉम्प्लीकेटेड मामला हो जिसमें लॉ एंड फेक्ट्स इन्वोल्व्ड हों तो डबल मेम्बर्स के पास जाना चाहिये। बहुत से केसेज़ में डिफिकल्टी एराइज़ हो सकती हैं, इस मुद्दे को नज़र में रखते हुए डबल मेम्बर का प्रावधान किया गया और जब डबल मेम्बर्स में से दोनों की राय इक्वली डिवाइडेड हो या दोनों की राय में डिफरेन्स हो तो ऐसे मामले को थर्ड मेम्बर को रेफर करने की बात आ सकती है। ऐसे कितने केसेज़ हो सकते हैं जो डिवाइडेड हो सकते हैं? सौ में एक-आध होंगे, लेकिन इनके लिये भी प्रोविज़न तो रखना पड़ेगा जिससे कि इक्वली डिवाइड होने पर थर्ड मेम्बर को रेफर करने की बात आती है। सिंगल मेम्बर फैसला करे उसके बजाय तो डी० बी० में जाने से ज्यादा सुनवाई का मौका मिल सकता है, दो माइन्ड एप्लाई करेंगे इसलिये अच्छी तरह से जजमेंट होगा। एसेसीज़ के इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिये राज्य सरकार ने यह अमेंडमेंट मूव किया है और मैंने भी इसलिये अपना अमेंडमेंट रखा है। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं पहले उन्हीं ने इस पोइन्ट को उठाया था और अब क्या कारण है कि वे उसके विपरीत जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मन्त्री।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्षजी, कोलायत के सदस्य ने तीन-चार बातें सदन में उठाईं। उन्होंने यह कहा कि पहले हम जिस वक्त डबल बेंच का कह रहे थे, मैं इन्वर्टेड कोमाज़ में आपके वर्ड्स कह रहा हूं। पहले जब डबल बेंच के लिये स्ट्रेस कर रहे थे तब उनकी यह धारणा थी कि राज्य सरकार शायद माने न माने इसलिये चाहते थे कि डबल मेम्बर का आर्ग्यूमेंट रखा। जब राज्य सरकार ने उनकी बात को वेटी मान उनकी भावनाओं के अनुसार अमेन्डमेन्ट लाया गया तो अब माननीय सदस्य यह लोजिक और आर्ग्यूमेन्ट प्रस्तुत करते हैं कि इसमें और जलालत हो गई और डिफिकल्टी होगी, एक मेम्बर के पास रिवीज़न होता तो आगे और अपील करने का मौका मिलता; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्कम् टैक्स एक्ट में जहां ट्रिब्युनल है वे ये ही वर्डिंग्ज़ हैं:

"A Bench of not less than two members will hear the appeal or revision."

इसी तरह का प्रावधान यहां रखा है। तीसरे मेम्बर के पास अपील नहीं जायगी जैसा कि आप कह रहे हैं। वह तो रेफरेन्स

(श्री परसराम मदेरणा)

है। दो मेम्बर्स इक्वली डिवाइडेड हों तो तीसरे मेम्बर को रेफर किया जायगा और मेजोरिटी की राय का फैसला होगा इसलिये तीसरे मेम्बर का प्रावधान इक्वली डिवाइड हो जाय तो रखा है। वापस पहले वाला ही प्रोविजन रखा जायगा तो ठीक नहीं होगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कौनसा ?

श्री परसराम मदेरणा : तीसरे मेम्बर का। आप बैठे बैठे एक बात कहते हैं, मैं रेफर करता हूं तब कहते हैं कब कौनसा शुरू हुआ ? सदन ने ही पास किया था। जब एक मेम्बर बैठ कर किसी मामले को डिसाइड करता है उसके बजाय यदि डी. बी. के सामने अपील जायगी तो एक के बजाय दो मेम्बर होंगे और उसमें ज्यादा जस्टिस मिलेगी। सदन की भावना को देख कर ही राज्य सरकार यह अमेन्डमेंट लायी है। एक बात यहां और कही कि जो तीसरा मेम्बर होगा जिसमें इक्वली दो मेम्बर्स डिवाइड हों तो कौन रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि जहां बेंच के कॉन्स्टिट्युशन का प्रावधान है वहां कौन कॉन्स्टिट्युट करता है ? हाई कोर्ट में बेंच का कान्स्टिट्युशन चीफ जस्टिस करते हैं और यहां चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेंगे।

अब रहा प्रश्न यह जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वे जल्दी फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने रेवेन्यू अपील्स काफी मात्रा में पड़ी रहती हैं, उन्होंने साल का एवरेज निकाला। मुझे मालूम नहीं मैथेमेटिकल केल्कुलेशन करके कैसे कन्क्लूज़न पर पहुंचे। मैं मान लेता हूं २४ केसेज़ का फैसला करेंगे तो बहुत ज्यादा केसेज़ उनके पास इकट्ठे हो जायेंगे और बहुत लम्बे अर्से तक हियरिंग्ज़ करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि यदि नेसेसिटी एराइज़ हुई और राज्य सरकार ने महसूस किया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेम्बर्स वर्क को कोप-विद् नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से एक मेम्बर और बढ़ा दिया जायगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सेपरेट अपेलेट ट्रिब्युनल क्यों नहीं बना देते ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जिस बिल की बात कह रहे हैं, मैं सेल्फकन्टेन्ड बिल लाने के लिए लगा हूं, उस समय देखूंगा आपका सजेशन लॉडिबल है या नहीं ? उस समय देखा जायगा।

अब प्रश्न यह रहा कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि कमिश्नर को हियरिंग का अवसर देने का प्रावधान नहीं है क्लॉज़ ६ के अन्दर। क्लॉज़ ६ के अन्दर जो अमेंडमेंट है और जो अमेंडेड सेक्शन ११ (३) के प्रोवीजोज़ हैं जिनमें कमिश्नर स्टे ऑर्डर करेगा, वहां पार्टी को हीयर करने का प्रोवीजन नहीं है। यह बात कही...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह नहीं कहा, मतलब यह है....

श्री परसराम मदेरणा : साफ कहा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : हीयर करने के लिए कमिश्नर नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आपका मतलब है, आपकी राय है कि वह नहीं रहना चाहिये ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या नहीं रहना चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : हियरिंग की बात कह रहा हूं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ११ (३) पहले था, उसे अभी जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उससे पहले था । मैंने कहा कि उसमें जो दरख्वास्त दी गई, बूंदी इलेक्ट्रिकल कम्पनी के द्वारा उसमें हियरिंग कतई नहीं दी जब कि हियरिंग देनी चाहिये थी । पार्टी कहती है कि हियरिंग दीजिये । और जो कमिश्नर है वह हियरिंग नहीं देता है । मैंने कहा था, उसका मतलब था हियरिंग होनी चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसा मान कर चलते हैं और मेरे पास ऐसी जानकारी है कि जो कोई लोग कमिश्नर के पास पहुंचे, जो ११ (३) का प्रोवीज़ो था उसके अधीन जो लोग गये, ऐसे डीलर को उन्होंने हियरिंग दी है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : एक केस में भी नहीं दी है ।

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये । मेरे पास जानकारी है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं कह रहा हूं कि किसी को भी हियरिंग नहीं दी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किसी केस में नहीं दी है ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, हियरिंग के बारे में मेरी मान्यता है कि प्रिन्सिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मीट करना है तो निश्चित तौर पर हियरिंग दी जानी चाहिये । अगर नहीं दी जाती है तो आर्बीट्रेरी जजमेंट होगा । कोई हियर न करें, तो पार्टी अपना point of view put up करने से वंचित रह जाती है । इसलिए आर्बीट्रेरी फैसला होगा तो मैं समझता हूं कि प्रिन्सिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से एक प्रकार से वंचित किया जाता है । जिस वक्त क्लॉज़ ६ था, उस वक्त माननीय सदस्य उसे डिलीट करने में लगे हुए थे । इस तरह की हियरिंग की समस्या आती है तो उस वक्त कन्सीडर कर लेते; अब क्लॉज़ ६ को सदन ने पास कर दिया था । जिस वक्त सदन में कन्सीडर हो रहा था उस वक्त यह सजेशन आना चाहिए था वह नहीं आया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आ सकता है वह क्लॉज़, वह क्लॉज़ रीओपन हो सकता है । आप इसके लिए अमेंडमेंट बना लीजिये और इससे एग्री कर लीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य चाहते हैं कि कमिश्नर को पार्टीज़ को अपोर्चुनिटी हियरिंग की देनी चाहिए और उनको हियरिंग का मौका देना चाहिए । इस सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं । मैं इसका प्रोवीज़ो ले आता हूं, पांच मिनट में ले आता हूं । लेकिन जो रिलेवेन्ट क्लॉज

(श्री परसराम मदेरणा)

६ है, जो पास हो गया है उसको रीओपन करना पड़ेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कर लेंगे हाउस की मर्जी है ।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह हुआ कि हियरिंग की अपोर्चुनिटी दी जानी चाहिये । जब हियरिंग का हक दे रहे हैं तो मैं पसन्द करूंगा कि उसके अन्दर रिफ्यूज़ल के रीज़न्स रिकॉर्ड भी किये जायं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एग्ज़ेक्टली !

श्री परसराम मदेरणा : जब दोनों बातें मीट आउट हो जाती हैं तो मैं समझता हूं कि उसे रिवाइज़ेबल नहीं बनाते हैं तब भी काफी हद तक मन्शा पूरी हो जाती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसके रीज़न कम हो जायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : रीज़न कम करने की बात कर रहे है । रीज़न कोई ज्यादा से ज्यादा कम करने के लिए हियरिंग का प्रावधान रखा जाता है । माननीय सदस्य कहते हैं कि पहले हियरिंग नहीं देते थे और अभी हियरिंग का प्रावधान नहीं है वह देनी चाहिए, जहां दूसरी जगह डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के एपियर होने के लिए प्रोविज़न रखा है तो इस तरह का प्रोविज़न लाने में एतराज नहीं है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैंने कहा था कि जब तक एप्लीकेशन डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो तब तक उसको स्टे समझें । कमिश्नर के यहां डिस्पोज़ल नहीं हो तो स्टे मान लिया जाय, यह नहीं कि एक महीने में करके खत्म कर दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमिश्नर के यहां एप्लीकेशन देने के बाद होना चाहिए ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कमिश्नर के यहां एप्लीकेशन दे दे तो भी कमिश्नर उसे डिस्पोज़ ऑफ नहीं करता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सर्टेन टाइम लिमिट रख दीजिये कि इतने अर्से में कमिश्नर डिस्पोज़ ऑफ कर देगा ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपकी बात को समझ गया हूं जो आप कहना चाहते हैं ।

माननीय सदस्य का कहना है कि जब तक स्टे की एप्लीकेशन पेंडिंग हैं और एप्लीकेशन जब तक कमिश्नर के पास पेंडिंग है तो जिस दर्म्यान वह पेंडिंग है स्टे एप्लीकेशन, तब तक उनका टैक्स वसूल नहीं होना चाहिए; मतलब यह है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एग्ज़ेक्टली यही है ।

श्री परसराम मदेरणा : उसका प्रावधान रखना चाहिए । मैं माननीय सदस्यों को एश्योरेन्स दे सकता हूं कि राज्य सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

की तरफ से इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर देंगे जब तक पेंडिंग एप्लीकेशन हो तब तक टैक्स का रियलाइजेशन नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं आपकी इस भावना को एप्रीशियेट करता हूं, कि आप सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को एप्रीशियेट और एकोमोडेट करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं परसरामजी, आप डिप्टी मिनिस्टर बने हैं तो कल को आप मिनिस्टर भी बन सकते हैं और आपको दूसरा पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। उस स्थिति में दूसरा मिनिस्टर आयेगा और कोई चेंज हो गई तो यह सारा महकमा उसके मातहत होगा और उसका हुक्म मानेगा। मान लीजिये, आपकी जगह आचार्यजी आ जायं तो वह आपकी तमाम बातों को रिवर्स करेंगे, कमिश्नर को कह देंगे कि स्टे मत करो। वह कह देंगे कि परसरामजी ने जो स्टे वगैरह के लिए जो इन्स्ट्रक्शन दिये हैं उनको नहीं माना जाय। I am not bound by it. इसलिए इसमें आप एक लाइन और डाल दीजिये। आप एक क्लॉज़ को रीओपन कर रहे हैं तो पन्द्रह मिनट में आप इस पर विचार कर लीजिये, आपका लॉ डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, उनसे दिखवा लीजिये और यह जो कन्सीडरेशन की स्टेज पर चल रहा है इसको डेफर कर दीजिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : एक प्रोवीज़ो जोड़ दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : डेमोक्रेसी में, मैं यह मान कर चलता हूं, डेमोक्रेसी में इस जगह पर कोई आ सकता है। डेमोक्रेसी में इस सिद्धान्त को मानना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप नहीं होंगे यहां पर...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : आप नहीं होंगे तो कोई आयेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब बोलने की हिम्मत आई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और आपका गेप भी फिल–अप होगा। इसमें कोई खास सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Shall I defer this question?

श्री मानिकचन्द सुराणा : The clause should be deferred.

श्री परसराम मदेरणा : क्लॉज ६ पर जो माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट मूव किये हैं उनको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अब क्लाज़ ६ रीओपन करके उसमें मैं अमेंडमेंट मूव कर देता हूं। इसे आप स्वीकार कर लीजिये, कमिश्नर ऑर्डर देगा, रीजन रिकॉर्ड हो जायेंगे और हियरिंग की अपोर्चुनिटी मिल जायगी। इसके साथ साथ उसको कोई रिफ्यूज करेगा स्टे की पिटीशन को तो रीज़न्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब वह करता है तो आगे जाकर रिट के लिए हाई कोर्ट में जाना चाहता है तो उसके लिए एक बेसिस निर्धारित है। अब सवाल रहा पेंडिंग स्टे

(श्री परसराम मदेरणा)

एप्लीकेशन जो है इसमें टैक्स रियलाइज़ नहीं हो, इसके लिए इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर देंगे क्योंकि वह एक ही अमेंडमेंट में नहीं आ सकता। जो हियरिंग और रीज़न करने का है वह मैं मूव कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले क्लॉज़ ६ रीओपन किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले नो को पास कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, amendment except of those of the Minister are withdrawn.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा...

श्री उपाध्यक्ष : Shall I consider the amendments withdrawn ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw in view of the assurance given by the Deputy Minister that, if necessary, strength of the Board of Revenue will be increased.

श्री परसराम मदेरणा : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सम्पत्तिलाल बोहरा से) Do you withdraw ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं इस एश्योरेन्स पर विद्ड्रॉ करता हूं, जो क्लॉज़ ६ को रीओपन करने की बात है उसको ध्यान में रखते हुए विद्ड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Deputy Minister.

श्री परसराम मदेरणा : सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य का अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया है, दूसरा पोर्शन था मेरे वाले अमेंडमेंट का वह incorporate कर लिया है। इसलिए उस फॉर्म में यह एक्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन माननीय सदस्य का मेरे संशोधन में स्वीकार कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप मंत्री ने क्लॉज़ ९ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ९, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ९, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ६ री-ओपन किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ६ रीओपन किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ६ के सब–सेक्शन (३) में एक और प्रोविज़ो जोड़ना चाहता हूं :

'(११) Provided also that the Commissioner shall before rejecting an apprication under the first proviso, give the applicant a reasonable opportunity of being heard and shall also record reasons for such rejection."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : "And till the application is rejected or accepted, the recovery shall remain stayed."

इसमें यह एक लाइन बढ़ा दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने जब प्रिन्सिपल एक्सेप्ट कर लिया है तो ड्राफ्ट कैसा हो, यह ड्राफ्ट्समेन को दे दीजिये । इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके साथ यह एड नहीं होगा । मैंने लॉ डिपार्टमेन्ट को पूछ लिया है लेकिन मैंने जब एश्योरेन्स दे दिया कि मैं डेफिनिटली इन्स्ट्रक्शन्स दे दूंगा । कमिश्नर जब तीन महीने बाद बुलेटिन निकालेगा उसमें इन्स्ट्रक्शन्स इश्यु कर देगा, जब तक स्टे एप्लीकेशन पेन्डिंग है तब तक टैक्स रियलाइज़ नहीं किया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने स्वीकार किया है कि जब अपील कमिश्नर के पास पेश हो जाय, स्टे एप्लीकेशन पेश होगी जो प्रावधान है उसके अनुसार, तब तक रिकवरी रोक दी जाय, ऐसा एग्ज़ीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन आप जारी कर देंगे, यह बहुत अच्छा है । प्रोविज़ो है :

"Provided that where an assessee has presented an appeal under section 13, the Commissioner may on an appeal in writing from the assessee, stay the recovery of the disputed amount of tax or any part thereof during the pendency of the appeal if the assessee furnishes sufficient security to his satisfaction in such form and in such manner as may be prescribed,"

यहां आपका इन्टेन्शन यह है कि स्टे की एप्लीकेशन पेश होगी तो सिक्योरिटी के बाद स्टे हो सकती है । अब माननीय सदस्य की भावना यह है कि स्टे की दरख्वास्त पेश होगी, जब तक एप्लीकेशन डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो तब तक स्टे किया जाय यह तो एग्ज़ीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन देंगे तो मैं यह सजेशन देना चाहता हूं कहीं मत बढ़ाइये आपने जो शब्द लिखे हैं :

'मे' के बजाय यदि आप 'शैल' कर देंगे तो यह मेन्डेटरी हो जायगा, वह स्टे कर देगा । आपकी भावना आ जायगी, झंझट मिट जायगा । आप चाहें तो शान्ति के साथ कर लें । मैं जल्दी में नहीं चाहता । आपने एश्योरेन्स दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : यदि 'मे' के बजाय 'शैल' करता हूं तो कमिश्नर को कोई डिस्क्रीशन रह ही नहीं जायगा । यह डिबेट

Page No 165

(श्री परसराम मदेरणा)

दो तीन दिन से चल रही है वह निगेटिव हो जायगी। यह करने के बाद यह होगा कि कमिश्नर स्टे ग्रान्ट करेगा ही। तब तो प्राव-धान की आवश्यकता ही क्या है ? उसको डिस्क्रीशन नहीं है तब तो हर एप्लीकेशन पर स्टे करना ही पड़ेगा। इसलिये इससे पर्पज़ सर्व होता नहीं है। मैंने "अपोर्चुनिटी और रीज़न रेकॉर्ड" का संशोधन मान लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप साफ कर दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : जब तक कमिश्नर डिसाइड नहीं करे एप्लीकेशन को तब तक स्टे कर दे। माननीय सदस्य ने कहा था, मैं रिवीज़न की नहीं कहता, अपील में होना चाहिये। अपील प्रिफर करने का प्रोविज़न डिप्टी कमिश्नर के पास है। कमि-श्नर के ऑर्डर की अपील डिप्टी कमिश्नर के पास कैसे हो सकती है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : रेवेन्यू बोर्ड में हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर के पास क्यों नहीं हो सकती, मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर ज्यादा कॉम्पीटेन्ट है। अगर मिनिस्टर ज्यादा कॉम्पीटेन्ट होते तो हाउस में बिल को पायोलेट नहीं करते ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह मान कर नहीं चल रहा हूं कि डिप्टी मिनि-स्टर मिनिस्टर से ज्यादा काबिल हैं।

एनि ऑर्डर पास्ट

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैसे नहीं ? आप कौल साहब को बिठा दें और तीन दिन में बिल पास करवा दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is not relevant.

श्री उपाध्यक्ष : The other amendment may be put to vote.

आप चाहें तो क्लॉज़ ६ को अभी डेफर कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : I have mvend the amendment.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें आपने शब्द लिखे हैं : "The application is rejected..." ऑर्डिनेरिली रिजेक्शन का ही सवाल नहीं है। इन्स्टालमेन्ट ग्रान्ट कर दे। मैं चाहता हूं एप्लीकेशन पर कोई भी ऑर्डर पास हो 'Reject' word is not proper. एप्लीकेशन पर कोई भी ऑर्डर पास करे इन्स्टालमेन्ट भी कर सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : At the time of hearing the application, the party shall be given an opportunity of being heard;

'रिजेक्शन' से ऐसा लगता है कि रिजे-क्ट तो करना ही है, अब सिर्फ मौका देना है कि आकर बहस कर लो। हमारा कंस्ट्र-क्शन ऐसा नहीं हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am sure, the Deputy Minister will take a lesson.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : रेमिशन तो तब देंगे जब कोई डिमान्ड पर अड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण कर रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास हकीकत के गाने हैं, कहें तो सुना दूं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम सुनना चाहेंगे, उनके मुंह से अच्छे लगते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारे गाने सुनाये जायेंगे तो अमेन्डमेन्ट के रूप में आ जायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शुरू करिये।

श्री भैरोंसिंह : पहले आपके गर्दभ स्वर से कुछ निकले।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक ही था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो बोल ही रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां वर्ड रिजेक्टिंग लिखा है, इसलिये यूज किया गया है कि जहां एक्सेप्ट करने का प्रश्न है वहां पर ऑपोर्चुनिटी का प्रश्न नहीं है। एक्सेप्ट कर रहा है तो प्राइमाफेसी देख लिया; अपील स्ट्रोंग दिखती है तो निश्चित तौर से स्टे कर देना चाहिये। पार्टी को ऑपोर्चुनिटी देकर ऑलरेडी स्टे ग्रान्ट कर रहा है लेकिन पार्टी नहीं आवे तब तक ग्रान्ट नहीं कर सकेगा। इसलिये बहुत से मामलों में जल्दी फैसला नहीं हो सकेगा इसलिये 'रिजेक्शन' में कमिश्नर यह देख ले कि बिना सुने मैं नतीजे पर पहुंचा कि स्टे ग्रान्ट नहीं होगी लेकिन कोई दूसरे वजूहात हो सकते हैं इसलिये ऑपोर्चुनिटी हियरिंग की देनी चाहिये। कमिश्नर के सामने किसी पोइन्ट को पुट अप करने की निश्चित तौर से ऑपोर्चुनिटी मिल जायगी। यदि सभी रोका गया तो मिस-यूज़ हो जायगा। जब तक एप्लीकेशन पेन्डिग रहे तक तक टैक्स की रिकवरी नहीं हो तो लंबा मामला चला जायगा। मैं समझता हूं प्रोपर वर्ड्स हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : शायद मेरी बात समझ में नहीं आई।

इन्स्टालमेन्ट्स ग्रान्ट होती हैं तो the application has not been rejected.

"No order shall be passed prejudicial to the assessee without giving him a hearing;"

ये शब्द रख दें तो कोई ऑर्डर असेसी के विरुद्ध पास नहीं किया जायगा, जब तक कि सुनवाई नहीं होगी। उसमें क्या दिक्कत आएगी ? कमिश्नर के पास अपील गई, वह इन्स्टालमेंट्स ग्रांट कर दे। इसमें क्या हर्ज है कि :—"no order shall be passed prejudicial to the assessee without giving him a hearing ?"

श्री परसराम मदेरणा : इन्स्टालमेंट का इसमें सवाल नहीं है। आपके दिमाग में गलतफहमी चल रही है। जब ओरिजिनल सेक्शन ११ (३) का प्रोवीजन था उस वक्त इन्स्टालमेंट कर देते थे। अब स्टे करने का सवाल है, वह पीसमील में नहीं होगा। स्टे होगा तो जो पूरी डिमांड है वह स्टे होगी। अगर इन्सटालमेंट कोई करेगा तो सेक्शन ११ (२) के नीचे असेसिंग ऑथोरिटी को इस प्रकार की पॉवर दी है। कमिश्नर के पास नहीं है। ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ अपील स्टे के लिए उसके पास में जायगा। अपील मेरिट पर डिप्टी कमिश्नर डिसाइड करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस समय खंड ६, यथासंशोधित, पास हुआ था। यह नया अमेंडमेंट संशोधन के साथ है। Does this amendment substitute a previous amendment ?

श्री परसराम मदेरणा : No. It is in addition to that. It is a further proviso.

श्री उपाध्यक्ष : तो जो पहले वाला अमेंडमेंट है उप-मंत्री का उसको वोट पर रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि जो दूसरा अमेंडमेंट उप-मंत्री ने प्रस्तुत किया है ?

"Provided also that the Commissioner shall, before rejecting an application under the first proviso, give the applicant a reasonable opportunity of being heard and shall also record reasons for such rejection;"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन जो मैंने पढ़ा, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ६, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ६, यथा-संशोधित, से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड १०।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त) : (1) For sub-clause (b), substitute the following sub-clause, namely:—

"(b) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3A) If the Board has failed to dispose of the application under sub-section (1) within the time prescribed therefor in that sub-section, it shall not thereafter pass any order on that application and the applicant may, within sixty days from the expiration of the time prescribed in sub-section (1), apply

(श्री परसराम मदेरणा)

to the High Court; and if the High Court is satisfied that prima facie the case is a fit one for making the reference, it may require the Board of Revenue to state the case and refer it to the High Court and on receipt of such requisition, the Board of Revenue shall state and refer the case to the High Court. If the applicant does not apply to the High Court within the said period of sixty days, his application under sub-section (1) shall be deemed to have been withdrawn."

(2) Omit sub-clause (c).

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (3) Part (b) : Delete the following words occurring in new sub-section (2A) sought to be inserted:—

"with the variation.........shall be substituted."

(4) Omit part (2) of the amendment proposed by the Minister-in-charge.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मालवी) : (5) Omit part (b) of the clause.

(6) Amendment proposed in the clause be deleted.

मंत्री महोदय का संशोधन मूव्ड समझा जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की इजाजत है कि श्री मानिकचन्द सुराणा को अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत दी जाय

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई। Please withdraw.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): I withdra.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैं भी अपना संशोधन विद्ड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I think it is permitted and so it is considered withdrawn.

प्रश्न यह है कि खंड १० में जो संशोधन उप-मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १०, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड १०, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ११

श्री मानिकचन्द सुराणा(कोलायत): उप-मंत्रीयदि दफा १५(ए)को विथ्ड्रॉ करें क्योंकि अब इसका पर्पज भी नहीं है और यह दफा as it stands now प्रीवियस प्रोविजन्स के विरुद्ध है, इसलिए विचार करें ताकि हाई कोर्ट की पॉवर्स और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉवर्स जो हम कर्ब करना चाहते हैं दफा १५ (ए) के लिए और जिसे कर्ब करने से इन्कार करते हैं और उसी कारण राजस्थान सरकार ने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दफाओं को बांट दिया है इसलिए यह झगड़ा हो गया है और उप-मंत्री विथ्ड्रॉ करें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विथ्ड्रॉ नहीं करता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : It should be voted down.

श्री सम्पतिलाल बोहरा : We press for the deletion of this clause.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड ११ विलोपित किया जावे।

(स्वीकृत

खंड ११ विलोपित किया गया।

(विराम)

खंड १२

(इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

For clause 12 substitute the following clause, namely:-

"12. Amendment of section 16, Rajasthan Act 29 of 1954.

In section 16 of the sales Tax Act,-

(i) in sub-section (1). in part (iii) for the word, 'half the amount of tax determined.' the words, "the limit specified in part (ii)' shall be substituted,"

(2) 'in sub-section (4), the letters (b),(c),(d) and (f) shall be omitted."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : "Omit brackets, letters and words "(b), (c), (d), (e), (f) and (g)"

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): For clause 12, substitute following clause; namely:-- "12, Amendment of section 16, Rajasthan Act 29 of 1954. In section 16 of the Sales Tex Act, in sub-section (4), for the expression "(b), (c), (d), (e), (f), (ff) and (g)'. the expperession '(e), (g), (h), (i), (j),' shall be substituted"

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें मेरे दो संशोधन हैं। एक संशोधन उस क्लॉज में है जिसके लिये सरकार ने कोई संशोधन मूव नहीं किया है लेकिन मैंने स्पेशली एक अमेंडमेंट मूव किया है। सेल्सटैक्स एक्ट में

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा) :

प्रावधान है कि यदि कोई आदमी टैक्स देरी से जमा कराता है तो उसको एक रुपया सैकड़ा प्रति माह तीन माह तक ब्याज देना पड़ता है और उसके बाद डेढ़ रुपया सैकड़ा । यदि एक व्यक्ति एक माह लेट (late) टक्स जमा कराता है तो १००) रु० पर एक रुपया पेनल्टी लेते हैं । और चूंकि सेल्स टैक्स एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है, रसीद के साथ ही हिसाब पेश किया जा सकता है, इसके नेचुरल कॉन्सीक्वेन्सेज यह होंगे कि हिसाब एक महीना लेट पेश होगा । इस तरह एक महीना लेट हिसाब पेश होने पर पेनल्टी लगेगी ।

मेरा प्रस्ताव यह है कि रेट के डिटरमिन करने में पचास प्रतिशत का प्रावधान है वह अधिक है । जब टैक्स पर उससे एक पर्सेन्ट बनता है उसमे अधिक नहीं होना चाहिये, यानी हमारा उद्देश्य टैक्स रिकवरी का होना चाहिये उसका हिसाब वह एक दिन बाद भी पेश कर सकता है । टैक्स जमा कराना बहुत महत्वपूर्ण है सिर्फ उस पर एक पर्सेन्ट पेनेल्टी रखी है और अगर रिटर्न देरी से भेजते हैं तो वहां आपने पचास प्रतिशत पेनेल्टी रखी है । इससे जुल्म ढाया जा सकता है । जैसे कि मैंने पहले सी० एल० गोयल का केस रखा था जिसको ६२-६३ का सेल्स टैक्स ३६ हजार रुपया है वहां उसको रिटर्न देरी से भरने के कारण १८ हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है । इस प्रकार के बड़े आदमी तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं । लेकिन हर आदमी तो नहीं जा सकता । जैसे किसी का सौ रुपया टैक्स का बनता है उस पर आप एक रुपया प्रति सैकड़ा इन्टरेस्ट का चार्ज करते हैं दूसरी तरफ रिटर्न देरी से भरने पर आप पचास रुपये, सौ रुपये पर जुर्माना कर सकते हैं । इस दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि इस पेनल्टी के क्लॉज को रिड्यूस कर दिया जाय और जो ओरीजिनल सेक्शन बी में प्रस्तुत किय है वही रहने दिया जाय ।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है वह यह है कि सरकार यह चाहती है कि इस एक्ट के अन्तर्गत····

श्री सभापति : इसमें भी संशोधन है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा (बी), (सी), (डी) में अमेंडमेंट है जैसा कि (बी) में प्रावधान है रिटर्न लेट फाइल करे, टैक्स लेट जमा कराये, लेट रिटर्न फाइल करने पर आपने प्रोसीक्यूशन का प्रावधान रखा है । हमारी यह जो पॉलिसी है कि यह सेल्स टैक्ट एक्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं है । आपको तो टैक्स रिकवर करने का इन्टरेस्ट है, न सजा देने में । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो प्रोसीक्यूशन का आपने प्रावधान रखा है वह नहीं होना चाहिये । यह सीरियस नेचर का मामला नहीं इसलिये प्रोसीक्युशन का सवाल नहीं होना चाहिये । इसलिये जितने भी ऑफेन्सेज (बी), (सी), (डी) और (एफ) में है उनमें किसी में प्रोसीक्यूशन न करें, यही मेरा सुझाव है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं । अभी जो प्रोवी-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जन्स है उन प्रोवीजन्स को डिलीट करा रहा हूं उसका निष्कर्ष यह है कि एक्ट के प्राव-धान या रूल्स का वायोलेशन हो जाता है इसके अनुसार सब केसेज में प्रोसीक्यूशन हो सकता है; सरकार द्वारा अमेंडमेंट पेश किया जा रहा है, उसका यही अर्थ है।

मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिये, राज्य सरकार को साफ तौर से इस बात को गहराई से सोचना चाहिये। आप इन्कम टैक्स की दुहाई देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स में बहुत विजिलेन्स से भारत सरकार ने प्रावधान रखे हैं जिसके अनुसार प्रत्येक असेसी का प्रोसीक्यूशन हो सकता है। इन्कम टैक्स एक्ट में प्रोसीक्यूशन है या नहीं, लेकिन सेल्स टैक्स एक्ट में छोटे छोटे वायोलेशन पर प्रोसीक्यूशन आपके प्रावधान के अनुसार होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से आप जो करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव आप मानिये कि राज्य सरकार की मर्जी पर मत रखिये। इसको कॉग्नीजिबल ऑफेन्स बना दीजिये, पुलिस अधिकारी को अधिकार दे दीजिये। अपने हाथ में अधिकार मत रखिये। पुलिस अधिकारी के हाथ में रखने पर आपको इसका नतीजा मालूम हो जायगा, आप जल्दी ही बिल लेकर आ जायेंगे और यह प्रोसीक्यूशन के पॉवर एकदम खत्म कर देंगे। इस तरह से यह पावर का बुरा उपयोग है इस तरह से लोगों में तीव्र असन्तोष पैदा हो जायगा। प्रत्येक वायोलेशन को प्रोसीक्यूशन के काबिल बनाया गया तो। कोई टैक्स इवेड करता है उनको भी आप प्रोसीक्यूट करिये उसके लिये कुछ प्रोवीन्जस छांटिये। व्यापारी अपने खाते इन्स्पेक्शन नहीं करने देवें इस कारण असेसिंग ऑथोरिटी चेक नहीं कर सकता। इस तरीके से जो टैक्स इवेड करना चाहते हैं उन केसेज में साफ तौर से प्रोसी-क्यूशन बनाइये। बाकी केसेज में लेट रिटर्न भरना, दस दिन बाद रिटर्न भरना, इस बारे में प्रोसीक्यूशन करने लगेंगे तो बीभत्स स्थिति पैदा हो जायगी। मेरे संशोधन की मंशा यह है कि आप (बी), (सी), (डी) और (एफ) को ओमिट कर दें। (बी), (सी), (डी), (एफ) का स्टेटस मेन्टेन हो।

आप सेल्स टैक्स की धारा (बी), (सी), (डी) को देखिये। मामूली वायोलेशन की परिस्थिति में किसी भी तरह का कोई प्रोसीक्यूशन नहीं होना चाहिये। आपके पास कानून होगा ही, आप उसमें देख लीजिये। (बी) में यह है:

"(b) If any person has without reasonable cause failed to pay the tax due within the time allowed; or"

टाइम पर टैक्स नहीं जमा करायेंगे तो प्रोसीक्यूशन हो जायगा। (सी) में यह है:

"has without reasonable cause failed to furnish the return of his turnover, or failed to furnish it within the time allowed; or"

रिटर्न नहीं भरेगा तो प्रोसीक्यूशन होगा।

(डी) में यह है:

Page No 172

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

"(d) has without reasonable cause failed to comply with all the terms of the notice issued under sub-section (2) of section 10, or"

आपके कमिश्नर महोदय के आदेश के अनुसार क्लॉज १० सब क्लॉज़ (२) के अन्तर्गत कोई भी आदमी आप जानते हैं, रिटर्न तैयार करेगा।

एक व्यापारी है। हजार आइटस बेचता है रोजाना के। आप उससे यह रिटर्न मांग रहे हैं तो वह बताये कि हजार आइटम्स किस किस आइटम में कितनी २ बिकी। सोचा भी है कि कितना समय उसको लगेगा? आपका रिटर्न भरेगा या कमा कर अपना गुजर बसर करेगा? एक महीने का टाइम देते हैं। एक एक की वह छंटनी करके रिटर्न पेश करे और टाइम पर नहीं दे सके तो आप उसका प्रोसिक्यूशन करेंगे। इसलिये इसको सिविल लॉ की तरह से चलाइये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :

For clause 12, substitute following clause, namely :

"12. Amendment of section 16, Rajasthan Act 29 of 1954. In section 16 of the Sales Tax Act, in sub-section (4), for the expression (b), (c), (d), (e), (f), (ff) and (g)' the expression '(e), (g), (h), (i), (j)' shall be substituted."

माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहले ओरिजिनल क्लॉज़ १६ है उसमें लायेबल टु पेनेल्टी और प्रोसिक्यूशन ऐसा किया था। ऐसे कुछ केसेज़ में पेनेल्टी इम्पोज़ करने का ठीक मालूम होता है लेकिन छोटी २ इर्रेगुलेरिटीज़ के लिये प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं लगता है। टैक्स इवेड करने की भावना हो, टैक्स इवेड करने की एक्टीविटी हो तो इन्हीं प्रोविज़न्स में पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन रखना चाहते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए इन पांच आइटम्स में तो प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया जाय और दूसरे केसेज़ में प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिये इससे रिलीफ मिल जावेगा उनको। इस अमेंडमेंट को राज्य सरकार को मंजूर कर लेना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने दो अमेंडमेंट दिये हैं। एक अमेंडमेंट तो वह रखा है सेक्शन १६ के अन्दर। क्योंकि सेक्शन १६ के ऊपर इसलिए है कि मेन सेक्शन अमेंडमेंट बिल में नहीं है। वे चाहते हैं और एक्ज़ाम्पल देकर उन्होंने कहा कि टैक्स जमा नहीं कराते हैं और डिफॉल्टर्स है उन पर बहुत कम पेनल्टी है और लेट रिटर्न के लिये उन्होंने कहा कि टैक्स के लिए जहां १) रु० है लेट रिटर्न के लिये उन्होंने ५०) रु० पेनल्टी की एक्ज़ाम्पल दी। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करूंगा कि टैक्स वसूल करने का हमारा मेन आइडिया है, लेकिन यह होगा कैसे? जब कोई व्यक्ति रिटर्न ही पेश नहीं करेगा और रिटर्न ही पेश नहीं करेगा तो असेस करेंगे कैसे और असेसमेंट नहीं होगा तो डिमान्ड नोटिस कैसे इश्यू करेंगे?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : असेसमेंट कैसे होगा ? एक्स-पार्टी जजमेंट होगा। बिना जजमेंट असेसमेंट होगा।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रोज होता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सेक्शन १२ पढ़िये। रिटर्न पेश नहीं करता है तो एक्स पार्टी जजमेंट हो जावेगा।

श्री परसराम मदेरणा : रिटर्न पेश कर देता है तो असेसिंग ऑथोरिटी को यह मालूम हो जायगा कि सही पेश किया है या नहीं। रिटर्न के अभाव में असेसिंग ऑथोरिटी अपने पॉवर्स को यूज करती है तो माननीय सदस्य कम्पलेन्ट करते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : या तो मैं आपकी बात ठीक न समझ पाया या आप मुझे ठीक नहीं समझा पाये। क्योंकि मैं कह रहा था कि Tax is more important than return.

श्री परसराम मदेरणा : वह तो मैंने कह दिया। मैं उसको मानने में असमर्थ हूं।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन सब सेक्शन्स को न किया और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि (ff) को डिलीट किया जाय। सवाल यह है कि (ff) को रखा जाय और बाकी सब को ओमिट कर दिया जाय। उनके अमेंडमेंट का मतलब ज़ीरो। माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुए सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसको स्वीकार करता हूं। जितने डीलर्स मिले हैं और टैक्स कन्सलटेन्ट्स मिले हैं मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि ग्रेटर ऑफेन्सेज किसको मानते हैं तो उनकी राय यह थी कि प्रोसिक्यूशन करें तो उनमें करें। उनका अमेंडमेंट व्हिम्स पर नहीं मानता हूं लेकिन वास्तविक है। माननीय सदस्यों ने भावना यहां पर व्यक्त की है उनको ध्यान में रखते हुए सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य के अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करता हूं बाकी को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टैक्स कन्सल्टेन्ट्स ने सुझाव दिये और काफी असर पड़ा है आप उनके और दूसरे सुझाव आयें इसके अलावा भी और आपकी समझ में आया या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे अमेंडमेंट्स में जो लाया हूं उनसे प्रकट होगा कि यहां जो माननीय सदस्य कहते हैं उसकी ही ज्यादा कद्र की है और टैक्स कन्सल्टेन्ट्स की कम।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री सम्पत्तिलालजी ने खंड १२ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw the amendment in view of the amendment of Shri Raghunath Bishnoi having been accepted. That is partly acceptance of my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : That is withdrawn.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुनाथ बिश्नोई ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १२, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड १२, यथा-संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड १३

(खण्ड १३ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :-

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : In sub-section (5) of new section 17 sought to be inserted substitute the word "application" for the word "amendment" and add the following proviso there-to, namely:-

"provided further that if the said application is not disposed of within the above mentioned period, the said application shall be deemed to have been accepted by such authority."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): In new section 17:

(a) add the words "or subordinate authority" at the end of sub-section (1),

(b) at the end of sub-section (4) add the words "and if otherwise' shall be deemed to be rejected."
In sub-section (1) of the proposed new section 17, delete occurring at the end and insert:-

"or any authority judicial subordinate to it or him."

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : In new section 17–

(a) add the words "or a subordinate authority" at the end of sub-section (1),

(b) at the end of sub-section (4) add the words "and if otherwise, shall be deemed to be accepted."

(८.०० म. प.)

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहले सम्पत्तिलालजी को बोलने दें । मैंने पढ़ा नहीं । ये देखते हैं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ में सब क्लॉज (१३) में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का प्रावधान है ।

उसमें प्रावधान यह है कि एप्लीकेशन असेसिंग ऑथोरिटी के पास जो भी देगा उसको १२० दिन के अन्दर अन्दर फैसला देना पड़ेगा और कोई भी उसमें अमेंडमेंट चार साल के एक्सपायर के बाद नहीं होगा ।

इसमें मेरा यह सुझाव है कि क्लॉज ५ में जहां वर्ड एमेंडमेंट लिखा है वहां वर्ड एप्लीकेशन लिख दिया जावें । और उसके नीचे पांच के बाद यह प्रोविजो एड किया जावे कि :

"Provided further that if the said application is not disposed of within the above mentioned period, the said application shall be deemed to have been accepted by such authority."

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो (५) में प्रावधान है सब क्लॉज़ (५) में, वह यह है कि कोई भी एमेंडमेंट चार साल के बाद ऑर्डर के नहीं किया जा सकेगा । मेरा यह सुझाव है कि कोई भी एप्लीकेशन चार साल के बाद मूव नहीं की जा सकेगी । इसमें से इतना सा हो जाना चाहिये कि एमेंडमेंट न होकर एप्लीकेशन नहीं की जा सकती ।

आगे १२० दिन की बात है । अब १२० दिन में असेसिंग ऑथोरिटी फैसला नहीं करे तो क्या हो उस एप्लीकेशन का ? तो या तो it should be treated as rejected or it should be treated as accepted. तो आपने रिजेक्ट के लिये हर जगह कहा है । इस जगह कम से कम आप स्वीकृत समझी जावे, ऐसा कर दें । और दूसरा यह है कि इसको चार साल के अन्दर अन्दर सब्मिट करने की अनुमति हो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इसमें मैंने एमेंडमेंट्स मूव किये हैं उनमें पहला तो यह है कि जहां रेटीफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिये कोई भी दर्ख्वास्त दी जाती है और जहां हमारे नये संशोधन में अधिकार दिया है कि कमिश्नर, अपीलेट ऑथोरिटी और असेसिंग ऑथोरिटी इन तीन ऑथोरिटीज़ को दी जा सकती हैं । वहां मैंने यह संशोधन पेश किया है कि यह दर्ख्वास्त सुनते वक्त कमिश्नर अपीलेट ऑथोरिटी अपने किसी भी सबोर्डिनेट ऑथोरिटी की कोई गलती उनके ध्यान में आवे तो प्रोसीडिंग में उस दर्ख्वास्त को सुनते वक्त अपने आप दुरुस्त कर सकता है और उसके लिये दुबारा उनके नीचे के अधिकारी को दर्ख्वास्त देना जरूरी नहीं होगा । पहला तो यह है ।

दूसरा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो एमेंडमेंट माननीय मंत्री ने पेश किया है उसमें यह जहां लिखा है कि १२० दिन में फैसला देगा और इसके बाद में कोई फैसला नहीं देगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में बहुत सी ऐसी जगह आई हैं जहां यह कहा गया है कि १२० दिन में फैसला हो जावे नहीं तो दर्ख्वास्त नामन्जूर समझी जावेगी । नहीं तो हुक्म नहीं दे सकते । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रावधान रख कर हम अपने जितने ऑथोरिटी हैं उनको

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस बात का बढ़ावा देना चाहते हैं कि या तो चार महीने में फैसला कर दें या खारिज हो जावेगा या बाद में वह फैसला नहीं लिख सकेगा।

मैं कहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि एक जगह तो ऐसी भी हो जहां हम यह लिखें कि दर्ख्वास्त का फैसला इस मयाद में हो जावे अन्यथा यह समझा जावेगा कि दर्ख्वास्त मन्जूर हो गई। यही क्यों माना जावे हर वक्त कि वह नामन्जूर हो गई। यह भी माना जावे कि मन्जूर हो गई।

लेकिन माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कोई दर्ख्वास्त दी जावे और चार महीने में उसका फैसला नहीं करें तो उसे मन्जूर समझा जावे। इसलिये यह कहूंगा कि आप फिर इसको ऐसा कर दीजिये कि वर्डिंग १२० दिन के बाद यह लिख दीजिये कि 'as far as may be' ताकि कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को यह तो अधिकार रहे कि किन्हीं परिस्थितियों वश वे समय के भीतर फैसला नहीं दे सके तो बाद में भी हुकम तो दे सकें। माननीय मंत्रीजी जानते है कि इलेक्शन पिटीशन के बारे में भी यही है पीपुल्स एक्ट का जो लॉ है उसमें। उसको आप फॉलो करें। वहां भी यही लिखा है कि छः महीने में निर्णय दे दें पर उसके आगे शब्द है 'as far as possible'। और कई पिटीशनें दो दो साल यो अधिक भी चलती हैं जिनका फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल दो साल बाद भी करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि १२० दिन के बाद भी रेक्टी-फिकेशन ऑफ एरर पर फैसला दिया जा सके। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी पर्मिशन हो और माननीय मंत्रीजी स्वीकार करें तो मैं एक एमेंडमेंट के फार्म में यह कह सकता हूं कि १२० दिन के प्रावधान के पहले 'as far as may be' वर्ड्स यूज किये जावें और इसी को एमेंडमेंट के तौर पर मूव समझ लिया जावे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३ में मेरा यह एमेंडमेंट है कि जिस प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड के कमिश्नर या अपीलेट अधिकारी या सेल्स टैक्स ऑफीसर के द्वारा कोई अगर निर्णय दिया जावे और उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक रह जाती है और उसकी अपील या रिवीज़न किसी ऊंचे कोर्ट में चल रही हो और उस दर्मियान में कोई अशुद्धि या त्रुटि नजर आती हो तो मेरा एमेंडमेंट यह है कि इस प्रकार जहां अपील या रिवीज़न चल रहा हो तो वहीं पर उस त्रुटि को शुद्ध कर लिया जाना चाहिये।

दूसरा मेरा एमेंडमेंट यह है कि जो सब क्लॉज ४ में १२० दिन का प्रावधान रखा है उसमें मेरा यह संशोधन है कि १२० दिन में अगर निपटारा नहीं होता है तो यह मान लिया जाना चाहिये कि वह एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। आशा है आप इनको स्वीकार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले और आसीन्द से आने वाले ने एक ही प्रकार के अमेंडमेंट रक्खे हैं। उनका मतलब यह है कि मिस्टेक अगर सबोर्डिनेट ऑथोरिटी की

(श्री परसराम मदेरणा)

है तो हायर ऑथोरिटी उसको रेक्टीफाई कर ले। इसको स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि किसी भी सबोर्डिनेट की मिस्टेक अपीलेट, या रिविज़नल ऑथोरिटी के ध्यान में आवे तो अपने आप ठीक कर ले तो हमने प्रावधान सेक्शन १७ इन्सर्ट की है उसमें इसलिये नहीं रक्खा कि रिवीज़नल या अपीलेट की हैसियत से अपील का रिवीज़न है तो हर मिस्टेक को सुधारने का अधिकार है ही इसलिये यह सबोर्डिनेट ऑथोरिटी को खुद को मालूम है कि मेरी मिस्टेक हो गई है और उसको ठीक करना है तो उसको ठीक कर देना चाहिये।

इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लें कि ऐसी मिस्टेक सबोर्डिनेट ऑफिसर ने की है, अगर उन्होंने ठीक नहीं किया है और सब के लिए एक तरह का प्रावधान रख देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि नीचे की अपीलेट ऑथोरिटी की, असेसिंग ऑथोरिटी की जो मिस्टेक है वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ठीक नहीं कर सकेगा। इसलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिवीजन है और रिवीजन के वक्त मुद्दे उठाये जा सकते हैं, अपीलेट ऑथोरिटी के पास मुद्दे उठाये जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां सबोर्डिनेट ऑथोरिटी के वर्ड को एड करना रिडन्डेन्ट है, और मैं इस एमेंडमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरी बात, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं आप लोग करना नहीं चाहते हैं, मन्त्री यहां बठते नहीं हैं, कांग्रेस के मेम्बर बैठते नहीं हैं। कोरम पूरा नहीं है और आप बोलते ही चले जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है।

(गणपूरक घंटी)

घंटी बजा बजा कर कोरम क्यों पूरा करना चाहते है? गवर्नमेंट को सबक मिल जायेगा। आठ बजने आ गये और सवा आठ बजने आयेंगे। (सुश्री कुमारी उमा माथुर के आने पर) उमा बहिन आ गई तो उमा बहिन के वहां कौन इन्तजार करने वाला है? हमारे तो घरों में इन्तजार करती हुई बैठी होंगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यह चाहते है कि धारा १७ के अन्दर उप-धारा (५) में 'एमेंडमेंट' की जगह "एप्लीकेशन" कर दिया जाय। माननीय सदस्य ने यह कहा कि चार साल एप्लीकेशन का पीरियड होना चाहिए और एप्लीकेशन के बाद रेक्टीफिकेशन का पीरियड होना चाहिए, एडीशनल पीरियड होना चाहिए। लेकिन मैं आपका यह एमेंडमेंट स्वीकार नहीं कर सकता इसलिए कि दूसरे टैक्स स्टेच्यूट्स में भी इस प्रकार का प्रोवीज़न है कि रेक्टिफिकेशन का कि स्पेसिफाइड पीरियड के अन्दर मिस्टेक रेक्टीफाइड होनी चाहिए। इन्कम टैक्स एक्ट में भी इसी प्रकार का प्रावधान है :

"No amendment under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the said order......"

(श्री परसराम मदेरणा)

और इसी प्रकार से जितने सेल्स टेक्स के स्टेच्यूट्स हैं, सब स्टेट के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान है जैसा कि हमने रखा है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों के इस एमेंडमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए इस क्लॉज के ऊपर जो आपने एक बात कही कि १२० दिन के भीतर डिसीजन नहीं दे तो उसे स्वीकार माना जाय। अगर उसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो एक्सेप्ट करने का मतलब यह हुआ कि उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेन्स डिमाण्ड पर जाकर पड़ेगा और डिमाण्ड सुओमोटो कैसे होगा ? अगर अपने आप ही रेक्टीफिकेशन समझ लेते हैं, मान लो कि एक डिमाण्ड नोटिस की है, असेसमेंट की हो तो अपने आप एक्सेप्ट करने में होगा....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : १२० दिन का प्रावधान रखा है। उसके अन्दर अन्दर टाइम लिमिट फिक्स कर दी है ताकि वह हो जाय तो ज्यादा डीलर्स और असेसीज को परेशानी नहीं हो....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अगर नहीं हुआ १२० दिन में तो क्या होगा, सवाल इस बात का है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह हुआ कि आपके वाला हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरा पहलू है उसका कि जैसा कि मिस्टेक को रेक्टीफाइ करने के लिए कहा कि चार साल के बाद एप्लीकेशन का पीरियड रख देते हैं तब तक वह तलवार उसके सिर पर लटकती रहेगी, इसलिए असेसी के इंट्रेस्ट में यह एप्लीकेशन का वर्ड नहीं किया है और चार साल के पीरियड के अन्दर मिस्टेक रेक्टीफाइ होनी चाहिए। एप्लीकेशन देने का समय चार साल का नहीं हुआ और १२० गुमाने के बाद एक्सेप्टेन्स का मतलब होगा कि कई प्रकार के मामले हैं जिसके अन्दर वह वेस्ट रहते हैं असेसिग ऑथोरिटी में या जो कोई भी रेक्टीफाई करने वाली ऑथोरिटी है वह अपील में टाइम ले सकती है, रिवीजन में रेक्टीफिकेशन का मामला उठा सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि टाइम लिमिट रख देंगे तो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेन्स होंगे और किसी वजह से असेसिग ऑथोरिटी तय नहीं कर सके तो टाइम के मामले किसी भी वजह से तो उसका मतलब यह होगा कि अपने आप ही मिस्टेक को रेक्टीफाई हुआ समझा जायेगा इसलिए डबल एजेड वीपन है, इसलिए स्वीकार नहींकरता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फोर्थ क्लॉज रिडन्डेन्ट है। इसकी कोई वेल्यू नहीं है. कोई मतलब नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने इन्कम टैक्स का हवाला देते हुए चार साल एप्लीकेशन का हो सके, no application shall be amended after four years; लेकिन यह बता सकते हैं कि १२० दिन का लिखा है इन्कम टैक्स एक्ट में कि १२० दिन की रियायत अगर नहीं होगी तो दूसरा क्या होगा, उसका कोई जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानिकचन्द सुराणा ने प्रस्तुत किया है (श्री मानिकचन्द सुराणा से) Do you withdraw it ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सम्पत्तिलाल बोहरा से) Would you press it ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : I press it.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा और श्री गिरधारीलाल व्यास के जो अमेंडमेंट्स हैं they are withdrawn.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने खण्ड १३ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड १५

श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १४ भी है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : १४ हो गया है।

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड १४ में किसी का एमेंडमेंट है ?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड १५। श्री मानिकचन्द सुराणा।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ—

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Omit part (b) of the clause.]'

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन इसमें पेश करता हूँ। इस संशोधन के जरिये राज्य सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते है रूल्स के जरिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जब सेशन में नहीं होता तब तक गवर्नर महोदय जो है वह बिना इस हाउस की मजूरी के कोई भी ऑर्डिनेन्स निकाल सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी कानून में संशोधन कर सकते हैं, नया कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार यह चाहती है कि यह हाउस चाहे सेशन में हो और हाउस का सेशन हो तो भी कुछ इस तरह के अधिकार नियम के तहत इनको मिल जायं कि जिसके जरिये जो काम गवर्नर महोदय के ऑर्डिनेन्स से होता है वही काम इस सदन की मन्शा को जाने बिना सदन की भावनाओं को बिना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जाने हुए और जो स्टेच्यूटरी प्रोवीज़न्स राज्य सरकार के जोड़े हुए हैं कि रूल्स में परिवर्तन करे तो एक महीने का प्रीपब्लिकेशन करें। एक महीने पहले गजट में छापें कि इन इन रूल्स में परिवर्तन करना चाहते हैं। राज्य सरकार अब यह चाहती है कि एक महीने के प्रीपब्लिकेशन का जो नियम है इस नियम में रिलेक्सेशन कर दें और राज्य सरकार यदि चाहे और समझे कि परिस्थिति ऐसी है कि प्री-पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है या प्री-पब्लिकेशन सम्भव नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार चाहती है कि उसको अधिकार दे दिये जायं कि बिना प्री-पब्लिकेशन के, गजट में बिना छापे हुए भी वह रूल को एमेंड कर दे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के वाइड पॉवर्स, इस तरह का डिक्टेटोरियल पॉवर रूल्स के अन्दर राज्य सरकार क्यों लेना चाहती है? राज्य सरकार यह कह सकती है कि हम फाइनेन्स बिल लाते हैं, कोई टैक्सेशन का मेजर लाते हैं तो टैक्सेशन का मेजर लाने के लिए उसके कोई नियम बनाने जरूरी हैं और जिस दिन बजट पेश हुआ उसी दिन नियमों में संशोधन जरूरी हैं तो नियमों में संशोधन बिना पब्लिकेशन के करने का अधिकार मिलना चाहिए और यह रेशनल दलील राज्य सरकार पेश कर सकती है।

लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि टैक्स कलेक्शन के लिये पूरा एक्ट बना है उसकी तहत नियम बना सकते हैं। लेकिन सेल्स टैक्स एक्ट में हमने प्रावधान रखा है कि कोई संशोधन हो तो पहले उसका पब्लिकेशन करना जरूरी है। प्री-पब्लिकेशन क्यों करना चाहते हैं? इसलिये कि १ लाख असेसीज हैं उनके इन्ट्रेस्ट को हार्म नहीं किया जाय, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाय इसलिये उनको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिये। उनको तकलीफ हो तो अपना रोना रो सकें, हालां कि रोना बेकार है, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, लेकिन आप चाहते हैं कि वे रोवें भी नहीं और आप उनके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर लें। आप ब्लेन्क पॉवर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो संशोधन रखा है वह विथ्ड्रॉ करें। आप नियम में अधिकार लेते हैं यह सदन सेशन में है तो भी हम रात में सोते रहें और आप नियम में तब्दीली कर दें। हम इस प्रकार की पोजीशन नहीं रखने देना चाहते हैं कि गवर्नर को ऑर्डिनेन्स निकालने का अधिकार दिया है वही काफी है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको बिना प्री-पब्लिकेशन के चेन्ज करने की पॉवर दी जाय। मैं कहता हूं यह डिक्टेटोरियल पॉवर है। ब्लेंकेट पॉवर नहीं मिलनी चाहिये, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं भी इसका विरोध करता हूं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रात भर रोओगे तो भी मुर्दा कोई नहीं मरेगा।

श्री सम्पतलाल बोहरा : कई मर गये और मरने वाले हैं। इतनी सफलता मिली है जितनी पहले कभी नहीं मिली। पास हुआ क्लॉज री-ओपन हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसमें आपका क्या है, सारे सदन का एप्रिसियेशन है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं यही कह रहा था कि पास होकर री-ओपन हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी वजह से क्या ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : हाउस की वजह से।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि परस्पर वार्ता न करके परम्पराओं के अनुकूल करें तो अच्छा रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स एक्ट की धारा ३६ में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार कानून के अन्तर्गत नियम बनावे वे आज की व्यवस्था में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहे जाते हैं। कानून सदन में पास होता हैं, गजट में प्रकाशित होता है, विधेयक पेश किया जाता है वह गजट में प्रकाशित होता है सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है वह गजट में प्रकाशित होती है। अधिनियम पास करने के बाद जिसको असेन्टे के लिये प्रस्तुत किया जाता है वह प्रकाशित होता है। एक्ट बनने के बाद जिस तारीख से लागू होता है वह गजट में प्रकाशित होता है, नियम बनते हैं तो वे गजट में प्रकाशित होते हैं उसका एक मात्र कारण यह कि जनता के लिये कानून बनाते हैं। जिसके लिये हम एक्ट बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, और उनमें परिवर्तन किया जाता है तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिये कि कानून में क्या परिवर्तन हुआ है। आज की तारीख में कानून है क्या ? यह एक मात्र उद्देश्य गजट में प्रकाशित करने का होता है। कानून में यही है। बाकी गजट इसलिये नहीं है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के ट्रान्सफर्स हों उसकी सूचना पब्लिश हो या लोन एप्लीकेशन इसमें प्रकाशित हो, या टेन्डर्स इन्वाइट हों, उसका नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित हो। यह तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो सकते हैं। गजट में कानून प्रकाशित होने की भूमिका इस आधार पर है कि जो कानून बनाया गया है उसको जनता जान सके और गजट में प्रकाशित होने के बाद ही कोई कानून लागू हो सकता है इसलिये इस पब्लिकेशन के पीछे सैंक्टिटी है। इस प्रकार की व्यवस्था और इस प्रकार के अनेकानेक निर्णय उच्च से उच्च न्यायालय के हैं। कई कानून पुराने राजस्थान में ऐसे निकले जिनके बारे में गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने यह होल्ड किया कि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जनता को इनकी जानकारी नहीं हुई इसलिये वे मान्य नहीं है।

आप अपने घर में बैठ कर जब चाहो तब मुहर लगा दो तो इसकी कोई सैंक्टिटि नहीं है। आज के वेलफेयर स्टेट में, आज की डेमोक्रेटिक स्टेट में जहां जनता की सरकार है, जनता के लिये है और जनता द्वारा चुनी हुई है वहां पर जनता को कानून की जानकार नहीं मिले और कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सुबह उठ कर आदेश जारी कर दे, नियमों में संशोधन कर दे, जब मन में आवे तब कर दे, इसका तात्पर्य यह होगा कि नियम के अन्दर कोई गलती रह गई, आपने गलत आदेश दे दिया उसके खिलाफ किसी आदमी ने निगरानी पेश की रेवेन्यू बोर्ड में और बहस में मुद्दा उठा कि यह कानून इस प्रकार से गलत है तो आपका वकील कोर्ट को कहेगा कि मुझे समय चाहिये और उसने, मान लीजिये ७ दिन का समय ले लिया। और फिर वह आपके सरकारी अधिकारियों के पास गया या सरकार के पास गया और उनसे जाकर कहा कि आपके खिलाफ यह आदेश जारी होने वाला है; रेवेन्यू बोर्ड का इस तरह से फैसला आने वाला है और उसके कहने से आपने रूल्स को अमेंड कर दिया जिसका असेसीज़ को पता नहीं, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स को पता नहीं। बहस का समय आता है उस दिन आपने प्रातः ७ बजे रूल्स अमेंड कर दिये और वह ९ बजे की मोटर से गया और ११ बजे बहस करने के लिये रेवेन्यू बोर्ड के सामने उपस्थित हुआ और उसने बोर्ड से कहा कि कानून में संशोधन हो गया है। यह कोई कानून चलाने का और राज्य चलाने का तरीका है! इसलिये मैं समझता हूं प्रायर पब्लिकेशन या गजट नोटिफिकेशन की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था रहनी चाहिये। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जब सदन में पास किया हुआ कानून गजट में प्रकाशित होता है, सदन में पेश की जाने वाली सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट गजट में प्रकाशित की जाती है, सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियम गजट में प्रकाशित होते हैं ऐसी हालत में जहां असेसमेंट का सवाल नहीं, बकाया वसूली का सवाल नहीं लायतलाली का सवाल नहीं, सार्वजनिक धन का सवाल है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप नियमों में ऐन टाइम पर संशोधन करें तो क्या यह सदन इसको मान्यता देने वाला है ? सदन इसको कभी मान्यता देने वाला नहीं है :

"provided that the State Government is satisfied."

राज्य सरकार को संतोष किस बात का ? मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार में से संतोष किस को करावें ? जहां तक विभाग का संबंध है वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष हैं तो क्या उनको सेटिस्फेक्शन हो ? फाइनेन्स मंत्री आबकारी विभाग से संतोष कर लें, नियमों के पब्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है, नियमों का पब्लिकेशन नहीं किया जायगा और ऐसी बात जानकार रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट में केस पेश किया जा सकता है। लोगों ने रिट्स पेश कर रखी हैं, नियम या रूल्स चेलेन्ज कर रखे हैं। उनमें सरकार कहेगी कि हमें १० दिन का समय दीजिये और उस बीच में आपने अमेंडमेंट करके पेश कर दिया तो वह रिट बेकार हो गई। आप लोगों को मालूम तो करादेंगे कि आपने क्या संशोधन किये हैं। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि सेटिस्फेक्शन या संतोष की बात विभाग से संबंधित है, फाइनेन्स विभाग से सम्बन्धित है, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन विभाग से संबंधित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। उसका एक उदाहरण सेटिस्फेक्शन का पेश करता हूं उससे पता चलेगा कि कैसे सरकार सेटिस्फाइ करती है या होती है और कैसे नहीं हो पाती। मैं यह उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सदन के सदस्य हैं, यहां पर सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आते हैं। हमको सारजेन्ट बाहर रोक दे और कह दे कि मैं नहीं पहचानता कि आप सदस्य हैं तब हम उसको सदस्य का आइडेन्टिटी कार्ड दिखाते हैं पर उससे उनको संतोष नहीं हुआ और कह दिया कि मुझे इससे संतोष नहीं हुआ तो फिर हम मंत्री, उप मंत्री या अधिकारियों से कहला देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइये, मैं निवेदन कहना चाहता हूं, इस टेक्सेशन डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी मारा मारा फिर रहा है, रो रहा है। उसका तबादला झुन्झुनू से जयपुर कर दिया वह जयपुरआकर ड्यूटी जोइन करने जाता है। सरकारी अधिकारी उसको कहते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं है कि आप वही मोतीलाल हो। आज उसको सात हो गये, मारा मारा घूम रहा है। यह कह रहा है मैं मोतीलाल हूं, मेरा ही झुन्झुनू से तबादला हुआ है और सरकार कहती है कि तुम बताओ प्रूफ करो कि तुम वही हो। उसको सात साल हो गये। झुन्झुनू से जयपुर आया, ड्यूटी जोइन करने आया, एक्साइज़ और टेक्सेशन विभाग में ड्यूटी जोइन करने गया और उसने कहा कि मैं आपके विभाग का कर्मचारी हूं, झुन्झुनू से यहां पर मेरा तबादला हुआ है ड्यूटी जोइन करने आया हूं। उसको ७ साल हो गये लेकिन आपके अधिकारी जानते नहीं हैं कि यह वही आदमी है या नहीं ? उसके बारे में संतोष नहीं हो रहा है कि वह मोतीलाल है। उसको कहते हैं कि सुबूत लाओ कि तुम ही मोतीलाल हो। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि सात साल हो जायं और राज्य सरकार का एक कर्मचारी...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आज कहां से आ गया वह ?

श्री जयनारायण सालोदिया(निवाई): आप वह मोतीलाल नहीं हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सात साल हो गये !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मोतीलाल चौधरी नहीं है, यह मैं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं जानता हूं वह मोतीलाल चौधरी नहीं है। मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं अब वह कहां है, कहां है केस उसका ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार के और कौल साहब के दर्वाजे खटखटा रहा है। वह कहता है, मैं वही मोतीलाल हूं, मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे ड्यूटी पर जोइन कराओ। लेकिन सरकार कहती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है कि तुम वही मोतीलाल हो इसका सबूत क्या है। वह कहता है यह सरकारी कागज हैं यह अपोइन्टमेंट ऑर्डर है, यह ट्रान्सफर ऑर्डर है, यह छुट्टियों का ऑर्डर है यह लोन वगैरह का ऑर्डर है। ये सब कागज मेरे पास हैं। मैं और क्या लाऊं ! मेरा फ़ोटो आप देख लो, इसको मैं तस्दीक करा लाता हूं। मैं कोई नया आदमी नहीं हूं, आज से बीस साल पहले से नौकर हूँ और अब मैं सरकार से पेंशन पाने जा रहा हूं, रिटायर होने जा रहा हूँ। लेकिन उसे सरकार ड्युटी पर नहीं लेती है। वह चाहती है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वही मोतीलाल है या दूसरा मोतीलाल है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मिसाल दे रहे हो या सच बात कह रहे हो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह उस अभागे मोतीलाल की फाइल है, इसमें इतने सारे कागजात हैं लेकिन सरकार ने अभी तक फैसला नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : How is it relevant with this ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लिखा है, इन शब्दों को लिखा है "If the government is satisfied"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का सेटिस्फेक्शन किस चीज होना चाहिये। जिस चीज से सेटिस्फेक्शन होना चाहिये उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए उससे सेटिस्फेक्शन हो जाता है। यह उदाहरण दे कर मैं अपने तर्क को पुष्ट करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मामला समाचार-पत्रों में आया है और कौल साहब की जानकारी में है। इसलिए इस कर्मचारी के केस को मैंने रखा है। अगर उसके विरोध में कुछ होता तो मैं समझ सकता था लेकिन वह मिलिट्री का आदमी है, उसने हिन्दुस्तान की फौज में काम किया है, उसने हिन्दुतान की सुरक्षा की है, उसने हिन्दुस्तान की सीमा की रक्षा की है और फौज में से आने के बाद बीस साल से नौकरी करने के कारण उसका अनडिस्प्यूटेड राइट है, उसका कन्फर्म्ड राइट है। उसके विरोध में कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, उस पर कोई चार्ज शीट नहीं है, वह सस्पेन्डेड नहीं है, वह डिसमिस्ड नहीं है, नौकरी से बर्खास्त नहीं है। फिर यह सवाल क्यों खड़ा हुआ है कि यह वही मोतीलाल है और सात साल से उसके मामले पर कोई ऑर्डर क्यों नहीं हुआ है ? यह कौल साहब की जानकारी में है और कौल साहब को इसकी चिन्ता नहीं है, इस मामले में सात साल से कोई फैसला नहीं हो सका है, जब कि वह गलत प्रमोशन दे सकते हैं, गलत इन्क्रीमेंट दे सकते हैं, लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सामने उस गरीब की कहानी को इसलिए रखा है कि मैं इसको रखने पर मजबूर हुआ हूं, जो आदमी रिटायर होने की हद में जा रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो दर दर भटक रहा है, मुझे अफसोस है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि उसके बारे में सरकार को सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैंने इस केस को आब्जेक्टिवली रखा है। साधारणतया मैं गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के मामले इस सदन में नहीं उठाता हूं, लेकिन यह मामला ऐसा है, जिसके लिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस सदन के कोई दो सदस्य इस आदमी के कागजात को देख लें और मैं माननीय मंत्री जी को भी कहना चाहूंगा कि इस आदमी की फाइल आपके विभाग मे मौजूद होगी, उसको आप उठा कर देख लीजिये, फैक्ट्स को मिला लीजिये, सारे मामले की जांच करा लीजिये और देखिये कि कौन अधिकारी इसमे दोषी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा हुआ क्यों? मामला इसमें यह है कि वह जिस जगह पर ड्यूटी जोइन करने आया था वहां सरकार के एक बड़े अधिकारी ने किसी आपस के आदमी को लगा दिया था, जो पोस्ट थी उस पर अपने किसी मर्जीदान को लगा दिया था। जब मोतीलाल ड्यूटी जोइन करने के लिए आया तब मालूम हुआ कि उसकी जगह गलती से दूसरे आदमी को लगा लिया है जिसका सलेक्शन नहीं हुआ। यह सवाल खड़ा हुआ, उसके बाद में यह केस चलता रहा और अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि उस आदमी को वहां रखने के कारण जो सात साल की तनख्वाह की रिकवरी होगी वह पैसा देगा कौन। हम से वह तनख्वाह रिकवर होगी इसलिए इस झगड़े को सारे अधिकारी टाल रहे हैं। हर अधिकारी सोचता है मुझसे रिकवर हो जायगा। इसलिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह केस मेरे सामने भी पेश किया था और उनकी यह मांग थी कि कम से कम उस आदमी का इन्टरव्यू हमारे सामने हो जाय ताकि साबित हो जाय कि यह शख्स वही है या दूसरा है। मैंने यह कहा कि सेक्रेटरी के पास भेजा हुआ है, इस बात की हिदायत के साथ कि वह उस शख्स को इन्टरव्यू देकर, उसकी जो सर्विस बुक है उसको देखें और उस पर जो आइडेन्टीफिकेशन मार्क्स हैं वह सर्विस बुक में हैं या नहीं। धीरे धीरे इस केस में प्रगति हुई है (विरोधी पक्ष-शेम शेम) इसका मुझे अफसोस है लेकिन...

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : कहिये !

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि सदन का सेशन खत्म हो जाय उसके बाद उसका इन्टरव्यू किया जाय और कोशिश की जाय कि उसको पहचाना जाय कि वह वही शख्स है जिसकी वह सर्विस बुक है और उसमें जो आइडेंटीफिकेशन मार्क्स है। यह जिस किस्म की शिकायत है कि यह वह आदमी नहीं है, दूसरा है, तो यह मालूम हो जाय और कोई मुगालता नहीं हो, कोई गलतफहमी नहीं हो, तो फैसला किया जाय। यह एक पुराना केस है जो हमारे सामने आया है कई साल के बाद...

कुछ माननीय सदस्य : वाह वाह !

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि हर स्टेज पर राय लेनी पड़ी है और राय लेने के बाद यह हुआ कि यह वह शख्स नहीं है दूसरा शख्स है। मैंने जैसा कहा है कि इसको इन्टरव्यू दिया जाय और बुला कर आमने सामने देखा जाय। इसलिए जो आपको इस मामले में दुःख है तो मुझे भी दुःख है लेकिन कुछ जिम्मेदारी ऐसी हैं कि जब तक मैं उस चीज का पूरी तरह से निवारण न कर लूं तब तक उस पर फैसला नहीं कर सकता। इसका मुझे खेद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके नोटिस में आये हुए, मैं समझता हूं, डेढ़ साल हो गया। मुझे अफसोस है कि डेढ़ साल से और विभाग के सामने तीन चार साल हो गये नोटिस में आये। मुझे अफसोस है कि कौल साहब तीन साल के अन्दर यह तस्दीक नहीं करा सके कि यह वही मोती लाल है। कौल साहब आपको दरवाजे पर वाच एण्ड वार्ड वाले रोक लें और यह कहें कि यह सेटिस्फेक्शन कराइये कि आप ही बालकृष्ण कौल है कौन हैं, तब आपकी समझ में आयेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, आप वकील हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट में कई मामलों में पांच दस साल लग जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बात है ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसके लिए कागजात मंगाने के लिए कहा जहां जहां वह रहा है और कागजात की जांच करने लिए कहा। इन सारे डिफरेन्ट स्टेजेज को पार करने में दो साल लगे हैं या ज्यादा लगे हैं तो आप वकील हैं आप जानते हैं कि कोर्ट में कई केसेज में कितने साल बाद में फैसला करते हैं। इसमें जो देरी हुई है उसके लिए मैंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे खेद है लेकिन सारे वाकयात को समझ कर यह न समझें कि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, सात साल पहले यह गवर्नमेंट सर्विस में था और वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो क्या राज्य सरकार ने तफसीश की ट्रान्सफर होने के बाद वह कहां चला गया, मर गया ? क्या उसने पेंशन क्लेम की, क्या पी. एफ. क्लेम किया ? अगर नहीं किया तो किस तरह गायब हो गया ? एक सरकारी कर्मचारी गायब हो जाय तो यह काबिले गौर बात है। मैं समझता हूं कि इस तरह का क्लासिक केस एडमिनिस्ट्रेशन की सारी हिस्ट्री में एक मिलेगा जिसमें राज्य सरकार अपने कर्मचारी को पहचानने से इन्कार कर दे। मैं समझता हूं, जैसा कि सतीशचन्द्र अग्रवाल ने कहा था, कौल साहब विधान सभा के दरवाजे पर आयें और यहां वाच एण्ड वार्ड उनको पहचानने से इन्कार कर दें। आप कहें कि मैं बालकृष्ण हूं, तो वह कहे होंगे कौन बालकृष्ण ? आप बाल कृष्ण कौल हैं, उसका सबूत रख दीजिये और इस कारण आप पांच दिन तक विधान सभा में न आने दें। और ऐसा उस समय होना चाहिए जब आप बजट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पेश करने वाले हो उस वक्त दरबान इन्कार कर दे कि हम आपको जानते नहीं हैं और कौल साहब, आपको शाम तक ऊपर आने नहीं दे। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को एक डाइरेक्शन देना चाहिए सदन के द्वारा कि एक महीने के भीतर फैसला फाइनली करें; या तो उसे सर्विस में लें और अगर यह स्थिति हो कि उसने रोंगफुली अपने को मोतीलाल बनाया है तो उसको आप पुलिस के हवाले कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १५ पर बहस हो रही है, खंड पन्द्रह पर बहस हो रही है। इस विवाद पर नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूरी मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा मसला? कौनसे कायदे से ? खंड १५ पर विवाद हो रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : १५ में है। खण्ड १५ पर मुझे बोलने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल यही निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार के सेटिस्फेक्शन का आर्ग्यूमेंट दिया दिया जाता है वह कितना फ्रिवोलस है, किस प्रकार राज्य सरकार व्यवहार करती है, कितने मामले राज्य सरकार के डिस्क्रीशन में दिये जायं और सरकार डिस्क्रिशन का किस प्रकार दुरुपयोग करती है, इस सम्बन्ध में उदाहरण देना आवश्यक समझता हूं जिससे सदन के माननीय सदस्यों को मेरे तर्क में विश्वास हो जाय कि इस प्रकार के डिस्क्रिशन के पॉवर्स राज्य सरकार को नहीं दिये जाने चाहिये। एक एल. डी. सी. का मामला मैंने सदन में रखा, एक नहीं अनेकों मामले इस प्रकार के हैं। साढ़े चार वर्ष हो गये एक व्यक्ति के पत्रों को आये हुए, वे अपील में पड़े है, वह सोशियल डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, शिड्यूड कास्ट का है। उसने कई रिप्रेजेन्टेशन दिये, बार बार गवर्नमेंट को प्रार्थना-पत्र दिये पर उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने अन्त में लिखा है कि यह मेरा मामला ६०–६१ के बीच का मामला है, अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, शिड्यूल्ड कास्ट का होने कारण दुर्भाग्य से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है। उसने लिखा है कि यदि राजस्थान सरकार ने जल्दी से मेरा केस डिसाइड नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सेटिस्फेक्शन है या क्या है, वर्षो तक राज्य सरकार का कर्मचारी सरकार के दरवाजे खटखटाता रहे और वित्त मन्त्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। सेक्रेटरी के पास मामला भेजा है, वह आदमी लेटर ऑफ अपोइंटमेंट, ट्रान्स्फर ऑर्डर, पे बिल, एग्रीमेंट सब दिखाता है, सारे कागज सरकार के दस्तखत किये हुए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, एक्साइज एण्ड टेक्सेशन कमिश्नर के यहां की मोहर कागजों पर लगी हुई है; वह बताता है, वहां मोतीलाल है, सरकार कहती है एक रुपये का स्टाम्प लिखो और वित्त मन्त्री कहते है कि जांच करवा रहे हैं वही मोतीलाल है या नहीं । हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियां भर में इस प्रकार का एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता जहां सरकारी कर्मचारियों को इसलिये सेवा में नहीं लिया गया हो कि उसकी तस्दीक नहीं हो रही है कि यह वही व्यक्ति है या नहीं । ऐसी गूंगी, बहरी और अन्धी सरकार है, यह ऐसी सरकार है जो अपने कर्मचारियों को नहीं पहचानती, मुसीबत को दूर करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता, ऐसा जंगली कानून तो किसी जंगली सरकार के जमाने में भी नहीं होता था । अंग्रजी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिल सकता । ऐसी अन्धी सरकार और मैं तो कहूंगा बेहूदी सरकार, जैसा नेहरूजी गुस्से में कहते थे बेहूदा, वैसे मैं कहूंगा, मुझे भी गुस्सा आ रहा है । वित्त मंत्रीजी अपने कर्मचारी को कहते हैं कि वे उसे नहीं पहिचानते । वे कमिश्नर साहब को पहचान जाते हैं,आओ वे लालवानीजी, प्रतिभाजी तुम कहां से आ गई, उनको नहीं पहचाने तो कहें, उनको कैसे ही पहचान जाते हैं. अन्धेरी रातों में उन्हें पहचान जाते हैं, बरसात की रातों में पहचान जाते है, जो नहीं जाने हुए हैं उन्हें पहचान जाते है, पर अपने एक गरीब कर्मचारी को नहीं पहचानते जिसने फौज में भर्ती हो कर देश की रक्षा की है, एक एल. डी. सी. जो १२५ रुपया पाने वाला है उसको नहीं पहचानते ।

मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता...

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन का काफी समय ले चुके हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और पूरा विश्वास है कि ऐसे गरीब इन्सान के प्रति कौल साहब को हमदर्दी नहीं पर सदन के माननीय सदस्यों को हमदर्दी है, और यह उसे हिम्मत दिलाने वाली है । ऐसी घटनाएं छोटे छोटे लोगों के साथ होती हैं, कौल साहब के नाम पर रोने वाला एक और व्यक्ति नीचे बैठा है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य से कि इस प्रकार का डिस्कशन तो डिमाण्ड्स पर होना चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिमाण्ड से बड़ी चीज है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं, डिमाण्ड से बड़ी चीज है. पर खण्ड १५ पर आप इस प्रकार की बहस कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अभी खत्म कर रहा हूं । अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का एक कर्मचारी विधान सभा के बाहर रो रहा है और सरकार को रो रहा है कि मेरा फैसला नहीं किया तो मैं खुद कुशी कर लूंगा, उसने इस प्रकार का नोटिस सरकार को दिया है, वह नोटिस सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को मिल गया है कि अगर सरकार ने मेरे केस का फैसला नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। सरकार जवाब तो दे कि कानून में खुदकुशी अपराध है ऐसा मत करना, कुछ तो जवाब दे, पर सरकार मौन है और नीति वाक्य है 'मौनं स्वीकृति लक्षणं' है। सरकार ने उसको कोई जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि तुम खुदकुशी कर लो। आज यह सरकार ड्राइवरों को, एल. डी. सीज़. को और अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मजबूर करती है कि वे खुदकुशी करें, उनकी बात सरकार सुनती नहीं। ऐसी गूंगी, बहरी, अन्धी सरकार सदन से यह अधिकार लेना चाहती है कि हम नियम बनायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन इस प्रकार के अधिकार सरकार को देगा नहीं, धारा २६ में संशोधन रखा गया है कि नियमों को गजट में प्रकाशित करवाना आवश्यक नहीं है। यह सदन का अधिकार है, जनता का अधिकार है कि सरकार का यह रवैया अनडेमोक्रेटिक है, इसलिये इस संशोधन को सदन नामंजूर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इसका विरोध करते हुए, आपके आदेश को मानते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या इसे निरस्त करवाना चाहते हैं ?

आपका अमेंडमेंट तो है नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि अमेंडमेंट के अन्दर एक तरमीम पेश की गई है, जो एक अकनएप्रेवटेड तरमीम है। यह अमेंडमेंट, मौलिक रूप से मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो हमने पास कर दिया है, डेफिनिटली पास कर दिया है कि पब्लिकेशन इतने टाइम के पहले होगा, सदन की निश्चित धारणा है कि इस प्रकार का पब्लिकेशन होना चाहिये। वह तय हो जाने के बाद उस धारा की मंशा के खिलाफ, इस प्रकार की बात लाना इससे कानून की स्थिति सर्टेन नहीं रहती। कानून के लिये यह जरूरी है कि वह निश्चित होना चाहिये। जिसको लोग मानें, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिये कि उसके दो मतलब निकल सकें। कानून की ऐसी भाषा होनी चाहिये कि जिसको निश्चित रूप से आम जनता समझ सके। ऐसी हालत में इस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्टरी प्रावधान लाना चाहते हैं वह अनुचित है। पब्लिकेशन के विरोध में आप कहते हैं कि पब्लिकेशन में अगर कोई चीज ऐसी पैदा हो जाती है, जिससे सरकार को संतोष हो जाय, यह समझ में नहीं आया सरकार को संतोष हो जाय किस बात का? पहले क्यों पास कराया, क्यों लोगों को मुगालते में डालने के लिये ऐलान किया कि तुम्हें पब्लिकेशन के द्वारा बताया जायगा। यह अचानक अहलाम आपको कैसे हो गया ? यह तो वही कहावत चरितार्थ कर दी आपने के एक आदमी रामायण सुनने गया और रामायण सुनते-सुनते सो गया, सीता हरण का प्रसग चल रहा था तब वह सो गया। जब रामायण खत्म हो गई तो पूछता है कि हरिण से सीता कब बनी ? आज मैं यह कि पूछना चाहता हूं कि जो सेक्शन है, इसमें क्यों अमेंडमेंट लाते हैं, क्या गलती हो गई ?

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पब्लिकेशन की इतनी इम्र्एफिशियेन्सी । सारे डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज । सरकार को यह विश्वास नहीं है कि जनता से टैक्स लेने के लिए सही भाषा में अपना पब्लिकेशन करा सकती है । यह इन्डाइरेक्ट एडमिशन है । यह सरकार का जो लॉ डिपार्टमेंट है इस सरकार का जो टैक्स लगाने का डिपार्टमेंट है जो पब्लिकेशन कराता है उसके मतलब को खुद नहीं समझता है । सारी एप्लीकेशन की जांच नहीं होती है । दस्तखतों की चिड़िया बिठा कर पब्लिश हो जाते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कानूनी सलाह देंगे । इस सदन से जो पास करायें उसका बहरहाल कोई अमेंडमेंट दें, कोई ब्यौरा दें, फट कह देते हैं I say thus । यहां का डिपार्टमेंट रिजेक्ट करता है कि स्पिरिट के खिलाफ है झट वहां से अमेंडमेंट रिजेक्ट हो जाता है । इसलिए अमेंडमेंट जो लाये है वे कॉन्ट्राडिक्टरी है और उसकी स्पिरिट के खिलाफ है और इस कारण कानूनी यह सवाल उठता है कि इस अमेंडमेंट को लाने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं जब कि पहले का रेगुलर कानून उस रोशनी के अन्दर है ।

यह कानून खुद के अन्दर महत्व रखता है इस बात का कि जनता को हर तरह से परेशान करने की कोई मंशा हो तो इस तरह की बात करना चाहिये । सरकार ने पब्लिकेशन में गलती कर दी । जनता ने कोई चीज के उसके तहत पेश की तो वही प्रोसीजर काम मे लाना चाहिये । एक महीने का टाइम देकर पब्लिकेशन कराना चाहिये । एक अनसर्टेन्टी के ऊपर टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता कि मालूम भी न पड़े और हर आदमी टैक्स देने वाला है इससे परेशान होता है । कानून पब्लिकेशन में पड़ा है । अचानक सिर पर व्यक्तिगत या दूसरे कारणों से उल्टा लगा कर उनकी जान को उनके गले को पकड़ कर लेंगे ।

पहले तो आपकी व्यवस्था का सवाल हैं । मैं नोट करूंगा । अगर यह सरकार महसूस कर ले कि कानून बनाना वह नहीं जानती, रूल्स बनाना वह नहीं जानती, पब्लिकेशन के कारण गलतियां होती और ९९ प्रतिशत केसेज़ लॉ डिपार्टमेंट के कारण फेल होते हैं ऐसा निकम्मा हमारा यह कानून का बनाने वाला लॉ डिपार्टमेंट है इसलिए गवर्नमेंट यह महसूस करती है और उसको सही करने की ताकत है । सेटिस्फेक्शन की कोई डेफिनिशन नहीं है । सेटिस्फाइड ? सेटिस्फाइड उसके पीछे कोई भावना होनी चाहिये । आप चाहते क्या हैं ? मंशा कह नहीं सकते । जवाब नहीं । लिख नहीं सकते । डेमोक्रेसी में जनता का राज्य चलता है । आप फर्माते हैं सेटिस्फेक्शन हो गया । जितने लोगों की अपीलें हैं उनको पैसा कौन देगा ? आपकी कमियों के लिए जनता को सफर करना पड़ेगा । पहले तो यह अमेंडमेंट देना नहीं चाहिये । यहां पर कानून की सर्टेन्टी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे भी बड़ा दुख है ।

श्री उपाध्यक्ष : जरा संक्षेप में ही कहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : संक्षेप में ही कह रहा हूं । बार बार कह देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ओब्जेक्शन उस पर भी कर दिया है। मैं केवल यह चाहता हूं कि इस बिल पर पांच-दस मिनिट अमेंडमेंट पर बहस हो तो उचित है लेकिन इस प्रकार सारे मुद्दों को लेकर बहस की जावेगी तो मुझे रूल २८२ की शरण लेनी पड़ेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं भी बैठे २ थक गया था और उनसे बहुत खुशामद की।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रार्थना करूंगा कि आप शोर्ट करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह जयपुर जहां से वे माननीय सदस्य चुन कर आते हैं। इस जयपुर की परम्परा में यह कहावत मशहूर है कि आग लग गयी। बुझा दो, बुझा दो। और वह कागज ? जिस मिनिस्टर साहब ने हुक्म फर्माया वह छः महीने बाद पहुंचा और ६ महीने बाद आग बुझा दो यह यहां की परम्परा है।

इस गरीब मोतीलाल का मैं जानना चाहता हूं। कोई आदमी कहे, मैं मिनिस्टर हूँ और मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठूंगा, फाइनेन्स मिनिस्टर होता हूं। कमरे में घुसेगा तो चालान करेंगे आई. पी. सी. में। कहेंगे काग्नीज़ेबल ऑफेन्स है। सरकार का यह नौकर होने का दावा करता है और आपके दरवाजे खटखटाता है। सात साल तक इम्पोस्ट नहीं कर सके। कहीं पर दावे पड़े होंगे। कोई कागज पड़ा होगा। उसके दस्तखत मिलते होंगे। उसकी राइटिंग होगी। पचासों बातें। उसकी आंख पर तिल था, गाल पर तिल था या हाथ पर तिल था ? किस बात का नोटिफिकेशन की जरूरत है ? दूसरी बात हो सकती थी। ध्यान दिलाया मैं तुरन्त ध्यान दूंगा, यह तो मैं समझ सकता था। यहां की सरकार के लोग। आपके कर्मचारियों की यह हालत है ? वह हैं जैसे आपके बच्चे और आपके परिवार। इस प्रकार का व्यवहार यह सरकार नौकरों के साथ नहीं कर सकती। उनकी तकलीफों के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो भगवान् ही मालिक है। इन शब्दों के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है कि प्रोविज़ो क्लॉज़ १५ में है उसको अमेन्ड किया जाय और राज्य सरकार अमेंडमेंट लायी है वह यह है कि रूल्स के प्रीवीयस पब्लिकेशन है उसको डिस्पेन्स विथ करने के लिए पॉवर्स राज्य सरकार को दिये जांय। राज्य सरकार जब पॉवर्स मांगती है तो ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य यह समझ बैठे हैं कि माननीय सदस्यों के, डीलर्स के और असेसी के फन्डामेंटल राइट्स है उनको इन्फ्रीज़ किया जा रहा है। मैं यह बताऊंगा कि डिस्पेन्स विथ करने के ऐसे पॉवर्स सरकार नहीं ले रही है। सदन के द्वारा एक्ट्स पास किये जाते है उनमें भी इस प्रकार के पॉवर्स राज्य सरकार को कई दफा दी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह टॅक्सिंग स्टेच्यूट है।

श्री परसराम मदेरणा : यही मैं बता रहा हूं।

(६ म. प.)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : विथड्यू रेस्पेक्ट मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्ट में सेविंग क्लॉजेज भी होते हैं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टैक्स स्टेच्यूट है इसमें नहीं होता है ।

श्री परसराम मदेरणा : इस एक्ट में ही लायें, यह बात नहीं । स्टेट ड्यूटी एक्ट मे ऐसी पावर की है राजस्थान एन्टर्टेनमेंट टैक्स व पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्स एक्ट में भी ली है । यही पावर्स सेल्स टैक्स एक्ट में ले रहे है । तीनों ही स्टेच्यूट के अन्दर पॉवर्स हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चीफ जस्टिस ऑफ इन्डिया ने कहा था :

"If I have committed any mistake in the past, it does not mean that I am going to make it again."

एक्जाम्पल होती है, लेकिन गलत एक्जाम्पल नहीं होती है । 'Wrong examples are never good examples.'

श्री परसराम मदेरणा : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिमार्क दिया वह किस वक्त दिया यह मैं नहीं कह सकता । मैं सदन के सदस्य की हैसियत से पसन्द करूंगा कि राजस्थान का यह सदन २ करोड़ लोगों को यह सदन रिप्रेजेन्ट करता है । यहीं से जो भी कानून पास होते हैं, सदन उन पॉवर्स को कनफर करता है । किसी भी स्टेच्यूट के अन्दर रूल मेकिंग पॉवर्स दिये जाते हैं कि राजस्थान सरकार रूल्स बनायेगी । उसी के अनुसार इसमें यह बात कही गई है, रूल्स का सब से पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन गजट में होता है उसके बाद उस पर ओब्जेक्शन इन्वाइट किये जाते हैं । उसके बाद उसका फाइनल पब्लिकेशन गजट में होता है, उसके बाद में रूल्स एन्फोर्स होंगे । एक्ट को एन्फोर्स करने के लिये रूल बनाना जरूरी है । क्लॉज ६ में रूल मेकिंग पॉवर्स दी हैं । स्टे ऑर्डर देगा कमिश्नर :

"If the assessee furnishes sufficient security to his satisfaction in such form or in such manner as may be prescribed..."

गवर्नर की असेन्ट के बाद चूंकि इसके अन्दर टैक्स का मामला है जल्दी से जल्दी एक्ट लागू होने वाला है । सिक्योरिटी का प्रावधान किया है, असेसी को दो महीने पहले relief नहीं मिलने वाला है । ये पॉवर्स प्रायर पब्लिकेशन डिस्पेन्स विथ करने को नहीं । जरूरी समझे तो रेवेन्यू बोर्ड ने जो फोर्म का और मेनर प्रेस्क्राइब किये हैं उसमें दो महीने का समय और लगेगा । पहले स्टे ऑर्डर के फॉर्म का ड्राफ्ट रूल्स का पब्लिकेशन गजट में होगा । ओब्जेक्शन आने के बाद, फाइनल पब्लिकेशन होने के बाद में रूल में फॉर्म बना कर आवेगा । जो कुछ पावर्स ले रहे हैं हमेशा डिस्पेन्स विथ कर सकें इसलिये इसका एक्सेप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे । Making of the prior publication by the State Government shall be a rule and dispensing thereof as an exception only.

इसलिये मैं यह कहूं, कई दफा लीगल कॉम्प्लीकेशन्स खड़े हो जाते हैं । ऑफिसर्स डेजीगनेशन बदलने का बिल आया था जिसकी यहां पर पन्द्रह मिनट में पास कर दिया गया था उसके बाद वह एक्ट बना लेकिन उसके रूल्स के पब्लिकेशन में २।।

(श्री परसराम मदेरणा)

महीने का समय लग गया, ढाई महीने तक वह लागू नहीं हो सका। गजट का कितना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इश्यू निकाले, उसके बाद भी एक माह का समय लग ही जाता है। कितनी ही हम जल्दी करें, दो महीने से पहले गजट में आया नहीं हो सकता ज्योंही रूल्स बन जायेंगे वे आने वाले सेशन में सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे। हरेक रूल्स हम सेशन की शुरूआत में रखते ही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगस्त की सारी सूचनायें अब आपने रखी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : रखी तो पहले, सेशन में जानी चाहिये और रखते भी है। जब कभी नहीं रखी गई हैं तो सदन में रिग्रेट जाहिर की है। प्रोयर डिस्पेन्स विथ यह दूसरी प्रकार का प्रावधान है। इसका मिसयूज़ कभी नहीं किया जायगा। यह असेंमी को हैरेस करने के लिये नहीं। फाइनल पब्लिकेशन गजट में होगा। कॉश्यसली इसका इस्तेमाल किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १५ में जो संशोधन श्री मानिकचन्द सुराणा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पांचवां, छठा और सातवां खण्ड और है, इसके लिये आधा घंटा निश्चित किया जाता है। आधा घंटे के पश्चात् कोई भी खण्ड रहेगा तो उस पर बिना बहस के ही वोट ले लिये जायेंगे।

(विराम)

खण्ड १६

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए—

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : Replace the expression "70 percent" by the expression "50 percent".

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Replace the expression "70 percent." by expression "50 percent."]

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स के अन्तर्गत राज्य सरकार को अब तक ४० पर्सेन्ट टैक्स लगाने का अधिकार था उससे बढ़ा कर अब ७० पर्सेन्ट टैक्स लगाने का अधिकार चाहते हैं। गजट नोटिफिकेशन द्वारा ६० पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया है जहां चालीस पर्सेन्ट से ७० पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाने की बात है उस ७० के बजाय ५० रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आध घंटा मुकर्रर कर दिया गया है, उसके बाद बहस नहीं होगी ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जब राजस्थान सरकार ने यह टैक्स लगाया था जैसा वाद-विवाद सदन में हुआ उसमें सरकार को मजबूर होकर एन्टरटेनमेंट टैक्स घटाना पड़ा मैग्ज़ीमम ६० से ज्यादा नहीं रखा। इसलिये किसी भी हालत में ७० प्रतिशत के पॉवर लेना मैं ठीक नहीं समझता। इसलिये मेरा संशोधन है कि यह पॉवर ५० से ज्यादा का नहीं लेना चाहिये। यह मेरा छोटा सजेशन है। आशा है, मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने मनोरंजन कर के बारे में निवेदन किया है कि ४० के बजाय ७० पर्सेंट जो कर दिया गया है उसको पचास पर्सेन्ट किया जाय। मेरा भी यही अमेन्डमेंट है।

जैसा कि आपने देखा होगा पहले भी वित्त मंत्रीजी ने टैक्स बढ़ाये और सदन में विरोध किये जाने पर उनको घटाया। तो उसी तरह से उन गरीब तबके के लोगों के हित में, जिनके लिये इससे सस्ता मनोरंजन और नहीं है, यह टैक्स पचास पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं लगाया जावे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, ६० पर्सेन्ट तक तो लगा है और ७० पर्सेन्ट मैग्जिमम रखा है। अगर अब उनकी बात मान लेते हैं पचास पर्सेन्ट की, तो जो बजट में प्रोपोज़ल थे और जिनको सदन ने स्वीकार किया था तो यह उनसे विपरीत पड़ता है, इसलिये इसे नहीं मान सकता।

बहुत सी स्टेटों में यहाँ से अधिक है। वेस्ट बंगाल में तो हन्ड्रेड पर्सेन्ट है। तो ७० की जगह ५० को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं रहता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो आप ६० ही मान लीजिये न।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको इजाजत दी जावे।

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १८।

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १९

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ and 21; I suppose, Shri Surana is nor here.

(विराम)

19 & 21 both.

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ और २१ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १९ और २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २२ स्वीकार किया जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा इस पर।

इसकी कम्पलीट डिलीशन की मैं मांग करता हूं। सजेशन दूंगा अच्छे अच्छे।

श्री उपाध्यक्ष : जो समय निर्धारित किया था, उसमें से १० मिनिट तो निकल गये हैं, यह ध्यान रख कर आप अपना वक्तव्य संक्षेप में दें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सेक्शन २२ जो है उसमें भी इस प्रकार के पॉवर लिये गये हैं।

जैसे राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट में दिया है इसलिये मांग करूंगा कि जिस प्रकार का प्रोवीज़न बाद में अमेन्डमेन्ट द्वारा दिया गया है कि कमिश्नर हियरिंग देगा और जब तक एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी तब तक स्टे समझा जावेगा तो जो प्रोवीज़न अभी तक दिया गया है उसके साथ अकोमोडेट कर दें तो अच्छा होगा।

एक बात और कहना चाहता था कि अटेचमेन्ट और सेल ऑफ प्रोपर्टी के बारे में सुझाव था मेरा कि आज किसी भी व्हीकल को पकड़ कर अटेच कर सकते हैं पर टैक्स रिकवर का सवाल है टैक्स इससे रिकवर नहीं होता व्हीकल के अटेचमेन्ट के कारण रुक जाता है। जो गाड़ी प्लाई हो रही थी वह भी रुक जाती है। तो ऐसी गाड़ियों को अटेच करके भले ही आप रख लें पर उनको

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

सिक्योरिटी पर दे दें और रेगुलरली जितना टैक्स आवे जमा करा दिया जाया करे तो इससे रिकवरी भी होगी और प्लाई होने से रुकेगी भी नहीं।

तो स्टे को इस तरह से काम में लें तो हो सकता है तो यह जो प्रोवीज़न इसमें है डिलीट किया जावे और नया प्रोवीज़न ऐसा जोड़ा जावे कि कमिश्नर को स्टे के पॉवर हैं पर वह अगर रीज़न्स दे तो इस को इसमें इनकोर्पोरेट करते हुए नया सेक्शन जोड़ा जावे। यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड २२।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : क्लॉज़ २२ पर जो स्टे के पॉवर दिये है उसको रेस्ट्रिक्ट किया है और वे पॉवर कमिश्नर को दी है डिप्टी कमिश्नर (अपील्स) के पॉवर को रेस्ट्रिक्ट करके।

पर आपको इसमें और सैल्स टैक्स ऑफीसर के पॉवर्स में अन्तर देखना पड़ेगा। कमिश्नर के पास में, डिप्टी कमिश्नर के पास में अपील के प्रोवीज़न भी होते हैं, रिवीजनल ऑथोरिटी के पॉवर भी होते है हालांकि वह सेल्स टैक्स के अन्दर कोई भी ऑथोरिटी नहीं है। इसलिये आप कह रहे थे कि अपील करने वाली ऑथोरिटी दूसरी है और रिविजनल ऑथोरिटी दूसरी है। वह भी अगर पब्लिक इन्टरेस्ट में दिया है तो रिविजनल ऑथोरिटी भी इसमें कमिश्नर है। जो पॉवर कमिश्नर को दिये हैं स्टे के इन्टरेस्ट में दी हैं।

अब जो पैसेन्जर टैक्स वसूल करके अपने पास रखते हैं तो ऐसे लोगों को तो क्रिमिनल लाएबल करना चाहिये। पर इसमें भी हमने स्टेप नहीं लिया है। पर यह जरूर स्टेप लिया है कि हर तरह से रिवीज़न में स्टे हो जाता है तो वह नहीं होकर जो स्टे करने के लायक हैं वे ही अपील्स में हों, ऐसे बहुत कम केसेज़ है।

असेसमेन्ट के वाइड डिस्क्रिशन नहीं है। तो टिकट जो काटते हैं और उस पर सरकार के मनी को अपने पास रखते हैं उसके स्टे के लिये हर तरह से प्रोवीज़न रखा जावे यह मुनासिब नहीं होगा, रीजनेबल भी नहीं होगा। इसलिये आपने जो यह डिलीट करने की बात कही है, उसे मानने में असमर्थ हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : Application shall not be rejected unless being heard; हियरिंग के पॉवर तो दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। खण्ड २२ और २३। (श्री व्यास से) Would you like to move amendment in clause 23. There is one.

(विराम)

प्रश्न यह है कि...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : 23, may be taken, Sir, my amendment is in 24. माई संशोधन इज इन

(श्री माकनिचन्द सुराणा)

२४। यह २४ है, २३ नहीं। उन्होंने आपको साइक्लोस्टाइल कॉपी दी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २२ विधेयक में अंग रूप से जो गया।

(विराम)

खण्ड २३, श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : अमेन्डमेन्ट तो २४ में है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : २४ है ही नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : There is difference of number in the cyclo-styled and printed copy. Whatever stands 23 in the cyclo-styled is 24 in the printed.

श्री उपाध्यक्ष : So, what is your number ?

(विराम)

Anyhow you move your amendment.

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : After proposed sub-section (3) add the following new sub-section (4), namely:—

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act such reduction or remission shall be made on such rules and criteria as may be prescribed by the State Government on this behalf."]

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, १९ में अमेंडमेंट है। इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट मेरा है वह यह है कि राज्य सरकार जो अधिकार चाहती है ऑफीशियल गजट में नोटिफिकेशन करके इसमें कुल मिलाकर प्रोवीजन यह है कि राज सरकार बिजली के मामले में कोई भी रिडक्शन या रैमिटेन्स कर सकती है और वह भी रिट्रो-स्पेक्टिव इफेक्ट से और वह किसी की भी रेट रिड्यूस की जा सकती है, या रेमिट भी की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रोवीजन सारे जितने अमेंडमेंट्स अभी तक सदन में आये हैं उन सारे अमेंडमेंट्स की स्प्रिट के खिलाफ हैं। राज्य सरकार तो कहती है कि हमको टैक्स वसूल करना है। टैक्स-वसूली में कड़ाई होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए वही सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मामले में कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को रिड्यूस कर सकती है, रेमिट कर सकती है और उसको....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : किसके लिए ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : बड़े बड़े उद्योगों के लिए, म्युनिसिपैलिटी के लिए।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

म्युनिसिपैलिटी के लिए रेमिट करना चाहें तो उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन दूसरे प्रोवीज़न को मैंने देखा है कि उसमें साफ तौर से लिखा है कि किसी को माइन्स एक्ट के लिए। माइन्स एक्ट में खान कोई बालकृष्णजी कौल की नहीं है। खान दुदुवाला कम्पनी की है, भोपाल माइनिंग कम्पनी की है। उन खानों के लिए आप कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रेमिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि रिट्रो-स्पेक्टिवली पीछे की तारीख से यह जो रिडक्शन है, रेमिटेन्स है यह देना चाहिए। रेमिटेन्स का मतलब क्या, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल कर ली है उसको भी पुरानी तारीखों से राज्य सरकार रखना चाहती है कि हम दे देंगे। क्यों दे देंगे ? आपका बकाया है उसको छोड़ देंगे, उसकी रेट को कम कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मामले में माइनिंग एक्ट के सिलसिले में जो पॉवर्स राज्य सरकार चाहती है उसका मतलब यह है कि बड़े बड़े जो खान के मालिक हैं उनको मुनाफा दिया जाय, उनको फायदा दिया जाय। इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ, और विरोध इसलिए करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के लिए इस प्रोवीज़न का विरोध नहीं करता हूं म्युनिसिपेलिटी की कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की रेट कम हो जाय, आप रेट नहीं लें म्युनिसिपैलिटी से, मेरा इसमें विरोध नहीं है, मेरा विरोध यह है कि माइनिंग एक्ट के अन्दर बड़े बड़े खान मालिक हैं उन के सिलसिले में कोई इस तरह का अधिकार राज्य सरकार को देना यह सदन, कम से कम मैं और मेरी पार्टी उसके पक्ष में नहीं हैं कि उनको ये पॉवर्स दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री को रिट्रोस्पेक्टिवली ये अधिकार लेने में कुछ शर्म महसूस करना चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिवली ये अधिकार आप लेना चाहते हैं। आप आगे प्रोस्पेक्टिवली इसको कम कर दें लेकिन उसको रेमिट करने के अधिकार मांगे जा रहे हैं, पुराना वसूल कर लिया होगा तो अब रेमिट कर देंगे। यह इस बात का प्रतीक है कि यह सरकार किन के इन्ट्रेस्ट में काम कर रही है ? यह सरकार किन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ? यह सरकार बिग बिज़नेस वालों की सरकार है। यह सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देना चाहती है। आपका यह प्रोवीज़न इस बात का साफ प्रतीक है कि आपकी नियत क्या है ? आप किन को फायदा देना चाहते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी को जो आपने फायदा दिया है तो पंचायतों को फायदा क्यों नहीं दिया है। बड़े बड़े शहरों को फायदा दिया है— जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को फायदा मिल सकता है लेकिन छोटी पंचायतों को.......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (वित्त मन्त्री और उप वित्त-मन्त्री, के बात करने पर) सुनिये सहाब।

श्री मानिकचन्द सुराणा : छोटी पंचायतों को इसका फायदा क्यों नहीं दिया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जाता है म्युनिसिपैलिटी को जब देते हैं। अगर पंचायत इलेक्ट्रीसिटी कन्ज्यूम करती है, यदि गांव में बिजली पहुंच गई है और उन गाँवों में कोई स्ट्रीट लाइटिंग होती है उन केसेज़ में राज्य सरकार म्युनिसिपैलिटी के बाहर का व्यवहार करना चाहती है। और इसलिए मैं इन शब्दों के साथ में जो मैंने एमेंडमेंट मूव किया है उसको मूव करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई एमेंडमेंट नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विरोध करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का प्रावधान इसमें रखा गया है कि बड़े बड़े उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छोडी जा सकती हैं, किसी प्रकार से रेमिट की जा सकती हैं। पहले वसूल की गई है वह छोड़ दी जायगी या कम कर दी जायगी। इस प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में भी है कि उनको छोड़ दें। जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सवाल है वह समझ में आ सकता है। वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में रेमिट और रिड्यूस की जा सकती है, मगर इसके साथ साथ ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि जहां म्युनिसिपैलिटीज को इस प्रकार की फैसिलिटीज दी हैं वहां बहुत सी पंचायतें ऐसी है कि जहां बिजली का प्रयोग किया जाता है उन पंचायतों के अन्दर स्ट्रीट लाइटिंग इस प्रकार इस प्रकार की हो तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को रेमिट करने का प्रश्न आये तो छोड़ जाना चाहिए ताकि पंचायतों को इस प्रकार से फायदा है। इसलिए यह मेरा सुझाव है।

श्री परसराम मदेरणा (उप–मन्त्री वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह एमेंडमेंट लाई है। जहां तक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का प्रश्न इन्डस्ट्रीज वगैरह में नहीं हैं...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप रेमिट कैसे करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज़ को रिट्रोस्पेक्टिवली है, पोस्पेक्टिवली तो है ही इसलिए म्युनिसिपैलिटीज के जो फन्क्शन्स हैं, जो सिविल ड्यूटीज़ हैं, वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में काम करती है इसलिए यह आवश्यक था कि इस प्रकार का अमेंडमेंट लाया जाय जिसको आप भी मानते हैं। सारी म्युनिसिपैलिटीज़ को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया और किसी प्रकार का प्रावधान यहां राज्य सरकार नहीं लाई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेमिट वर्ड का मतलब समझाइये। जो रुपया वसूल पहले किया है वह दे देने की नीयत नहीं है तो रेमिट क्यों लिखा है। उसका मतलब साफ

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है कि जो रकम वसूल कर ली है उसको वापिस देना चाहते हैं। यह रिड्यूस वर्ड तो समझ में आ सकता है, पर रेमिट क्यों ? आप रिड्यूस कर दें आगे के लिए, लेकिन रेमिट से तो जो रकम वसूल कर ली है वह वापिस कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (सरकार की ओर से कोई उत्तर न आने पर) Is there any reply.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन...

कई माननीय सदस्य : एक मिनट ठहरिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, (कागज देखते हुये)....

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें भी भाव-ताव हो रहे हैं कोई ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह सजेशन दिया कि जिस तरह की म्युनिसिपैलिटीज़ है और लाइटिंग का अरेन्जमेंट वे जिस प्रकार से करती हैं तो रिट्रोस्पेक्टिवली उनको ड्यूटी से फ्री किया है। उसी प्रकार पंचायतों के अन्दर जहां पंचायत एज सच जो लाइटिंग करती है और लाइटिंग की वजह से कोई ड्यूटी लगती है इलेक्ट्रिसिटी की तो उससे उनको एक्जम्प्ट किया जाना चाहिये। तो मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं और मैं यह मूव करता हूं—

'local authority' includes a Gram Panchayat Local authority has been defined in the General Clauses Act.

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : "लोकल ऑथोरिटी जहां लिखा है तो लोकल ऑथोरिटी इन्क्लूड्स पंचायत एण्ड पंचायत समिति" हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति का इसलिए सवाल नहीं उठता है क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट से राय ली है। उनकी मान्यता है कि

"Local authority includes panchayat and panchayat samiti and any other local authority;"

इसलिए पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : It should be made very explicit.

लोकल ऑथोरिटी के आगे ब्रेकेट में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : I am sorry. वह एमेंडमेंट नहीं था। लोकल ऑथोरिटी को फर्दर क्लेरिफाइ किया था कि, " 'local authority 'means panchayat or panchayat samiti" इसलिए आलरेडी प्रावधान है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिला परिषद ?

श्री परसराम मदेरणा : वह लोकल ऑथोरिटी में जिला परिषद भी गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लोकल बोडीज़ में म्युनिसिपेलिटीज़ भी आती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : It should be made clear right in the bracket after local authority.

श्री परसराम मदेरणा : or other local authority.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अर्ज कर दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहां के इंजीनियर्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे उनको कौन समझावेगा कि लोकल ऑथोरिटी का मतलब यह है।

श्री उपाध्यक्ष : यदि गवर्नमेंट चाहे तो एक्सप्लेनेशन एड कर दे। Local body means.......

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Panchayat, Panchayat samiti or any any such local authority.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि "अदर लोकल ऑथोरिटीज़' शब्द यों का यों रखें तो वाइडर टर्म रहेगी और दूसरी लोकल बोडिज जो पब्लिक वर्क करती हैं उनको भी फायदा होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Local authority including panchayt, panchayat samiti and zila parishads.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ताज्जुब यह है कि आपके यहां इतने ड्राफ्ट्समेन बैठे हैं फिर भी हम जिसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसमें इतनी तकलीफ आती है?

श्री परसराम मदेरणा : ड्राफ्ट गलत होता है तो हाई कोर्ट से स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : ड्राफ्ट ठीक कर देता हूं नगरपालिका, बोर्ड या परिषद या पंचायत समिति या अन्य लोगों के लिए तो खराब नहीं होगा। इतने ही वर्ड्स लगाने की आवश्यकता है नगरपालिका बोर्ड या परिषद या पंचायत एवं पंचायत समिति या अन्य स्थानीय संस्थाएं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौल साहब का प्रवचन हो जाय। आप भी फरमाइये कुछ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं तो आपका फरमाना सुनने को बैठा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जनरल क्लॉजेज़ एक्ट में कुछ डेफिनिशन्स हैं उसमें लोकल ऑथोरिटीज को डिफाइन किया है जो इस प्रकार है 'Local authority' shall mean a Municipal Board, committee, Corporation or Council, a District Board, a Panchayat or other authority legally entitled or entrusted by the Government with the control or management of a municipal or local fund......"

(श्री परसराम मदेरणा)

और इसमें सब इन्क्लूडेड हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम यही कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी और कौंसिल को इन्क्लूड करते हैं तो सभी आ जाते हैं। "लोकल ऑथोरिटीज" रहने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे लगवाना नहीं चाहेंगे तो आप क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : What should I do ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अपनी अक्ल से काम लें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अपनी अक्ल से काम ले रहा हूं। आप से इन्फोर्मेशन ले रहा हूं। इतना जोड़ दें :

"Municipal Board or council or panchayat or panchayat samiti or other local authority for the purpose of..."

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : जिला परिषद बीच में और।

श्री परसराम मदेरणा : लोकल ऑथोरिटीज के अभी थ्री टायर हैं। फोर्थ टायर हो जाय तो उसको भी एड कर लेंगे। मैं यह अमेंडमेंट मूव करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : "रेमिट" वर्ड यूज किया है उसको तो काटिये सब सेक्शन (३) में जहां आपने लिखा है :

"Notification in the official gazette- reduce or remit ..

श्री बालकृष्ण कौल : This is applicable retrospectively to the municipality and none else.

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, "रेमिट" वर्ड्स का एक्ट में उपयोग हो गया। वसूल कर लें, "रेमिट" कर दे तो कोई चैक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कह दें कि बाकी सदस्यों को नींद आ रही है, जोर से नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : Shall I put a question then ?

श्री परसराम मदेरणा : "रेमिट" वर्ड है रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन के लिये, कनफर्मेटिव के लिये है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज १ में उपयोग नहीं हुआ।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं एक निवेदन और कर दूं। "रेमिट" वर्ड हटा देना चाहिये। इसमें वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं कि सिर्फ म्युनिसिपैलिटी को देंगे। सरकार के पास रूल्स है उसमें दे दीजिये। "रेमिट" रखने से भय है। मंत्रीजी के हाथ में तो नहीं है, अधिकारी और गल्ती निकाल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी माननीय उप मंत्री ने प्रस्तुत किया है लोकल बॉडीज को ज्यादा डिफा-

(श्री उपाध्यक्ष)

इन करने के बाबत, उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २३, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २३, यथा संशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड १, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

विधेयक का खण्ड १, अधिनियम-सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि विधेयक मे अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस बिल को पारित करने के लिये मोशन मूव करूं, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना पसन्द करूंगा, वह यह है कि अब तक जो प्रोसेस त्रिटल, (पान) पर टैक्स था उसको राज्य सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है और गोटे किनारी पर टैक्स २० प्रतिशत रिड्यूस करके रखने का फैसला किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट के जजमेन्ट से एग्जेम्पटेड है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हाई कोर्ट के जजमेन्ट के बाद नोटिफिकेशन कर दिया था । यह कृपा सुखाड़ियाजी पर है, पान खाने की आदत उनको ज्यादा है ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किस पर माफ किया ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोसेस पान पर टैक्स था, उसको माफ कर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : आपको भी उसके कारण ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पारित किया जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने समय नियत कर दिया था, इसी में वोट पर रखा जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर समय नियत कर दिया था आपकी राय से ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं दो मिनट बोलने वाला हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह नियम का भंग होगा ।

प्रश्न यह है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : थर्ड रीडिंग पर अपनी बात कहे बिना कोई क्लोजर हो, यह उचित नहीं होगा । मैं केवल पांच मिनट इस पर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं लेकिन इसमें समय नियत कर दिया गया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६ के बजाय १० हो जाय तो कौन सा आसमान नीचे गिर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहें तो बोल लें। आप नियम तोड़ना चाहें तो कोई बात नहीं। Five miuntes. After that, I will put it to vote.

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जिस बिल को पास करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है वह यह हुई है कि राज्य सरकार ने उप-क्लॉज़ १५ (ए) इस सदन के सामने रखी, इस सदन के सामने इन्ट्रोड्यूस की और उस धारा १५ (ए) के द्वारा राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की पॉवर को कर्ब करना चाहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉवर को कर्ब करना चाहा, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने घोषित किया था कि इनको किसी तरह का अधिकार, कोई स्टे देने का अधिकार नहीं है, उस धारा को सदन ने, राज्य सरकार के इन्ट्रोड्यूस करने के बाद में अस्वीकार किया है । सबसे बड़ी बात यह सारी बहस में हुई है और कोई चीज अजीब की है तो वह यह की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जिस तरह से जनतंत्र की हाइएस्ट जुडीशियरी पर आज इस बिल के जरिये से अविश्वास जाहिर किया है यह अविश्वास बहुत गहरी भावनाओं को लिये हुए है और इसके बहुत गहरे इम्प्लीकेशन्स होंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा कमिश्नर और एक एग्ज़ीक्यूटिव है, और सर्विसेज़ हैं उसके द्वारा शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो कमिश्नर महोदय हैं, आपके जो कमिश्नर आई. ए. एस. ऑफिसर हैं, क्या वित्त मंत्री बता सकते हैं कि आपके कमिश्नर महोदय को जो सूचियां सेन्ट्रल सैल्स टैक्स एक्ट के रूल १४ के तहत जारी करनी चाहिए थी, १९५७ का जो पैसेन्जर टैक्स एक्ट है उसके अन्तर्गत कुछ सूचियां जारी करनी चाहिए थीं । ऐसी सूचियां प्रत्येक सरकार के द्वारा छः माह गजट में छापा की जायं, यह प्रावधान है, जिससे मालूम हो जाय कि कौन कौन डीलर हैं, इसलिए इस प्रकार की सूचियां गजट में छापी जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई एक सूची भी पिछले सात साल, आठ साल, जिसमें सोलह बार सूचियां प्रकाशित होनी चाहिए, क्या इतने बड़े अधिकारी ने एक बार भी सूची जारी की है । इसका नतीजा क्या है ? बंगाल में बैठे हुए किसी व्यापारी को मालूम नहीं पड़ सकता कि आपके यहां डीलर कौन है ताकि सही आदमी से वह माल मंगा सके और सही फर्म से कान्टेक्ट कर ले और फर्जी कम्पनी से व्यापार में न फंस जाय । इस तरह की सूची तैयार करके देने को तैयार नहीं है । इस तरह कमिश्नर ने सोलह बार कानून का पालन नहीं किया है आठ साल में । और आपने इस कमिश्नर को सर्वशक्तिमान बना दिया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कमिश्नर है जिन्होंने आपके कई व्यापारियों की बहियां रोक रखी हैं; एक महीने से नहीं, दो महीने से नहीं बल्कि एक साल से, दो साल से रोक रखी हैं। वह कब देंगे, क्या तीस साल के बाद देंगे? इसके लिए कोई अधिकारी के लिए नियम नहीं है कि कब बहियां दी जायं। जो बहियां रोक रखी हैं वह कौन से कानून से रोक रखी हैं? कोई सीज़र का कानून नहीं है। इसके अलावा यदि कोटा के किसी करोड़पति की बहियां रोक ली जायं, जैसे कि मगनलाल की बहियां सीज़ कर ली लेकिन वह दो तीन दिन में वापिस कर दीं। केसरलाल लालचन्द की बहियां तीन तीन साल से रोके हुए हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं...

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रातीन्द): सब जगह ऐसा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह कमिश्नर जो मनमानी करता है, जो कमिश्नर हुक्म देता है और वह हुक्म साइक्लोस्टाइल करके भेजता है, वह क्या भेजता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हुक्म गलत दिया है इसको मत मानो। आपके एडीशनल कमिश्नर इस तरह का हुक्म देते हैं, कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हुक्म दिया है, कि जनरल रेट ऑफ सेल्स टैक्स चार पर्सेन्ट है...

श्री गिरधारीलाल व्यास: बड़ा जुल्म है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: वहां उसने हुक्म दिया कि इन इन चीजों पर चार पर्सेन्ट लगेगा, और बाकी पर पांच पर्सेन्ट लगेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस पर कहा कि इस हुक्म से सेल्स टैक्स की रेट्स पांच पर्सेन्ट कर दी हैं, इसको बदलना गैर कानूनी है क्योंकि वह विधान सभा का अधिकार है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस विधान सभा के अधिकार की रक्षा करे तब भी एडीशनल कमिश्नर ने हुक्म दे दिया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला गलत है और इन पर पांच पर्सेन्ट ही वसूल करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से जुडिशियरी को फ्लाउट किया जा रहा है उस तरह से जुडिशियरी को फ्लाउट किया जायगा, जुडिशियरी को डिमोट किया जायगा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे कोई प्रतिष्ठा इस सरकार की नहीं रहने वाली है। जो सरकार कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को प्रोत्साहन दे, उस सरकार की प्रतिष्ठा नहीं रहने वाली है। मैंने आपको एक स्पेसिफिक केस दिया है, गेंदीलाल का केस मैंने रखा है और रखने के बाद बताया है कि इस तरह की कार्यवाही सरकार के अधिकारी ने की है। मैं उन अधिकारियों को और सरकार को कहना चाहता हूं कि इससे जनतंत्र की जड़ मजबूत नहीं कर रहे हैं, इससे वह जनतन्त्र की जड़ को खोद रहे हैं। आपका जो पावरफुल डिपार्टमेंट है उसका नमूना मैं आपको देता हूं। वह क्या है कि तीन नये पैसे के सैल्स टैक्स को वसूल करने के लिए एसोसियेटेड स्टोन कम्पनी कोटा को तीन बार नोटिस दिये, जो पार्टी डेढ़ लाख की है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सुराणाजी की आवाज धीमी हो गई है, पानी मंगवा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, इनके कानों में खराबी है। इनके कानों में खराबी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कानों में खराबी नहीं है, सरकार को पानी पिलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिसकी डेढ़ लाख की प्रतिष्ठा है, उससे तीन नये पैसे की वसूली का सवाल सामने आता है तो उसमें एक साल के अन्दर सेल्स टैक्स अधिकारी ने तीन नोटिस दिये हैं। वह पार्टी गई और उस पार्टी ने जाकर तीन नये पैसे उस अधिकारी की मेज पर रख दिया। तीन नये पैसे के लिए पन्द्रह पन्द्रह नये पैसे के लिफाफे में तीन बार नोटिस दिये और तीन नये पैसे आये तो सेल्स टैक्स अधिकारी अपने आदमी को भेज कर वह बैंक में जमा कराता है। आपका डिपार्टमेन्ट कितना सजग है कि तीन नये पैसे की रिकवरी करता है लेकिन जहां पर तीन हजार की रिकवरी का प्रश्न है, तीस हजार की रिक्वरी का प्रश्न है, उन केसेज में वह सेल्स टैक्स अधिकारी अपनी सक्षमता नहीं बताना चाहते हैं।

इसीतरह के मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। माननीय वित मन्त्रीजी ने पिछली साल एक कानून पास किया, जिन व्यापारियों का टर्न ओवर ३० हजार से कम है, उन व्यापारियों को, उन ट्रेडर्स को सुविधा दी जायगी कि तीन साल में एक बार असेसमेंट करायेंगे। पिछले तीन साल के एवरेज से असेसमेंट कर दिया जाय और वह आगे आने वाले तीन साल में दें। इसका नतीजा क्या होगा कि आपके सैल्स टैक्स अधिकारी हैं वे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा समय लगा कर अपने राज्य के लिए वसूल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप काम करते हैं तो इससे राज्य सरकार टैक्स का इवेजन रोकना चाहें तो वह नहीं रोक सकती है। इस तरह की प्रजातन्त्र में कार्यवाही करके जनता के मोरेल को ऊंचा नहीं करते हैं। इस तरह के काम करने की बात को सरकार स्वयं साबित करती है क्योंकि वह यह कानून लाई है। मैं पिछली साल की तरह फिर रिपीट करना चाहता हूं कि इस कानून में आप फिर तरमीम करेंगे, एक साल के बाद में आप खुद डिप्टी कमिश्नर को स्टे की पॉवर देंगे, यह सरकार अपने आप यह अधिकार उनको देने के लिए मजबूर हो जायेगी इस कानून का एक्जीक्यूशन देख कर। अभी तो आप जिद्द में है, अभी राज्य के मन्त्री महोदय हैं वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली साल मैंने कहा था कि जब सेल्स टैक्स एक्ट एक्जीयूशन का प्रश्न आयेगा, तो जैसा मैंने कहा था कि बी. सी. डी. और १२, १३ में जो भी है इनके अन्तर्गत आप प्रोसीक्यूशन मत करें, लेकिन उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। आज उन केसेज में मे प्रोसीक्यूशन हटा रहे है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि आप एक अधिकारी पर भरोसा करके बैठे हैं कमिश्नर के ऊपर लेकिन वह समय दूर नहीं है और आपको अगली साल कानून लाना पड़ेगा और डिप्टी कमिश्नर को अपील पर स्टे देने की पॉवर देनी पड़ेगी, उन पर भरोसा करना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक १९६५ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित हुआ।

(९.४८ म. प.)

प्राक्कलन समिति (१९६५-६६) के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

एक सूचना है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि आज प्राक्कलन समिति १९६५-६६ के चुनाव निम्नांकित रूप में घोषित किये गये हैं :

(१) श्री अमरसिंह दूदू।
(२) श्री उमरावसिंह ढाबरिया।
(३) रावत श्री उम्मेदसिंह।
(४) श्री गंगासिंह।
(५) श्री गणपतिलाल वर्मा।
(६) श्री चतुर्भुज उपाध्याय।
(७) श्री जुझारसिंह।
(८) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।
(९) श्री भरतलाल।
(१०) श्री मोतीलाल चौधरी।
(११) श्री रविशंकर याज्ञनिक।
(१२) श्री रावतराम।
(१३) श्री विजय पाल कटारा।
(१४) श्रीमती सुमित्रा।
(१५) श्री हरिप्रसाद शर्मा।

सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ९.५० बजे शुक्रवार दिनांक १६ अप्रेल, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१६ का उत्तर देखिये)

भारत सरकार द्वारा अलॉटमेन्ट कम होने से राज्य के इन बड़े शहरों में भी गेहूं कम अलॉट किये गये। इन शहरों का अलॉटमेन्ट का ब्योरा माह जुलाई, ६४ से मार्च, १९६५ तक निम्न प्रकार से है :—

नाम शहर	जुलाई, ६४	अगस्त, ६४	सितम्बर, ६४	अक्टूबर, ६४	नवम्बर, ६४	दिसम्बर, ६४	जनवरी, ६५	फरवरी, ६५	मार्च, ६५
१—अजमेर	३०००	५०००	५०४५	६०६०	४२४५	३३२०	२५३५	२३६०	१६३५
२—जयपुर	५७००	५८६०	५५८५	६८२५	५०८५	४३०५	४०३५	३५७०	३३४५
३—जोधपुर	६७००	५२०५	४२३०	३१८०	१६८०	१२१५	१३६५	१८००	१७१०
४—बीकानेर	२६००	२१६०	२४६५	१८७५	१२७५	१०३५	१३६५	१५६०	१५६०
५—कोटा	३०००	२५००	२२०५	२२०५	१४२५	६००	३१०	५१०	१५०
६—उदयपुर	२४००	२५४५	२४३५	२५५०	१६२०	८४०	४६५	५८५	१३०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३४ का उत्तर देखिये)

सूची नगरपालिकाएं जिन्होंने गृह कर न लगाने हेतु प्रस्ताव पारित किये एवं सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये

१-गंगाशहर
२-राजसमन्द
३-भरतपुर
४-नोहर
५-सलुम्बर
६-निम्बाहेड़ा
७-डीग
८-कामां
९-सिरोही
१०-डूंगरपुर
११-सांगवाड़ा
१२-सरवाड़
१३-फतहपुर
१४-बाडी
१५-मालपुरा
१६-सुजानगढ़
१७-सरदार शहर
१८-उदयपुर
१९-नाथद्वारा
२०-बडी सादडी
२१-कोटा
२२-लाखेरी
२३-पाली
२४-खेरली
२५-सूरतगढ़
२६-जोधपुर
२७-टोडारायसिंह
२८-शाहपुरा
२९-दौसा
३०-चौमूं
३१-झालावाड़
३२-कुशलगढ़
३३-बाडी

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६३८ का उत्तर देखिये)

सूची

क्रम संख्या १	नाम ग्राम २	कुल चरा-गाह भूमि ३	संवत् ४	अनधिकृत कब्जा ५	अतिक्रमियों की संख्या ६	लगान जो पेनेल्टी के रूप में वसूल किया गया ७
		वि० बिस्वा				रु० आ० पाई
१.	हीगोटा	३४३.१६	२०१८	५६.५	११	३६५—५—०
			२०१६	४६.१४	११	११४—३—६
			२०२०	४७.२	११	कायम की गई पेनेल्टी वसूल नहीं की गई है।
			२०२१	४६.११	११	,,
२.	अलीपुर	१६६.०	२०१६	६३.३	२५	१०७-२-६
			२०१७	६८.११	२६	३४१-२-०
			२०१८	७१.१	२३	७५-६-३
			२०१६	८७.७	२८	कायम की गई पेनेल्टी वसूल नहीं हो पाई।
			२०२०	७५.१	२२	,,
			२०२१	६८.११	४०	,,
३.	बालाहेड़ा	५२५.११	२०१६	१६२.१२	६६	१८७-५-०
			२०१७	१६२.८	५७	६६२-२-०
			२०१८	२३७.१६	५०	३६५-१२-०
			२०१६	३०३.१०	५४	कायम की गई पेनेल्टी वसूल नहीं हो पाई है।

१	२	३	४	५	६	७
			२०२०] २०२१]	३१५.२	६०	कायम की गई पेनेल्टी वसूल नहीं हो पाई है।
४.	गादरवाड़ा गूजरान	२६२.१	२०१६ से २०२१ तक	११.११	४	१०२-२-३

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ९४० का उत्तर देखिये)

स्टेटमेंट कायमी चरागाह तहसील चितौड़गढ़ व गंगरार

नं.सं.	तहसील के कुल गांवों की तादाद	तादाद गांव जिनमें चरागाह कायम हो चुका।	तादाद वीरान गांव मय नाम	तादाद गांव जिन में चरागाह के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है; मय गांवों के नाम	तादाद गांव जिनमें चरागाह कायम होना शेष है; मय नाम
१	२	३	४	५	६
१.	२०३	१८६	१३	–	४
			फतेगढ़ (१) चमनपुरा (२) बिहारीपुरा (३) सांकेड़ा (४) रुघनाथपुरा (५) मानपुरीया (६) बाड़ा (७) जेतपुरा (८) आमली खेड़ा (९) खरेच (१०) मोखमपुरा (११) सूरतपुरिया (१२) महुपुरिया (१३)	–	रेल का अमराना (१) जोरावरसिंह का खेड़ा (२) गाड़री खेड़ा (३) गांगा का खेड़ा (४)

नोटः—२ गांव चितोड़ व मिठाराम जी का खेड़ा म्युनिसिपल क्षेत्रों में होने से पंचायतों को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।

१	२	३	४	५	६
तहसील गंगरार					
१.	१५७	१५०	१	गुलाबपुरा	भाट खेड़ा (१)
			ग्राम महताब	(१)	
			सिंह का खेड़ा	जोजरों का खेड़ा (२)	पुठोली (२)
				शिवपुरा (३)	मूण का खेड़ा (३)

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ५३६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Medical & Pub. Health Deptt.

Notification.

Dated Jaipur, the 11th July, 60

No. D. 7385/F. 13(23) (I) MPH/58:— On the recommendations of the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer the Governor has been pleased to appoint Dr. Taj Prakash Bharadwaj as Professort of Pathology, SMS Medical College, Jaipur in the scale of Rs. 1000-50-1400

By Order of the Governor,
Sd/-Vishnu Dutta Sharma,
Secretary to the Government.

No.D.7385/ F. 13 (23) (1) MPH/58 Dt. 11.7.60

Copy forwarded to the:—

1. DMHS, Rajasthan, Jaipur. Dr. Bharadwaj will be on probation for two years. The appointment is also subject to the production of usual Medical certificate as laid own in the rules. Officer should also take an oath of allegiance to the Constitution of India.
2. Principal, SMS. Medical College, Jaipur.
3. Dr. Tej Prakash Bharadwaj. Asstt. Professor of Pathology, T N. Medical College, Bombay-8.
4. Secretary, RPSC, Ajmer with ref. to his letter No.F. 7 (306) 10/12) Rect. 59-60/Conf. 1485 dated 7-3-60.
5. Personal file of the officer.
6. P.S. to H. M.
7. P. A to. C. S.
8. P. as. to—W.S.
9. P. A to Dy. Secy. Health
10. Translation Deptt. for needful.
11. A.G. Rajasthan, Jaipur.

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक, १५ अप्रैल, १९६५)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६४५३	१२	आमत्रित	आमंत्रित
६४५५	१५	अलॉड	अलॉट
६४५७	२०	अनेस्ट	अर्नेस्ट
६४५९	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६४६३ व	,,	–१३ अप्रेल, ६५–स्थगित	–१५ अप्रेल, ६५–तारांकित
६४६४		प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
६४६४	अन्तिम से ३	श्री आनन्दसिंह कछावाहा।	श्री आनन्दसिंह कछवाहा
६४६८	१४	श्री अब्दुलजब्बार लां	श्री अब्दुलजब्बार खां
६४६९	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
,,	,,	अप्रल	अप्रेल
६४७२	६	श्री उमरावनिह ढाबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
६४७४	७	श्री जुझारसिंह	श्री जुझारसिंह (चेचट):
६४७८	अन्तिम से ४	अन्दराज	इन्द्राज
६४७९	४	इन्दराज	,,
६४८०	१	श्रोमती प्राभ मिश्रा	श्रीमती प्रभा मिश्रा
६४८१	शीर्षक	अप्रैल	अप्रेल
६४८३	,,	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१	(श्री बरकत्तुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां) :
,,	१७	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
६४८९	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
६४८९ व			
६५०१	,,	अप्रल	अप्रेल
६५०३	,,	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम से ४	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
६५११	शीर्ष	(श्री मती प्रभा मिश्रा)	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
६५१६	७	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से ८	श्री उपाध्यक्ष :	—
६५१९	८	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

Page No 216

१	२	३	४
६५१६	अन्तिम से ६	महारावल श्री लच्मणसिंह	महारावल श्री लच्मणसिंह
६५२१	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६५२६	१७	रांकित	तारांकित
,,	२०	श्री सतीतशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
६५२६	शीर्षक	अनुपथित	अनुपस्थित
६५३७	,,	स्थगित प्रश्नोत्तर –१५ अप्रेल,. ६५–स्थगित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के–१५ अप्रेल,६५–तारांकित प्रश्नोत्तर
६५३६	१७	१६६४–६५ के तृतीय	१६६४–६५ के तृतीय
६५४०	१४	श्री योगेन्द्रमाथ हांडा;	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :
६५४१	७	उपाध्यक्ष महोढय	उपाध्यक्ष महोदय
६५४२	अन्तिम से ३	नर्ही	नहीं
६५४३	शीर्षक	पनखा	पानरवा
६५४५	१२-१६	श्री उपाध्यत्त	श्री उपाध्यत्त
,,	१४	श्री उमराबसिंह	श्री उमरावसिंह
६५४७	शीर्षक	पानरबा	पानरवा
६५४६	,,	पनखा	,,
६५५०	५	श्री निरंजजनाथ आचार्थ	श्री निरंजननाथ आचार्य
६५५१	शीर्षक	पनरवा जंलग	पानरवा जंगल
६५५३	१२	श्री जोधसिंह	श्री जोधसिंह चौहान
६५५४	१७	श्री जोधसिंह चौहन	,, ,, ,,
६५५५ से ६५७३	शीर्षक	पनरवा	पानरवा
६५६१	३	ढाबरियां	ढाबरिया
,,	अन्तिम से ८	श्री भीखभाई	श्री भीखाभाई
६५६४	शीर्षक	प्रस्नाव	प्रस्ताव
,,	अन्तिम से ८	श्री भीखभाई	श्री भीखाभाई
६५६५	१०	श्री भीखाबाई	,, ,,
६५६६	७	श्री गिरवलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
६५६७	शीर्ष	(श्री उपाघ्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
६५६८	अन्तिम से ३	उपाव्यक्ष	उपाध्यक्ष
६५७१	१	श्री उमराासिंह	श्री उमरावसिंह

१	२	३	४
६५७२	५	गिरधारीलाल	श्री गिरधारीलाल व्यास
६५७५	शीर्षक	प्रस्ताब	प्रस्ताव
६५७६	,,	वांढ़	वाढ़
६५८३	४	सुखाडिया	सुखाड़िया
६५८७	शीर्ष	(श्री सतीश चन्ग्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१७	वकआउट	वर्क आउट
६५८६	१२	आबीट्रेरी	आर्बीट्रेरी
,,	२२	जुनियर	जूनियर
६५६०	शीर्षक	संबंधी	सम्बन्धी
६५६१	१	श्री हरिश्चन्द्	श्री हरिश्चन्द्र
६५६२	१४	वेकन्टीन्युअस	वे कन्टीन्युअस
६५६६	शीर्षक	पली	पाली
६६०१	,,	पाली लिले	पाली जिले
६६०३	,,	पाली जिला	,, ,,
६६०६	,,	कार्मवाही	कार्यवाही
~~,,~~	~~८~~	~~(गुढ़ा मालानी)~~	~~(गुढ़ामलानी)~~
६५०८	२	अक्टूवर	अक्टूबर
,,	१५	श्री भीवाभाई	श्री भीखाभाई
,,	अन्तिम से ५	चीनयों	चीनियों
,,	अन्तिम से ५	रा स्थानी	राजस्थानी
,,	अन्तिम से ४	राि।	राशि
,,	अन्तिम से ४	विाक	विधेयक
,,	अन्तिम से ३	वक्तय	वक्तव्य
६६१०	१२	सघ	संघ
,,	२६	सस्थाओं	संस्थाओं
,,	,,	सम्त्रन्ध	सम्बन्ध
,,	२७	कायवाही	कार्यवाही
,,	२८	राष्ट्र	राष्ट्र
६६१३	११	पासल	पार्सल
,,	अन्तिम से ७	श्री गोधनसिंह जी	श्री गोर्धनसिंह जी
,,	अन्तिम	निस्सदेह	निस्सन्देह

१	२	३	४
६६१६	शीर्षक	वक्तव्य	वक्तव्य
६६१७	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
६६१८	अन्तिम से ४	श्री शीशाराम ओला	श्री शीशराम ओला
६६१९	५	गौरीशकर	गौरीशंकर
,,	८	१९५	१९५७
,,	१६	निगाहा	निगाहों
,,	अन्तिम से २	श्री शीशाराम ओला	श्री शीशराम ओला
६६२०	३	कर ी	करडी
६६२३	अन्तिम से ८	विया	किया
६६२४	१२	अफस ों	अफसरों
,,	अन्तिम से ७	श्री गिधारीलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
६६२९	शीर्षक	कोड़	कोड
,,	२२	कन्सडं	कन्सर्न्ड
६६३०	९	आॅफ	ऑफ
६६३१	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
,,	४	आात्ति	आपत्ति
६६३२	२	मत्रीजी	मंत्रीजी
६६३३	शीर्षक	वक्तव्य सम्बन्धी–१५ अप्रेल,	वक्तव्य सम्बन्धी-१५ अप्रेल
६६३५	,,	जिल्म	फिल्म
६६३६	१९	श्री योगेन्द्नाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	२३	श्री उपाःयक्ष	श्री उपाध्यक्ष
६६३७	शीर्षक	अप्रेल	अप्रेल
,,	७	श्री योनेन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६६३९	शीर्षक	स्थागन	स्थगन
६६४०	अन्तिम से ६	श्री केसरोसिह	श्री केसरीसिंह
६६४२ व			
६६४८	शीर्षक	सहकारी संस्था विधेयक	सहकारी संस्था विधेयक, १९६४
६६५५	२	मत्री	मंत्री
,,	१३	class'	class"
६६५७	अन्तिम से ३	बोडिग	बोर्डिग
६६६१	१८	हमारी	हमारा

१	२	३	४
६६६३	११	appiication	application
६६६४	१५	ज्याढा	ज्यादा
६६६५	शीर्षक	१५ अप्र ल	१५ अप्रेल
६६६७	१४	class“	class”
६६७४	अन्तिम से २	मीलों	भीलों
६६७६	१४	Section‘	Section’
६६८८	शीर्षक	संस्था विघेयक, १९६५	संस्था विधेयक, १९६४
६६९१	शीर्षक	१४ अप्रेल	१५ अप्रेल
,,	अन्तिम से ४	की रामानन्द	श्री रामानन्द
६६९३	१९	श्री गमानन्द	श्री रामानन्द
,,	२६	अग्राल	अग्रवाल
६६९४	३	श्री मथुगदास	श्री मथुरादास
,,	१७	संसाइटी	सोसाइटी
,,	२३	मथु ादास	मथुरादास
६६९५	१९	श्रीम ी	श्रीमती
६६९७	शीर्षक	सहसकरी	सहकारी
६७०४	३०	श्री मो ीलाल	श्री मोतीलाल
६७०७	२१	श्री मथुरदास माथ	श्री मथुरादास माथुर
६७१९	२६	सु ाणा	सुराणा
६७२१	१२	sociaist soctliety	Socialistic Society
६७२६	१९	अगेत्तर	अग्रेत्तर
६७३०	शीर्षक	(सशोधन)	(संशोधन)
६७३३	शीर्ष	श्री मानिकचन्द	(श्री मानिकचन्द
६७३५	अन्तिम पंक्ति	को लायर	को लॉयर
६७३६	शीर्षक	१९६४	१९६५
,,	२	आंफ	ऑफ
,,	३	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
,,	२८	श्री गिरधारीलांल	श्री गिरधारीलाल
६७४३	१३	के को	के केस को
,,	२२	rorder	order
६७४३-४४	शीर्षक	१५ अप्रेल	१५ अप्रेल

१	२	३	४
६७४५	३-४	authority;"	authority,"
६७५३	अन्तिम से ६	रवखों	रवखें
६७५४	अन्तिम से ४	क्वासी ज्युडिसियल	क्वाज़ी जुडीशियल
६७५५	शीर्षक	काररांपण	करारोपण
६७६५	,,	अप्रेल	अप्रेल
६७६८	१	(जौहरा	(जौहरी-
६७६९	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६७७०	,,	(सशोधन)	(संशोधन)
६७७५	६	apprication	application
६६७७	शीर्षक	विधियां	विधियां
,,	अन्तिम	एनि ऑर्डर पास्ट	—
६७७९	स्कम्भ	४७७९	६७७९
६७८०	शीर्षक	(सशोधन)	(संशोधन)
६७८३	२२व२३	amcndment	amendment
,,	२४	(मालवी)	(मावली)
६७८४	६	withdra.	withdraw.
६७८७	५	टक्स	टैक्स
,,	१४	डिटर्रमिन	डिटर्मिन
६७८८	६	किय	किया
,,	१३	श्री सभापनि	श्री सभापति
६७८९	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६७९१	,,	करारौपण	करारोपण
,,	६	आटइस	आइटम
६७९३	शीर्षक	बिधियां	विधियां
६७९४	,,	१९५४	१९६५
६७९५	अन्तिम	nirely	namely
६७९६	अन्तिम से ४	साल यो	साल या
६८०१	स्कम्म	६८०	६८०१
६८०२	शीर्षक	(सशांधन)	(संशोधन)
,,	१	बठते	बैठते
,,	२१	हाना	होना

Page No 221

१	२	३	४
६८०५	शीर्षक	ग्रप्रेल	अप्रेल
६८०६	३	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	१६	ह	है
,,	२०	मजूरी	मंजूरी
,,	अन्तिम	ि ना	बिना
६८०७	शीर्षक	करााोपण	करारोपण
६८०८	अन्तिम से ४	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
६८०६	३, ८	श्री सम्पतिलाल बोहरा	,, ,, ,,
६८११	अन्तिम	प्रकाि ात	प्रकाशित
६८१२	७	सशोधन	संशोधन
६८१३	अन्तिम से ७	सात होगये	सात साल हो गये
६८२०	१६	तफसीश की ट्रान्सफर	तफतीश की ट्रान्सफर
६८२२	१, २	दिया दिया	दिया
६८२३	शीर्षक	करारांपण	करारोपण
,,	अन्तिम	ार्ती	भर्ती
६८२४	अन्तिम से २	कुसी	कुर्शी
६८२५	शीर्षक	बिधिया	विधियां
६८२८	स्कम्भ	६८२६	६८२८
६८२६	२०	मातीलाल	मोतीलाल
६८३४ व			
६८३५	१४,२० व ३	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
६८३८	शीर्षक	(रंशोधन) विधेयक, ३६६५	(संशोधन) विधेयक, १६६५
६८४१	शीर्ष	(श्री माकनिचन्द सुराणा	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
,,	६	जो	जोड़ा
,,	१०	श्री मानिकचन्द्र सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
६८४३	५	माइन्ग	माइन्स
६८४५	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
,,	अन्तिम	प्रावधान	प्रावधान
६८४६	४	इस प्रकार इस प्रकार	इस प्रकार
,,	१६	पोस्पेक्टिवली	प्रोस्पेक्टिवली
६८४७	शीर्षक	करारौपण	करारोपण

१	२	३	४
६८४७	६	reply.	reply ?
६८४८	५	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
६८४६	स्कम्भ	६८०६	६८४६
६८५०	२	जयपु,:	जयपुर) :
,,	३	ड्राफ्ट्ससमेन	ड्रापट्समेन
६८५२	शीर्षक	(संशाधन)	(संशोधन)
,,	१५	श्री परसराम मदेरण	श्री परसराम मदेरणा
६८५५	शीर्षक	ग्रप्रेल	अप्रेल
६८५६	१	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा